खण्ड-412, अंक-1
सोमवार, 5 वैशाख, शक संवत् 1916
(25 अप्रैल, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 412 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची....	क–ज
श्री राज्यपाल, मंत्रि परिषद् नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल.....	झ–ठ
उपस्थित सदस्य	ड–त
नेता विरोधी दल द्वारा मा० अध्यक्ष के विरुद्ध दिये गये अविश्वास प्रस्ताव को उठाने का प्रयास.....	1–6
प्रश्नोत्तर	6–103
–नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं.....(जारी)	103–104
–विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री रावअब्दुर्राफे खां तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी के निधन पर शोकोद्गार	104–112
–मा० अध्यक्ष विधान सभा के प्रति श्री कल्याण सिंह नेता विरोधी दल द्वारा असम्मान जनक कथनों के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव...(स्वीकृत) ...	112–133
–नियम 301 के अन्तर्गत सचनाएं	133–134
–हरदोई जनपद के गांव वंजारिन पुरवा मजरा विराइच मऊ में हुए अग्निकांड से प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	134
–मुरादाबाद मण्डल में मेवाने बांदा एवं कांठ स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में पांच व्यक्तियों के कथित रूप से सेना के जवानों द्वारा फेके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	135
–लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में व्यवसायिक केन्द्र एवं प्राधिकरण की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	135–136
–बांदा के बबेरू क्षेत्र की उपजाऊ भूमि को ऊसर होने से बचाने के लिए राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
–जनपद उन्नाव में रामपुर-सुर्जापुर सनोहा तथा मुबारकपुर-जगदीशपुर मार्ग के पुनः निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	136–137
–औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	137
–पुलिस महानिदेशक के आदेश पर विधायकों को उपलब्ध शैड़ो को पूर्व अनुमति के बिना बाहर न ले जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	137–140

विषय	पृष्ठ-संख्या
–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र वर्ष 1994-95 (भाग प्रथम एवं द्वितीय) फरवरी, 1994 .... (पटल पर रखा गया)	140
–विधायकों को आवंटित फ्लैट खाली कराये जाने तथा कब्जा न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	141
–दिल्ली स्थित यू० पी० भवन के बदइन्तजामी तथा उसके व्यवस्थापक के दुर्व्यवहार के संबंध में औचित्य का प्रश्न	142–144
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (पुरः स्थापित)	144
नियम 311 की परिवर्तित सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	144–159
वित्तीय वर्ष, 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग.....(जारी)	159–180
लिखित सुझाव को कार्यवाही का अंग माने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न...	180
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–9–ऊर्जा विभाग.....स्वीकृत)	180–194
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या–48 –मुस्लिम वक्फ विभाग.....(स्वीकृत)	194–207
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं.....	207–208
उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य...	208–210
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के डिप्लोमा इंजीनियरों द्वारा की गयी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य.....	210–213
जनपद आगरा की नगर पालिका, अछनेरा की अव्यवस्था से सीवर लाइन तथा जलोत्सारण योजना ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन...	213
–माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में खुलेआम हो रही सामूहिक नकल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य	213–215
नत्थियां	216–224

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1–अंगद यादव, श्री आजमगढ़
2–अकबर अली, श्री जालौन
3–अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
4–अखलाख, श्री मेरठ
5–अखिलेश, श्री महराजगंज
6–अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
7–अछैयवर भारती, श्री मऊ
8–अजय कुमार पोइया, श्री मथुरा
9–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री गोण्डा
10–अतीक अहमद, श्री इलाहाबाद
11–अनिल कुमार, श्री सीतापुर
12–अफजाल अन्सारी, श्री गाजीपुर
13–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री फतेहपुर
14–अमरनाथ यादव, श्री वाराणसी
15–अमर सिंह, श्री अलीगढ़
16–अमर सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
17–अमित अग्रवाल, श्री मेरठ
18–अम्बिका, श्री बलिया
19–अम्बिका सिंह, श्री गोरखपुर
20–अम्बिका सिंह, श्री देवरिया
21–अ० रईस, श्री सुल्तानपुर
22–अरविन्द कुमार, श्री ललितपुर
23–अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर, फर्रुखाबाद
24–अरिमर्दन सिंह, श्री हमीरपुर
25–अवध पाल सिंह यादव, श्री एटा
26–अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
27–अवनीश कुमार सिंह, श्री बदायूं
28–अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
29–अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री उन्नाव
30–अशोक बाजपेई, श्री हरदोई
31–आनन्द यादव, श्री देवरिया
32–इन्द्रदेव सिंह, श्री बिजनौर
33–इन्द्रपाल सिंह, श्री इटावा
34–इन्द्र भद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
35–इरशाद, श्री आजमगढ़
36–इश्तियाक अंसारी, श्री गाजीपुर
37–इश्तियाक अहमद, श्री बाराबंकी
38–उदय प्रकाश, श्री हमीरपुर
39–उदय भान सिंह, श्री आगरा
40–उपदेश सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
41–उमाकान्त यादव, श्री जौनपुर
42–उमाशंकर, श्री जौनपुर
43–उर्मिला देवी यादव, श्रीमती मैनपुरी
44–उर्मिला राजपूत, श्रीमती फर्रुखाबाद
45–ऊदल, श्री वाराणसी
46–ओंकार सिंह, श्री एटा
47–ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
48–ओम प्रकाश, श्री गोरखपुर
49–ओम प्रकाश गुप्ता, श्री सीतापुर
50–ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
51–करन सिंह, श्री मुरादाबाद
52–कल्याण सिंह, श्री अलीगढ़
53–कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
54–काशी सिंह ऐरी, श्री पिथौरागढ़
55–किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
56–किशन लाल, श्री पीलीभीत

57–किशन लाल दिलेर, श्री — अलीगढ़
58–कृष्ण कुमार नवमान, श्री — अलीगढ़
59–कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री — गाजियाबाद
60–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
61–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
62–कोकब हमीद खां, श्री — मेरठ
63–गजराज सिंह, श्री — गाजियाबाद
64–गजाधर सिंह, श्री — रायबरेली
65–गनपति सिंह, श्री — महराजगंज
66–गया चरण दिनकर, श्री — बांदा
67–गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री — रायबरेली
68–गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री — अल्मोड़ा
69–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
70–घनश्याम शुक्ल, श्री — गोण्डा
71–घूरा राम, श्री — बलिया
72–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
73–चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
74–चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री — फर्रुखाबाद
75–चन्द्र मणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
76–चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री — मुरादाबाद
77–चन्द्र शेखर, श्री — गाजीपुर
78–चन्द्र शेखर, श्री — बस्ती
79–चरन सिंह, श्री — मेरठ
80–चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
81–चैनसुख भारती, श्री — जालौन
82–छब्बू, श्री — वाराणसी
83–छोटे लाल, श्री — हरदोई
84–छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
85–छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
86–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
87–जगदम्बा, श्री — बस्ती
88–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
89–जगदीश मुनि, श्री — हरिद्वार
90–जगन्नाथ प्रसाद, श्री — खीरी
91–जगरनाथ चौधरी, श्री — जौनपुर
92–जगराम सिंह, श्री — कानपुर नगर
93–जगवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
94–जदुरानी, श्रीमती — हरदोई
95–जमुना मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
96–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
97–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
98–जयराम कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
99–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा
100–जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री — इलाहाबाद
101–जवाहर लाल दिवाकर, श्री — इलाहाबाद
102–जसवन्त सिंह, श्री — कानपुर देहात
103–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
104–जुगेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
105–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
106–ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती — वाराणसी
107–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
108–तिलक राज बेहड़, श्री — नैनीताल
109–तीरथ राज, श्री — सोनभद्र
110–तुलसीदास राय चन्दानी, श्री — गोण्डा
111–तुलाराम सैनी, श्री — मुरादाबाद
112–तेजपाल सिंह, श्री — बिजनौर
113–तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
114–तेजपाल सिंह पंवार, श्री — हरिद्वार

115–तेज भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
116–त्रिपाल सिंह धामा, श्री — मेरठ
117–दया सिन्धु शंखधार, श्री — बदायूं
118–दरोगा, श्री — आजमगढ़
119–दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
120–दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
121–दीनानाथ चौधरी, श्री — बलिया
122–दीनानाथ भाष्कर, श्री — वाराणसी
123–देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री — ललितपुर
124–दौलत राम, श्री — सीतापुर
125–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
126–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
127–धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री — बुलन्दशहर
128–धामू राम भाष्कर, श्री — फैजाबाद
129–धीरेन्द्र बहादुर सिंह, कुंवर, — खीरी
130–धू राम, श्री — हमीरपुर
131–नजमउद्दीन, श्री — इलाहाबाद
132–नन्द किशोर मिश्रा, श्री — देवरिया
133–नन्द लाल, श्री — सुल्तानपुर
134–नन्द लाल सिंह पटेल, एडवोकेट, श्री — इलाहाबाद
135–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
136–नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
137–नरेन्द्र सिंह, श्री — मैनपुरी
138–नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
139–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
140–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
141–नरेश अग्रवाल, श्री — हरदोई
142–नवल किशोर, श्री — बुलन्दशहर
143–नसीम, श्री — मऊ
144–नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
145–निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — खीरी
146–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
147–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
148–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
149–परशुराम, श्री — फैजाबाद
150–पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
151–पीतम सिंह, श्री — एटा
152–पुत्तू सिंह यादव, श्री — शाहजहांपुर
153–पूर्णमासी देहाती, श्री — देवरिया
154–पृथ्वी सिंह विकसित, श्री — हरिद्वार
155–प्रणत पाल सिंह, श्री — मथुरा
156–प्रताप सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
157–प्रभा रावत, श्रीमती — गोरखपुर
158–प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
159–प्रवीण सिंह ऐरन, श्री — बरेली
160–प्रीतम सिंह, श्री — देहरादून
161–प्रीतम सिंह, श्री — मुरादाबाद
162–प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री — सिद्धार्थनगर
163–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
164–प्रेम सिंह, श्री — गाजियाबाद
165–फजलुर्रहमान अंसारी, श्री — बहराइच
166–फौजदार प्रसाद, श्री — मऊ
167–बंशीधर, श्री — नैतीताल
168–बचनू राम पटेल, श्री — वाराणसी
169–बची सिंह रावत, श्री — अल्मोड़ा
170–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
171–बदन सिंह, श्री — आगरा
172–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रखाबाद
173–बनवारी सिंह, श्री — बदायूं
174–बरकत अली खां, श्री — सुल्तानपुर

175–बी० आर० वर्मा, श्री — आजमगढ़
176–बरफिया लाल जुवांठा, श्री — उत्तरकाशी
177–बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
178–बशीरउद्दीन, श्री — हमीरपुर
179–बाबू खां, श्री — हरदोई
180–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
181–बाबू राम वर्मा, श्री — बस्ती
182–बाबू लाल, श्री — उन्नाव
183–बाल गोविन्द राजवंशी, श्री — सीतापुर
184–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
185–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
186–बालेश्वर यादव, श्री — देवरिया
187–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
188–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
189–बेचन राम, श्री — गोरखपुर
190–बेनी प्रसाद, श्री — बाराबंकी
191–बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
192–ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
193–ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
194–भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
195–भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री — लखनऊ
196–भगवती प्रसाद सागर, श्री — कानपुर देहात
197–भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
198–भागवत पाल, श्री — मिर्जापुर
199–भैरो प्रसाद मिश्र, श्री — बांदा
200–मंजूर अहमद, श्री — बरेली
201–मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
202–मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
203–मदन भइया, श्री — मेरठ
204–मनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर
205–मनोहर लाल, श्री — उन्नाव
206–मन्नू लाल कुरील, श्री — बांदा
207–मयंकर सिंह, श्री — बहराइच
208–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
209–मसूद अहमद, डा० — फैजाबाद
210–महबूब अली, श्री — मुरादाबाद
211–महराज सिंह यादव, इटैली, श्री — इटावा
212–महाबीर सिंह, श्री — बिजनौर
213–महाबीर सिंह, कुंवर — हरदोई
214–महिपाल सिंह यादव, श्री — बरेली
215–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री — आगरा
216–महेन्द्र पाल सिंह, श्री — बिजनौर
217–महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री — फतेहपुर
218–महेन्द्र सिंह माहरा, श्री (महू भाई) — पिथौरागढ़
219–महेश चन्द्र, श्री — कानपुर नगर
220–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
221–माम चन्द्र, श्री — सहारनपुर
222–माया शंकर पाठक, श्री — वाराणसी
223–मारकण्डेय सिंह, श्री — बलिया
224–मित्रसेन यादव, श्री — फैजाबाद
225–मीर मजहर अली उर्फ नन्हें मियां, श्री — बदायूं
226–मुक्ति नाथ, श्री — देवरिया
227–मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
228–मुनीश गौड़, श्री — अलीगढ़
229–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
230–मुलायम सिंह यादव, श्री — फिरोजाबाद
231–मेवा लाल बागी, श्री — वाराणसी
232–मोलई, श्री — गोरखपुर
233–मोहम्मद अरशद खान, श्री — जौनपुर
234–मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
235–मोहर सिंह, श्री — सहारनपुर
236–मोहसिन, डा० — गोरखपुर

237–यश पाल आर्य, श्री — नैनीताल
238–यश पाल चौधरी, श्री — खीरी
239–यश पाल सिंह चौधरी, श्री — सहारनपुर
240–योगेन्द्र कुमार सागर, श्री — बदायूं
241–रंगनाथ, श्री — वाराणसी
242–रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
243–रघुवीर सिंह, श्री — एटा
244–रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
245–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
246–रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
247–रतन पाल पंवार, श्री — मुजफ्फरनगर
248–रमाकान्त यादव, श्री — आजमगढ़
249–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — देवरिया
250–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
251–रमेश कान्त लवानियां, श्री — आगरा
252–रमेश चन्द्र चंचल, श्री — फिरोजाबाद
253–रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री — गढ़वाल
254–रमेश बहादुर, श्री — प्रतापगढ़
255–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर — मेरठ
256–रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
257–रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री — देवरिया
258–रवीन्द्र शुक्ल, श्री — झांसी
259–राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
260–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
261–राजकुमार शिवहरे, श्री — बांदा
262–राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
263–राजबली यादव, श्री — आजमगढ़
264–राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
265–राजबीर सिंह, श्री — अलीगढ़
266–राजा राम त्यागी, श्री — रायबरेली
267–राजीव कुमार, श्री — नैनीताल
268–राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
269–राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
270–राजेन्द्र प्रसाद, श्री — लखनऊ
271–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
272–राजेन्द्र सिंह, श्री — बिजनौर
273–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
274–राजेश कुमार, श्री — बदायूं
275–राजेश कुमार, श्री — वाराणसी
276–राधेश्याम, श्री — बाराबंकी
277–राधेश्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
278–रानी देव लता, श्रीमती — सहारनपुर
279–राम अचल राजभर, श्री — फैजाबाद
280–राम अधार यादव, श्री — महराजगंज
281–राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
282–राम औतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
283–राम करन आर्य, श्री — बस्ती
284–राम किशोर बिन्द, श्री — वाराणसी
285–राम कुमार वर्मा, श्री — खीरी
286–राम कुमार शुक्ल, श्री — लखनऊ
287–राम कृष्ण वर्मा, श्री — मेरठ
288–राम खेलावन, श्री — उन्नाव
289–राम गोपाल, श्री — खीरी
290–राम जीत भारद्वाज, श्री — वाराणसी
291–राम तेज, श्री — बहराइच
292–राम दर्शन यादव, श्री — आजमगढ़
293–राम दवर, श्री — जौनपुर
294–राम दास पाल, श्री — कानपुर देहात
295–राम देव वर्मा, श्री — फैजाबाद
296–राम धनी, श्री — गाजीपुर
297–राम नरेश यादव, श्री — रायबरेली
298–राम पाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

299–राम प्रकाश, श्री — बस्ती
300–राम प्रकाश गुप्त, श्री — लखनऊ
301–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — फर्रुखाबाद
302–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
303–राम प्रसाद टम्टा, श्री — अल्मोड़ा
304–राम प्रसाद, श्री — बुलन्दशहर
305–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
306–राम बाबू हरित, डा० — आगरा
307–राम मूर्ति सिंह, श्री — शाहजहांपुर
308–राम लखन यादव, श्री — प्रतापगढ़
309–राम लखन वर्मा, श्री — फैजाबाद
310–राम लोटन सिंह पटेल, इन्जी० — मिर्जापुर
311–राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
312–राम वीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
313–राम सजीवन निर्मल, श्री — इलाहाबाद
314–राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
315–राम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
316–राम सेवक सिंह, श्री — इलाहाबाद
317–राम सेवक सिंह, श्री — बदायूं
318–राम स्वरूप, श्री — एटा
319–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
320–रामेश्वर दयाल, श्री — मैनपुरी
321–रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री — गोण्डा
322–रेखा छागला, श्रीमती — इटावा
323–लक्ष्मी चन्द्र, श्री — बुलन्दशहर
324–लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री — प्रतापगढ़
325–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
326–लाज कृष्ण गांधी, श्री — सहारनपुर
327–लालजी, श्री — वाराणसी
328–लालजी यादव उर्फ जोगी, श्री — जौनपुर
329–लाल बहादुर सिंह, श्री — प्रतापगढ़
330–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
331–वकार अहमद शाह, श्री — बहराइच
332–वासुदेव, श्री — बुलन्दशहर
333–विक्रमा सिंह, श्री — बलिया
334–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
335–विजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
336–विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री — गोण्डा
337–विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
338–विश्वनाथ, श्री — देवरिया
339–विश्वनाथ प्रसाद गुप्त, श्री — गोण्डा
340–विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
341–विश्वम्भर सिंह, श्री — मथुरा
342–वीर अभिमन्यू सिंह, श्री — फतेहपुर
343–वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
344–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर
345–वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री — पीलीभीत
346–वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री — अलीगढ़
347–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
348–शराफत यार खां, श्री — बरेली
349–शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती — सहारनपुर
350–शशि बाला भारती, श्रीमती — खीरी
351–शाकिर, श्री — देवरिया
352–शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
353–शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री — महराजगंज
354–शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
355–शिव दानी, श्री — इलाहाबाद
356–शिव प्रताप यादव, डा० — गोण्डा

357–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
358–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
359–शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री — जालौन
360–शिवेन्द्र, श्री — महराजगंज
361–शूरवीर सिंह सजवाण, श्री — टिहरी गढ़वाल
362–श्याम किशोर यादव, श्री — लखनऊ
363–श्याम देव राय चौधरी, (दादा) — वाराणसी
364–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
365–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
366–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
367–श्रीराम, श्री — मिर्जापुर
368–श्रीराम यादव, श्री — जौनपुर
369–श्रीराम सिंह, श्री — गोण्डा
370–संग्राम सिंह यादव, श्री — बलिया
371–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
372–सज्जन पाल सिंह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
373–सतीश कुमार, श्री — बिजनौर
374–सतीश भटिया, श्री — लखनऊ
375–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
376–सत्य प्रकाश, श्री — मुरादाबाद
377–सत्य प्रकाश विकल, श्री — आगरा
378–सत्येन्द्र सिंह, श्री — मुरादाबाद
379–सन्त बक्श रावत, श्री — लखनऊ
380–सफदर रजा खां, श्री — सुल्तानपुर
381–समई, श्री — आजमगढ़
382–समर पाल, श्री — मुरादाबाद
383–समीर भाटी, श्री — गाजियाबाद
384–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
385–सर्वराज सिंह, कुंवर — बरेली
386–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री — मुरादाबाद
387–सावित्री देवी, श्रीमती — जौनपुर
388–सियाराम सागर, डा० — बरेली
389–सुखदेव, श्री — आजमगढ़
390–सुखदेवी, श्रीमती — इटावा
391–सुधीर कुमार बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
392–सुन्दर पाल सिंह, श्री — सीतापुर
393–सुन्दर लाल दीक्षित, श्री — बाराबंकी
394–सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
395–सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री — बांदा
396–सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री — गढ़वाल
397–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
398–सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री — मुजफ्फरनगर
399–सुरेश पासी, श्री — प्रतापगढ़
400–सुरेश प्रताप सिंह, श्री — मुरादाबाद
401–सुरेश संगल, श्री — मुजफ्फरनगर
402–सुशीला सरोज, श्रीमती — हरदोई
403–सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
404–स्वयंम्वर चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
405–स्वामी नाथ, श्री — देवरिया
406–हरक सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
407–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
408–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
409–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
410–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
411–हरी किशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर देहात
412–हरी शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
413–हरीश कुमार गंगवार, श्री — बरेली
414–हरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
415–हरेन्द्र सिंह, श्री — रामपुर
416–हाजी मोहम्मद हयात, श्री — मुरादाबाद
417–हीरा मनि पटेल, श्री — इलाहाबाद
418–हृदय नारायण, श्री — उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोती लाल बोरा

मंत्रि-परिषद्

1–श्री मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, ऊर्जा, सूचना, निर्वाचन, वित्त, संस्थागत वित्त, सार्वजनिक उद्यम, आवास, न्याय विधायिका, गन्ना विकास, चीनी मिलें, उद्योग, सिंचाई, आबकारी, पर्यटन, पर्यावरण, श्रम, कृषि, उत्तरांचल विकास, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, नियोजन, खाद्य, दुग्ध विकास, राज्य सम्पत्ति, उद्यान, युवा कल्याण, राष्ट्रीय एकीकरण, इलेक्ट्रानिक्स ।
2–श्री बेनी प्रसाद वर्मा	लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य ।
3–श्री मोहम्मद आजम खां	सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ ।
4–श्री राज बहादुर	समाज कल्याण ।
5–श्री राम लखन वर्मा	पंचायती राज ।
6–श्री रमा शंकर कौशिक	नगर विकास ।
7–श्री भगवती सिंह	वन ।
8–श्री बलराम यादव	स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा ।
9–श्री बाबूराम यादव	राजस्व ।
10–श्री मनोहर लाल	पशुधन तथा मत्स्य ।
11–श्री अवधेश प्रसाद	कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन ।
12–श्री आर० के० चौधरी	परिवहन ।
13–डा० मसूद अहमद	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा ।
14–श्री श्रीराम यादव	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्य मंत्री

1–श्री शारदानन्द अंचल	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री ।
2–श्री रामधनी	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री ।
3–श्री दीनानाथ भाष्कर	स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ।
4–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा	परिवहन मंत्री ।
5–श्री श्रीराम पाल	मत्स्य तथा पशुधन मंत्री ।
6–श्री सन्त बख्श रावत	नगर विकास मंत्री ।
7–श्री सुन्दर सिंह बघेल	समाज कल्याण मंत्री ।
8–श्री सुखराम सिंह यादव	लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री ।
9–श्री अशोक कुमार सिंह बेबी	पंचायती राज मंत्री ।
10–श्री सुखदेव राजभर	सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री ।
11–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	राजस्व मंत्री ।

उप मंत्री

1–श्री राम किशोर बिन्द	कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री ।
2–श्री लालजी चौहान	वन मंत्री ।

नेता, विरोधी दल

श्री कल्याण सिंह	भारतीय जनता पार्टी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री धनीराम वर्मा

उपाध्यक्ष

रिक्त

अधिष्ठाता मण्डल

1–श्री अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई) ।

2–श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी) ।

3–श्री राम करन आर्य, सदस्य, विधान सभा (बस्ती) ।

4–श्री बी० आर० वर्मा, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़) ।

5–श्री सत्य प्रकाश विकल, सदस्य, विधान सभा (आगरा) ।

6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर) ।

7–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ) ।

8–श्री नरेश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (हरदोई) ।

9–श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा (हरदोई) ।

10–श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा (महाराजगंज) ।

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 25 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखलाख, श्री	मेरठ
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी
अम्बिका सिंह, श्री	देवरिया
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव
आनन्द यादव, श्री	देवरिया
इन्द्रदेव सिंह, श्री	बिजनौर
उदय भान सिंह	आगरा
उर्मिला राजपूत, श्रीमती	फर्रुखाबाद
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
किशन लाल, श्री	पीलीभीत
कैदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कोकब हमीद खां, श्री	मेरठ
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री	अल्मोड़ा
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
चन्द्रशेखर, श्री	बस्ती
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
तीरथ राज, श्री	सोनभद्र
तुलाराम सैनी, श्री	मुरादाबाद
तेजपाल सिंह पवार, श्री	हरिद्वार
तेजभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
दया सिन्धु शंखवार, श्री	बदायूं
दलबहादुर कोरी, श्री	रायबरेली
दीनानाथ भास्कर, श्री	वाराणसी
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
दौलत राम, श्री	सीतापुर
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह, श्री	मैनपुरी
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवल किशोर, श्री	बुलन्दशहर
निर्भर पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पीतम सिंह, श्री	एटा

प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री	सिद्धार्थनगर
बंशीधर, श्री	नैनीताल
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
बेचन राम, श्री	गोरखपुर
बैजनाथ रावत, श्री	बाराबंकी
भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
महाबीर सिंह, कुंवर	हरदोई
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	फतेहपुर
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मुनीश गौड़, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
यश पाल आर्य, श्री	नैनीताल
योगेन्द्र कुमार सागर, श्री	बदायूं
रंगनाथ, श्री	वाराणसी
रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री	गढ़वाल
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर	मेरठ
रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर
राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजा राम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	वाराणसी
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
राम गोपाल, श्री	खीरी
रामधनी, श्री	गाजीपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
लक्ष्मी चन्द्र, श्री	बुलन्दशहर
लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री	प्रतापगढ़
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी, श्री	वाराणसी
वासुदेव सिंह, श्री	बुलन्दशहर
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वीरेश्वर सिंह	
उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती	सहारनपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्री राम सिंह, श्री	गोण्डा
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सज्जन पाल सिंह	
उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री	एटा
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
सत्येन्द्र सिंह, श्री	मुरादाबाद
सर्वेश कुमार उर्फ	
राकेश, श्री	मुरादाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
स्वयंवर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
हरपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 25 अप्रैल, 1994

(विधान सभा की कार्यवाही दिन में 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नेता विरोधी दल द्वारा मा० अध्यक्ष के विरुद्ध दिये गये अविश्वास प्रस्ताव को उठाने का प्रयास

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष, जी हमने आपको हटाये जाने का एक नोटिस दे रखा है ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है, उस पर नियमानुसार विचार हो रहा है । आप अनियमित बात न करियेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप नियमावली पढ़िये, अनियमित बात क्यों कर रहे हैं ? आपको नियमावली का ज्ञान नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है । [× × ×] मैं और मेरा दल सदन की कार्यवाही का 27 तारीख तक बहिष्कार करता है ।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

(भा० जा० पा० द्वारा "तानाशाही नहीं चलेगी" के नारे लगाये गये)

श्री अध्यक्ष के विरुद्ध दिये गये अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपके सामने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मान्यवर, यह जो हमारी विधान सभा है और हिन्दुस्तान भर की लोक सभा और विधान सभाएं हैं, यह लोकतांत्रिक परम्परा के अनुसार चलती हैं । हमारी नियमावली में आप नियम-270 को निकाल कर देखें । अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जाता है.....

श्री जगदम्बिका पाल–

इसको प्रश्नकाल के बाद ले लें ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, प्रश्नकाल के बाद बुला लेंगे तो मैं बैठ जाता हूं । लेकिन यह लोकतंत्र के हत्यारे जो नियमों को नहीं जानते यह फासिस्टवादी तरीके अपनाकर इस संस्था को बदनाम करना चाहते हैं, जनता

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जनता के अन्दर भ्रम पैदा करना चाहते हैं इसलिये इस फासिस्टवादी ताकतों को इस नियम के अन्तर्गत बेनकाब करना बहुत जरूरी हो गया है। अध्यक्ष के खिलाफ पहले नोटिस दी जाती है। 14 दिन बाद उस नोटिस को पास किया जाता है, तब उस पर मतदान होता है और वह ग्राह्य हो जाता है तभी उस पर नियमानुसार बहस होती है। चाहे नेता विरोधी दल हों या इनके दल के सदस्य, यह लोकतंत्र के हत्यारे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न प्रहर के बाद इस पर ठीक से सही ढंग से सुन लिया जाय ताकि फासिस्टवादी ताकतों को बेनकाब किया जाय और जनता के अन्दर इनकी असली छवि को उजागर किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय ऊदल जी ने व्यवस्था से जोड़ते हुए प्रश्न उठाया है। पूरे प्रदेश की निगाह सदन की ओर लगी हुई है जो तरीका इन प्रतिगामी शक्तियों ने अपनाया है उसकी छाप जनता के बीच अच्छी नहीं पड़ी है। अगर सदन को व्यवस्थित करके नहीं चलाया जाता है तो जनता की गाढ़ी कमाई जो सदन को चलाने में खर्च हो रही है उसका मखौल उड़ाना है। मैं ऊदल जी की बात से सहमत हूं। प्रतिगामी शक्तियां सदन के बाहर, सदन के अन्दर सस्ती लोकप्रियता का माहौल उत्पन्न करती है। उनको बेनकाब करना चाहिए। इस मुद्दे पर प्रश्न प्रहर के बाद चर्चा करा लें।

श्री प्रमोद तिवारी–

ऊदल जी और राम आसरे वर्मा जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को समबद्ध करता हूं। आपने तय किया है इसको प्रश्न प्रहर के बाद लेंगे तो मैं विस्तार से इस पर तभी बोलूंगा मैं इस समय दूसरे बिन्दु पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं पिछले तीन दिनों से सदन में जो कुछ हो रहा है दुर्भाग्यवश यह आचरण कोई और माननीय सदस्य करता तो शायद हमें उतना दुख न होता, लेकिन नेता विरोधी दल जो एक गरिमामय आसन पर विराजमान हैं उनके द्वारा अध्यक्ष पीठ के विरुद्ध जिस तरह से अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और असंसदीय आरोप लगाये गये हैं उससे सम्पूर्ण सदन का अपमान हुआ है उत्तर प्रदेश में कलंकित करने वाली बातें कहकर सदन की गरिमा गिराई है। मैं प्रश्न प्रहर के बाद इस पर बल देना चाहूंगा। मैंने नेता विरोधी दल के आचरण के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव लिखित सूचना में दिया है इसमें कार्यवाही के अंश भी उल्लिखित किये हैं। इससे नेता विरोधी दल के इस आचरण से सम्पूर्ण सदन का अपमान हुआ है। आप इसे प्रश्न प्रहर के बाद ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसे प्रश्न प्रहर के बाद ले लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

भविष्य में कोई भी सदस्य लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास न करे अपने किसी आचरण से सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचाये इसलिये मेरे इस निन्दा के प्रस्ताव को स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री किरन पाल सिंह–

सदन में तीन-चार दिन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है विरोध पक्ष के सदस्यों ने विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है वह सही नहीं है उसमें निन्दा का प्रस्ताव आ रहा है जो आचरण किया

गया है वह निन्दनीय है । पहले भी ऐसा हुआ है कि तीन-तीन चार-चार दिन के बजट एक दिन में पास हुए हैं ऐसी परिस्थितियां आयी हैं । हम लोग नेता विरोधी दल और नेता सदन से बहुत बड़ी आकांक्षायें रखते हैं पूरे प्रयास के बाद, एक बाल हठ के रूप में इस सदन को न चलने देने के लिये सारी व्यवस्था को तहस-नहस करने के लिये, इस सदन के अन्दर इस पीठ के लिए, ऐसा करते हैं कुछ नये सदस्य भी होते हैं जो इस तरह से करते हैं वास्तव में यह निन्दनीय है । मैं समझता हूं इस मामले पर चर्चा हो । नियमों से बड़ी कोई चीज नहीं है संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है । नेता प्रतिपक्ष है । वह विपक्ष में सर्वोच्च हैं लेकिन संवैधानिक कानून से कोई बड़ा नहीं है नियमावली को समझाने की जरूरत है ।

प्रतिपक्ष के नेता की जो परम्परा है, उनको मानने के लिये नेता प्रतिपक्ष तैयार नहीं हैं । एक उत्तेजना में किया हुआ काम सही काम नहीं माना जाता है । उत्तेजना में एक प्रस्ताव लिखकर दे दिया, उसमें हम लोगों से सलाह मशविरा भी नहीं किया । इस संबंध में श्री ऊदल जी, श्री प्रमोद तिवारी हैं उनसे सलाह लेते, तब तो कोई बात थी । नेता प्रतिपक्ष के जो दायित्व हैं, उसका निर्वहन उन्होंने सही तरीके से नहीं किया । अपने आप अहम में आकर ताकत के गुमान में इस तरह का कदम उठाना कोई नार्मल प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है । यह भाजपा के लोग एक गम्भीर स्थिति पैदा करते जा रहे हैं । विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष । इस पर मान्यवर, प्रश्न प्रहर के बाद में सुन लें और मान्यवर, इस पर जो भी निर्णय हो, वह ऐसा हो जिससे आगे सबक सीखा जाये । कोई भी इस तरह का आचरण करने का साहस न कर सके ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री तिवारी जी ने मेरी तरफ इशारा किया कि आप यहां से उधर क्यों बैठ गये ? इस संबंध में मैं बता दूं कि निर्दलीय सदस्य के नाते सदन में किस दल का आचरण कैसा है, उसे देखने के बाद निर्दलीय सदस्य तय करते हैं कि उन्हें कहां बैठना है । जहां तक इस सदन की बात है, मैं तीसरी बार इस सदन में आया हूं । इस सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है । जहां तक मैंने जाना है, विपक्ष की जिम्मेदारी सत्तापक्ष से ज्यादा होती है । जितनी नेता सदन की जिम्मेदारी होती है, उतनी ही जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की होती है । विपक्ष का यह काम सत्ता के गलत कामों की निन्दा करना तथा सत्ता पक्ष के अच्छे कार्यों की सराहना करना । मुझे इस प्रकरण पर अधिक नहीं कहना है, सम्पूर्ण प्रकरण आपके सामने है ।

नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष के कार्यों की निन्दा के बजाय या सराहना के बजाय इस सदन का बहिष्कार किया है । इस प्रकार उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है । इस पीठ के संबंध में जैसा कि श्री किरन पाल सिंह जी कह रहे थे कि नियमों से परे कोई नहीं है । इस संबंध में मैं किरन पाल सिंह जी से कहना चाहता हूं कि यह भाजपा ऐसा दल है जो नियमों और संविधान में विश्वास करने के बजाय नागपुर से संचालित होता है । जहां तक आपकी पीठ के ऊपर टीका टिप्पणी की बात है, निर्दलीय सदस्य की हैसियत से तीसरी बार मैं इस विधान सभा में आया हूं । हम लोगों ने भी अपने असंतोष जाहिर किये हैं तथा अध्यक्ष पीठ का संरक्षण मांगा है । लेकिन कभी भी अपने पद की गरिमा के खिलाफ काम नहीं किया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक तो मेरा आग्रह है कि जो कांग्रेस के नेता विधान मण्डल श्री तिवारी जी, श्री ऊदल जी, श्री किरन पाल सिंह जी, श्री राम आसरे वर्मा जी, श्री अतीक अहमद साहब ने इस प्रकरण के संबंध में अपने विचार रखे हैं मैं भी अपने को उससे जोड़ता हूं। मैं भी उन परिस्थितियों का साक्षी था। जिस पीठ पर आप विराजमान हैं, वह अध्यक्ष की पीठ पूरे सदन की कार्य शैली को प्रतिबिम्बित करती है। पूरे सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं, उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों के सारे उद्देश्य आपमें निहित होते हैं। परसों नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उसके संबंध में आज पूरा प्रदेश, पूरा देश इस विधान सभा के बारे में सोच रहा है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं, जिसके कारण उन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव दिया है ?

आपके खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव दिया गया है आज इससे पूरे सदन और सदन के सम्मानित सदस्यों के संबंध में एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। पीठ के संबंध में अविश्वास का प्रस्ताव उन्हीं परिस्थितियों में आता है जब यह पीठ कोई पक्षपातपूर्ण रवैय्या अख्तियार कर रही हो या पीठ से माननीय सदस्यों को न्याय न मिल रहा हो। जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं तो वैसी परिस्थितियां कोई पहली बार उत्पन्न नहीं हुई थीं और ऐसा कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ था जिससे कि पीठ के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता। सदन में पंचायती राज विधेयक आया था, नेता विरोधी दल द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गयी थीं, उस दिन भी चर्चा नहीं की गयी थी। अगर किसी ग्रांट पर चर्चा नहीं होती है और उस संबंध में पीठ पर अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया जाय तो निश्चित तौर पर यह मान्यवर, कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है।

इस तरह का प्रस्ताव दलीय नेताओं से बातचीत करने के बाद लाना चाहिए था। उस दिन हम लोगों ने भी बहिष्कार किया था। जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी के दल के नेताओं को बिना विश्वास में लिये हुए जिस तरीके से अविश्वास के प्रस्ताव दिया और दूसरे दिन प्रस्ताव देने के बाद जिस तरह से यहां पर व्यवहार किया गया जिससे महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सके वह नियमों का उल्लंघन है। जैसा कि ऊदल जी ने कहा 14 दिन से पहले उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, उसके बाद ही हो सकती है। लेकिन सदन की पीठ द्वारा बिना ग्राह्य किये गये, बिना पारित हुए जिस तरह का पीठ पर आक्षेप लगाया गया कि "लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वह अपने आप में बहुत निन्दनीय है। इस संबंध में जो निन्दा प्रस्ताव आया है उसको आप स्वीकार करे जिससे कम से कम पूरे सदन और देश तथा प्रदेश के लोग समझ सकें कि सदन नियमों परम्पराओं और समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों पर चलता है।

इस सदन में जो परिस्थितियां उत्पन्न की गयीं और जिस तरह से ऐसा किया गया उसको देखते हुए यह सारी चीजें राजनीति से प्रेरित हुई लगती हैं। ऐसी शक्तियां चाहे वह सदन के अन्दर हों या सदन के बाहर हों उनका समय-समय पर पर्दाफाश होता रहता है। अगर यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आता तो कोई गम्भीर बात न होती। पीठ के खिलाफ यह प्रस्ताव आया है इसलिये इससे ज्यादा गम्भीर बात और कोई हो नहीं सकती। इसलिये जो निन्दा का प्रस्ताव आया है उस पर मैं बल देता हूं, आप उसको स्वीकार करे जिससे कि हम चर्चा में भाग ले सकें।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सदन की कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी के माननीय कल्याण सिंह के निर्देश पर पर भा० ज० पा० के सभी सदस्यों द्वारा बिना नियमों को पढ़े, कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहे है वह निंदनीय है । 1966 में तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री होती लाल अग्रवाल ने निर्णय दिया था कि जब तक अविश्वास का प्रस्ताव सदन में उपस्थित नहीं हो जाता और जब तक उस पर विचार नहीं किया जायगा तब तक पीठासीन अधिकारी के पद पर रहा जा सकता है । नियमों और कानून का उल्लंघन राजनीतिक लाभ लेने के लिये किया जा रहा है । नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है, इस संबंध में जो निन्दा का प्रस्ताव पेश किया गया है उस पर चर्चा कराने के लिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं ।

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

श्रीमन्, इस समय सदन में जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्पन्न किया है उससे लगता है कि इनका विश्वास जनता के खिलाफ हो चुका है । श्रीमन्, यह हो-हल्ला की पार्टी है । सदियों से बहुजन समाज के लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह इन्होंने किया है, भूल चूक से सरकार में आये थे। आज वह देख रहे हैं कि इनका मुकाबला करने के लिये, इनको शिकस्त देने के लिये कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी और सारी पार्टियां इकट्ठा होकर इनको शिकस्त देने में लगी हैं । श्रीमन्, ये इस समय बौखलाये हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किधर को जायं, किधर को निकल जायं ये जनता के बीच में जाने लायक नहीं हैं, सदन में इनको बैठने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, आज जो एजेण्डा मिला है, जो शोक-संवेदना का मुद्दा था, श्रीमन् ये लोग इससे मुकर गये और भाग गये । श्रीमन्, मेरा तो आपकी पीठ से निवेदन है कि ऐसे लोगों की पार्टी की मान्यता बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाय, तो सबसे अच्छा होगा । श्रीमन् न ये लोग सुन सकते हैं, न कह सकते हैं और न ये जनता के बीच जा सकते हैं । आज नेता विरोधी दल माननीय कल्याण सिंह जी का जो रोल रहा है, इससे लगता है कि बिल्कुल इनके अन्दर अभी बचपना है । जो भार नेता प्रतिपक्ष को सौंपा गया है, इस लायक वे कतई नहीं हैं । जो भी हमारे नेता श्री ऊदल जी ने, श्री प्रमोद तिवारी जी ने, श्री किरनपाल सिंह जी ने, श्री वर्मा जी ने उनके खिलाफ प्रस्ताव दिया है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और चाहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि उनके खिलाफ जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, वह होनी चाहिये ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, अच्छा होता कि माननीय नेता विरोध दल भी जब इस विषय पर चर्चा चल रही है, यहां पर उपस्थित होते, लेकिन श्रीमन् यह फासिस्ट शक्तियों का चरित्र है कि वह अपनी आलोचना नहीं सुन सकते हैं और उसका प्रतिवाद करने के लिये उपसिथत भी नहीं हो सकते हैं, सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं, उनको यहां की बात सुनने का साहस नहीं हो सकता है । हम लोग यहां पर सुनकर भारतीय संविधान के अनुसार आये हैं और यह भारतीय संविधान महात्मा गांधी से लेकर तमाम जो हमारे नेता रहे हैं, उनके त्याग से यह हुआ है, श्रीमन् ये फासिस्ट शक्तियां आजादी की लड़ाई से नहीं चाहती है कि

जो अधिकार हम लोगों को मिला है, यह मिलता । लेकिन एक बार इनको नकली धर्म के नाम पर सत्ता में बैठने का मौका मिल गया । ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश आये दिन कर रहे हैं ।

श्रीमन्, हम लोग यहां पर नियमों और परम्पराओं से बंधे हुए हैं । श्रीमन्, आपके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है, आया भी है, लेकिन उसके लिये 14 दिन का नियमों में प्राविधान है कि 14 दिन के बाद कोई तिथि निर्धारित की जा सकती है, तब उस पर चर्चा होती, लेकिन आपकी पीठ पर कोई अपमानबोधक शब्द का प्रयोग करने का अधिकार ही नहीं है । इसलिये हम लोगों को प्रतिबंधित किया गया है कि लोकतंत्र कुछ सीमाओं में रह कर चले । अगर उन सीमाओं को समाप्त कर दिया जायेगा, तो लोकतंत्र और जंगल राज्य में कोई अन्तर ही नहीं रहेगा । जिन फासिस्ट शक्तियों को हमारे जनता दल के लोगों ने, सपा, बसपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने चुनाव में हराया है, आज फिर उन्होंने एक स्वर से इन फासिस्ट शक्तियों का हर तरह से मुकाबला करने के लिये तैयार हैं । एक षडयंत्र है कि पूरे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कम किया जाये और वह काम कल्याण सिंह कर रहे हैं । हम आप को पूरा विश्वास दिलाते हैं, आपके प्रति पूरे सदन ने आस्था व्यक्त की है । आपको इन फासिस्ट शक्तियों से लड़ने में कठोर कदम उठाना पड़ेगा । इनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने में चाहे हमारी सरकार भी खतरे में क्यों न पड़ जाये, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे । इस बार तो इनको थोड़ी बहुत शक्ति मिल गयी है, लेकिन अगर दुबारा मौका मिला तो इनको समूल नष्ट किया जायेगा । श्रीमन्, इस प्रश्न पर बहुमूल्य सुझाव मिल गये हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रमोद तिवारी जी के प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेने की कृपा करें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश शासन की स्थानान्तरण नीति तथा आई० ए० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की स्थानान्तरण नीति क्या है ? वर्तमान सरकार ने सत्तारूढ़ होने से 8 फरवरी, 94 तक प्रदेश में कितने आई० ए० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए हैं ? क्या उक्त स्थानान्तरण उपर्युक्त नीति के अनुसार हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित स्थानान्तरण को छोड़कर सामान्यतः समूह (क) अधिकारियों की लखनऊ मुख्यालय से विभिन्न स्थानों में एक जिले में समस्त पदों को सम्मिलित करते हुए तैनाती की अवधि मैदानी क्षेत्र के लिये सामान्यतः 5 वर्ष एवं अपवाद स्वरूप 7 वर्ष होगी तथा उत्तरांचल क्षेत्र के लिये सामान्यतः 7 वर्ष एवं अपवाद स्वरूप अधिकतम 9 वर्ष होगी । दिनांक 4 दिसम्बर, 1993 से 8 फरवरी, 1994 तक 109 आई० ए० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए । समस्त अधिकारियों के स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं जनहित में किये गये हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप तो स्वयं इस बात से सहमत हो गये होंगे कि आज प्रदेश में प्रशासनिक अफरा तफरी है, कानून व्यवस्था में गिरावट है। इसलिये बहुत सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं, उसका मूल कारण है कि मात्र दो महीने में 4 फरवरी से यह सरकार बनी है और 8 फरवरी को कितने आई ए० एस० आफीसर्स स्थानान्तरित किये गये, देश में इसने रिकार्ड बनाया है। सरकार बनने के बाद 2 महीने में 109 आई० ए० एस० अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया और उसके बाद भी यह कहा गया कि सरकार में स्थायित्व आयेगा। मैं जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने स्थानान्तरण नीति की बात की है और कहा है कि सामान्यतः समूह (क) अधिकारियों की लखनऊ मुख्यालय से विभिन्न स्थानों में एक जिले में समस्त पदों को सम्मिलित करते हुए तैनाती की अवधि मैदानी क्षेत्र के लिये सामान्यतः 7 वर्ष एवं अपवाद स्वरूप अधिकतम 9 वर्ष होगी। लेकिन जिन व्यक्तियों को दो महीने भी कार्य करते हुए नहीं हुए उनको भी स्थानान्तरित कर दिया गया, 109 आई० ए० एस० अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रशासनिक नीति क्या है और उसका आधार क्या है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन् जहां तक स्थानान्तरण का सवाल है, ऐसे अधिकारी जो प्रदेश के जिलों पर तैनात रहते हैं, उन पर वहां के विकास और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। माननीय पाल जी ने प्रशासनिक आधार जानना चाहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर और जनहित में किया गया है। माननीय पाल जी भी जानते हैं और इस सदन को भी जानकारी है कि प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी डेढ़ साल पहले और जिस सरकार के रहते और चलते प्रदेश का विकास रुक गया था और स्थानान्तरण करने से काफी सुधार हुआ है जहां पर सुधार की आवश्यकता थी लेकिन और सुधार की आवश्यकता थी तो जनहित को देखते हुए और विकास को देखते हुए यह प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुए हैं और प्रशासनिक स्थानान्तरण की जो हमारी नीति है उस नीति में यह लिखा भी है कि "प्रशासनिक बातों को छोड़ते हुए यह नीति है।"

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के जवाब से ऐसा लगा कि ट्रांसफर आदेश जो हुए हैं, राजनीतिक आधार पर किये गये हैं, खुद उनके जवाब से ऐसा लगा है। प्रशासनिक की जगह पर राजनीतिक आधार पर लिखा हुआ होगा, जब ये कार्यवाही को पढ़ेंगे तो उनको खुद भी एहसास होगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा और दो मिसाले आपको दूंगा, एक तो जनपद हमीरपुर के डी० एम० को एक महीने में हटा दिया और दूसरे बुलन्दशहर के डी० एम० को 28 दिन में हटाया यह आवास विकास परिषद् में संयुक्त सचिव थे इनको जिलाधिकारी बुलन्दशहर से 28 दिन के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार बना दिया तो यह जिलाधिकारी से जिलाधिकारी बनाने का कौन सा आधार था ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह आधार जनहित का प्रशासनिक आधार था।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से दो बातों की जानकारी करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने स्थानान्तरणों का आधार प्रशासनिक न करके राजनीतिक कर दिया है। सरकार बदल जाने से अधिकारियों का स्थानान्तरण होना उचित परम्परा नहीं है क्योंकि कोई भी आई ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी सरकार का नहीं होता है। जो अधिकारी होता है वह सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करता है। मान्यवर, जो राष्ट्रपति शासन के दौरान अधिकारी थे उनको हटाया गया। यानि राज्यपाल जी के ऊपर से माननीय मंत्री जी का विश्वास उठ गया है। उन्हीं के प्रभाव से आप मंत्री हैं और उनके आदेश को आप ठुकरा रहें हैं। इसका मतलब है कि माननीय राज्यपाल जी पर आपका विश्वास नहीं रहा।

मान्यवर, माननीय राज्यपाल जी जिन्होंने इनको नियुक्त किया और जो इनको हटा सकते हैं, उन्हीं के ऊपर इनको विश्वास नहीं रहा। एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इनको राज्यपाल जी पर विश्वास है या नहीं यह बता दें और दूसरी बात जो स्थानान्तरण एक माह, दो माह, चार माह, 6 माह में हुए हैं तो जो इन्होंने साम्प्रदायिकता को खत्म करने के नाम पर स्थानान्तरण किये हैं बल्कि मैं कहूंगा कि अपने मनचाहे अधिकारियों को बैठाने के लिये किये हैं तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इन स्थानान्तरणों पर शासन पर कितना व्यय भार आया है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, हमने अपने प्रश्न के जवाब में पहले ही निवेदन किया है कि राज्यपाल जी के पहले जो शासन था वह शासन किस पार्टी का शासन था उसका नाम लेना उचित नहीं समझता तो उस समय प्रदेश के विकास की गति बड़ी ढ़ीली हो गयी थी और खत्म हो गयी थी और साम्प्रदायिक ताकतें सिर उठाने लगी थीं लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी का जो शासन आया उस शासन में काफी सुधार हुआ और काफी विकास हुआ और उस विकास की गति जो विकास की गति उनके शासन के पहले धीमी पड़ गयी थी, खत्म हो गयी थी, महामहिम राज्यपाल जी ने प्रदेश में आते ही उनकी सरकार ने उसमें सुधार किया और साम्प्रदायिक ताकतों के बढ़ते हुए कदम को रोकने का काम किया और सद्भाव का वातावरण कायम किया और उसके बाद जो हमारी सरकार आई उस सरकार में, प्रशासनिक और जनहित के आधार पर हर शासन में स्थानान्तरण होते ही रहते हैं, इस शासन में भी हुए हैं तो वह राजनीतिक आधार पर नहीं, जातिवाद के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक और जनहित के आधार पर हमारे स्थानान्तरण हुए हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

व्यय भार कितना आया, इसका उत्तर नहीं आया-?

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी को मैंने बुलाया है, आपके साथ उत्तर दिला देंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

राष्ट्रपति शासन के पहले जो शासन था, उसके द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति का जो जाल फैलाया गया था उस जाल को तोड़ने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। बुलन्दशहर के डी० एम० को 28 दिन में हरिद्वार भेज दिया गया, क्या ऐसा तो नहीं है कि धोखे में अपने ही जाल को यह तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ? माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो मुद्दा उठाया, वह बहुत ही गम्भीर है। आंखे बन्द करके, सत्ता के नशे में चूर हो करके स्थानान्तरण करते चले आ रहे हैं। फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लांछन अधिकारियों के उपर लगाये जाते हैं।

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें तो अधिकारी ही साम्प्रदायिकता के लिये दोषी हैं। मान्यवर, अधिकारी शासन की नीतियों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार होते हैं। उनसे राजनीतिक बात जो जोड़ी जाती है वह उचित नहीं प्रतीत होती है। जो 109 स्थानान्तरण इन्होंने किये, उस संबंध में क्या व्यय-भार शासन पर पड़ा ? जनता की गाढ़ी कमाई के साथ मजाक उड़ाने, खिलवाड़ करने की छूट शासन को नहीं दी जा सकती है।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, हमारी सरकार ने जो भी स्थानान्तरण किये हैं वह जनहित में किये हैं प्रदेश के हित में किये हैं और प्रदेश के विकास के लिये किये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

कितना व्यय भार आया है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

व्यय भार की जो बात है, माननीय वर्मा जी को व्यय भार के बारे में बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है वे बता देंगे।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय प्रमोद जी के जवाब में, मंत्री जी ने उनको मक्खन लगाने का काम किया। कितने आई० ए० एस० अधिकारी साम्प्रदायिकता में लिप्त हैं, उनके नाम बता दें ? साम्प्रदायिकता के नाम पर कौन-कौन से अधिकारी लिप्त हैं और क्या कार्यवाही उनके विरुद्ध की गयी है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

साम्प्रदायिकता की बात अधिकारियों पर मैंने नहीं उठायी। मैंने यह कहा कि साम्प्रदायिकता का जहर, एक ऐसी पार्टी की यहां पर सरकार थी, उसने जहर फैलाया था। उस जहर को खत्म करने के लिये, प्रदेश के विकास को रोक रखा था, प्रदेश के विकास को गति देने के लिये अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, नयी सरकार ने कितने स्थानान्तरण किये 3 महीने में यह जानकारी पूछी गयी ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में इसी अवधि में कितने स्थानान्तरण आई० ए० एस० अधिकारियों के किये गये हैं इसमें और उसमें तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जिस पार्टी के बारे में पूछा गया है तो वह पार्टी की बात तो अब खत्म हो गयी है। लेकिन सवाल आया है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना पड़ रहा है मजबूरी में 190 और 109 हुए हैं।

श्री अखिलेश–

माननीय नेता कांग्रेस दल और माननीय नेता जनता दल की सिफारिशों पर कितने स्थानान्तरण हुए हैं, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

इसे छोड़िये।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, अगर एक भी हुआ हो तो माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, इसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिए।

श्री समरपाल सिंह–

यह केवल नीयत से हुए हैं, नीति से नहीं हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, अगर नीति से नहीं हुए हैं तो नीयत से हुए होंगे ? और उसमें उन्होंने कितनी मोटी-मोटी रकम ली इसका जवाब दिलवा दें ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, जो माननीय नेता अखिलेश जी ने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर अवश्य दिलवा दें। उन्होंने यह कहा कि जनता दल और कांग्रेस दल के माध्यम से कितने स्थानान्तरण किये गये हैं ?

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, हमारे दल के नेता का नाम लेकर माननीय अखिलेश जी ने एक बात पूछी है । हम आपका संरक्षण चाहते हैं । हम उस स्कूल के पढ़े हुए नहीं हैं जहां पर स्थानान्तरण एक उद्योग के रूप में पढ़ाया जाता है । तो जो माननीय अखिलेश जी ने सवाल किया है उसका उत्तर माननीय मंत्री जी से अवश्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जब माननीय जगदम्बिका पाल जी अपना प्रश्न कर लेंगे तो उसके साथ-साथ माननीय दीक्षित जी के भी उत्तर को देने का कष्ट करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न राजनीति से प्रेरित नहीं है । यह स्थानान्तरण नीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसका उत्तर उसी आधार पर देंगे । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में कितने स्थानान्तरण हुए, माननीय राज्यपाल जी के जमाने में कितने स्थानान्तरण हुए यह विषयांतर हो गया । मैं आपका संरक्षण भी चाहता हूं । यह महत्वपूर्ण सवाल है । उत्तर प्रदेश के जो उच्च पदस्थ वरिष्ठतम अधिकारी हैं ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है उसके जवाब की आवश्यकता आज हम सदस्यों को है । माननीय मंत्री जी ने कितने ट्रांसफर हमारे दल के नेताओं की सिफारिश से किये हैं इसका जवाब माननीय मंत्री जी से अवश्य दिला दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं एक गम्भीर बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । और उस पर बल भी देना चाहता हूं । स्थानान्तरण आम तौर पर उद्योग के रूप में माना जाता है और उस उद्योग के तहत माननीय मंत्री जी ने स्थानान्तरण किये । इन्हीं के दल के एक सदस्य ने जनता दल और कांग्रेस दल की सिफारिश पर स्थानान्तरण किये जाने की बात कही । मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग की उस नीति से जनता दल के नेता या सदस्यों से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर है तो स्पष्ट करें ताकि इस प्रदेश की जनता यह देखे कि कौन-कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं ? एक निवेदन और सुन लें । हमारे दल के माननीय सदस्य, श्री बी० एम० सिंह हैं इनका कितनी बुरी तरह से उत्पीड़न हुआ है और यह दर्द हम लोगों ने यहां व्यक्त भी किया था और पूरा सदन इससे सहमत भी था लेकिन फिर भी इनके कान में जूं तक नहीं रेंगी और डी० एम० का स्थानान्तरण तक नहीं किया गया ?

इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बात को स्पष्ट किया जाये ताकि प्रदेश की जनता जान सके । जो सरकार स्थानान्तरण को उद्योग के रूप में इस्तेमाल करती है, उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्पष्ट उत्तर दिलवा रहा हूं। वर्मा जी, चन्देल साहब और पाल जी के प्रश्नों का उत्तर दे दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने तो अभी प्रश्न ही नहीं किया है।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, आदरणीय दीक्षित जी ने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कितने आई० ए० एस० अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ, उसके जवाब में मैंने बताया कि 190 आई० ए० एस० अधिकारियों का स्थानान्तरण भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ और हमारे शासन में 109 अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए हैं। दूसरा जो सवाल आदरणीय वर्मा जी ने किया है कि स्थानान्तरण किसके दबाव में किये गये हैं और किस राग-द्वेष के आधार पर किये गये हैं तो इस संबंध में बताना चाहूंगा कि यह शासन की नीति और अच्छी नीयत के आधार पर किये गये हैं।

श्री तेजपाल सिंह–

मान्यवर, स्थानान्तरण का सीधा सम्बन्ध नीति और नीयत से है। नीति कोई बनाई नहीं गयी है और जितने भी स्थानान्तरण हुए हैं, नीयत के तहत हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे भी मामले संज्ञान में हैं कि किसी अधिकारी का विभागीय मंत्री ने तबादला किया और उसने ज्वाइन कर लिया, 4 दिन के बाद फिर आदेश हुआ और उसको रोक दिया गया तो यह किसके तहत हटाया गया है। श्रीमन्, आज अधिकारियों में भय व्याप्त हो गया है कि नीति कोई स्पष्ट नहीं है और यदि नीति स्पष्ट होती तो अधिकारियों को पता होता कि हम किसके तहत आते हैं या नहीं। नीयत का कोई पता नही रहता कि नीयत क्या है ? आज पूरे प्रदेश के अधिकारियों में एक संशय की स्थिति है, पता नहीं कब, किसका बिस्तर बंध जाय तो मान्यवर, मंत्री जी यह नीति बता दें जिससे अधिकारियों को पता चल जाय कि हम इसमें आते हैं कि नहीं और हमारा स्थानान्तरण होगा अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि नीति और प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर हुए हैं और नीति बिल्कुल स्पष्ट है तो फिर कोई प्रश्न रह जाने का सवाल नहीं है।

श्री तेजपाल सिंह–

मान्यवर, हमारे जनपद मथुरा में कोआपरेटिव के ए० आर० का तबादला किया गया, 4 दिन बाद मुख्य मंत्री जी ने उसको रुकवा दिया, उसके बाद फिर तबादला हुआ, फिर 4 दिन बाद उसको रुकवा दिया गया तो यह कौन सी नीति है, जिसके तहत स्थानान्तरण हो रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य मूल प्रश्न जो लिखित उत्तर आया है, उसे पढ़ लें तो मैं समझता हूं कि फिर कोई दूसरा सवाल करने का सोचेंगे ही नहीं।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, माननीय अखिलेश जी ने सवाल किया कि नेता, जनता दल और नेता कांग्रेस के संस्तुति पर कितने स्थानान्तरण किये गये हैं, इसका आप साफ-साफ उत्तर दिलवा दें। श्रीमन्, हम यह मानते हैं कि हमारे दल ने कभी ब्लैकमेलिंग का उद्योग नहीं किया और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस बात का स्पष्ट उत्तर दिलवा दें कि नेता जनता दल और नेता कांग्रेस के अनुरोध पर कोई स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं, यह मंत्री जी कह दें या फिर किये गये हैं तो उनकी संख्या बता दें ? श्रीमन्, आप जानते हैं कि बी० एम० सिंह के मामले में हम लोगों के बार-बार अनुरोध करने पर भी वहां अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं हुआ, इसलिये मेरा साफ-साफ प्रश्न है कि मंत्री जी यह बता दें कि नेता, जनता दल की संस्तुति पर कितने स्थानान्तरण हुए हैं, मंत्री जी इसका उत्तर देना भी चाहते हैं, आप निर्देशित तो करें ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई जटिलता नहीं है। प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि चूंकि यह बात सदन के संज्ञान में आ गयी है कि नेता जनता दल और नेता कांग्रेस की सिफारिशों पर कितने स्थानान्तरण हुए हैं ? अगर माननीय मंत्री जी के पास जानकारी है तो स्पष्ट रूप से बता दें कि नेता जनता दल और नेता कांग्रेस के नाम पर अलग-अलग कितने स्थानान्तरण हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो उसका जवाब दे दें कि नहीं हुए हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, आदरणीय वर्मा जी ने जो शंका जाहिर की है कि नेता जनता दल और नेता कांग्रेस के नाम पर कितने-कितने स्थानान्तरण हुए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि किसी नेता के सिफारिश या दबाव में अथवा सत्ता पक्ष के किसी विधायक के सिफारिश पर कोई स्थानान्तरण नहीं हुए हैं। जो भी स्थानान्तरण हुए हैं वह जनहित में प्रशासनिक आधार पर और शासन की नीति के अनुसार हुए हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अन्तिम प्रश्न पूछने का मौका दे दीजिये। मैं किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाता। सभी माननीय सदस्यों को यह अधिकार होता है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ शिकायती-पत्र लिख सकते हैं और संस्तुति पत्र भी लिख सकते हैं। चूंकि अखिलेश जी ने सदन के समक्ष यह बात कही है कि नेता कांग्रेस और जनता दल के सिफारिश पर कितने स्थानान्तरण हुए हैं ? मान्यवर, यह स्पष्ट होना चाहिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, चीफ इंजीनियर, मण्डी परिषद् का स्थानान्तरण हुआ और मुख्य मंत्री जी ने उसे रुकवा दिया। यह किस नीति के तहत हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें, इस प्रश्न पर काफी समय हो गया, अब मै अगला प्रश्न ले रहा हूं।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० 2 पुकारे जाने पर सम्बन्धित सदस्य अनुपस्थित थे)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नेता कांग्रेस दल नहीं हैं और उन पर आक्षेप लगया गया है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो आक्षेप लगाया है उसे कृपया कार्यवाही से निकलवा दें। क्योंकि यह गम्भीर आरोप है। मान्यवर, इसके साथ ही यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस वर्ष कोई स्थानान्तरण नीति बनायी है या अभी प्रस्तावित है ?

श्री अध्यक्ष–

पाल साहब अब आप बैठ जाइये मैंने आपकी बात मान ली, मैं मामले को दिखवा लूंगा। अब आप आसन ग्रहण करें। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दें कि क्या यह सरकार 30 अप्रैल के बाद जो स्थानान्तरण करने जा रही है क्योंकि 30 अप्रैल तक स्थानान्तरण पर रोक लगी थी, उसकी कोई नीति तैयार की है? क्योंकि हर सरकार में स्थानान्तरण नीति बदली है और जो सरकार आती है वह अपनी स्थानान्तरण नीति बनाती है।

श्री अध्यक्ष–

मैं काल्पनिक प्रश्न के लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब आप आसन ग्रहण करें। अब मैं तारांकित प्रश्न संख्या–1 (नत्थी–ख) ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना

**2–श्री सुधीर कुमार बालियान तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू है ? अब तक कितने जिलों में यह योजना लागू हुई है और इस समय चल रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

वर्तमान में यह योजना प्रदेश में लागू नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री बिजेन्द्र सिंह–

[7वें बुध में नियम 29(4) के ता० प्र० सं०–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा के प्रतिष्ठापित एवं प्रोत्साहित करने की नीति की जानकारी

*2–श्री हृदय नारायण–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उर्दू को प्रतिष्ठित करने व उर्दू की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के संबंध में क्या योजना है ?

माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (डा०- मसूद अहमद)–

उर्दू को प्रतिष्ठित करने तथा उर्दू शिक्षा को प्रोत्साहित करने से संबंधित वर्तमान सरकार की योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में पांच से अधिक बच्चों की मातृभाषा उर्दू होने की दशा में एक उर्दू अध्यापक की नियुक्ति, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ उर्दू को भी स्थान दिया जाना, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर उर्दू की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं उपलब्धता की व्यवस्था किया जाना, प्रदेश के कुल प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में से दस प्रतिशत उर्दू माध्यम के केन्द्र खोला जाना तथा उर्दू अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये आदि सम्मिलित है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा प्रश्न नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं आया वह अब समाप्त हो गया है।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि जिस विद्यालय में पांच से अधिक बच्चे उर्दू की मातृभाषा वाले होंगे तो वहां पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जायगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया है ? उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर पांच से ज्यादा बच्चे हैं जो उर्दू की मातृ भाषा वाले हैं। इनमें से पांच के मानक के आधार पर कितने अध्यापकों की नियुक्तियां हो गयी हैं और कितनी नियुक्तियां की जानी हैं ?

दूसरा सवाल है उर्दू प्रशिक्षण के संबंध में, उर्दू अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं, अभी तक कुल कितने केन्द्र हैं और कितने केन्द्र नयी सरकार द्वारा खोले जाने प्रस्तावित हैं ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पहले जो व्यवस्था थी, पहले दस विद्यार्थी पर एक उर्दू अध्यापक की व्यवस्था की बात थी और पचास बच्चों की संख्या के ऊपर, पचास से ऊपर है तो दो अध्यापकों की व्यवस्था की बात की गयी थी, लेकिन मान्यवर, उर्दू भाषा के विकास के लिये हमारी सरकार ने अब व्यवस्था बदल करके यह किया है कि जिस विद्यालय या जिस स्कूल में पांच बच्चे, दस की जगह पांच उर्दू पढ़ने वाले होंगे, उनको पढ़ाने के लिये एक शिक्षक की

व्यवस्था की जायगी और पचास की जगह पर जैसी कि पचास की व्यवस्था को, पचास की संख्या को घटाकर चालीस कर दी गयी है। एक बात मान्यवर, और कही है कि.....

श्री अध्यक्ष–

कितने अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गयी हैं, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों में नियुक्ति हुई है, कितने में नहीं ?

डा० मसूद अहमद–

माननीय मुख्य मंत्री जी इसी 29 तारीख को एक मीटिंग बुलाई है और उसके बाद निर्णय लिया जायगा। मान्यवर, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आपकी जिज्ञासा है, उसकी पूर्ति में इतना कह सकता हूं कि आगामी सत्रं जुलाई तक हमारी सरकार का प्रयास है कि सभी विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाय।

श्री हृदय नारायण–

उत्तर नहीं आया है, मेरा प्रश्न है कि.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी को बताना यह है कि अभी तक जो पंजीकृत छात्र संख्या है, क्या उसका सर्वेक्षण हुआ और आगे कहा कि यह सतत् प्रयास जारी रहेगा और जो पंजीकृत छात्र के अनुरूप आपका सर्वे हुआ, उसमें क्या नियुक्तियां कर दी गयी हैं ?

श्री हृदय नारायण–

कितने ऐसे विद्यालय हैं, जहां पर 5 से ज्यादा.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया है कि 29 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलायी गयी है। उसके बाद व्यवस्था की जायेगी। सोच-विचार आरम्भ है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरे इस प्रश्न से स्पष्ट हो जायेगा कि मंत्री जी तथा यह सरकार उर्दू के विकास और संवर्धन के लिये कोई कार्य नहीं कर रही है। अगर यह सरकार गम्भीर होती तो, हमने उर्दू डाइरेक्टरेट का गठन किया था और इस सरकार ने 109 लोगों को ट्रांसफर किया परन्तु पिछले पांच माह से उर्दू डाइरेक्टर का पद रिक्त है, यह सरकार डाइरेक्टर, ऊर्दू की नियुक्ति कर देती। इसलिये मंत्री जी बतायें कि डाइरेकटर, उर्दू की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी और अब तक इस पद पर नियुक्त न किये जाने का कारण क्या है ?

डा० मसूद अहमद–

श्रीमन्, उर्दू डाइरेक्टर का पद रिक्त है, ऐसा मेरी नौलेज में नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मंत्री जी यह बता दें कि कौन हैं ? नाम उनका बता दें ?

डा० मसूद अहमद–

श्रीमन्, कोई पाण्डेय नियुक्त हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, श्री एल० पी० पाण्डेय जी तो बेसिक शिक्षा के डाइरेक्टर हैं । मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं।

डा० मसूद अहमद–

कोई दूसरे पाण्डेय होंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, डाइरेक्टर, उर्दू कौन नियुक्त हुए हैं, इसको बता दें ? या फिर किसी को एडीशनल चार्ज दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, शायद आपको मालुम होना चाहिए कि अभी प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल स्तर पर इसे शुरू किया जा रहा है । इसलिये मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है.....

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि उर्दू के विकास के लिये कांग्रेस शासन काल में उर्दू डाइरेक्टरेट का गठन हुआ था । भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में वह अवरुद्ध हो गया । उन्होंने उर्दू डाइरेक्टरेट को बंद करने की साजिश की और डाइरेक्टर की नियुक्ति नहीं की । अब यह नई सरकार, जो अल्पसंख्यकों व दलितों के नाम से जीतकर आयी है और दलितों की सरकार है, इसे तो पांच माह में इस डाइरेक्टरेट को गतिशील कर देना चाहिए था । उर्दू डाइरेक्टरेट में डाइरेक्टर नियुक्त करने की कोई कार्य योजना बनायी है और इसी तरह से उर्दू के विकास के लिये क्या नयी कार्य योजना बनायी है ? कब तक डायरेक्टर उर्दू नियुक्त कर देंगे और उर्दू को कब तक दूसरी राजभाषा बनायेंगे जिससे सरकार की छवि बनेगी ?

(कई सदस्यों के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

सब प्रश्न कर लीजिये, सबके उत्तर एक साथ दिला दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जैसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया.....

श्री हृदय नारायण–

मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

सबके उत्तर एक साथ आ जायेगा, मैं क्लैरिफाइ करा दूंगा ।

श्री हृदय नारायण–

ऐसा कभी नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

मैं बिन्दुवार उत्तर दिला दूंगा ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, एक-एक का उत्तर दिला दीजिये, आपको अधिकार ऐसा है लेकिन, ऐसा हुआ नहीं कभी।

श्री अध्यक्ष–

सब एक साथ प्रश्न कर लीजिये मैं उत्तर दिलवा दूंगा, एक-एक प्वाइंट बता दूंगा । क्योंकि उत्तर से पहले सब प्रश्न ही कर रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा उर्दू के संबर्धन के लिये इस 29 ता० को माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई है इसके उपायों पर विचार करने के लिये और यह भी बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशक ही उर्दू निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, इन दोनों में हमें कोई आपत्ति नहीं है । आपत्ति इस बात पर जरूर है जैसा उन्होंने कहा छात्र संख्या के आधार पर उर्दू अध्यापकों को उपलब्ध कराया जाता है । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उर्दू अध्यापक की छात्र मांग करते हैं, अभिभावक हमारे पास आते हैं और लिख कर जाता है फिर भी उर्दू अध्यापक नहीं दिये जाते हैं । जहां कहीं दिये भी गये हैं तो त्रिभाषा फार्मूले के आधार पर जाते हैं । तो यह व्यवस्था रही है यह कागज पर है, लिखा पढ़ी में हो जाता है व्यावहारिक रूप में उर्दू के अध्यापक नहीं दिये जा रहे हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह से उसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता के साथ एक तरह से नाइंसाफी होगी । 29 ता० की मीटिंग में मंत्री जी साफ बता दें ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ गये आपने कोई सवाल तो किया नहीं । (श्री अखिलेश कुमार सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं सवाल करने जा रहा था आपने अनुमति नहीं दी ।

श्री अध्यक्ष–

आप कर लीजिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अब मैं नहीं करूंगा ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मूल प्रश्न जो है वह उर्दू को प्रोत्साहित करने के बारे में है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 5 बच्चो जिस स्कूल में होंगे उर्दू अध्यापक दिया जायेगा । उर्दू के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये क्या करेंगे ? यह जो आपने कहा 5 बच्चों में उर्दू अध्यापक देंगे यह प्राइमरी में है या माध्यमिक में है । मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि पूर्व में 10 छात्रों पर एक उर्दू अध्यापक और 50 पर दो उर्दू अध्यापक नियुक्त करने की व्यवस्था थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछली सरकारों ने इस आधार पर उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियां किया था ?

दूसरा प्रश्न है कि कितनी रिक्तियां उन मांगों के आधार पर अब तक रिक्त हैं ?

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, जो प्रश्न उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के संबंध में किया गया है और माननीय नेता सदन हर जगह अपने भाषण में कहते हैं कि हिन्दी की छोटी बहिन उर्दू है, तो जितने भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें जहां 10 बच्चे उर्दू पढ़ने वाले होंगे वहां एक अध्यापक की नियुक्ति होगी और नियुक्ति हुई भी है किन्तु आज सबसे बड़ा संकट है और 8 वर्षों से उन अध्यापकों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है । मेरी जानकारी के अनुसार कानपुर में कम से कम 500 जूनियर हाई स्कूल मान्यता प्राप्त चल रहे हैं जहां प्रबन्धक और अध्यापक लोग परेशान हैं कि उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसलिये मैं मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी उर्दू अध्यापक पहले से उर्दू पढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके वेतन का भुगतान आप कब तक करा देंगे ?

(श्री काशी सिंह ऐरी के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग मंत्री जी को उत्तर भी नहीं देने दे रहे हैं, इसलिये जो माननीय सदस्य चाहें प्रश्न कर लें और मंत्री जी एक साथ उत्तर दे देंगे ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मूल प्रश्न है कि उर्दू को प्रतिष्ठापित करने व प्रोत्साहित करने में सरकार की क्या योजना है ? अब इसमें प्रशिक्षण और अन्य अनेक बातें कही गयी हैं । लेकिन इससे काम नहीं चलेगा चूंकि पहले भी डाइरेक्टरेट की स्थापना और नियुक्ति हो गयी है और कागजी घोषणायें होती रहती हैं और आज भी घोषणायें हो रही हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि 29 तारीख को एक बैठक होने जा रही है तो उसमें कौन-कौन बिन्दु विचाराधीन हैं ? बिन्दु मालूम हो जायें तो हम लोग भी सुझाव दे सकें ।

श्री तेजपाल सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जितने भी इस्लामियां उर्दू विद्यालय हैं उनमें उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या-क्या सुविधायें दी हैं और कितने विद्यालयों को मान्यता दी है ?

श्री अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिये जो सरकार की नई योजना चलाई जा रही है, उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं, साथ ही मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से उर्दू को प्रतिष्ठित और प्रोत्साहित करने के लिये जहां पांच विद्यार्थी उर्दू पढ़ने वाले होंगे, वहां एक नये अध्यापक की नियुक्ति कर दी जायेगी, तो क्या उसी तरह से जिन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पांच संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी उपलब्ध होंगे, इस योजना के तहत संस्कृत भाषा का एक अध्यापक नियुक्त करने की मा० मंत्री जी कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी के प्रश्नों का उत्तर अभी आता है, इकट्ठा आता है।

श्री अकबर अली–

मा० मंत्री जी ने कहा कि 29 तारीख को इस संबंध में मा० मुख्य मंत्री जी कोई मीटिंग हो रही है, उसमें उर्दू को प्रोत्साहित करने का सवाल है, तो जो प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं और प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तर्गत अलीगढ़ में जो बी० टी० सी० केन्द्र हैं, वहां से बी० टी० सी० में जो उर्दू का प्रमाण-पत्र मिलता है, क्या उसको भी मान्यता देकर, उसको भी बी० टी० सी० के बराबर मानने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

और भी जो माननीय सदस्य इसके बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछ लें, अब तो यह परम्परा ही बन गई है। सबका एक साथ उत्तर आ जायेगा। (व्यवधान) मैं नहीं रोक पाऊंगा, आप भी पूछ सकते हैं।

डा० मसूद अहमद–

इस संबंध में तमाम माननीय सदस्यों के प्रश्न आये हैं, मान्यवर, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं चाहता हूं कि यह माननीय मुख्य मंत्री जी का जो प्रयास है, उसका एक कागज मेरे हाथ में है, मैं उसको पढ़ दूं, तो मैं समझता हूं कि इसको सुनने के बाद सबकी जिज्ञासा शान्त हो जायेगी। अगर आप मान्यवर, अनुमति दें ? उसके बाद जो और प्रश्न होंगे, उनका भी मैं जवाब दे दूंगा। आपको विदित है कि उर्दू हमारे प्रदेश की आबादी के एक बड़े भाग की मातृभाषा है। उर्दू एक विशुद्ध हिन्दुस्तानी जुबान है..... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

इसको पढ़ा हुआ मान लीजिये।

डा० मसूद अहमद–

हमें पढ़ने दीजिये, आप सबके इससे जवाब आ जायेंगे, (व्यवधान) अच्छा मुख्य बिन्दु पढ़े दे रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

सब सन्तुष्ट हो जायेंगे यदि वह उर्दू के मामले में आजम खां जी को सन्तुष्ट कर लें, क्योंकि उनकी बाध्यता है वह मंत्री हैं इसलिये कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। वह उर्दू की दयनीय स्थिति से बहुत चिन्तित और दुखी हैं।

डा० मसूद अहमद–

प्राथमिक स्तर पर जिन बालकों की मातृभाषा उर्दू है, उनको उर्दू पढ़ाने की समुचित व्यवस्था की जायगी। मोटे तौर पर यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में 5 से अधिक बच्चों की मातृभाषा उर्दू है तो एक उर्दू अध्यापक व तदोपरान्त प्रत्येक 50 ऐसे बालकों पर एक अतिरिक्त उर्दू अध्यापक की नियुक्ति की जायगी। उपर्युक्तानुसार अध्यापकों की आवश्यकता का आंकलन एक माह में अभियान चलाकर किया जायगा। जिला स्तर पर प्राथमिक विद्यालयवार उर्दू अध्यापकों की आवश्यकता संकलित कर ली जायगी तथा उसका अनुमोदन जिलाधिकारी के माध्यम से जिले के प्रभारी मंत्री महोदय से लिया जायगा। तदोपरान्त उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य अभियान के रूप में किया जायगा। यह समस्त कार्यवाही जुलाई, 1994 से पूर्व पूर्ण कर ली जायगी।

माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला निम्नवत् लागू किया जायेगा :—

हिन्दी (संस्कृत को सम्मिलित करते हुए)

उर्दू या अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी के अतिरिक्त) अंग्रेजी

उपर्युक्त त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के लिये नियमावली/शासनादेशों इत्यादि में संशोधन तत्काल किया जायगा।

श्री अध्यक्ष–

जल्दी कीजिये, प्रश्न प्रहर समाप्त हो रहा है।

(मंत्री जी समाप्त कर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश में नकल रोकने के संबंध में गठित नकल निवारण समिति की रिपोर्ट की जानकारी

*3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्रीमती शशि बाला पुण्डीर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रो० डा० हरिकृष्ण अवस्थी की अध्यक्षता में गठित नकल निवारण सुझाव समिति ने अपनी रिपोर्ट अथवा अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई ? उसमें मुख्य-मुख्य संस्तुतियां तथा नकल रोकने के उपाय क्या दर्शाये गये हैं ? रिपोर्ट के बारे में शासन का दृष्टिकोण क्या है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

पहली रिपोर्ट दिनांक 14 फरवरी, 1994 को और दूसरी रिपोर्ट दिनांक 13 अप्रैल, 1994 को।

समिति की संस्तुतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।†

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के संबंध में समिति की संस्तुतियां शासन द्वारा यथावत स्वीकार कर ली गयी हैं जिन्हें परिषद् की वर्ष 1994 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में लागू किया गया है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध मे प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है।

† छापी नहीं गयी।

नोट :- नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

दि किसान सहकारी चीनी मिल घोसी जनपद मऊ में गन्ना आपूर्ति में किसानों द्वारा की गई अनियमितता की जानकारी

*1–श्री अक्षयवर भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी, जनपद मऊ में वर्ष 1990-91 व 1991-92 तथा 1992-93 में किन-किन पांच किसानों ने सबसे अधिक गन्ना मिल में दिया है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन किसानों के पास कुल कितने क्षेत्रफल में गन्ना बोया गया था ? यदि क्षेत्रफल के मुताबिक गन्ना नहीं है, तो उक्त अनियमितता हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुलायम सिंह यादव–

जी हां । विषयगत मिल में सबसे अधिक गन्ना आपूर्ति करने वाले पांच किसानों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

1990–91

1–श्री पारसनाथ पुत्र श्री रामलगन, ग्राम–हुसेपुर ।

2–श्री महातम पुत्र श्री रामानन्द, ग्राम–युद्धिष्ठिरपट्टी ।

3–श्री बालमुकुन्द पुत्र श्री रामलखन, ग्राम–सिरसिया ।

4–श्री बिन्देश्वरी पुत्र श्री शिव सागर, ग्राम–कोठा ।

5–श्री विजय शंकर पुत्र श्री तपेश्वर, ग्राम–मोलनापुर ।

1991–92

1–श्री राजनाथ पुत्र श्री विन्ध्याचल, ग्राम–मझवारा ।

2–श्री चंडी प्रसाद पुत्र श्री शम्भू शरण, ग्राम–नेमडाड ।

3–श्री काशी पुत्र श्री रामदेव, ग्राम–अन्नुपार ।

4–श्री कल्पनाथ पुत्र श्री अभयराज, ग्राम–समरी जमालपुर ।

5–श्री सुब्बा पुत्र श्री रामरज, ग्राम–लुदुही ।

1992–93

1–श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री मुसाफिर, ग्राम–दुबारी ।

2–श्री कल्पनाथ पुत्र श्री अभयराज, ग्राम–समरी जमालपुर ।

3–श्री जोगेन्द्र पुत्र श्री हंसनाथ, ग्राम–दुबारी ।

4–राष्ट्रगौरव पत्नी श्री सुरेन्द्र, ग्राम–दुबारी ।

5–श्री हरिद्वार पुत्र श्री रामजनम, ग्राम–नेवादा गोपालपुर ।

उपर्युक्त कृषकों द्वारा वर्षवार बोये गये गन्ने का क्षेत्रफल निम्नवत् है :–

1990–91

1–श्री पारसनाथ पुत्र श्री राम लगन	3.20 हेक्टे०
2–श्री महातम पुत्र श्री रामानन्द	2.00 ,,
3–श्री बालमुकुन्द पुत्र श्री रामलखन	2.00 ,,
4–श्री बिन्देश्वरी पुत्र श्री शिव सागर	3.146
5–श्री विजय शंकर पुत्र श्री तपेश्वर	2.36 ,,

1991–92

1–श्री राजनाथ पुत्र श्री विन्ध्याचल,	3.20 ,,
2–श्री चंडी प्रसाद पुत्र श्री शम्भू शरण	4.17 ,,
3–श्री काशी पुत्र श्री रामदेव	1.47 ,,
4–श्री कल्पनाथ पुत्र श्री अभयराज	5.00 ,,
5–श्री सुब्बा पुत्र श्री रामरज	1.60 ,,

1992–93

1–श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री मुसाफिर	0.40 ,,
2–श्री कल्पनाथ पुत्र श्री अभयराज	5.00 ,,
3–श्री जोगेन्द्र पुत्र श्री हंसनाथ	2.00 ,,
4–राष्ट्रगौरव पत्नी श्री सुरेन्द्र	0.00 ,,
5–श्री हरिहर पुत्र श्री रामजनम	1.107 ,,

वर्ष 1992–93 में उपर्युक्तानुसार क्रमांक 1, 3, 4 एवं 5 पर उल्लिखित कृषकों की गन्ना आपूर्ति उनके क्षेत्रफल के अनुरूप नहीं है । उक्त अनियमितता हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ कर दी गयी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में कार्यरत 'अधिकारियों' एवं कर्मचारियों में आरक्षण कोटा को पूर्ण करने एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

*2–श्री चेतराम–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में कितने अधिकारी व कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यरत हैं ? उनमें कितने

नियमित एवं कितने दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? दैनिक वेतन वालों को नियमित न किये जाने के क्या कारण रहे ? क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी/कर्मचारियों का शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० पुवायां जनपद शाहजहांपुर में अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के कुल 118 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों में से 105 अधिकारी/कर्मचारी नियमित हैं तथा 13 कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ।

1250 टी०सी०डी० क्षमता की सहकारी चीनी मिल पुवायां में स्टार्फिंग पैटर्न के अनुसार समस्त पदों पर अधिकारी/कर्मचारी नियुक्ति हो जाने के कारण दैनिक वेतन पाने वालों को नियमित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है ।

अनुसूचित जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण कोटा समूह 'ग' को छोड़कर समूह क, ख एवं घ में पूर्ण है ।

अनु० जनजाति का आरक्षण कोटा किसी समूह में पूर्ण नहीं है ।

समूह–ग में अधिकांश तकनीकी वर्ग के पद हैं जिन पर पूर्व अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं हो सका है ।

अनु० जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण न होने का मुख्य कारण मिल क्षेत्र में इस समुदाय के अभ्यर्थियों का उपलब्ध न हो पाना है ।

सोमवार, दिनांक 25 अप्रैल, 1994 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन एवं सेवा निवृत्ति आदि सुविधाओं का विवरण

*1–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन एवं सेवानिवृत्तिक सुविधायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति के आधार पर दी जाती हैं ? यदि हां, तो अभी तक शिक्षकों को सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी प्रदान न किये जाने का क्या कारण है ? शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष होते हुए भी उनके पेंशन की गणना 58 वर्ष की आयु पर प्राप्त वेतन पर किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अनुमन्य किया गया है परन्तु उनकी सेवानिवृत्तिक सुविधायें राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य हैं जो यू०जी०सी० की योजना के अनुरूप पूर्णतः नहीं हैं ।

राजकीय सेवाओं में अधिवर्षता आयु 58 वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों को पेंशन योजना निम्न दो रूपों में उपलब्ध करायी गयी :–

(1) जो शिक्षक 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति का विकल्प देंगे उन्हें पेंशन एवं डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी।

(2) जो शिक्षक 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति का विकल्प देंगे उन्हें पेंशन सुविधा उपलब्ध होगी परन्तु डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी एवं पेंशन की गणना 58 वर्ष की आयु पर उपलब्ध परिलब्धियों के आधार पर की जायेगी।

प्रश्न में उठाये गये बिन्दु के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के सम्बन्ध में रिट याचिका उच्च न्यायालय में लम्बित है। महाविद्यालयों के शिक्षकों के सम्बन्ध में उच्चनम न्यायालय का निर्णय हो चुका है जिसके अनुपालन की कार्यवाही विचाराधीन है।

बाबा राघवदास कृषक इण्टर कालेज, जनपद देवरिया में फर्जी नियुक्तियों के कारण वेतन पर रोक

*2–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के बाबा राघवदास कृषक इण्टर कालेज, भाटपाररानी में दिनांक 21-1-1991 से जिला विद्यालय निरीक्षक से वित्तीय अनुमति प्राप्त होने पर श्री शचीन्द्र पाण्डेय एवं अन्य सात को 30-6-92 तक 18 माह का वेतन का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो अब उपरोक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान क्यों रोक दिया गया है ? क्या भुगतान शीघ्र करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वेतन का भुगतान किया गया।

नियुक्तियों के फर्जी होने की शिकायत पर उच्च स्तरीय विभागीय जांच के सन्दर्भ में वेतन रोका गया है।

विभागीय जांच तथा रिट याचिकाओं पर अन्तिम निर्णय लम्बित है। निर्णयोपरान्त यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

राजस्व की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिक्रीकर की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टर्न ओवर टैक्स लगाने का कथित प्रस्ताव

**3–श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके राजस्व प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु टर्न ओवर टैक्स लगाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजस्व की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिक्रीकर की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टर्न ओवर टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

असहायिक मान्यता प्राप्त जू० हा० स्कूलों एवं हाई स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत कार्यरत संस्कृत/ उर्दू अध्यापकों को सी० टी० ग्रेड देने की मांग

*4–श्री धनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असहायिक मान्यता प्राप्त जू० हा० स्कूलों एवं हाई स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत कार्यरत संस्कृत/उर्दू अध्यापकों को सी० टी० ग्रेड के स्थान पर 210–330 का वेतनमान दिये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार त्रिभाषा योजना के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों को सी० टी० ग्रेड का वेतनमान दिये जानेपर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

वेतनक्रम पुनरीक्षित न होने के कारण 210–330 का वेतनमान दिया जा रहा है ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

*5–श्री राम आसरे वर्मा–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

केन्द्र सरकार की भांति उत्तर प्रदेश के विधायकों की संस्तुति पर अपने-अपने क्षेत्रों में 50–50 लाख रुपये विकास कार्य में खर्च करने हेतु सरकार की कथित नीति के संबंध में जानकारी की मांग

*6–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या केन्द्र सरकार की भांति उत्तर प्रदेश के विधायकों की संस्तुति पर अपने-अपने क्षेत्रों में 50–50 लाख रुपया विकास कार्य हेतु शासन द्वारा आवंटित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस प्रकार विधान सभा क्षेत्रवार धनावंटन हेतु कोई विचार नहीं है ।

प्रदेश के महानगरों में वाहनों की भीड़ एवं बढ़ते प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को रोकने की शासन की नीति की जानकारी

*7–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के महानगरों में वाहनों की भीड़ एवं बढ़ते प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को रोकने की शासन की कोई प्रभावी योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कार्य योजना के अन्तर्गत प्रदूषण चेकिंग/नियंत्रण की कार्यवाही दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है।

(1) **अल्पकालिक कार्य योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 5 महानगरों–लखनऊ, कानपुर, ताज ट्रपेजियम, वाराणसी, इलाहाबाद में प्रदूषण चेकिंग/नियंत्रण की कार्यवाही प्रथम 6 माह में की जायेगी।

द्वितीय चरण में शेष महानगरों, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद आदि नगरों में अगले 6 माह में प्रदूषण चेकिंग/नियंत्रण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

(2) दीर्घकालीन कार्य योजना :

दीर्घकालीन कार्य योजना के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित नगरों/महानगरों को छोड़कर अन्य शहरों में प्रदूषण चेकिंग/नियंत्रण का कार्य किया जायेगा। लागू नहीं।

जनपद बस्ती में मेंहदावल से कम्पीयरगंज राजमार्ग हेतु करमैनी घाट पर बड़ा पुल बनवाने की मांग

*8–श्री चन्द्र शेखर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मेंहदावल से कम्पीयरगंज राज मार्ग जो नेपाल, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर जनपदों के बीच सम्पर्क मार्ग है, वर्ष 1986 में तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने करमैनी घाट पर एक बड़ा पुल बनवाकर क्षेत्रीय जनता को उपरोक्त जिलों से जोड़ा था ? क्या यह सही है कि करमैनी घाट से मेंहदावल तक लकड़ी के पांच पुल टूट गये हैं तथा सप्तमी कुण्ड बन गया है ? क्या सरकार उक्त पांच पुलों के स्थान पर आर० सी० सी० का नया पुल तथा क्षतिग्रस्त राज्य मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सप्तमी कुण्ड के सम्बन्ध में कोई नयी योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

जी हां।

केवल इतना सही है कि वर्ष 1973 की बाढ़ में करमैनी से मेंहदावल के बीच एक पुलिया तथा पाइप सेतु के ध्वस्त हो जाने के कारण एक सप्तमी कुण्ड बन गया था। पुनः 1993 की बाढ़ में सप्तमी कुण्ड के लगभग 50 मीटर पहले कचरा नाले पर बना पाइल सेतु ध्वस्त हुआ। वर्तमान में इन ध्वस्त पाइल पुलों पर खडंजा स्तर तक डाइवर्जन बना देने के कारण यातायात चालू है।

वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में केसर इण्टर प्राइजेज शुगर मिल में शीरा बहने तथा उससे हुई क्षति की जानकारी

*9–श्री मंजूर अहमद–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 7-7-90 केसर इंटर प्राइजेज शुगर, बहेड़ी, जनपद बरेली द्वारा शीरा बहाकर लाखों रुपया का आबकारी शुल्क बचाने के संबंध में उप आबकारी आयुक्त बरेली को प्राप्त हुआ था ? क्या उसकी जांच सहायक आबकारी आयुक्त, द्वारा की गई थी, जिसकी रिपोर्ट प्रश्नकर्ता को भी भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जांच के समय शीरा अभिलेखों से दो हजार कुन्तल से अधिक पाया गया ? क्या जांच अधिकारी के समक्ष मिल प्रबन्धकों द्वारा यह भी स्वीकारा गया है कि कुछ शीरा स्टील टैंक का वाल्व लीक हो जाने के कारण बाहर आ गया था, जो वर्षा के कारण पानी में मिल कर बह गया ? यदि हां, तो क्या टैंक का वाल्व लीक होने पर शीरा बह जाने के बाद भी जांच के समय शीरा अधिक पाया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त यूनिट ने गन्ना पेरा था, जिससे शीरे का उत्पादन अधिक हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस पूरे मामले में कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रश्नकर्ता का सन्दर्भित पत्र दिनांक 7-7-90 उप आबकारी आयुक्त, बरेली प्रभार दिनांक 4-8-90 को प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त, बरेली प्रभार द्वारा दिनांक 22-8-90 को चीनी मिल का निरीक्षण किया गया था न कि सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त, बरेली प्रभार द्वारा अपने अर्द्धशा० पत्र संख्या–1702 दिनांक 5-9-90 में प्रश्नकर्ता को उत्तर भेजा गया था, जिसमें जांच के समय 2764.26 कुन्टल शीरा अधिक होना अंकित किया गया है । तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त, बरेली प्रभार द्वारा निरीक्षण के दौरान की गई पूछताछ से चीनी मिल में एक शीरा टैंक का वाल्व लीक होने से नगण्य मात्रा में शीरा बाहर आ जाने और वर्षा में मिलकर वह जाने की बात उनके संज्ञान में आयी थी । तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त, बरेली प्रभार के निरीक्षण के दौरान शीरे की जो मात्रा अभिलेखों से अधिक पाई गई, वह गर्मी के कारण शीरे में फोमिंग के फलस्वरूप बढ़ी हुई मात्रा थी । प्रश्नगत चीनी मिल द्वारा अधिक गन्ने की पेराई नहीं की गई और न ही शीरे का अधिक उत्पादन किया गया । अतः इस मामले में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत डाक पत्थर में स्थापित नये डिग्री कालेज हेतु प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता की नियुक्ति का मामला

*10–प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत डाक पत्थर में स्थापित नये डिग्री कालेज के लिये प्रधानाचार्य व प्रवक्ताओं की नियुक्ति हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त डिग्री कालेज में पढ़ाई का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राचार्य की नियुक्ति कर दी गई है । प्रवक्ता (वाणिज्य) का एक पद सृजित है । लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति की जायेगी । शिक्षा सत्र 1994-95 से ।

प्रदेश में ''सबको शिक्षा योजना'' के अधीन चयनित किये गये जनपदों के विवरण की जानकारी

*11–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ''सबको शिक्षा योजना'' के अधीन प्रदेश में कौन-कौन से जिले चयनित किये गये हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उनमें उक्त योजना की प्रगति क्या हैं ? उक्त योजना कब तक पूरी होगी ? क्या वर्ष 1993-94 में भी जिले चयनित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वह जिले कौन-कौन हैं ?

डा० मसूद अहमद–

''उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा योजना'' के अधीन प्रदेश के दस जनपद वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, बांदा, इटावा, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, पौड़ी व नैनीताल आच्छादित हैं ।

वर्ष 1993–94 में इन जनपदों में 173 (प्रत्येक विकास खण्ड में एक) ब्लाक संदर्भ केन्द्र का भवन निर्माण, 665 नवीन प्राथमिक व 314 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण, 21 प्राथमिक तथा 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पुर्नस्थापना, 314 प्राथमिक, 94 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के पुर्ननिर्माण, 7 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, 300 विद्यालयों में एक कक्ष, 49 विद्यालयों में दो कक्ष, 1411 विद्यालयों में शौचालय व्यवस्था तथा 1054 में ट्यूबवेल (पेय जल) व्यवस्था हेतु प्रथम किश्त की धनराशि संबंधित जनपदों को भेजी जा चुकी है ।

यह योजना वर्ष 1999–2000 तक चलेगी । वर्ष 1993-94 में कोई अन्य जनपद चयनित नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद, इलाहाबाद मार्ग विस्तार योजना में प्राप्त धन का मानक के अनुसार प्रयोग न करके धन के दुरुपयोग की शिकायत

*12–श्री मित्रसेन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि फैजाबाद, इलाहाबाद मार्ग के विस्तार की योजना विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो स्वीकृत की अनुमानित धनराशि क्या है और कार्य प्रगति का वर्तमान विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि कार्यदायी संस्था द्वारा मानक के विपरीत घटिया निर्माण कार्य कराकर करोड़ों रुपये का घपला किया गया है ? यदि हां, तो कार्यदायी संस्था और उसके निर्माण कार्य सम्पादित करने वाले कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत कार्य की अनुमानित लागत 53.65 करोड़ रुपये है । प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत 22 कि०मी० लम्बाई में मार्ग को दोनों ओर तथा 10 कि०मी० लम्बाई में मार्ग को एक ओर चौड़ा किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त एक कि०मी० भाग में सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*13–श्री हरक सिंह रावत–

[15वें बुधवार में ता० प्र० सं० 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

*14–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[7वें सोमवार के लिये स्थगित ।

प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इण्टर कालेज को चलाने के लिये अलग-अलग प्रशासन योजना एवं उसके अन्तर्गत एक प्रबन्ध समिति के संगठन की व्यवस्था की जानकारी

*15–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में यह संशोधन किया गया है कि एक ही प्रबन्धक समिति जू० हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल व इण्टर कालेज को नहीं चला सकेगी ? यदि हां, तो क्या प्रत्येक संस्था के लिये अलग-अलग प्रबन्ध समितियां होंगी ? क्या सरकार ने उक्त संशोधन करके शासनादेश भी जारी कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संशोधन की एक प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था पूर्व से ही है कि प्रत्येक संस्था के लिये एक प्रशासन योजना होगी और उसके अन्तर्गत एक प्रबन्ध समिति के संगठन की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का न खुलना

*16–श्री परशुराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में वित्तीय वर्ष 1991–92, 1992–93 में पृथक-पृथक विकास खण्ड में शासन द्वारा कितने-कितने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गई है ? क्या शासन की स्वीकृति के अनुसार विद्यालय

प्रारम्भ हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वीकृत विद्यालयों के लिये वरीयता के अनुसार भवन निर्माण कराकर विद्यालय शुरू कराये जाने के लिये वर्ष 1994–95 के बजट में आवश्यक धनराशि स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में कोई विद्यालय नहीं खोले गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*17–श्री बी० आर० वर्मा–

[दिनांक 21-3-94 को ता० प्र० सं०–2 नत्थी (ख) द्वारा उत्तारित]

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के लिए वर्ष 1993-94 के लिए निर्धारित ऋण सीमा के बाद भी की गई कटौती एवं प्राप्त ऋण की जानकारी

*18–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1993-94 के लिये केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार के लिये ऋण की कितनी सीमा निर्धारित की है ? 31 जनवरी, 1994 तक बाजार ऋण से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? शेष धनराशि प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? लक्ष्य से कम ऋण प्राप्त होने पर केन्द्रीय सहायता में कितनी कमी होगी ? परिणामस्वरूप किन विकास योजनाओं में कितनी कटौती सरकार करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 1993-94 में इस राज्य सरकार एवं उसकी स्वशासित संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले बाजार ऋण के लिये 755.42 करोड़ रु० की शुद्ध राशि की सीमा निर्धारित की थी । इसमें से 713.62 करोड़ रु० की शुद्ध राशि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बाजार ऋण के निमित्त थी तथा 41.80 करोड़ रु० की राशि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जारी किए जाने वाले बाजार ऋण के लिए थी ।

31 जनवरी, 1994 तक राज्य सरकार की बाजार ऋण से 713.62 करोड़ रु० की शुद्ध राशि प्राप्ति हुई थी तथा इस प्रकार शत प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि हुई ।

''सबको समान शिक्षा'' की नीति के अनुरूप महंगे नर्सरी कान्वेन्ट श्रेणी के विद्यालयों को बन्द करने की सरकार की नीति की जानकारी की मांग

*19–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ''सबको समान शिक्षा'' की नीति के अनुरूप महंगे नर्सरी एवं कान्वेन्ट श्रेणी के विद्यालयों को बन्द करने की वर्तमान शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन की वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों द्वारा संचालित विद्यालयों को बन्द करने का प्रश्न ही नहीं है ।

लखनऊ नगर में निशातगंज में फ्लाई ओवर पुल के निर्माण में लागत मूल्य तथा निर्माण कार्य पूरा होने की जानकारी

*20–श्री राम कुमार शुक्ला–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में निशातगंज में फ्लाई ओवर बन रहा हैं ? यदि हां, तो इसका लागत मूल्य क्या है तथा इसके कब तक निर्माण होने की सम्भावना है ? क्या इस समय इस फ्लाई ओवर का निर्माण रूका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

इसकी मूल लागत रु० 466.92 लाख है । पुल के निर्माण कार्य के शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है ।

जी नहीं । कार्य प्रगति पर है ।

अतारांकित प्रश्न

मूल वेतन 3500 रुपये पाने वाले राज्य कर्मचारियों को बोनस न देने का शासनादेश

1–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के अधीन चल रहा है जिनको मूल वेतन 3.500 रुपया प्रतिमाह है ? यदि हां, तो कब तक शासनादेश निर्गत हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।

जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र में ग्राम पंचायत ऐन तथा ईंटगांव के बीच पुल व मार्ग निर्माण की सरकार से मांग

3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र में ग्राम/न्याय पंचायत ऐन से घुरघुरी तालाब वाया ईंटगांव मार्ग जो कि लखनऊ फर्रूखाबाद वाया बांगरमऊ मार्ग से

जुड़ता है, का निर्माण कार्य एवं बीच में पड़ने वाले नगवा नाला के पुल का निर्माण कार्य शासन से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो ग्राम ऐन तथा ईंटगांव के बीच पुल व उक्त मार्ग का निर्माण सरकार कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उपरोक्तानुसार ।

सी० ए० एस० इण्टर कालेज, फरीदपुर बरेली की प्रबन्ध समिति का चुनाव निर्धारित समय पर तथा शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षकों की अनुपस्थित अथवा उपस्थित में कराये जाने के कारणों की जानकारी

4–डा० सियाराम सागर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० ए० एस० इन्टर कालेज, फरीदपुर, बरेली की प्रबन्ध समिति का चुनाव निर्धारित समय के अन्दर कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त प्रबन्ध समिति का चुनाव शिक्षा विभाग परिवेक्षक की उपस्थित में कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गन्ना विकास परिषद् हरदोई द्वारा मेंहदीघाट सण्डीला मार्ग से बासां ग्राम तक एवं बासांग्राम से बाहर तक के मार्ग का निर्माण तथा अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग

5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि केन ग्रोवर्स सोसाइटी, हरदोई द्वारा विकास खण्ड, मल्लावां में जी० एम० एम० रोड (निर्मल नगर) से मांझगांव सम्पर्क मार्ग को कब बनाया गया था ? क्या उक्त मार्ग आवागमन के योग्य है ? यदि नहीं, तो अधूरे कार्य को पूरे कराते हुए उसकी मरम्मत कर पक्का कराने का काम कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

केन ग्रोवर्स सोसायटी, हरदोई द्वारा इस मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया बल्कि इस मार्ग का निर्माण गन्ना विकास परिषद्, हरदोई द्वारा वर्ष 1980-81 में मेंहदीघाट सण्डीला मार्ग से बांसाग्राम तक एवं बांसाग्राम से बाहर मार्ग के नाम से कराया गया था ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण वर्तमान में गन्ना विकास परिषद् हरदोई द्वारा अधूरे कार्य को पूरा कराया जाना एवम् मरम्मती कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है ।

6–चौधरी देवकी नन्दन–

[मा० सदस्य का स्वर्गवास हो जाने के कारण हटाया गया]

जिला जलौन में बालक/बालिकाओं हेतु संचालित विद्यालयों की संख्या एवं उनमें अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी

7–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन बालक/बलिकाओं के कुल कितने राजकीय इण्टर एवं उच्चतर इण्टर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं ? इन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं और क्या शासन इनकी पूर्ति निकट भविष्य में करने जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय इण्टर कालेज प्रतापगढ़ में कला संवर्ग की मान्यता प्रदान किए जाने की मांग

8–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, प्रतापगढ़ में कला संवर्ग की शिक्षा को भी मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या यहां कला संवर्ग की कक्षायें चलायी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्या कला संवर्ग कक्षाओं को चलाने हेतु मान्यता प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जिला योजनान्तर्गत प्राविधान न होने के कारण ।

9–श्री सतीश भाटिया–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

लोक निर्माण विभाग में कथित अनियमितता की शिकायत पर की गई जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

10–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के अता० प्रश्न संख्या 37 की गलत बयानी के संबंध में तत्कालीन विधायक श्री राम सरन का पत्र दिनांक 5-9-92 सचिव, लोक नि० वि० को तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री के पत्रांक 1201 वी० आई० पी०/92 दिनांक 14-9-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो गलत बयानी के लिये कौन जिम्मेदार है ? दिनांक 5-9-92 के पत्र की प्रत्येक बिन्दु पर जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी और उसकी जांच के परिणाम क्या रहे तथा कितनी शासकीय हानि हुयी ? क्या उक्त जांच आख्या के परिणामों की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के रिंग रोड (फैजाबाद रोड से कुर्सी रोड) तक के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता श्री राम सरन स० वि० स० का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

11–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के रिंग रोड (फैजाबाद रोड से कुर्सी रोड) के कि० मी० 0–400 से कि०मी० 3–00 तक के निर्माण विषयक श्री राम सरन, विधायक का शिकायती-पत्र दि० 3-9-92 सचिव, लोक निर्माण विभाग को तत्कालीन मंत्री लोक निर्माण विभाग के पत्रांक 1200 वी० आई० पी/92 ई०, दिनांक 14-9-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सचिव द्वारा जांच के आदेश किस अधिकारी को किये गये ? जांच के परिणाम क्या रहे ? क्या शिकायतकर्ता को जांच में बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच अभिलेखों/कार्य स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उससे शासन को कितनी हानि हुयी ? उक्त जांच का क्या परिणाम है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । परन्तु प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 5-9-92 प्राप्त हुआ है ।

जांच के आदेश प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र०, लखनऊ को दिये गये ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर उसके आलोक में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

महानिरीक्षक निबन्धन उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा निबन्धन लिपिक के पद हेतु मांगे गये आवेदन पत्र एवं उन आवेदन पत्रों के आधार पर की गई नियुक्ति की जानकारी की मांग

12–श्री मित्रसेन यादव–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिरीक्षक, निबन्धन, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा निबन्धन लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु मार्च/अप्रैल, 1991 में परीक्षा शुल्क रु० 10 सहित आवेदन-पत्र आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पद पर नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो उक्त पद पर कब तक नियुक्ति की जायेंगी ?क्या उक्त नियुक्तियां निरस्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र कब तक वापस किये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, किन्तु आमंत्रित आवेदन पत्रों के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण विभाग लिपिक वर्गीय (जिला अधिष्ठान) सेवा नियमावली, 1978 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 9-9-1992 से निबन्धन लिपिकों की नियुक्ति हेतु चयन का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में निहित हो गया है । विधिवत् चयन के पश्चात ही नियुक्तियां की जायेंगी ।

आमंत्रित आवेदन-पत्रों के आधार पर चूंकि कोई नियुक्ति नहीं की गयी है, अतः किसी नियुक्ति के निरस्तीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय की विज्ञप्ति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति का मामला

13–श्री मित्रसेन यादव–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय की विज्ञप्ति संख्या नियुक्ति 83/482, दिनांक 26-2-91 द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र रजिस्ट्री द्वारा आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पद पर परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां कर ली गई ? यदि नहीं, तो उक्त पद पर नियुक्ति हेतु कब परीक्षा आयोजित की जायेगी ? क्या उक्त पद की नियुक्तियां निरस्त कर दी गयीं हैं ? यदि हां, तो अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र परीक्षा शुल्क रहित कब तक वापस किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

यथाशीघ्र ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय के उद्घाटन के समय जिला न्यायालय को बांसी में स्थापित करने की घोषणा की जानकारी

14–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1990 में जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर अपने भाषण में जनपद न्यायालय को बांसी में स्थापित करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त न्यायालय कब तक स्थापित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ऐसी घोषणा की सूचना शासन में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सिद्धार्थनगर की बांसी से धानी मार्ग पर जमीन के मुआवजा के भुगतान में हुई अनियमितता की जानकारी

15–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की बांसी से धानी मार्ग पर जमीन का मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों को मिला है और कब ? क्या कोई गांव अभी बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सिद्धार्थनगर में बांसी स्थित राप्ती नदी पर बने पुल में लगी लागत को वसूल करने हेतु बैरियर लगाने की जानकारी

16–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में बांसी स्थित राप्ती नदी पर विभाग द्वारा पुल का निर्माण कब कराया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि पुल निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ था और क्या इस व्यय को टोल टैक्स द्वारा वसूल लिया गया है ? यदि हां, तो अब तक बैरियर लगने का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि पुल की पूरी लागत और कितने वर्षों में पूरी करायी जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत पुल का निर्माण वर्ष 1957 में कराया गया था।

पहुंच मार्ग सहित निर्माण की लागत रु० 14.77 लाख थी। पुल निर्माण पर हुए व्यय को नियमानुसार टोल टैक्स द्वारा वसूल किया जा रहा है।

नियमानुसार पुल की लागत, लागत पर ब्याज व अनुरक्षण व्यय आदि की गणना पर अवशेष धनराशि की वसूली शेष हैं।

नियमानुसार 50 वर्ष या पुल की पूरी लागत वसूल हो जाने, जो भी पहले हो, तक।

जिला वाराणसी में पिण्डारा से वाया ओदार गरमाथा मार्ग तथा कठिरांव से बरही नेवादा मार्ग के निर्माण की मांग

17–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि पिण्डारा से वाया ओदार गरमथा मार्ग व एक पुल ब्लाक पिण्डारा 10 कि० मी० व कठिरांव से बरही नेवादा 7 कि० मी० ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी अति महत्वपूर्ण मार्ग है जिसे जिला योजना वाराणसी में नहीं बनाया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों मार्गों को राज्य सेक्टर में वर्ष 94-95 की योजना में शामिल करके धन स्वीकृत करेगी ?

क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों मार्ग क्रमशः 56वां राष्ट्रीय मार्ग, वाराणसी, जौनपुर से राजकीय मार्ग, भोजूपीर केराकत को मिलाता है तथा दूसरा पिण्डरा पड़ियाहू राज्य मार्ग से कठिरांव से राजकीय मार्ग बाबतपुर जमालपुर में वरही नेवादा को जोड़ता है ? क्या इसका सर्वेक्षण कराकर आंकलन प्रदेश लोक निर्माण विभाग में भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । दोनों मार्ग एवं पुल ग्रामीण मार्ग एवं लघु सेतु की श्रेणी में आते हैं अतः इनका निर्माण जिला योजना में कराया जा सकता है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

यह जिला नियोजन एवम् अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

18–श्री सतीश भाटिया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

निर्माण खण्ड (बाढ़) लखनऊ के ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत पर जांच की मांग

19–श्री सतीश भाटिया–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सहायक अभियन्ता एसोशियेसन के पत्र 20-5-92 द्वारा माननीय मंत्री जी तथा विभागीय अधिकारियों से निर्माण खण्ड (बाढ़), लखनऊ के ठेकेदार राधेश्याम त्रिपाठी के विरुद्ध कोई शिकायतें की गयी थीं ? यदि हां, तो मुख्य अभियन्ता (परिवाद), उ० प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग से शिकायत के किस बिन्दु की जांच करने के लिए कहा गया था और जांच के परिणाम क्या रहे ? क्या ठेकेदार को दोषी पाया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ठेकेदार ने किन 250 अधिकारियों के विरुद्ध अपने हस्ताक्षर से शिकायतें की हैं ? क्या मंत्री जी उन शिकायतों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

श्री राधेश्याम त्रिपाठी, ठेकेदार के विरुद्ध दुराचरण, फ्राड तथा धोखाधड़ी के संबंध में पुलिस एवं विभागीय जांच कराने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु ठेकेदार के आचरण, फ्राड तथा धोखाधड़ी की जांच विभाग द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री सतीश भाटिया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

इलाहाबाद माघ मेले हेतु वर्ष 1992-93 व 1993-94 हेतु प्रदत्त बजट के अनुसार कार्यवाही न होने की शिकायत

21–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद माघ मेले के लिए वर्ष 1992-93 व 1993-94 में कितना बजट दिया गया ? क्या बजट से अधिक कार्य कराया गया ? यदि हां, तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद इलाहाबाद में माघ मेला हेतु वर्ष 1992-93 में कुल रु० 192.56 लाख तथा वर्ष 1993-94 में कुल 179.56 लाख आवंटित हुए हैं ।

जी हां । केवल वर्ष 1992-93 में ।

वर्ष 1992-93 में तत्कालीन आकस्मिक एवं अपरिहार्य आवश्यकता के कारण अतिरिक्त कार्य कराना पड़ा ।

इलाहाबाद माघ मेले में आपूर्ति की गयी बोरियों के प्रयोग तथा उसमें लगी लागत की जानकारी

22–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 में इलाहाबाद के माघ मेले में कितनी खाली बोरियों की आपूर्ति की गयी है तथा 1993-94 में कितनी खाली बोरियों की आपूर्ति की जा रही है ? इन बोरियों को बालू से भरने के बाद कितना घन मीटर आयतन होगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इलाहाबाद के माघ मेले में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में खाली बोरियों की आपूर्ति नहीं ली गयी, बल्कि बालू से भरी क्रमशः 6, 65, 450 तथा 3, 72, 805 बोरियों की आपूर्ति ली गयी । बालू से भरी इन बोरियों का आयतन क्रमशः 19,000 घन मीटर तथा 10,650 घन मीटर होता है ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में जी० एम० एम० रोड से ऊंचागांव सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

23–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में जी० एम० एम० रोड से ऊंचागांव सम्पर्क मार्ग का आधा कि० मी० बीच का मार्ग अर्ध निर्मित छोड़ रखा

गया है ? क्या पाइपों को सड़क के किनारे डाल कर पुलियों का निर्माण नहीं कराया गया है तथा आधे मार्ग में पत्थर और आधे में खड़न्जे की करायी गयी सोलिंग जीर्ण स्थिति में होने के कारण आवागमन भी नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो अधूरे कार्य कब तक पूरे करा दिये जायेंगे तथा आवागमन के योग्य मार्ग को कब तक करा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मार्ग के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत थी और कितनी खर्च की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । प्रश्नगत मार्ग के 125 मीटर भाग में भूमि विवाद के कारण कार्य नहीं हो सका है ।

पाईप सड़क के किनारे न डालकर दो स्थानों पर सड़क में आवागमन हेतु डाला गया है ।

जी नहीं ।

अधूरे कार्य को पूरा कराना धन की उपलब्धता आदि पर निर्भर है ।

प्रश्नगत मार्ग हेतु रु० 3.75 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी तथा 3.96 लाख रु० की धनराशि व्यय की जा चुकी है ।

गन्ना विभाग में प्रबन्धक द्वारा जीप चालक की नियुक्ति में की गयी कथित अनियमितता का आरोप

24–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि गन्ना प्रबन्धक वाहन प्रभारी पद पर भी नियुक्त किये गये थे ? क्या उक्त पद पर कार्यरत रहते हुए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जीप चालक कार्य करते रहे, अनुभव विहीनता के कारण दिनांक 3-5-93 को दो व्यक्तियों को सड़क दुर्घटना में भीषण चोट पहुंचायी गयी थी जिसके विरुद्ध स्थानीय थाना कोठीभार में प्राथमिकी दर्ज किया गया था जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था ? यदि हां, तो तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक द्वारा विभागीय कार्यवाही न करते हुए अपराधी को बचाने के लिए दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को विधि विरुद्ध मिल कोषागार से दिनांक 25-5-93 को रु० 5,000 (पांच हजार रु०) को भुगतान तथा एक नये जीप चालक की भर्ती शासनादेश के विरुद्ध की गयी है ? क्या मुख्य मंत्री जी उक्त प्रकरण की जांच कराने तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला वाराणसी में भतसार-गैरहां मार्ग तहसील वाराणसी में इसीपुर नाले के पुल पर सेपन स्तर तक सड़क बनाने की मांग

25–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भतसार-गैरहां मार्ग तहसील वाराणसी व जिला वाराणसी में इसीपुर नाले पर बने पुल पर केवल कंकड़ डाल दिये गये हैं ? उक्त पुल पर आज

तक लेपन न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार वर्ष 94-95 में धन देकर लेपन का कार्य करायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । कथित स्थान पर कोई पुल निर्मित नहीं है । बल्कि स्पूम पाइप डालकर यातायात हेतु अस्थायी क्रासिंग बनायी गयी है ।

स्वीकृत न होने के कारण ।

जी नहीं ।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, केराकत, जिला जौनपुर में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या तथा उन्हें विनियमित करने की मांग

26–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, केराकत, जनपद जौनपुर में कितने प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ? उक्त विद्यालय में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा इनके वेतन आदि पर प्रतिमाह कितना व्यय सरकार को करना पड़ रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही विभाग द्वारा पूरी कर ली गयी है ? यदि हां, तो वाराणसी मण्डल के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण का कार्य कब सम्पन्न हुआ और संबंधित शिक्षकों को इसका लाभ कब से मिल रहा है ?

डा० मसूद अहमद–

कुल 7 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

उक्त विद्यालय में 12 शिक्षक, एक लिपिक तथा 8 चतुर्थ श्रेणी अर्थात् कुल 21 शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके वेतनादि पर रु० 83,011 प्रतिमाह व्यय होता है ।

राजकीय दीक्षा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही मण्डल कार्यालयों में चल रही है ।

वाराणसी मण्डल के कुल 15 राजकीय दीक्षा विद्यालयों के शिक्षकों के विनियमितीकरण के प्रकरणों में से 9 प्रकरणों पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं । शेष 6 प्रकरण पूर्ण कराये जा रहे हैं ।

27–श्री परशुराम यादव–

[8वें गुरुवार में अता० प्र० सं०–(x) के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराजगंज व गोरखपुर से संबंधित क्रमशः कन्या जूनियर हाई स्कूल महाराजगंज व जूनियर हाई स्कूल बिशुनपुरा में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिला प्रधानाचार्यों को प्रताड़ित करने की शिकायत एवं जांच की मांग

28–श्री चन्द्र किशोर–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद महराजगंज व गोरखपुर से संबंधित क्रमशः कन्या जूनियर हाई स्कूल, महाराजगंज व जूनियर हाई स्कूल, बिशुनपुरा, ब्लाक ब्रह्मपुर, गोरखपुर के विषय में

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, पूर्व विधायक व सांसद, गोरखपुर ने शासन के अधिकारियों व सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), सप्तम मण्डल, गोरखपुर को जनवरी, 1993 ई० से अब तक कितने पत्र प्रधानाध्यापिका (महिला) अनुसूचित जाति को बार-बार उत्पीड़ित करने तथा विद्यालय से बिना व्यवस्था किये प्रधानाध्यापक को हटाने के संबंध में लिखा है ? क्या इसमें कोई पत्र सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उपरोक्त ने अपने पत्रांक विविध (1147–49) 93-94, दिनांक 17-8-93 को उप विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को लिखा है, जिसकी प्रति श्री विशारद को भी प्रेषित की है ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों प्रकरणों में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जांच करायी जा रही है ।

जी हां ।

जांच के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री राम शरण वर्मा का प्रमुख सचिव वित्त को दिया गया पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

29–श्री विश्वनाथ–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम स्वरूप वर्मा, भूतपूर्व विधायक का पत्र सं०–289, दिनांक 22-1-93 तथा पत्र सं०–365/रा०/93, दिनांक 9-7-93 प्रमुख सचिव, वित्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जांच की कार्यवाही प्रगति पर है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में कतिपय सहायक अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जांच एवं उसकी जानकारी

30–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के अता० प्र० सं०–91 के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री यदुनाथ सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 12-8-91 तथा विधायक, श्री महावीर राणा का पत्र दिनांक 7/90 पर जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराकर आदेश जारी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक आदेश जारी करा लिये जायेंगे ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

पत्र दिनांक 7/90 पर जांच करायी गयी किन्तु पत्र दिनांक 12-8-91 अप्राप्त है ।

जांचोपरान्त जिन अध्यापकों ने सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था उनसे सक्षम अधिकारी के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ निर्माण इकाई मार्ग–2 के अन्तर्गत माल मलिहाबाद में मैक्सफाल्ट ड्रमों की चोरी तथा उसके विरुद्ध की गयी आपूर्ति में हुई हानि में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

31–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विभाग में निर्माण इकाई, मार्ग–2, लखनऊ के अन्तर्गत माल, मलिहाबाद के किलोमीटर 8 पर मैक्सफाल्ट ड्रमों की चोरी से लगभग रु० 9900 राजकीय पालिटेक्निक कम्पाउण्ड से रुपया 31,850 तथा अनुबन्ध संख्या 72 एस० ओ० डब्लू० दिनांक 6-3-86 के विरुद्ध आपूर्ति में रुपया 41,800 तथा देवेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता से चार्ज एजूम करने पर रुपया 1,18,000 की शासकीय हानि हुयी है ? यदि हां, तो उक्त मैक्सफाल्ट से संबंधित अनुवर्ती वर्षवार कितने प्रकरण सरकार की जानकारी में आये हैं ? क्या सरकार को हुयी शासकीय हानि की वसूली सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्त से पूर्व वर्तमान सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । मलिहाबाद के कि० मी० 8 से मैक्सफाल्ट ड्रमों की चोरी से रु० 9900 पालीटेक्निक कम्पाउन्ड से 49 मैक्सफाल्ट ड्रमों की चोरी से रु० 31,850 तथा अनुबन्ध संख्या–72/एस०ओ०डब्लू०, दिनांक 6-3-86 के विरुद्ध आपूर्ति में रुपया 40,816 की हानि हुयी । श्री देवेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता इस इकाई में कार्यरत नहीं रहे, इसलिए इनसे चार्ज एज्यूम करने में किसी प्रकार की शासकीय हानि का प्रश्न नहीं है ।

कोई प्रकरण जानकारी में नहीं आया है ।

प्रश्नगत मामले में हानि की वसूली की कार्यवाही की गई है । प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों की ज्येष्ठता सूची एवं उसके संशोधित वेतनमान को लागू किये जाने की मांग

32–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव वित्त विभाग के पत्र दिनांक 8-10-91 द्वारा निर्गत आदेश सचिव, लोक निर्माण विभाग प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पत्र के प्रस्तर 1,3, एवं 4 के संबंध में आदेश कब तक निर्गत कराये जायेंगे ? क्या विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों की एक ही ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करके प्रस्तर–1 के अनुसार वेतनमानों को लागू कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

सचिव, वित्त विभाग के पत्र दिनांक 8-10-91 से संलग्न मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर आशुलिपिकीय संवर्ग संबंधित निर्णय को क्रियान्वित करने में आ रही कतिपय समस्याओं को देखते हुए इसी अनुक्रम में सचिव, वित्त विभाग के पत्र दिनांक 16-7-93 द्वारा संशोधित निर्णय लोक निर्माण

विभाग को सूचित किये गये । तद्नुसार आशुलिपिक संवर्ग के वेतनमानों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव शासन के समक्ष है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के गैर शिक्षकों का वेतन न मिलने के संदर्भ में पूर्व विधायक श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का शिकायती-पत्र

33–श्री चन्द्र किशोर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में किन-किन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों गैर-शिक्षकों के गत शेष वेतन निर्धारण वर्ष 1986 के बाद से अब तक के विभिन्न प्रसंगों से उत्पन्न स्थितियों में पड़ा हुआ है ? क्या उसमें श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, पूर्व विधायक व सहायक शिक्षक स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा, गोरखपुर ने भी अपने सन्दर्भ में वर्ष 1993 में पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर और शासन को दिया था ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? उन सबके वेतन भुगतान कब तक हो जायेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

गोरखपुर जनपद के संलग्न सूची में उल्लिखित 67 अशासकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रकरण नवीन वेतनमान में वेतन पुनरीक्षित हेतु लम्बित हैं । श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का पत्र दिनांक 14-8-93 प्राप्त हुआ था । तद्नन्तर अवशेष का बिल दिनांक 17-3-94 को प्राप्त हो गया है । परीक्षणोपरान्त भुगतान करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 216-218 पर)

निर्माण निगम की कार्यकारी मैनुअल का शासकीय नीति के अनुरूप हिन्दी रूपान्तरण कराये जाने की मांग

34–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि निर्माण निगम की कार्यकारी मैनुअल केवल अंग्रेजी/आंग्ल भाषा में ही है ? यदि हां, तो क्या यह सरकार की बार-बार घोषित नीति के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका हिन्दी रूपान्तरण कराने की कार्यवाही करा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । शासकीय नीति के अनुरूप कार्यकारी मैनुअल का हिन्दी रूपान्तरण कराया जा रहा है ।

निर्माण निगम में दस वर्ष से कम सेवा वाले इंजीनियर डिग्रीधारक अभियन्ताओं से माप पुस्तिका में अभिलेख दर्ज न करने की शासन की नीति

35–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि निर्माण निगम में दस साल से कम सेवा अवधि वाले इंजीनियरिंग डिग्री धारक अभियन्ताओं से माप पुस्तिका में अभिलेख दर्ज कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि से तथा इसका मूल आधार क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवध शुगर मिल लि० हरगांव सीतापुर एवं दि सेकसरिया शुगर मिल प्राइवेट लि० विसवां, सीतापुर से निकलने वाली राखी से हो रहे प्रदूषण की शिकायत

36–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि अवध शुगर मिल लि०, हरगांव, सीतापुर एवं दि सेकसरिया शुगर फैक्ट्री प्राइवेट लि०, विसवां, सीतापुर की चिमनियों से निकलने वाली राखी से विसवां व हरगांव के व्यक्ति त्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों फेक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर लगाये जाने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बरेली में केसर इण्टरप्राइजेज बहेड़ी में वर्ष 1991-92 में पुरानी समिति द्वारा गन्ने की तौल में की गई अनियमितता की जांच के बाद की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही

37–श्री मंजूर अहमद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 में बहेड़ी जनपद बरेली की चीनी मिल केसर इण्टरप्राइजेज द्वारा वर्ष 1991-92 की पुरानी समिति पर्चियों पर गन्ने की तौल अनियमित रूप से करायी गयी थी, जिसकी जांच संयुक्त गन्ना आयुक्त, बरेली द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच में उक्त चीनी मिल का प्रबन्ध-तंत्र दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मिल के प्रबन्ध-तंत्र के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

केसर इण्टरप्राइजेज बहेड़ी में वर्ष 1991-92 की कुछ मिल पर्चियों पर वर्ष 1992-93 में गन्ना तौले जाने का मामला संयुक्त गन्ना आयुक्त, बरेली के स्तर पर की गयी जांच में प्रकाश में आया है ।

प्राग्दर्शन में उक्त अनियमितता हेतु चीनी मिल का प्रबन्ध तन्त्र दोषी पाया गया है ।

चीनी मिल के अध्यासी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक दण्डात्मक कार्यवाही विचाराधीन है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

सहायता प्राप्त प्राविधिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति पर ग्रेच्युटी तथा डयुटी पर हुए विकलांगों में भत्ता देने की नीति की जानकारी

38–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायता प्राप्त प्राविधिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सेवा-निवृत्त पर ग्रेच्युटी एवम् डियूटी पर हुए विकलांगों को भत्ता देने की शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति होने पर ग्रेच्युटी देय है । प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्य करते हुए आकस्मिक दुर्घटनावश विकलांग हो गये कर्मचारियों को भत्ता देने की कोई नीति निर्धारित नहीं है क्योंकि राजकीय प्राविधिक संस्थाओं में भी ऐसे विकलांगों को कोई भत्ता देने का नियम नहीं है और न ही इस आशय का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

सहायता प्राप्त प्राविधिक महाविद्यालयों एवं राजकीय प्राविधिक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व शिक्षकों का एक समान वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्तें समान किए जाने की मांग

39–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त प्राविधिक महाविद्यालयों एवं राजकीय प्राविधिक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान एवम् अन्य सेवा शर्तें भिन्न-भिन्न होने के क्या कारण हैं ? क्या इस भिन्नता को समाप्त करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय प्राविधिक महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में दिनांक 01 जनवरी, 1986 से यू० जी० सी० के एक समान वेतनमान शिक्षकों के संबंध में लागू हैं ।

राजकीय प्राविधिक महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान अन्य सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष हैं, जबकि उनकी सेवा शर्तों के मामलों में सेवा-नियमावली प्रख्यापित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

स्वायत्तशासी संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तें व वेतनमान उनके अलग-अलग सोसायटी बाई-लाज में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत लागू हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में सहायिक माध्यमिक विद्यालयों की सूची के अनुसार वर्ष 1986 से 1990 तक दिये गये अनुदान की जानकारी

40–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के पत्रांक/नियुक्ति/क्षतिपूर्ति/5154/88-89, दिनांक 3-11-88 के द्वारा जो असहायिक माध्यमिक विद्यालयों की सूची वाराणसी जिले के सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा मण्डल, वाराणसी को भेजी गयी उनमें से किन-किन विद्यालयों को 86-87,87-88,88-89,89-90 का अनुदान दिया गया ? क्या सरकार उसकी सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा 8 विद्यालयों का वर्ष 86-87 व 87-88 का क्षतिपूर्ति अनुदान का प्रकरण मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को भेजा गया था । परन्तु संसाधनों के अभाव में किसी को क्षतिपूर्ति अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बस्ती-लुम्बनी-बुद्ध मार्ग में बस्ती से बांसी को बौद्ध परिषद के द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

41–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लुम्बनी-बुद्ध मार्ग में बस्ती से बांसी को बौद्ध परिषद के द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने का शासन का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

लोक निर्माण विभाग, लैंसडौन, गढ़वाल में श्री आनन्द सिंह बेलदार की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने से उनके पुत्र व पत्नी मृतकाश्रित को नौकरी पर न लिये जाने के कारणों की जानकारी

42–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आनन्द सिंह बेलदार, लोक निर्माण विभाग, लैंसडौन, गढ़वाल की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके पुत्र श्री गंगा सिंह को स्थाई नौकरी अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उक्त श्री गंगा सिंह की भी सेवा काल में मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को शासनादेश होने के बावजूद भी नौकरी नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो मृतकाश्रित को नौकरी न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नियमानुसार श्री गंगा सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह स्थायी नौकरी के पात्र नहीं थे ।

नियमानुसार मृतक श्री गंगा सिंह की पत्नी नौकरी की पात्र नहीं थीं ।

उत्तर प्रदेश में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में कार्य प्रभारित कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी सेवा प्रदान करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

गढ़वाल में अनेक राजकीय इण्टर कालेजों में छात्राओं की बढ़ती संख्या देखते हुए महिला अध्यापिका की नियुक्ति करने का मामला

43–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गढ़वाल में अनेक राजकीय इण्टर कालेज ऐसे हैं, जहां छात्रों से अधिक छात्राओं की संख्या है ? यदि हां, तो क्या इन विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति भी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

44–श्री सुन्दर लाल लोधी–

[7वें मंगलवार में अता० प्र० सं०–48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराजगंज की नगर क्षेत्र समिति सिसवां बाजार की जर्जर सड़कों की मरम्मत हेतु प्राप्त अनुदान के खर्च में हुई अनियमितता की जांच की मांग

45–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज की नगर क्षेत्र समिति, सिसवां बाजार की जर्जर सड़कों के सुधार हेतु शासनादेश सं०–1918/23–सा० नि० अनु०–11-38(8)ई०/88, दिनांक 30 मार्च, 88 द्वारा रुपया 45,25,000.00 अनुदान धनराशि लो० नि० वि० को इस शर्त के साथ अवमुक्त की गयी थी कि समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर आगणन लो० नि० वि० द्वारा तैयार कराकर प्रस्तावित निर्माण कार्य की स्वीकृति शासन से लेकर स्वीकृत कार्यों को कराया जाय ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव आगणन के विरुद्ध बिना शासन की स्वीकृति प्राप्त किए ही वर्ष 92-93 में 9,00,000.00 रुपये धनराशि को अन्य क्षेत्रों में बिना उक्त समिति के जानकारी में लाये खर्च करके अनुदान धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार अन्य मदों में खर्च की गयी धनराशि की जांच कराने और सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ-साथ नगर क्षेत्र समिति, सिसवां बाजार को 9,00,000.00 (नौ लाख रुपये) वापस कराकर प्रस्तावित अधूरे कार्य को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दि सहकारी गन्ना समिति सिसवां बाजार जिला महराजगंज में वहां के गन्ना काश्तकारों की गन्ना आपूर्ति में वर्ष 1987 से 1993 तक पर्ची के कटे, फटे, गुमशुदा होने के कारणों की जानकारी

46–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है दि सहकारी गन्ना समिति, सिसवां बाजार, जनपद महराजगंज के गन्ना काश्तकारों के गन्ना आपूर्ति की गन्ना पर्ची जो वर्ष 1987-88, 88-89, 89-90, 90-91, 91-92 व 92-93 में जले, कटे, फटे एवं गुमशुदा पर्चियों को डुप्लीकेट पर्ची बिना काश्तकारों की जानकारी के ही लाखों रुपये का भुगतान विभागीय कर्मचारियों द्वारा निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त फर्जी भुगतान हेतु दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा काश्तकारों का गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय खण्ड लखनऊ में वर्ष 1993-94 में बी० एम० एस० डी० सी० के कार्य में हुई क्षति की जानकारी

47–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–43 पी०डब्लू/5820 एम० टी०/82 ए०–47, दिनांक 17 नवम्बर, 1989 द्वारा हाट मिक्स प्लान्ट, मार्ग निर्माण सम्बन्धी निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ में वर्ष 93-94 में कराये गये बी० एम० एस० डी० सी० के कार्य क्या उक्त नार्म्स के अनुसार हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी बतायेंगे कि बिटुमिन की मात्रा 5.5 प्रतिशत के विरुद्ध कितनी खपत की गयी है ? इसका तापक्रम मानक से कम होने का औचित्य क्या है ? क्या एच० एम० पी० पर बिटुमिन की खपत एवं आपूर्ति तथा तापक्रम सरकारी रजिस्टर पर अंकित था ? यदि हां, तो उक्त रजिस्टर कब से चालू हैं ? क्या उक्त वर्ष में खपत एवं आपूर्ति का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

48–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ में अतिक्रमण की गई तथा परती खाली पड़ी जमीन को उपयोग में लाने की सरकार की कार्यवाही की जानकारी

49–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र ने अपने पत्रांक–991 सीजेडकाम/टीसी, दिनांक 24-2-92 द्वारा यू० पी० रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने एवं अधी० अभि० द्वारा खण्डों के वार्षिक निरीक्षण एवं वाद दायर करने के आदेश किये गये थे ? यदि हां,तो क्या यह भी बतायेंगे कि प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ के शहरी मार्गों पर स्थित किन-किन मार्गों के अतिक्रमण कब-कब हटाये गये और कितने वाद वर्ष 90-91 से अब तक दायर किये गये ? क्या अधि० अभि० ने अपने निरीक्षण के दौरान ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शहरी मार्गों के किन-किन भागों पर लो० नि० वि० की कितनी-कितनी भूमि है और उस मार्ग पर कितने-कितने भाग पर अतिक्रमण है ? वास्तविक तौर पर कितनी भूमि खाली पड़ी है ? क्या सरकार करोड़ों रुपये की भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिये कोई नया ठोस कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

50-51–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिला मुरादाबाद दि बाम केमिकल्स फैक्ट्री भरतिया ग्राम गजरौला के विषैले गन्दे पानी को बगद नदी में डालने से हुए प्रदूषण को रोकने की मांग

52–श्री प्रीतम सिंह (मुरादाबाद)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है दि बाम केमिकल्स फैक्ट्री, भरतिया, ग्राम गजरौला, जनपद मुरादाबाद का विषैला तथा गन्दा पानी बगद नदी में जाता है, जिससे गंगेश्वरी विधान सभा क्षेत्र के दो सौ ग्रामों के लोगों का जीवन नारकीय हो गया है ? क्या उक्त विषैले पानी से मनुष्यों व पशुओं तथा कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में फरवरी के प्रथम सप्ताह में कोई शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो उक्त शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि कार्यवाही नही हुई, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्थिति यह है कि मेसर्स बाम आग्रेनिक्स एण्ड कैमिकल्स लि० गजरौला द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु प्रथम एवं द्वितीय चरण के शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना कर ली गयी है । शुद्धिकरण के उपरान्त उत्प्रवाह बगद नदी में छोड़ा जाता है । यह उत्प्रवाह उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है ।

जी नहीं ।

पत्र प्राप्त हुआ है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या–3727/85 एम०सी० मेहता बनाम भारत सरकार तथा अन्य में उद्योग को मा० न्यायालय द्वारा बोर्ड के निर्धारित मानक प्राप्त करने के लिये 31-11-93 का समय दिया गया था । दिनांक 28-1-94 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में उचित माडीफिकेशन हेतु उद्योग को 12 सप्ताह का समय प्रदान किया है जिससे उद्योग द्वारा उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग में की गई अनियमितता सम्बन्धी जांच का मामला

53–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 8वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री श्रीराम सोनकर द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–13 के उत्तर के सम्बन्ध में लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच अधिकारी द्वारा अपनी आख्या जांचोपरान्त प्रबन्ध निदेशक/शासन को कब प्रस्तुत कर दी गई ? उसके जांच निष्कर्ष क्या-क्या थे ? उन निष्कर्ष पर क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत प्रकरण आश्वासन समिति के समक्ष विचाराधीन है ।

निर्माण निगम में सहायक स्थानिक अभियन्ता के सृजित पद व वर्तमान में कार्यरत अभियन्ताओं की जानकारी

54–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम में सहायक स्थानिक अभियन्ता के कितने पद सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/शासन द्वारा स्वीकृत हैं ? वर्तमान समय में उक्त पद पर कितने स्थानिक अभियन्ता कार्यरत हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

निर्माण निगम में सहायक स्थानिक अभियन्ता के 174 पद स्वीकृत है ।

वर्तमान समय में उक्त पद पर 140 व्यक्ति कार्यरत हैं ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में सहायक स्थानिक अभियन्ता/स्थानिक अभियन्ता के वेतनमान में भिन्नता की जानकारी

55–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में निगम की कार्यकारी मैनुअल के अनुसार सहायक स्थानिक अभियन्ता/स्थानिक अभियन्ता दोनों के कार्य एक समान हैं ? यदि हां, तो इन्हें क्या-क्या वेतनमान वर्तमान में दिया जा रहा है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि एक समान कार्य होने के उपरान्त भी स्थानिक अभियन्ताओं को उच्च वेतनमान देकर निगम पर अनावश्यक वित्तीय भार डाला जा रहा है ? यदि हां,तो इसका कारण क्या हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । तैनाती के समय गुरुत्तर कार्य सामान्यतया स्थानिक अभियन्ता द्वारा कराये जाने की चेष्टा रहती है ।

सहायक स्थानिक अभियन्ता तथा स्थानिक अभियन्ता को क्रमशः वेतनमान रु०- 2200–4000 तथा रु० 3100–4500 वर्तमान में दिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

लोक निर्माण उप अभियन्ता पद धारक का वेतनमान अन्य पद धारक के वेतनमान के समान होने की जानकारी तथा शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर वेतनमान दिये जाने की मांग

56–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम में उप अभियन्ता पद धारकों को दिया जा रहा वेतनमान रु० 1400–2600 अन्य किस-किस पद धारक को भी वर्तमान समय में देय है ? इसकी शैक्षिक योग्यतायें एवं अनुभव की क्रमशः क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

निगम के नियमित वरिष्ठ आशुलिपिक एवं विधि सहायक को कथित वेतनमान देय है ।

वर्तमान में निर्धारित शैक्षिक योग्यतायें उप-अभियन्ता, वरिष्ठ आशुलिपिक तथा विधि सहायक के लिये क्रमशः अभियंत्रण में डिप्लोमा, स्टैनोग्राफी का 3 वर्ष का अनुभव तथा विधि स्नातक के साथ दो वर्ष का अनुभव हैं ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में मानचित्रकार/ट्रेसर/वास्तुविद् एवं नील मुद्रक पदो हेतु क्रमशः शैक्षिक योग्यता भिन्न होने के बाद भी वेतन विसंगति का मामला

57–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में मानचित्र/ट्रेसर/वास्तुविद् सहायक एवं नील मुद्रक पदों हेतु क्रमशः शैक्षिक योग्यतायें एवं अनुभव की क्या-क्या शर्तें निर्धारित हैं ? उन्हें वर्तमान समय में क्रमशः क्या-क्या वेतनमान प्रदान किया जा रहा है ? क्या उक्त वेतनमानों में कोई संशोधन प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक संशोधन हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ट्रेसर के पद निगम में नहीं हैं । मानचित्रकार के बजाय निगम में स्ट्रक्चरल ड्राप्टमैन के पद स्वीकृत हैं । स्ट्रक्चरल ड्राप्टमैन, वास्तुविद सहायक तथा नील मुद्रक हेतु निर्धारित शैक्षिक योगयता, अनुभव एवं वर्तमान समय में अनुमन्य वेतनमानों के बारे में सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ से 219 पर)

जी हां । केवल वास्तुविद सहायक स्तर–II तथा वास्तुविद सहायक स्तर–III के वेतनमानों में संशोधन प्रस्तावित है ।

वेतन विसंगति समिति के अनुमोदन के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माण निगम में सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–207/पी० आर० सी०/चौवालिस–1/91-22/3 वेरी०/90 दि० 29 मार्च, 1991 को लागू किये जाने के दिनांक की जानकारी

58–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि निर्माण निगम में सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–207/पी०आर०सी०/चौवालिस–1/91-22/3 वेरी/90. दिनांक 29 मार्च, 1991 को लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उक्त शासनादेश दिनांक 30-3-1991 का है, जिसे लागू कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माण निगम मुख्यालय लखनऊ में कार्यरत लेखा संवर्ग के अधिकारियों की दुखद् मृत्यु पर पीड़ित परिवार की सहायता हेतु कर्मचारी कल्याण की योजनाओं की जानकारी

59–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि निर्माण निगम मुख्यालय, लखनऊ में कार्यरत लेखा संवर्ग के अधिकारियों की दुखद् मृत्यु जनवरी, 94 में हुई थी ? यदि हां, तो इस प्रकार की आकस्मिक घटना में घटित होने पर पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन सी कर्मचारी कल्याण की योजनाएं निगम में वर्तमान समय में लागू हैं ? इनके माध्यम से उक्त पीड़ित परिवार को कितनी धनराशि 18 फरवरी, 1994 तक निगम द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई आकर्षक कर्मचारी कल्याण की योजना सभी कर्मचारी/अधिकारियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

ग्रुप इंश्योरेन्स स्कीम, ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, डिपाजिट लिंक इंश्योरेन्स स्कीम, अवकाश नकदीकरण, पारिवारिक पेंशन, अन्तिम संस्कार हेतु वित्तीय सहायता आदि कल्याणकारी योजनाएं निगम में वर्तमान समय में लागू हैं ।

इनके माध्यम से अन्तिम संस्कार हेतु रु० पांच हजार, ग्रुप इंश्योरेन्स स्कीम का भुगतान रु० 1,02,635.00, अवकाश नकदीकरण का रु० 29,866.00 एवं विशेष अनुग्रह धनराशि का रु० 84,750.00 अब तक मृतक के वारिस को उपलब्ध कराया जा चुका है । अन्य भुगतान के बारे में कार्यवाही हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न हीं उठता ।

जनपद उन्नाव के एस० एस० पी० इण्टर कालेज पड़रीकलां के प्रधानाचार्य द्वारा की गयी अनियमितताओं की जानकारी

60–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के एस० एस० पी० इण्टर कालेज, पड़री कलां के प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल की कैश बुक में अंकित धनराशि को उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत खाता में जमा किया गया है ? क्या समय-समय पर धनराशि निकाल कर इसे अनियमित ढंग से व्यय कराते रहे हैं ? क्या छात्रों से प्राप्त धन प्रधानाचार्य स्वयं प्रयोग करते रहे हैं ? क्या इसी प्रकार की घोर अनियमिततायें जांच व आडिट में पायी गई हैं ? यदि हां, तो अभी इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां । विद्यालय के लेखों के निरीक्षण में पाये गये अनियमित व्यवहरण एवं व्यय के आरोपों के आधार पर प्रधानाचार्य को निलम्बित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के हड़हा क्षेत्र में 15 सौ आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

61–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के हड़हा क्षेत्र में पन्द्रह सौ आबादी वाले अनेक ग्राम हैं, जिनमें अभी तक प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ? क्या उनमें ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम शुक्लापुर, ग्राम सराय मजरा पच्चोड्डा, ग्राम नन्दा खेड़ा एवं ब्लाक बिछिया के ग्राम गौरा मजरा तारगांव व ग्राम गौरी शंकरपुर ग्रंट एवं ब्लाक नवाबगंज में ग्राम दिरगज खेड़ा मजरा अजगैन, ग्राम रायपुर खेलामऊ, ग्राम वाजिदपुर परौरा ग्राम नदहुवां, ग्राम तोमड़न खेड़ा आदि अनेकों ग्राम शामिल हैं ? यदि हां, तो क्या इनमें विद्यालाय खोलने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

1500 की आबादी का ऐसा कोई ग्राम नहीं है जिसमें प्राथमिक विद्यालय न खोला गया हो ।

ग्राम सरांय मजरा पचोड्डा विकास क्षेत्र सिकन्दरपुर कर्ण, ग्राम रामपुर खेलामऊ विकास क्षेत्र नवाबगंज ग्राम वाजिद पुर परौरा, विकास क्षेत्र नवाबगंज, 1500 से कम आबादी होते हुए भी मानक के अनुसार असेवित क्षेत्र हैं ।

असेवित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना है । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

लोक निर्माण विभाग के प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के कर्मचारियों का स्थायीकरण

62–श्री अम्बिका सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सचिव, लोक निर्माण शाखा के पत्र संख्या–2149 सीटीई/23–पी०डब्लू–स्था/1993, दिनांक 1-3-1993 में क्या निर्णय लिया जा चुका है ? प्रश्नगत पत्र दिनांक 1-3-93 में नामांकित कर्मचारियों को किन-किन पदों पर स्थायी किये जाने की संस्तुति प्राप्त हुई है ? क्या संस्तुति के आधार पर नामांकित प्रत्येक कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक स्थायीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पत्र में उल्लिखित प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के कर्मचारियों को क्रमशः कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1, वरिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ लिपिक के पदों पर स्थायी किये जाने की संस्तुति प्राप्त हुई है ।

जी नहीं ।

नियमानुसार प्रश्नगत पदों पर स्थायीकरण आवश्यक नहीं हैं ।

जिला लखनऊ में लाल कुआं वार्ड में चट्टान पार्क पर बनाई गई सड़क में की गई अनियमितता की जांच की मांग

63–श्री सतीश भाटिया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालकुआं वार्ड, जनपद लखनऊ में चट्टान पार्क पर बनी सड़क (वर्ष 1993-94) मानक के अनुसार बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम सामने आये ? यदि जांच नहीं हुई तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है और न ही इस मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्य ही कराया गया है । अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रिंग रोड फैजाबाद रोड से कुर्सी रोड लखनऊ के मध्य निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में मा० विधायक श्री राम शरण का पत्र एवं उस पर हुई जांच आख्या की जानकारी

64–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रिंग रोड, फैजाबाद रोड से कुर्सी रोड लखनऊ के मध्य निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री राम शरण, विधायक का पत्र दिनांक 5-9-92 एवं पत्र ठेकेदारों के अवैध पंजीकरण के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 12-10-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? पत्र में लगाये गये आरोपों पर जांच अधिकारी ने क्या आख्या दी है ? जांच में विलम्ब के क्या कारण रहे ? क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

प्रकरण की जांच अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से करायी गई ।

जांच आख्या पर परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

खिरौना स्टोर अमेठी/एच० एम० पी० सुल्तानपुर में सामग्री की कमी में की गयी गड़बड़ी में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

65–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अस्थाई खण्ड–2, सुल्तानपुर की जांच 18-5-87 को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, उ० प्र० शासन द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शिकायती-पत्र में क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ? किस-किस साइज की सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में पायी गयी है ? माप पुस्तिका 195/एस के पेज पर कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा

में, पृष्ठ 58 से 62 तक तथा किस-किस माह की आर० एम० आर० में लिया गया है ? क्या खिरौना, स्टोर, अमेठी/एच०एम०पी०, सुल्तानपुर पर सामग्री की कमी पायी गयी थी ? यदि हां, तो कौन-कौन सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में कमी थी ? क्या सी० टी० ई० की जांच आख्या की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

अमेठी के विकास के लिये सरकार द्वारा दिये जा रहे धन का विभागीय अधिकारियों द्वारा खर्च न किया जाना तथा अमेठी टाउन एरिया की सड़कों के सुदृढ़ीकरण में कम गिट्टी का पाया जाना ।

सामग्री का विवरण	माप पुस्तिका 195/एस पृष्ठ 58 से 62 के अनुसार ।
1–12 से 20 एम० एम० ग्रिट	309.92 घनमीटर
2–6 से 10 एम०एम०	736.81 घनमीटर
3–स्क्रीनडस्ट	84.87 घनमीटर
4–जलौनी लकड़ी	11.40 घनमीटर
5–25–50 एम० एम० पत्थर की गिट्टी	35.84 घनमीटर

श्री के० एन० सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा माह मार्च, 1987 के आर० एम० आर० में लिया गया था ।

जी हां ।

1–12 से 20 एम० एम० ग्रिट	159.01 घ० मी०
2–6 से 10 एम० एम० ग्रिट	151.13 घ० मी०
3–स्क्रीन डस्ट	23.69 घ० मी०

आवश्यकता नहीं है ।

मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग एम० एल० मित्तल के विरुद्ध भ्रष्टाचारों की शिकायत एवं उसके जांच परिणामों की जानकारी

66–श्री सतीश भाटिया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग एम० एल० मित्तल के विरुद्ध भ्रष्टाचारों की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराने हेतु राधेश्याम त्रिपाठी, निवासी 206, बेनिया, मोहाल, सदर बाजार, लखनऊ का साक्ष्य सहित 96 पृष्ठों में रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 9-10-92 मुख्य मंत्री एवं निदेशक, उत्तर प्रदेश सर्तकता अधिष्ठान को अलग-अलग सम्बोधित व प्रेषित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक सर्तकता जांच के आदेश न देने के क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा इस शिकायत पर सतर्कता अधिनियम के अन्तर्गत शिकायती-पत्र के बिन्दुओं पर अभिसूचना

संकलन करायी गयी ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता मित्तल के भ्रष्टाचारों के विरुद्ध इस पत्र पर कोई विभागीय जांच करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को कभी उसका कथन अंकित करने के लिये बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

संदर्भित पत्र सतर्कता अधिष्ठान को प्राप्त हुआ है । इस अधिष्ठान द्वारा कथित आरोपों के बारे में अभिसूचना अभी तक संकलित नहीं की गयी है । मा० मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र शासन में प्राप्त हुआ नहीं पाया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज पिहानी, हरदोई में प्रधानाचार्य का चार्ज कार्यवाहक प्रधानाचार्य को दिये जाने की मांग

67–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, पिहानी, जनपद हरदोई के कार्यवाहक प्रधानाचार्या का चार्ज श्रीमती आशा कनौजिया को दिये जाने के सिलसिले में मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, ने षष्टम मण्डल, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक एम० डी० (3)/5411-12/93-94, दिनांक 6 अक्टूबर, 1993 द्वारा निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो चार्ज न दिलाये जाने के क्या कारण हैं ? चार्ज कब तक दिला दिया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

तात्कालिक स्थानीय प्रबन्ध व्यवस्था में इनके आदेश दिये गये थे ।

विद्यालय राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक पिहानी हरदोई उच्चीकृत इण्टर कालेज है । स्नातक वेतनक्रम की शिक्षिकायें नियमानुसार विद्यालय के प्रधानाचार्या पद हेतु उपयुक्त नहीं है । अतः प्रधानाचार्या का चार्ज प्रधानाचार्या राजकीय बालिका इण्टर कालेज, संडीला हरदोई को दे दिया गया है ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज पिहानी जनपद हरदोई में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत श्रीमती आशा कनौजिया का उत्पीड़न

68–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती आशा कनौजिया, सहायक अध्यापिका, राज० कन्या इण्टर कालेज, पिहानी, जनपद हरदोई में दि० 30-4-92 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण कर उपस्थित पंजिका पर अपने हस्ताक्षर किये, जिसकी सूचना प्रधानाचार्या द्वारा पत्रांक 160/92-93 दिनांक 1-5-92

द्वारा प्रेषित भी कर दी गई ? यदि हां, तो 30-4-92 का वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उक्त योगदान तिथि पर किए हस्ताक्षर काटकर सेवापुस्तिका में तिथि में परिवर्तन कर देने का षड़यंत्र किया गया ? यदि हां, तो दोषी कौन हैं ? क्या मंत्री जी इस गंभीर षड़यंत्र के लिए दण्डित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु हुए विलम्ब की जानकारी

69–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सीतापुर के द्वारा प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 21वां वृत्त, लो० नि० वि०, सीतापुर के पत्रांक 3422/12सी–21/91, दिनांक 21-9-91 के द्वारा मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लो० नि० विभाग, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं ? क्या इन कार्यों के प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण कार्यों के शुरू होने में विलम्ब क्यों हैं ? यदि कार्य शुरू हो गया है तो कितना-कितना धन प्रत्येक कार्य के लिए आवंटित किया गया है ? यदि धन नहीं आवंटित किया गया है, तो क्यों ? संदर्भित कार्यों के लिए कब तक धन आवंटित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रस्तावित चार कार्यों के विरुद्ध स्वीकृत तीन कार्यों में से दो मार्ग कार्यों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । गौन नदी पर स्वीकृत दीर्घ सेतु का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

प्रारम्भ किये गये कार्यों पर आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

कार्य का नाम	आवंटित धनराशि	
	92-93 (लाख रु० में)	93-94 (लाख रु० में)
1–तालगांव-जीतामऊ मार्ग का निर्माण ।	3.00	2.30
2–अकबरपुर-ताल-गांव मार्ग का निर्माण ।	—	0.52

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र लहरपुर में जीतामऊ से तालगांव तक की क्षतिग्रस्त सड़क को बनाये जाने की मांग

70–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र, लहरपुर में जीतामऊ से ताल गांव मार्ग क्या अत्यन्त ही क्षति ग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामर रोड बनवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य प्रभारित/स्थाई मस्टर रोल ए० सी० आपरेटरों के संबंध में कथित शासनादेश के अनुपालन की जानकारी

71–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्य प्रभारित/स्थाई मस्टर रोल ए० सी० आपरेटरों के संबंध में जारी शासनादेश संख्या 7222/23-4-93-256 एन० जी०/89, दिनांक 11 नवम्बर, 1993 का अनुपालन विभाग द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कथित आपरेटरों के संबंध में कथित शासनादेश जारी नहीं हुआ है ।

जनपद सहारनपुर में प्राइमरी स्कूलों में रिक्त अध्यापकों के पदों को भरे जाने की मांग

72–श्रीमती शशि बाला पुण्डीर

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों के पदों की कितनी संख्या स्वीकृत है ? उनमें से कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों की भर्ती कब तक कर दी जायेगी ?

डा० मसूद अहमद–

जनपद सहारनपुर में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के 2804 पद स्वीकृत है ।

स्वीकृत संख्या के आधार पर 269 पद रिक्त हैं, किन्तु निर्धारित मानक के अनुसार कोई पद रिक्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत 86 ग्रामों की भूमि के रिकार्ड सील किये जाने के बाद भी हुई रजिस्ट्री की जांच की मांग

73–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत 83 गांव के पूरी भूमि के रिकार्ड सील कर दिये गये ? क्या इस क्षेत्र के भूमि के फर्जी कागजात के आधार पर जमीनों की रजिस्ट्री तहसील में करायी जा रही है ? यदि हां, तो लखनऊ सदर तहसील में 1983 के बाद कुल कितनी रजिस्ट्री हुई हैं ? क्या सरकार इन सभी रजिस्ट्री की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत 86 ग्रामों के भूमि के रिकार्ड सील किये गये हैं ।

ऐसे विशिष्ट मामलों को इंगित करने पर जांच कराकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रथम श्रेणी में सृजित संवर्गवार पदों पर आरक्षण कोटा न पूर्ण किये जाने की शिकायत

74–श्री बचनू राम पटेल, श्री चैनसुख भारती, श्री राजबली जैसल तथा श्री वी० के० गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रथम श्रेणी के संवर्गवार विद्यमान में कितने-कितने पद सृजित हैं ? इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है ? क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व शून्य है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रथम श्रेणी के संवर्गवार वर्तमान में निम्न पद सृजित है :–

शासन द्वारा सृजित पद	बोर्ड द्वारा सृजित पद
1–मुख्य पर्यावरण अधिकारी–03	1–सहायक सचिव–02
2–मुख्य लेखा अधिकारी–01	2–पर्या० अभियन्ता/क्षेत्रीय अधिकारी–15
3–मुख्य विधि अधिकारी–01	3–उपकर अधिकारी–01
4–तकनीकी अधिकारी–01	4–तकनीकी अधिकारी–01

5–वैज्ञानिक अधिकारी–01

5–पर्या० अधिकारी–01

6–वैज्ञानिक अधिकारी–04

7–वरिष्ठ लेखाधिकारी–02

8–विधि अधिकारी (प्रथम)–02

शून्य

जी हां ।

मुख्य विधि अधिकारी, विधि अधिकारी, (प्रथम), मुख्य लेखाधिकारी तथा वरिष्ठ लेखाधिकारी के पदों को छोड़कर उक्त भाग–1 में दर्शाये गये पदों में से सहायक सचिव, उपकर अधिकारी, तकनीकी अधिकारी के पद पर्यावरण अभियन्ता/वैज्ञानिक अधिकारी के संवर्ग से भरे जाते हैं । पर्यावरण अभियन्ता के संवर्ग में अन्तिम नियुक्ति सन्–1988 में हुई थी । वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अन्तिम नियुक्ति वर्ष 1984 में हुई थी ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति वर्ष 1981 में हुई थी । विधि अधिकारी (प्रथम) के पद को वर्ष 1987 में पदोन्नति द्वारा भरा गया । मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी तथा पर्यावरण अधिकारी के पद पर वर्तमान में कोई तैनात नहीं है । वर्ष 1989 में आरक्षण कोटा विशेष भर्ती अभियान के तहत भरने हेतु प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत पर्यावरण अभियन्ता के पदों, तथा वैज्ञानिक अधिकारी के एक पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया । परन्तु संदर्भित पदों हेतु कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ । वर्ष 1992 में विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत अन्य पदों के साथ प्रथम श्रेणी के पदों हेतु क्रमशः पर्यावरण अभियन्ता के दो पद तथा वैज्ञानिक अधिकारी के एक पद को भरने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया, परन्तु संदर्भित विज्ञापन पर कार्यवाही न करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित कर दिया गया । यह रिट याचिका अभी माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है ।

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका का निस्तारण होने के उपरान्त आरक्षण कोटे के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जायेगा । शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति करते समय आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थापित कुछ प्रोजेक्ट/बोर्ड मुख्यालय में नियुक्त अनुसूचित जाति/ जनजाति के अधिकारियों की छटनी तथा उन्हें सेवा में न लेने पर की गई कार्यवाही की जानकारी

75–श्री बचनू राम पटेल, श्री चैनसुख भारती, श्री राजबली जैसल तथा श्री बी० के० गुप्ता–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थापित कुछ प्रोजेक्ट/बोर्ड मुख्यालय में नियुक्ति अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को निकाला गया है ? क्या निकाले गये अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यालय में रिक्त विभिन्न श्रेणी के पदों पर समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों को निकाले जाने का कारण क्या है ? मुख्यालय में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पद होते हुये भी अनुसूचित जाति/अनु जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों को समायोजित न करने के लिये दोषी कौन है ? क्या दोषी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत एक द्वितीय श्रेणी के अधिकारी की सेवायें परियोजना अवधि समाप्त हो जाने पर अन्य अधिकारियों की सेवाओं के साथ दिनांक 31-3-93 को समाप्त हो गयी थी । प्रभावित

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की गयी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में इनकी देय परिलब्धियों का संरक्षण करते हुये कार्य लिया जा रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

लागू नहीं।

माननीय उच्च न्यायालय में वाद लम्बित है।

परियोजना अवधि की समाप्ति।

परियोजना में कार्यरत कार्मिकों को परियोजना की अवधि समाप्ति पर बोर्ड में समायोजित करने का कोई प्राविधान नहीं है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में वाद लम्बित है। अतः कोई दोषी नहीं

लागू नहीं।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में वर्ष 1993 में विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियों के औचित्य की जानकारी

76–श्री मित्रसेन यादव–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में माह नवम्बर, दिसम्बर, 1993 में विभिन्न पदों पर कुल 32 नियुक्तियां की गई हैं ? जिन्हें माह, जनवरी, 1994 में योगदान कराया गया है ? यदि हां, तो नियुक्तियों का औचित्य और विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 4-12-93 द्वारा 3 उपाचार्यों एवं बैठक दिनांक 2-1-94 द्वारा 7 उपाचार्यों एवं 22 प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की गई। दो आचार्यों का योगदान माह दिसम्बर, 1993 में तथा शेष का योगदान माह जनवरी, 1994 में कराया गया है।

यू० जी० सी० अधिनियम की धारा–12 बी के अन्तर्गत मान्यता हेतु अर्हता के स्तर तक लाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में तीन नये विभागों यथा बिजनेश मैनेजमेंट इन्टरप्रिन्योरशिप, बायोकेमेस्ट्री एवं माइक्रोबायोलोजी की स्थापना एवं चार पुराने विभागों यथा गणित एवं सांख्यिकी, इतिहास पुरातत्व भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सालिडस्टेट फिजिक्स से तीस स्वीकृत पदों तथा दो रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई।

जनपद महराजगंज के अन्तर्गत घुघली टाउन एरिया के चैनपुर में वर्ष 1990-91 में बने विद्यालय भवन में ही कन्या प्राइमरी विद्यालय संचालित किया जाना

77–श्री राम अधार यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के अर्न्तगत घुघली टाउन एरिया के चैनपुर में नवम् वित्तीय आदेश एक्शन प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में स्वीकृत होकर वर्ष 1990-91 में विद्यालय भवन बनकर तैयार हो गया था ? यदि हां, तो अभी तक उक्त भवन में कन्या प्राइमरी विद्यालय स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इस विलम्ब में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में ज्ञानपुर, भदोही तहसील के प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी को पूरा किये जाने की मांग

78–श्री रंग नाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जनपद में ज्ञानपुर, भदोही तहसील के प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार शिक्षकों की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

आगामी शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के मिश्रीलाल आर्य कन्या विद्यालय टांडा में कार्यरत अध्यापिकाओं को नये वेतनमान दिये जाने की मांग

79–श्री परशु राम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के मिश्रीलाल आर्य कन्या विद्यालय, टांडा में कितनी अध्यापिकायें कार्यरत हैं ? कार्यरत अध्यापिकाओं के नाम, पद व वेतनमान क्या-क्या हैं ? क्या सभी को वर्ष 1986 से लागू नये वेतनमान के एरियर का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त एरियर का भुगतान कब तक कराया जायेगा ? क्या भुगतान की कार्यवाही अब तक लम्बित रखने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

प्रश्नगत विद्यालय में कुल 42 अध्यापिकायें कार्यरत हैं जिनमें से 32 अध्यापिकाओं को वर्ष 1986 से लागू नये वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जा चुका है । 10 अध्यापिकाओं को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है । (सूची क ख संलग्न है) विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं अतिशीघ्र भुगतान की कार्यवाही के लिये शिक्षा निदेशक को आदेश दिये जा चुके हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 220-222 पर)

जनपद उन्नाव में बांगरमऊ स्थित कल्याणी पुल के वर्ष 1990 से अब तक वसूल किये गये पथकर की राशि की जानकारी

80–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के बांगरमऊ स्थित "कल्याणी पुल" का पट्टा वित्तीय वर्ष 1990-91 में अथवा किस वित्तीय वर्ष में श्री गोरखनाथ उपाध्याय के नाम हुआ था ? क्या उन्नाव जनपद के बांगरमऊ–बिल्हौर मार्ग पर लगभग 17 कि० मी० की दूरी पर कल्याणी ब्रिज बना हुआ है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 में उपरोक्त ब्रिज का पथकर का पट्टा कुल कितनी धनराशि का दिया गया था, जबकि गंगा ब्रिज यातायात के लिये नहीं खुला था ? क्या गंगा ब्रिज 11 नवम्बर, 91 को यातायात के लिये खोल दिया गया था ? यदि हां, तो उसके बाद प्रतिदिन पथकर वसूली की उक्त तिथि से राजकीय कोषागार उन्नाव में कितनी धनराशि जमा हुई ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत पुल पर पथकर वसूली का पट्टा वित्तीय वर्ष 1990-91 में श्री गोरखनाथ उपाध्याय के पक्ष में पंजीकृत हुआ था ।

उन्नाव जनपद में लखनऊ–बांगरमऊ बिल्हौर मार्ग के कि०मी० 89 में कल्याणी सेतु स्थित है ।

प्रश्नगत सेतु का पट्टा श्री गोरखनाथ उपाध्याय के नाम रु० 3,26,000.00 प्रति वर्ष की दर से दिया गया था ।

उक्त ब्रिज पर दिनांक 23/24 नवम्बर, 1991 की मध्य रात्रि से पथकर की वसूली प्रारम्भ हुई । सामान्यता उसी तिथि से यातायात खुला हुआ माना जाता है । दिनांक 30-11-91 को पारित मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के परिपेक्ष्य में दिनांक 2-12-91 से उक्त पथकर की वसूली स्थगित कर दी गयी । इस प्रकार विभागीय पद्धति से वसूली की अवधि में रुपये 823.00 प्रतिदिन की दर से कुल रुपये 7406.75 की धनराशि प्राप्त हुई जिसे जिला कोषागार, उन्नाव में जमा करा दिया गया है ।

जनपद गाजियाबाद में बिक्रीकर भवन को पूरा कराये जाने हेतु अतिरिक्त धन की मांग

81–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद गाजियाबाद के कर दाताओं की सुविधा के लिये तथा बिक्रीकर विभाग को भारी किराये के बोझ से बचाने के लिये जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में बिक्रीकर भवन बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार उक्त भवन को शीघ्र पूरा करने के लिये अतिरिक्त धन देने पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । उक्त भवन अक्टूबर, 1989 से निर्माणाधीन है ।

भवन को शीघ्र पूरा कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 1993-94 में रुपया एक करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

अशासकीय विद्यालयों की भांति राजकीय विद्यालयों में कार्यरत सी० टी० सेवाकाल वाले अध्यापकों को एल० टी० ग्रेड में संविलीन किये जाने की मांग

82–श्री केदार सिंह फोनिया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी०टी० संवर्ग की समाप्ति के बाद दिनांक 1-1-86 से अशासकीय विद्यालयों के सी० टी० ग्रेड में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को क्या एल० टी० ग्रेड में संविलियन कर लिया गया है ? क्या राजकीय विद्यालयों में कार्यरत सी० टी० संवर्ग के अध्यापक/अध्यापिकाओं को योगदान तिथि से 10 वर्ष की सेवा के बाद एल० टी० ग्रेड मे संविलियन करने का नियम बनाया गया ? यदि हां, तो शासकीय अध्यापकों को अशासकीय अध्यापकों की भांति मिलने वाले लाभ से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं । सी० टी० संवर्ग के वे अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक हैं और 10 वर्ष की संतोषजनक नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें दिनांक 1-1-86 या उसके बाद की तिथि से एल० टी० ग्रेड में संविलीन किये जाने की व्यवस्था है ।

राजकीय विद्यालयों में उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सी० टी० संवर्ग के अध्यापकों को एल० टी० संवर्ग में संविलीन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक स्वयंसेवी प्रवक्ताओं को नियमित किये जाने की मांग

83–श्री केदार सिंह फोनिया–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों पिछले 8, 9 वर्षों से कार्यरत अंशकालिक स्वयंसेवी प्रवक्ताओं को भी क्या उनके कार्यरत पदों पर नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लोक सेवा आयोग, उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की ही नियुक्तियां राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित महादेव प्रसाद इण्टर कालेज, महादेव नगर में कार्यरत शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची एवं रिक्त पदों का अधियाचन शासन को भेजे जाने की मांग

84–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद स्थित महादेव प्रसाद इण्टरमीडिएट कलेज, महादेव नगर विद्यालय में विभिन्न वेतन क्रमों में कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? उनमें से कितने सामान्य और कितने आरक्षित कोटे से हैं ? क्या उक्त विद्यालय में उ० प्र० इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 क, ख, ग एवं 16 ङ, च, च, च के अनुरूप अध्यापकों की ज्येष्ठता सूचियां प्रतिवर्ष प्रकाशित, प्रसारित एवं पुनरीक्षित होती हैं और क्या उनकी प्रतियां शासन को समय से उपलब्ध करायी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्यालय में स्नातक वेतन क्रम में कितने और कौन-कौन पद कब से रिक्त हैं ? क्या उनका अधियाचन शासन को प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

डा० मसूद अहमद–

प्रतापगढ़ जनपद के प्रश्नगत विद्यालय में विभिन्न वेतनक्रमों में कुल 24 अध्यापक कार्यरत हैं जिनमें से 17 अध्यापक सामान्य तथा 7 अध्यापक पिछड़ी जाति के हैं । ज्येष्ठता सूची वर्ष 1990 में प्रकाशित की गयी थी जिसके पश्चात् ज्येष्ठता सम्बन्धी विवाद के कारण ज्येष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की गयी है । ज्येष्ठता सूची शासन को उपलब्ध कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । प्रश्नगत विद्यालय में निम्नलिखित स्नातक वेतनमान के कुल 6 पद रिक्त हैं :–

(1) कला–1 (2) व्यायाम शिक्षक–1	1989
(1) जीव विज्ञान–1 (2) सामान्य एल० टी०–1	1990
(1) विज्ञान/गणित–1 (2) सामान्य एल० टी०–1	1993

उक्त रिक्तियों का अधियाचन शासन को भेजे जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

अनौपचारिक शिक्षा निदेशक एवं निदेशिका को उपयुक्त वेतन दिलाये जाने की मांग

85–श्री बचनू राम पटेल–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि "भारत का संविधान" के निर्देशानुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के सारे बच्चे बच्चियों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कब से सरकार उपलब्ध करायेगी ? क्या अनौपचारिक शिक्षा निदेशक एवं निदेशिका को मासिक वेतन दो सौ रुपया दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें उपयुक्त वेतन दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक बालक/बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार सतत् प्रयत्नशील है।

अनौपचारिक शिक्षा योजनान्तर्गत कोई ऐसा पद नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में विकास खण्ड कौशाम्बी के अन्तर्गत कनैली के पास किलबहाई नदी पर बने ध्वस्त पुल के पुनर्निर्माण की मांग

86–श्री शिवदानी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद इलाहाबाद में विकास खण्ड कौशाम्बी के अन्तर्गत कनैली के पास किलबहाई नदी पर ब्रिज कारपोरेशन द्वारा लाखों की लागत से 1984-85 में पुल का निर्माण किया गया था ? कया यह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है ?यदि हां, तो उक्त पुल का पुनर्निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पुल के निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पुल निर्माण में रु० 26.20 लाख की लागत आयी थी।

जी नहीं। केवल सेतु के मध्य स्पान के डैक स्लैब में कुछ हिस्से की कंक्रीट टूटकर गिर गयी थी।

प्रश्नगत सेतु के पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेतु के एक स्पान के कुछ भाग की कंक्रीट क्षतिग्रस्त हुई है।

सेतु के स्लैब के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच हेतु गठित समिति की आख्या आने के उपरान्त ही दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

प्रदेश में प्राइमरी तथा जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने हेतु अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

87–श्री गजराज सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में प्राइमरी एवं जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने के लिये कितने अध्यापकों की कमी है ? इन स्थानों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

वर्तमान समय में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निम्न विवरण के अनुसार अध्यापकों के पद रिक्त हैं :—

प्राइमरी स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल
5054	6948

रिक्त पदों को नियमानुसार जनपद स्तर पर चयन/पदोन्नति से यथाशीघ्र भरा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

88–श्री राम आसरे वर्मा–

[दिनांक 21-3-94 को अता० प्र० सं० 27 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के नानामऊ घाट पर बने गंगा ब्रिज तथा कल्याणी ब्रिज पर अवैध चुंगी वसूली से संबंधित शासन को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद स्थित नाना मऊ घाट पर बना गंगा ब्रिज तथा उसी मार्ग पर लगभग 11 कि० मी० के दूरी पर बना कल्याणी ब्रिज पर अवैध रूप से चुंगी/पथकर वसूली आदि किये जाने संबंधी पत्र पर दिनांक 20 फरवरी, 94 को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें प्रमुख बिन्दु क्या थे और उन पर शासन द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और इस विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम कुमार बेलदार लोक निर्माण विभाग द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

90–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम कुमार बेलदार, ग्राम–करैंटी, पोस्ट–कोखराज, जनपद–इलाहाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-10-92 शासन को तथा लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

प्रश्नगत श्रमिक को जून/1993 से दैनिक वेतन पर कार्यहित में रखे जाने की सूचना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में चन्दन चौकी क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

91–श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन स्थित चन्दन–चौकी, क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने हेतु प्रश्नकर्ता का एक पत्र जो मा० राज्य मंत्री, पंचायती राज द्वारा दिनांक 25-1-94 अग्रसारित उनको प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

योजना के अभाव में मांग पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद खीरी की तहसील निघासन में गन्ना मिल लगाये जाने से संबंधित प्रकरण की जानकारी

92–श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी की तहसील निघासन में कोई गन्ना मिल लगाये जाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त के संबंध में प्रश्नकर्ता का एक पत्र राज्यमंत्री, पंचायतीराज द्वारा दिनांक 25-1-94 अग्रसारित उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी के स्थल शारदानगर में एक 2500 टी० सी० डी० क्षमता की चीनी मिल की स्थापना का आशय पत्र प्राप्त हो चुका है।

दयानन्द रामेश्वर प्रसाद हंसराज आर्य कन्या इण्टर कालेज सीतापुर तथा सीतापुर नगर के अन्य मान्यता एवं सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में कार्यरत अध्यापिकाओं/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण अवशेष का भुगतान किये जाने की मांग

93–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दयानन्द रामेश्वर प्रसाद हंसराज आर्य कन्या इन्टर कालेज सीतापुर में कार्यरत कितनी अध्यापिकाओं/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के अवशेष का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है तथा क्यों ? इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

प्रश्नगत विद्यालय में कार्यरत मात्र एक अध्यापिका के वेतन निर्धारण के अवशेष का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। परीक्षणोपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

94–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर के गैर सरकारी मान्यता तथा सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों के कितने अध्यापक/अध्यापिकाओं के वेतन फिक्सेशन का अवशेष भुगतान संबंधी कितने मामले निस्तारण हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के स्तर पर लम्बित है ? उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

सीतापुर नगर के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों के कुल 6 अध्यापकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अवशेष के भुगतान का मामला लम्बित है। परीक्षणोपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

कृषकों द्वारा गन्ना मिलों को आपूर्ति किये जाने वाले गन्ने के वजन से जूने के भार का न काटे जाने की मांग

95–श्री सुधीर कुमार बालियान, डा० सरजीत सिंह डंग तथा श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषकों द्वारा गन्ना मिलों को आपूर्ति किये जाने वाले गन्ने के वजन से काटे जाने वाले जूने के भार को न काटे जाने के लिये गन्ना मिलों को आदेशित करने का शासन का कोई विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

उक्त कटौती शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर–1966 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है तथा इसमें संशोधनों का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित है।

मुरादाबाद शहर में लाइन पार इलाके में इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

96–श्री समर पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मुरादाबाद शहर में लाइन पार इलाके में कुल शहर की आबादी का 1/4 आबादी है जबकि उक्त इलाके में केवल एक ही इण्टर कालेज हैं ? क्या शिक्षा मंत्री उक्त इलाके में एक राजकीय इन्टर कालेज और खोलेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

जी नहीं।

सीधे राजकीय इण्टर कालेज खोलने की योजना नहीं है।

मुरादाबाद शहर में मुस्लिम बालिकाओं हेतु तीन अन्य इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

97–श्री समर पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मुरादाबाद शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिये केवल एक इण्टर कालेज है जबकि मुस्लिमों की आबादी उक्त शहर में तीन लाख के करीब है ? क्या मंत्री जी उक्त शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिये तीन और इण्टर कालेज खोलेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं, मुरादाबाद जनपद में बालिकाओं के 29 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें एक विद्यालय मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्था घोषित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा में रानीखेत–धारचूला मार्ग पर द्वारहाट में निर्मित अवैध निर्माण को हटाये जाने मांग

98–श्री समर पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग रानीखेत–धारचूला मार्ग पर द्वारहाट अल्मोड़ा में खेत संख्या 3456 पर अवैध निर्माण के संबंध में जिलाधिकारी अल्मोड़ा की आख्या पत्र संख्या 3601/चौबीस–2 (दि०)/92-93 दिनांक 16-6-93 द्वारा शासन को प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध निर्माण हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर ली गयी ? यदि नहीं, तो उक्त कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-ग्रहादि बेदखली अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु विहित प्राधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया गया है ।

जनपद देवरिया के कसया से बरवा देसही मार्ग को शीघ्र बनवाये जाने की मांग

99–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र कसया के अन्तर्गत कि० मी० 28 से बरवा देसही मार्ग सन् 1980-81 से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का अब तक निर्माण न होने का क्या कारण है ? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र कसया में कि० मी०–28 से बरवा देसही मार्ग के नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है । वास्तव में देवरिया कसया मार्ग के कि०मी०–24 से देसही देवरिया नाम से एक मार्ग शासनादेश दिनांक 14-4-1981 द्वारा स्वीकृत हुआ था जो बरवा देसही तक जाता है ।

प्रश्नगत मार्ग पर 7.605 कि० मी० में मिट्टी का कार्य तथा 3.4 कि० मी० की लम्बाई में लेपन का कार्य कराया जा चुका है। भूमि विवाद होने के कारण वर्तमान में कार्य अवरुद्ध है।

भूमि विवाद समाप्त होने तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने के उपरान्त ही अवशेष निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कुल सचिव अवध विश्वविद्यालय द्वारा राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय ढिढुई प्रतापगढ़ को प्रेषित पत्र के निदेशों का पालन न करने पर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही

100–श्री तेज भान सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुल सचिव अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद ने दि० 29-12-88 को पत्रांक अ० वि०/सम्प/6938/1988-89 प्रबन्धक डा० राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय, ढिढुई, प्रतापगढ़ को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या निदेश दिये गये थे ? क्या दिये गये निदेशों का पालन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निदेशों का अनुपालन न करने हेतु दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

1–संबंधित अध्यापकों को धरना अवधि एवं देय अवकाश में परिवर्तित कर वेतन का भुगतान कराया जाय।

2–जीवन बीमा की किस्त समय से न जमा होने के कारण ब्याज की धनराशि संबंधित अध्यापकों को दिया जाय।

3–हास्टल फण्ड से किया गया ब्याज की रिकवरी संबंधित अध्यापकों के वेतन से किया जाय।

4–यह आदान प्रदान दिनांक 15 फरवरी, 1989 तक किया जाये।

जी हां।

धरना अवधि का वेतन	31-8-93
भुगतान–	व 28-2-94
अवकाश अवशेष	28-2-94
भुगतान–	
जीवन बीमा की राशि–	15-2-89
तथा रिकवरी	24-1-89
कर्मचारियों के	को छात्रा–
वेतन से करके–	वास फण्ड
	में जमा किया
	गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में देवता गधेरा तथा मरचूला पुल की पथकर वसूली हेतु दिये गये अवैध ठेके से संबंधित अधिकारी को दण्डित किये जाने की मांग

101–श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलों पर पथकर वसूलने हेतु प्राइवेट निगोशियेशन के आधार पर पुलों का ठेका देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या दि० 31 अगस्त, 1987 को लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई शासनादेश इस आशय का निर्गत हुआ था, जिसके द्वारा प्राइवेट निगोशियेशन के आधार पर पट्टे न दिये जाने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो क्या जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में देवता गधेरा तथा मरचूला पुल का ठेका 1992 में तीन वर्ष हेतु पथकर वसूली हेतु प्राइवेट निगोशियेशन के आधार पर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?क्या उक्त शासनादेश के आधार पर ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के अनुसार, उक्त ठेका सही रूप से दिया गया है ? यदि नहीं, तो ठेका प्राइवेट निगोशियेशन पर देने का औचित्य क्या था ? उक्त नियम विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के बारे में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? क्या संदर्भित पुल के ठेके गलत ढंग से देने के संबंध में किसी अधिकारी पर उसका उत्तरदायित्व डालेंगे तथा उसे दंडित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर महापालिका तथा राजकीय शिक्षकों की भांति बेसिक शिक्षा परिषद् के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को पेंशन में वार्षिक वृद्धि दिये जाने की मांग

102–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अवकाश प्राप्त प्राथमिक शिक्षकों को पेंशन में वार्षिक वृद्धि क्यों नहीं की जाती है ? क्या वेतन में एक ही नियम लागू होता है ? क्या यह भी सही है कि नगर महापालिका के शिक्षक एवं राजकीय शिक्षकों को यह सुविधा प्राप्त है ?

डा० मसूद अहमद–

पेंशन नियमों में पेंशन पर वार्षिक वृद्धि देने की व्यवस्था नहीं है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज प्रतापगढ़ की अवकाश प्राप्त अध्यापिकाओं को पेंशन स्वीकृत किये जाने की मांग

103–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टरमीडियेट कालेज, प्रतापगढ़ की कई ऐसी अध्यापिकायें हैं जिन्हें सेवा निवृत्त हुए लगभग दो वर्ष हो गये हैं, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिली है ? क्या यह सही है कि शासनादेश के अनुसार उन्हें छः माह के अन्दर पेंशन की प्रथम किश्त का भुगतान हो जाना चाहिये था ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बदायूं के कतिपय नगर क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

104–श्री बनवारी सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं अन्तर्गत नगर क्षेत्र ककराला उसेहत उसावा, अलापुर, सखानु में शिक्षा ग्रहण करने हेतु किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव शासन का है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्रों में विद्यालय न होने के वजह से छात्रों की पढ़ाई नहीं होती है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां । जनपद बदायूं अन्तर्गत नगर क्षेत्र ककराला, रमजानपुर, उघेती रसौली में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं में ग्राम सादातपुर नाचनी में प्राइमरी पाठशाला भवन के शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग

105–श्री राम करन आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सादातपुर नाचनी विकास खण्ड व परगना इस्लामनगर जनपद बदायूं में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण कार्य किया जा रहा था ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य क्यों रोक दिया गया है ? क्या अब उक्त निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

शिकायत प्राप्त होने पर जिला विकास अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य जांच पूर्ण होने तक रोक दिया गया है ।

जी हां । जांच पूर्ण होने के पश्चात् यथास्थिति निर्माण कार्य किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा में द्वारहाट स्थित मोटर मार्ग के मध्य निर्धारित दूरी से कम दूरी पर श्री बच्ची लाल चौधरी द्वारा कराये गये अवैध निर्माण के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

106–श्री समर पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि द्वारहाट जिला अल्मोड़ा में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण वि० के रानीखेत के पत्रांक 2246/22 सी दिनांक 25-8-88 द्वारा बच्ची लाल चौधरी के मोटर मार्ग के मध्य से 6 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण की अनुमति दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री बच्ची लाल चौधरी ने इसका उल्लंघन करते हुए मार्ग से 4 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण करा लिया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

श्री बच्ची लाल चौधरी द्वारा मार्ग के मध्य बिन्दु से एक किनारे पर 3.45 मीटर की दूरी पर व दूसरे किनारे पर 6.0 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण किया गया है ।

उक्त अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-ग्रहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों) को बेदखली अधिनियम 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत मामला विहित प्राधिकारी के न्यायालय में दायर कर दिया गया ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर खीरी को वर्ष 93-94 में विभिन्न कार्यों हेतु दिये गये धन के व्यय की जानकारी

107–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर (खीरी) द्वारा वर्ष 93-94 में कुल कितने रुपये सौन्दर्यीकरण/मशीन मरम्मत/विद्युत वायरिंग/नाली एवं अन्य मरम्मत संबंधी कार्यों पर खर्च किये गये हैं ? क्या सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दि किसान सहकारी चीनी मिल ने वर्ष 1993-94 में सौन्दर्यीकरण हेतु रु० 0.01 लाख, मशीन मरम्मत हेतु रु० 136.80 लाख विद्युत वायरिंग हेतु शून्य, नाली एवं अन्य मरम्मत हेतु रु० 12.35 लाख (जिसमें गोदाम की तारफेक्टिंग रु० 10.02 लाख भी सम्मिलित है । लगभग व्यय किये गये हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औराई चीनी मिल द्वारा कनेली और उद्दीन गन्ना क्रय केन्द्रों पर ठेकेदारों द्वारा गन्ना क्रय किये जाने की जांच

108–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि औराई चीनी मिल ने कनेली और उद्दीन गन्ना क्रय केन्द्र खोला था ? यदि हां, तो कब तक इन केन्द्रों पर तौल लिपिक थे ? यदि हां, तो कौन ? यदि नहीं, तो क्या ठेकेदार इन केन्द्रों से गन्ना लेता था ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कनेली केन्द्र दिनांक 17-12-1993 को एवं उद्दीन केन्द्र 12-12-1993 को खोला गया था ।

जी हां ।

उक्त क्रय केन्द्रों पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार चीनी मिल के लिपिक तैनात किये गये थे :–

क्र० सं०	क्रय केन्द्र का नाम	नियुक्त लिपिक का नाम
1	कनेली	1–श्री अशोक कुमार सिंह ।
		2–श्री शम्भू नाथ मौर्य ।
		3–श्री जयशंकर सिंह ।
2	उद्दीन	1–श्री अमृत लाल गुप्ता ।
		2–श्री सुरेन्द्र सिंह ।
		3–श्री केदार ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भदोही में कालीन तकनीक संस्थान की बिल्डिंग का निर्माण

109–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही में कालीन तकनीक संस्थान की बिल्डिंग का निर्माण, निर्माण निगम करा रही है ? यदि हां, तो वह कितने दिन से बना रही है तथा कब तक वह बन जायेगा ? क्या अनुमानित लागत प्रथम भाग एक करोड़ 12 लाख था किन्तु दो करोड़ 50 लाख लग चुका और अभी काम अधूरा है ? इसके बनवाने में किस स्तर पर अधिकारी लगे हैं तथा क्या सरकार बिल्डिंग की गुणवत्ता की जांच करायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

दिनांक 23-11-87 से ।

निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी ।

बिल्डिंग की गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुरूप है ।

उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित प्रयोगात्मक तथा लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किये जाने की मांग

110–श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 1993 में उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा में उन परीक्षार्थियों को जिन्होंने प्रयोगात्मक व लिखित परीक्षा को मिलाकर 33 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं किन्तु लिखित परीक्षा में निर्धारित पासिंग अंक 33 प्रतिशत प्राप्त न करने के आधार पर अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं माह नवम्बर, 1993 से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश द्वारा लगभग 5 परीक्षार्थियों को जिन्होंने लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा को मिलाकर 33 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों, को उत्तीर्ण मानते हुए दूसरे विषय में नियमानुसार कृपांक देकर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसी प्रकार के अन्य परीक्षार्थियों को भी उत्तीर्ण घोषित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में हाईस्कूल के 29 तथा इण्टरमीडियेट के 27 ऐसे परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है जिन्होंने वर्ष 1993 की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये परन्तु प्रयोगात्मक एवं लिखित परीक्षा को मिलाकर 33 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बने परिषद् नियम संग्रह में ऐसे विषयों में जिनमें लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षायें सम्पादित की जाती है लिखित तथा प्रयोगात्मक विषयों में अलग-अलग न्यूनतम निर्धारित उतीर्ण अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ;

लोक निर्माण विभाग देवरिया में कार्यरत सुयोग्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समायोजित करने की मांग

111–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग देवरिया में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हाई स्कूल, इण्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्रियां प्राप्त कर मेट बेलदार एवं चतुर्थ

श्रेणी के पदों पर सेवा करके अपनी जीविका चला रहे हैं ? क्या सरकार उनकी योग्यतानुसार उन्हें विभाग में समायोजित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

लोक निर्माण विभाग, देवरिया में कुल 47 दैनिक वेतनभोगी मेट एवं बेलदार ऐसे हैं, जो हाईस्कूल, इण्टर एवं स्नातक की योग्यता रखते हैं ।

जी नहीं । दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर समायोजन का कोई प्राविधान नहीं है ।

भारत इण्टर कालेज छपार मुजफ्फरनगर में छात्र/छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिलाये जाने की मांग

112–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जय भारत इण्टर कालेज छपार जनपद मुजफ्फरनगर प्रबन्ध समिति द्वारा अपने अचल सम्पत्ति बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये सुमित्रा देवी महिला उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के नाम पर दिया है ? यदि हां, तो क्या सुमित्रा देवी महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उक्त स्थल पर चल रहा है ? क्या उसने मान्यता प्राप्त कर ली है ? यदि नहीं, तो छात्र-छात्राओं से प्रतिमाह अवैध धन की वसूली क्यों की जाती है ? क्या उक्त में सह-शिक्षा (छात्र-छात्राओं) को कक्षा 10 तक प्रवेश बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कुछ को प्रवेश क्यों दिया गया ? क्या पढ़ने को उत्सुक गरीब अनुसूचित जाति जनजाति एवं सामान्य जाति के छात्रों को शासन प्रवेश दिलाये जाने के लिये प्रधानाचार्य/प्रबन्ध समिति को निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रीमियर सेल्स कारपोरेशन लखनऊ द्वारा जून–93 से अब तक अदा किये गये बिक्रीकर की धनराशि की जानकारी

113–श्री तेजभान सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहनजफ रोड स्थित प्रीमियर कार सेल्स लखनऊ से स्कूटर बिक्री में बिक्री कर प्राप्त होता है ? यदि हां, तो जून, 93 के बाद अब तक कितना बिक्री कर इनके द्वारा अदा किया गया है ? उक्त अवधि में कितने स्कूटर बेचे गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस व्यापारी द्वारा सितम्बर, 1993 से स्कूटर का व्यापार प्रारम्भ किया गया है । सितम्बर, 1993 से फरवरी, 1994 तक की बिक्री पर रु० 4,86,074=00 बिक्रीकर अदा किया गया है । उक्त व्यापारी द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार सितम्बर, 1993 से फरवरी, 1994 तक 386 स्कूटर बेचे गये हैं ।

सरकारी चीनी मिलों में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयत्र स्थापना हेतु निविदा स्वीकार फर्मों की पूर्ण जानकारी

114–श्री रिजवान जहीर खां–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि सरकारी चीनी मिलों में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित करने हेतु जो प्रस्ताव निविदा के रूप में दिनांक 15-9-93 को आमंत्रित किये गये थे, उनके आधार पर कुछ ऐसी फर्मों को उक्त महत्वपूर्ण संयंत्र स्थापित करने हेतु आदेश दिये गये हैं जो पूर्णतया अनुभवहीन है और अनुभवी फर्मों की अवहेलना की गयी है ? संदर्भित निविदा हेतु कौन सी शर्तें निर्धारित की गयी थी ? किन-किन फर्मों की निविदायें स्वीकार की गयी ? उक्त फर्मों की योग्यता क्या थी एवं योग्यता व अनुभव के आधार पर उन फर्मों को क्रमशः कितने संयंत्रों के आदेश दिये गये हैं ? क्या उक्त प्रकरण की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में ब्लाक मुख्यालय से जिगनाही पूरावली तक के मार्ग का निर्माण शीघ्र पूरा कराये जाने की मांग

115–श्री मित्रसेन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में ब्लाक मुख्यालय से जिगनाही पूरावली तक मार्ग बनाये जाने की योजना सन् 1990 में प्रस्तावित हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग को पूरा कराये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता को पत्र सं०–552/84-05 नि० 88 दिनांक 23-3-90 के क्रम में पूरा स्टीमेट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग हेतु प्रस्तावित धनराशि कब तक उपलब्ध हो जायेगी ? उक्त निर्माण कार्य वहां कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

मार्ग अभी स्वीकृत नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1989 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं की प्रशिक्षण अवधि को सेवाकाल में जोड़े जाने की मांग

116–श्री माया शंकर पाठक–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 1989 में 23 उप बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं का चयन लोग सेवा आयोग, उ० प्र० द्वारा किया गया था, जिन्हें 11 दिसम्बर, 1989 से 8 जून, 1990 तक प्रशिक्षण में रखा गया था ? क्या यह सही है कि इस अवधि का वेतन उन्हें अभी तक नहीं दिया गया और न ही उनके सेवाकाल में इस अवधि को जोड़ा गया है ? क्या यह भी सत्य है कि उनकी सेवा

पंजिका भी इसी वजह से अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक सेवा पंजिका पूर्ण होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां, किन्तु 23 में से केवल 21 ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर जनपद में प्रत्येक ग्राम सभा में एक-एक प्राइमरी स्कूल खोले जाने की मांग

117–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में कितनी ग्राम सभाओं में बेसिक प्राइमरी स्कूल नहीं है ? क्या यह भी बतायेंगे कि बिना प्राइमरी विद्यालय वाली ग्राम सभायें जिले की कुल ग्राम सभाओं का कितना प्रतिशत हैं ? सरकार इन ग्राम सभाओं में कब तक प्राइमरी विद्यालय खोलने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

262 ग्राम सभाओं में ।

25.3 प्रतिशत सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक ग्राम सभा में तीन वर्षों में प्राइमरी विद्यालय खोल दिया जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर की प्रत्येक न्याय पंचायत में एक–एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

118–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की कितनी न्याय पंचायतों में पूर्व माध्यमिक विद्यालय (सीनियर बेसिक स्कूल) नहीं है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त न्याय पंचायतें जिले की पूरी न्याय पंचायतों का कितना प्रतिशत है ? सरकार सभी न्याय पंचायतों में कब तक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

12 न्याय पंचायतों में पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं है ।

9.09 प्रतिशत ।

सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक न्याय पंचायत में तीन वर्षों में जूनियर हाईस्कूल खोल दिया जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में अथवा उसकी किसी तहसील मुख्यालय में कृषि इण्टरमीडियेट कालेज की स्थापना की मांग

119–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि फतेहपुर जिला कृषि प्रधान होने के बाद भी फतेहपुर जिला केन्द्र में या किसी तहसील केन्द्र में कोई इण्टरमीडियेट कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला केन्द्र या तहसील केन्द्र पर कोई कृषि इण्टरमीडियेट कालेज या किसी इण्टरमीडियेट कालेज में कृषि शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई योजना/प्राविधान नहीं है ।

शासन द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में अर्ह होने की छूट प्रदान किये जाने के आधार की जानकारी

120–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जुलाई, 1993 को शासन द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये कोई छूट प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? उक्त सुविधा आगे कब तक जारी रहेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश ।

उक्त सुविधा मात्र 31 दिसम्बर, 1993 तक शोध उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को पात्रता प्रदान करती है ।

जे० बी० इण्टर कालेज, गड़वार, बलिया में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाणित न किये जाने के कारणों की जानकारी

121–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे० बी० इण्टर कालेज, गड़वार, बलिया में प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची क्या है ? क्या कालेज की प्रबन्ध समिति ने 29-6-93 को एक प्रस्ताव द्वारा एक वरिष्ठ प्रवक्ता को कार्यवाहक प्राचार्य पद पर नियुक्त किया है ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया ने अभी तक कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर को प्रमाणित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी पर कादीपुर घाट पर पुल बनवाये जाने की मांग

122–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के सई नदी पर कादीपुर घाट पर पुल निर्माण की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कथित पुल अभी स्वीकृत नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ में बाबा बलेखरनाथ धाम व माता बाराही देवी के मंदिर के सौन्दर्यीकरण की मांग

123–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध बाबा बलेखरनाथ व प्रसिद्ध माता बाराही देवी के मंदिर के सौन्दर्यीकरण की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है और कब तक पूर्ण होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । जिला अनुश्रवण समिति से औपचारिक प्रस्ताव पारित होने से पूर्व कोई कारण दिया जाना अपरिपक्व होगा ।

गाजियाबाद में मोहन नगर से डाबर के तिराहे तक जाने वाली लिंक रोड पर बने फ्लाई ओवर को चौड़ा करने की मांग

124–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद में मोहन नगर से डाबर के तिराहे तक जाने वाली लिंक रोड पर मोहन मीकिन्स के पीछे रेलवे लाइन पर बने फ्लाई ओवर को चौड़ा करने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ? क्या वहां होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार शीघ्र कोई योजना तैयार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । केवल पहुंच मार्ग चौड़ा करने की योजना स्वीकृत है, रेलवे [illegible] ऊपर उपरिगामी सेतु चौड़ा करने की स्वीकृति नहीं है ।

कार्य का शुरू होना स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

पहुंच मार्ग की योजना स्वीकृत है । उपरिगामी सेतु का कार्य रेलवे विभाग की सहमति पर निर्भर है।

गाजियाबाद में अल्प बचत योजना में लक्ष्य से कम धनराशि जमा होने के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

125–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद में गत वर्ष अल्प बचत योजना का कितना लक्ष्य निर्धारित था ? उस लक्ष्य के विरुद्ध कितना धन अल्प बचत में जमा किया गया ? क्या लक्ष्य को पूरा न करने में सरकार अल्प बचत अधिकारी को उत्तरदायी मानती है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गत वर्ष 1992-93 में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद का लक्ष्य रु० 3600 लाख निर्धारित किया गया था, जिसके विपरीत रु० 1415.17 लाख की उपलब्धि हुई थी ।

जनपद का लक्ष्य पूरा करने में जिला बचत अधिकारी, जिलाधिकारी तथा जिला व मण्डल के अन्य विभागों के अधिकारी सभी का योगदान होता है । योजना की उपलब्धि बाजार में प्रचलित राष्ट्रीय बचत के अतिरिक्त पूंजी निवेश की अन्य योजनाओं से भी प्रभावित होती है । इसलिये लक्ष्य पूरा न होने का समस्त उत्तरदायित्व जिला बचत अधिकारी पर नहीं होता । अतएव जिला बचत अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना विचाराधीन नहीं है ।

बी० एड० के छात्राध्यापक द्वारा कुलपति, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

126–श्री तेजभान सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुलपति अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद को सम्बोधित बी० एड० के छात्राध्यापक, डा० राजेश्वर सेवाश्रम ढिंढुई जनपद प्रतापगढ़ का पत्र दिनांक 15 मई, 1992 पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें बिन्दुवार शिकायतें क्या थीं ? क्या शिकायतों से प्रथम दृष्टया घोर भ्रष्टाचार प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच करवाई गयी है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा है ? यदि जांच नहीं हुई, तो इसमें क्या कारण हैं तथा इसके लिये दोषी कौन-कौन हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राचार्य द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने, बी० एड० विभाग में हस्तक्षेप तथा छात्रों से अवैध धन वसूली ।

जी हां ।

कुलपति, अवध विश्वविद्यालय द्वारा एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है।

जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लघु विश्वविद्यालय रायपुर, थैलिया, जि० बहराइच को अश्रेणी तथा तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटेरा को हाईस्कूल की मान्यता दिये जाने की मांग

127–श्री दिलीप कुमार वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 25-1-94 का प्रीति कुमार मा० लघु विद्यालय, रायपुर थैलिया, जिला बहराइच को अश्रेणी की मान्यता दिये जाने विषयक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दिनांक 11-1-94 को प्रश्नकर्ता का पत्र, तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटेरा, बहराइच को हाई स्कूल की मान्यता दिये जाने संबंध भी उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त दोनों विद्यालयों के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही कराते हुए क्या विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

प्रश्न में संदर्भित दोनों पत्रों में से केवल दिनांक 11-1-94 का पत्र ही प्राप्त हुआ है।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-1-94 के संदर्भ में तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मटेरा, बहराइच को हाई स्कूल की मान्यता दिये जाने के संबंध में विद्यालय की प्रशासन योजना अनुमोदित होने तथा निर्माणाधीन कमरों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही मान्यता संबंधी अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य पद पर चयनित श्री राकेश कुमार पाण्डेय को वर्ष 1989 से अब तक कार्यभार ग्रहण कराने तथा अवशेष वेतन दिये जाने की मांग

128–श्री धू राम चौधरी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राकेश कुमार पाण्डेय का चयन उ० प्र० उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य के पद पर डी०वी० एस० (पी० जी०) कालेज देहरादून के लिये 15 जून, 1989 में हुआ था ? यदि हां, तो क्या उन्हें कार्य भार ग्रहण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या 15 जून, 1989 से आज तक अवशेष वेतन दिलाने के संबंध में कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उन्हें अवशेष वेतन दिला दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रबन्धतंत्र ने कार्यभार ग्रहण नहीं कराया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र में एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

129–श्री शिवदानी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र में एक भी राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहीं है, जिससे शिक्षा के अभाव में छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार चायल क्षेत्र में एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां । किन्तु चायल क्षेत्र में ही संचालित अशासकीय इण्टर कालेजों में छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीधे राजकीय इण्टर कालेज खोलने की योजना संचालित नहीं है ।

राजकीय इण्टर कालेज, रुद्रपुर, जिला नैनीताल के सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य श्री प्रद्युम्न कुमार जैन की पेंशन के निर्धारण की मांग

130–श्री तिलक राज बेहड़–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में राजकीय इण्टर कॉलेज, रुद्रपुर के सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य डा० प्रद्युम्न कुमार जैन जो कि गत सात वर्षों से सेवा निवृत्त हैं जिनका पेंशन पट्टा न० ई० पी० 157 और ग्रेच्युटी पुनर्निर्धारण प्रकरण आज तक शिक्षा विभाग में लम्बित पड़ा है, जबकि डा० जैन के विरुद्ध शिकायती जांच के अधीन कोई भी आरोप पत्र उन्हें नहीं दिया गया है ? क्या डा० जैन को पेंशन देकर उनको मानसिक प्रताड़ना से बचाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां । जुलाई, 1993 से श्री पी० के० जैन के ग्रेच्युटी के पुनरीक्षण का प्रकरण विचाराधीन है । श्री जैन का पेंशन प्रकरण निस्तारित हो चुका है ।

श्री जैन के विरुद्ध गबन का आरोप होने के कारण उनके विरुद्ध जांच की कार्यवाही चल रही है ।

अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण होने पर पेंशन पुनरीक्षण हेतु विचार किया जाना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा स्थित बाबागंज भारतगंज चौराहा साहबगंज छिकौनी की पेन्टेड रोड को पूरा कराये जाने की मांग

131–श्री तुलसी दास रायचन्दानी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद्, बलरामपुर, जिला गोण्डा के अन्तर्गत बाबा गंज भारत गंज चौराहा साहब छिकौनी पर पेन्टेड रोड (दो किलोमीटर) का निर्माण गन्ना आयुक्त द्वारा 14-7-93 को प्रारम्भ कराया गया है ? यदि हां, तो क्या वहां पर ठेकेदार ने काम प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो किन अपरिहार्य कारणों से उक्त कार्य रोक दिया गया है ? क्या मंत्री जी जनहित में उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य पूरा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित भी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी एवं फैजाबाद रेंज के अधि०/कर्म० को वेतन भुगतान न किये जाने हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

132-श्री तुलसी दास रायचन्दानी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी एवं फैजाबाद रेंज के तकनीकी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कई माह से वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या यह भी बतायेंगे कि इसके लिये दोषी अधिकारी कौन-कौन हैं ? क्या सरकार वेतन भुगतान न देने हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गन्ना विकास विभाग के प्रश्नगत अधिकारी/कर्मचारी अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत कार्यरत हैं और अंतर्ग्रामीण योजना के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का व्यय सेन्टेज चार्जेज के अन्तर्गत होने वाली धनराशि से वहन किया जाता है । वर्ष 93-94 में सेन्टेज चार्जेज मद में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ । अवशेष वेतन हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था कर दी गयी है ।

उपर्युक्तानुसार कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले में विश्व बैंक योजना के कार्यान्वयन हेतु नियुक्त अधिकारी के संबंध में जानकारी

133–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में विश्व बैंक योजना के कार्यान्वयन के लिये किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो उनका नाम क्या है ? उनकी नियुक्ति कब हुई है ? उन्होंने अभी तक कार्य क्यों नहीं शुरू किया है ? यदि नियुक्ति नहीं की गयी है, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

श्री शीतला प्रसाद मिश्र ।

शासनादेश दिनांक 23-12-93 द्वारा ।

कार्यभार ग्रहण करने हेतु उन्हें निर्देशित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी स्थित शारदा नदी के पचपेड़ी घाट के पुल को शीघ्र बनाये जाने की मांग

134–श्री निरवेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी की तहसील निघासन स्थित शारदा नदी के पचपेड़ी घाट के पुल को बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र पंचायती राज मंत्री द्वारा अपने पत्र संख्या 36/वी० आई० पी०/94, दिनांक 25-1-94 द्वारा प्रेषित उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत पुल के निर्माण संबंधी प्रश्नकर्ता का एक पत्र पंचायती राज मंत्री के पत्रांक 38/वी० आई० पी०, दिनांकित 25-1-94 प्राप्त हुआ था ।

इस परियोजना पर रु० 30.00 करोड़ की लागत आंकी गयी है ।

पुल स्वीकृत नहीं है ।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ० प्र० को अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भूमि उपयोग हेतु शासन द्वारा दी गयी धनराशि के संबंध में जानकारी

135–श्री फौजदार प्रसाद तथा श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर उत्तर प्रदेश (विज्ञान एवं प्रौद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश) में वहां के तत्कालीन निदेशक द्वारा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के भूमि उपयोग के संबंध में आने वाले व्यय हेतु कोई धनराशि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दी गयी थी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर को उपलब्ध कराई गयी ? यदि नहीं, तो प्रायोजना में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति क्या उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये अनुदान में से बगैर शासन के अनुमति के व्यय की गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले में तत्कालीन निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर उत्तर प्रदेश के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी अथवा नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ० प्र० के लिये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भूमि के उपयोग हेतु कोई धनराशि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नहीं दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश को दिये गये आरोप पत्र में इस संबंध में अनधिकृत व्यय किये जाने का भी आरोप लगाया गया है ।

हां ।

रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर उ० प्र० के निदेशक द्वारा वेतन की धनराशि का अनुचित उपयोग करने के आरोप में दण्ड देने की मांग

136–श्री फौजदार प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर उत्तर प्रदेश (विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन) के तत्कालीन निदेशक श्री रविशंकर चतुर्वेदी द्वारा संस्था में वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत पदों से कम होने के बावजूद भी शासन से सम्पूर्ण पदों के वेतन की धनराशि लगातार कई वर्षों तक राजकीय कोष से आहरित की गयी और प्रति वर्ष सम्पूर्ण धनराशि का झूठा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त के संबंध में श्री चतुर्वेदी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री रविशंकर चतुर्वेदी, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर लखनऊ में निदेशक के पद पर अब भी कार्यरत हैं और उनके विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगे थे ।

जी हां । उन्हें निलम्बित किया गया था, आरोप-पत्र दिया गया था तथा उनके विरुद्ध सतर्कता जांच भी करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई शाहगंज, जिला जौनपुर में नियुक्त व्यक्तियों के आरक्षण आदि के संबंध में जानकारी

137–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई शाहगंज जिला जौनपुर में पिछले दो महीनों में 189 व्यक्तियों की नियुक्ति हुयी है ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है एवं कितने अनुसूचित जाति,जनजाति पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की नियुक्ति की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर के निलम्बन एवं बहाली के पश्चात् प्रबन्ध कारिणी समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी

138–श्री राजेन्द्र कुमार तथा श्री ओम प्रकाश पासवान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ० प्र०) श्री रविशंकर चतुर्वेदी को केन्द्र में की गयी अति गंभीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के मामलों में आपने अपने पूर्व मुख्य मंत्रित्व काल में 14 फरवरी, 91 को निलम्बित किया था ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन केन्द्र के सभापति द्वारा श्री चतुर्वेदी

को दि० 17 जुलाई, 93 को बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या श्री चतुर्वेदी को दोष मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कृपया उक्त प्रकरण पर दि० 3-5-93 एवं दि० 20-12-93 को संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा आहूत की गयी बैठकों में क्या कुछ निर्णय लिये गये ? यदि हां, तो उन्हें क्या अमल में लाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उपर्युक्त निलम्बन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही पहले स्थगित एवं बाद में निरस्त कर दिया गया था । श्री चतुर्वेदी से कार्य नहीं लिया जा रहा था और न उन्हें निदेशक पद का प्रभार ही दिया गया था यद्यपि वेतन का भुगतान किया जा रहा था । दिनांक 17-7-93 के आदेश द्वारा उन्हें वस्तुतः निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण करके कार्य करने को कहा गया था ।

अभी इस प्रकरण पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 3-5-93 वाली बैठक की कार्यवाही सभापति द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी तथा दिनांक 20-12-93 वाली बैठक की कार्यवाही पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

मिर्जापुर जनपद के परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 91-92 में धन के दुरुपयोग से संबंधित जांच के परिणाम की जानकारी

139–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद के लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा 91-92 में 47 लाख विभिन्न कार्य के लिये दिये गये धन का बिल बिना निविदा डाले वर्क आर्डर पर कार्य कराया गया ? क्या तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई गोपनीय जांच 1992 में हुई थी ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ कोई जांच हुई ? यदि हां, तो उसमें क्या अनियमिततायें पाई गयीं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस विषय में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसकी जांच के आदेश दिये गये हैं ।

दिसम्बर, 1992 में जांच के आदेश दिये गये ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही अपेक्षित है ।

जांच आख्या शासन को अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

विश्वनाथ जूनियर हाई स्कूल जनपद शाहजहांपुर को हाई स्कूल कक्षाओं की मान्यता दिए जाने की मांग

140–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वनाथ जू० हाई स्कूल जनपद शाहजहांपुर की हाई स्कूल कक्षाओं की मान्यता का कोई प्रार्थना-पत्र उनके पास या अधीनस्थ कार्यालय में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक मान्यता न दिये जाने का क्या कारण है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

संबंधित पत्र शासन को प्राप्त हुआ था ।

शासन द्वारा हाई स्कूल साहित्यिक वर्ग की नवीन मान्यता विद्यालय द्वारा कमियों की पूर्ति किये जाने के प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित की गई है । विद्यालय द्वारा वांछित कमियों की पूर्ति किये जाने के उपरान्त ही माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता पत्र निर्गत किया जायगा ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में नोटरी के रिक्त पद पर श्री श्याम लाल सागर को नियुक्त करने की मांग

141–श्री मित्रसेन यादव–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में रिक्त नोटरी पद भरने के लिये शासन ने संख्या डी–251 (III)/ सात न्याय 3-28/92 दिनांक 13 मई, 92 को अनु० जाति के वकीलों को नोटरी पद पर नियुक्त करने हेतु जिला जज शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद से श्याम लाल सागर एडवोकेट अनु० जाति का नाम समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपनी संस्तुति सहित न्याय विभाग उ० प्र० शासन लखनऊ को भेजा प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इतना समय गुजर जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त अनु० जा० वकील को नोटरी पद पर नियुक्त कराकर न्याय प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह भी सही है कि शासन ने जनपद शाहजहांपुर की केवल एक ही तहसील जलालाबाद में रिक्त नोटरी पद भरने के लिये अनु० जाति के नाम पुनः मांगे हैं ? यदि हां, तो पुनः नाम मांगने का क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, शासनादेश संख्या 251/दिनांक 13-5-92 द्वारा जिला जज शाहजहांपुर से तहसील-जलालाबाद में नोटरी के रिक्त पद हेतु प्रस्ताव/संस्तुति अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के नाम सहित मांगे गये थे जिसके संदर्भ में जिला जज ने केवल एक अभ्यर्थी श्री श्याम लाल सागर (अनु० जाति) का नाम नियुक्ति हेतु अपने पत्र दिनांक 6-3-93 द्वारा प्रेषित किया ।

जिला जज ने पत्र दिनांक 6-3-93 में श्री सागर के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों ने गंभीर आपत्तियां प्रस्तुत की थी जिनमें उनके विरुद्ध उ० प्र० राज्य सह० कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक जलालाबाद (शाहजहांपुर) को एक एन० ई० सी० (नान-इनकम्बरेंस सार्टिफिकेट) गलत दिये जाने के कारण जांच लम्बित होने का भी उल्लेख किया गया था जिससे उनकी सत्यनिष्ठा पर भी आक्षेप था अतः आपत्तियों के निराकरण

करने तथा श्री सागर के एडवोकेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, जो उन्होंने प्रेषित नहीं किया था, अन्य वांछित सूचनाओं सहित भेजने हेतु पत्राचार किया गया ।

शासकीय पत्र दिनांक 9-2-94 द्वारा जिला जज शाहजहांपुर को तहसील जलालाबाद हेतु पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया है । नया प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त होने पर नोटरीज एक्ट, 1952 व नोटरीज रूल्स, 1956 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी ।

नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त हो जाने के कारण नियमानुसार पुनः आवेदन-पत्र आमंत्रित करने हेतु जिला जज को निर्देशित किया गया है ।

जनपद गोरखपुर की तहसील धुरियापार की सहकारी चीनी मिल को शीघ्र चलाए जाने की मांग

142–डा० मोहसिन–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद गोरखपुर की धुरियापार सहकारी चीनी मिल जिसका तत्कालीन मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने शिलान्यास किया था और जिसे 18 महीने में चलाने का सरकार का वायदा था, पांच वर्ष बाद भी मिल चालू नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या मिल का काम शीघ्र पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मिल में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति का भी आदेश हुआ है ? यदि नहीं, तो 250 लोगों की नियुक्ति कैसे हुई है ? क्या उनमें से अधिकतर कर्मचारी मिल प्रबन्धक के रिश्तेदार हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वित्तीय संस्थाओं से समय से ऋण प्राप्त न होने के कारण मशीनरी आपूर्तिकर्ता को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अग्रिम का भुगतान समय से नहीं किया गया ।

मशीनरी आपूर्तिकर्ता से संघ/शासन स्तर पर वार्ता कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु प्रयास किया जा रहा है । सत्र 94–95 में मिल का ट्रायल सम्भावित है ।

जी हां ।

कुल 281 व्यक्ति दैनिक वेतन पर रखे गये थे, परन्तु वर्तमान में केवल 52 कर्मचारी ही कार्यरत हैं ।

मिल के अभिलेखों में इसका प्रमाण नहीं है ।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 28 वें चतुर्थ एवं 32वें वृत्त के वित्तीय कार्यालयों में नियुक्त मेट, हेल्पर, बेलदार के सम्बन्ध में जानकारी

143–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय कार्यालयों (28वां वृत्त/चतुर्थ वृत्त/32वां वृत्त) के अन्तर्गत कितने मेट, हेल्पर बेलदार कार्यरत हैं ? उनकी तैनाती का मानक क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि हेल्पर. बेलदार, मेट के कितने पद वहां स्वीकृत हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रान्तीय खण्ड सहारनपुर के निरीक्षण भवन को आवंटित एवं व्यय की गई धनराशि के पूर्ण विवरण की जानकारी

144–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निरीक्षण भवन हेतु जो कि प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर के अन्तर्गत आता है ? वर्ष 91-92 से 93-94 के किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? आगणन के अनुसार कितना धन खर्च हुआ है ? क्या अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा निरीक्षण भवन पर खर्च से पूर्व चेकिंग की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निरीक्षण भवन हेतु क्रय/नीलाम की गयी सामग्री का वर्षवार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आवंटित धनराशि का विवरण अनुलग्नक–1 संलग्न है ।†

जी हां ।

वर्षवार क्रय/नीलाम की गई सामग्री की विवरण अनुलग्नक–2 व 3 संलग्न है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मृतक आश्रितों को प्रशिक्षित वेतनमान देने की मांग

145–श्री बेचन राम–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० के नियंत्रण के अधीन मृतक आश्रितों के लिये जारी किया गया शासनादेश संख्या 480/15-5-90-30-82 दिनांक 23 मार्च, 1990 लागू किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आदेश संख्या–1 में अंकित निम्न शिक्षा प्रशिक्षण (इण्टर बी० टी० सी०) प्राप्त अथवा उससे अधिक शिक्षा प्रशिक्षण (बी० ए०, एल० टी०, बी० एड०) प्राप्त अध्यापकों को प्रशिक्षित मानते हुये प्रशिक्षित वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आदेश संख्या–2 में अंकित अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति के 3-साल के अन्दर सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या तीन वर्ष तक की निरन्तर सेवा करने के उपरान्त उन्हें प्रशिक्षित मानते हुये प्रशिक्षित वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

23 मार्च, 1990 से ।

---

† छापी नहीं गई ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के लिए निर्धारित नियत वेतन दिया जा रहा है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिषदीय अध्यापक सेवा नियमावली के अनुसार अर्ह न होने के कारण ।

जी नहीं ।

प्रशिक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

निर्धारित अर्हता होने पर ही प्रशिक्षित वेतनमान देय होता है ।

146–श्री बेचन राम–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

राष्ट्रीय स्वास्थता कोर के शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को राज्य कर्मचारियों के अनुसार उपार्जित अवकाश और उससे जुड़ी सुविधायें प्रदान किये जाने की मांग

147–श्री बेचन राम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को राज्य कर्मचारी माना जाता है ? यदि हां, तो क्या उन्हें अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति उपार्जित अवकाश और उससे जुड़ी हुयी सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें किस संवर्ग में रखा गया है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिद्वार स्थित संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों को शीघ्र वेतन भुगतान किए जाने की मांग

148–आचार्य जगदीश मुनि–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरिद्वार स्थित संस्कृत विद्यालयों में सेवारत संस्कृत शिक्षकों को लगभग 6 माह से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो उक्त शिक्षकों को वेतन का भुगतान किन कारणों से नहीं हो सका है ? क्या उक्त शिक्षकों को वेतन का भुगतान करवाया जायेगा ? नियमित रूप से वेतन का भुगतान सुनिश्चित करवाये जाने हेतु क्या मंत्री जी यथावश्यक व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत शिक्षकों को माह फरवरी, 1994 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है ।

उक्त शिक्षकों के वेतन हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्राविधानित धनराशि के विरुद्ध प्रथम त्रैमास की स्वीकृति अवमुक्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

149–श्री राधे श्याम गुप्त–

। स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

जनपद मुरादाबाद में अगरौला और मोहम्मदाबाद ग्राम के बीच बगद नदी पर पुल को बनवाने की मांग

150–श्री तुलाराम सैनी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद मुरादाबाद के ब्लाक गजरौला में अगरौला और मोहम्मदपुर ग्राम के बीच 2 लाख 93 हजार रुपये की लागत से बनने वाला बगद नदी का पुल पूरा बना है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पुल का शीघ्र निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उक्त स्थान पर लोक निर्माण विभाग का कोई पुल स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वीकृति के अभाव में ।

उ० प्र० शासन से सम्बद्ध लोक निर्माण विभाग में विभागाध्यक्ष एवं निगम के अन्य कर्मियों को मूल विभाग को वापस किए जाने की मांग

151–श्री हरी शंकर माहौर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में विभागाध्यक्ष एवं निगम के ऐसे कितने कर्मी कार्यरत है, जो विभाग के फरवरी 1990 के आदेश के विरुद्ध सम्बद्ध है ? क्या इनको अपने मूल विभाग में वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अपरिहार्य परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन विभागाध्यक्ष/निगम के कर्मचारियों को कार्यहित में सम्बद्ध कर लिया जाता है । ऐसा न करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

भूमि/भवन विक्रय करने हेतु विक्रय पत्र पर सर्किल रेट निर्धारण की जानकारी

152–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या भूमि/भवन विक्रय की स्थिति में विक्रय पत्र पर नियमानुसार स्टाम्प लगाए जाने की जांच रजिस्ट्री किए जाने के बाद अपर जिलाधिकारी (वित्त) द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो रजिस्ट्री किए जाने के बाद की जाने वाली जांच का क्षेत्र हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य अथवा रजिस्ट्री हेतु निर्धारित सर्किल रेट की किस सीमा के बाद प्रारम्भ होता है ? यदि हां, तो रजिस्ट्री किए जाने के बाद की जाने वाली जांच से सम्बन्धित उक्त सीमा अन्तिम बार कब निर्धारित की गई थी ? यदि हां, तो क्या रजिस्ट्री किए जाने के बाद की जाने वाली जांच से सम्बन्धित उक्त सीमा अन्तिम बार निर्धारित किए जाने के उपरान्त से रजिस्ट्री हेतु निर्धारित सर्किल रेट में हुए परिवर्तनों के परिपेक्ष में जांच से सम्बन्धित उक्त सीमा का पुनः निर्धारण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ऐसे रजिस्ट्रीकृत विलेख का जांच करते है जो उन्हें संदर्भित किया जाता है अथवा जिसे वे इस हेतु इंगित करते हैं ।

ऐसा कोई सीमा निर्धारित नहीं है । लेखपत्र की रजिस्ट्री के बाद हस्तान्तरित सम्पत्ति के बाजार मूल्य को निर्धारित कराने अथवा उस लेखपत्र में सम्पत्ति की उल्लिखित बाजार मूल्य की सत्यता का परीक्षण करने के लिए, जांच किये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तरित सम्पत्ति के बाजार मूल्य, को निर्धारित करने के लिए कलेक्टर द्वारा यू० पी० स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 340–क के अधीन निर्धारित द्विवार्षिक मूल्य, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि/भवन विक्रय की स्थिति में विक्रय पत्र पर नियमानुसार स्टाम्प से कम स्टाम्प लगाने हेतु दोषी अधि०/कर्म० के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

153–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या वित्त कृपया बतायेंगे कि भूमि/भवन विक्रय की स्थिति में रजिस्ट्री किए जाने के बाद की जाने वाली जांच में विक्रय पत्र पर नियमानुसार स्टाम्प में कमी पाए जाने पर उसी विक्रय पत्र की उक्त के

सम्बन्ध में रजिस्ट्री किए जाने से पूर्व जांच करने वाले रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो रजिस्ट्री किए जाने के उपरान्त की जाने वली जांच में नियमानुसार स्टाम्प की कमी पाये जाने पर उन्हीं विक्रय पत्रों की रजिस्ट्री किये जाने से पूर्व जांच करने वाले जनपद सहारनपुर के रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष 91-92 तथा 92-93 में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो रजिस्ट्री किए जाने के उपरान्त की जाने वाली जांच में नियमानुसार स्टाम्प में कमी पाए जाने पर उन्हीं विक्रय पत्रों की रजिस्ट्री किए जाने से पूर्व जांच करने वाले रजिस्ट्री विभाग के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश कब तक जारी किए जाएंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । लापरवाही एवं दुराचरण का दोषी पाये जाने पर लेखपत्र की रजिस्ट्री से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

वर्ष 1991-92 तथा 92-93 की अवधि में जनपद सहारनपुर में रजिस्ट्रीकृत विलेख के ऐसे मामले जिसमें वाद में कमी स्टाम्प शुल्क पाये गये हों, को इंगित किये जाने पर उस विशिष्ट विलेख अथवा विलेखों के रजिस्ट्रीकरण से संबधित रजिस्ट्रीकरण विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया जा सकता है ।

अलग से निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

शाहजहांपुर में डी० एम० कम्पाउन्ड टाइप–2 में आबंटित कर्मचारियों के निजी मकान शहर में होने की जानकारी

154–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में डी० एम० कम्पाउण्ड टाइप–2 आवासों में ऐसे कर्मचारियों के नाम आवंटन किया गया है जिनके मकान शाहजहांपुर शहर में बने हुए हैं और वह किराये पर हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

आवंटन करते समय आवंटियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर आवंटन आदेश दिये जाते हैं ।

शाहजहांपुर में डी० एम० कम्पाउण्ड में आवास आवंटन की सूची के सम्बन्ध में जानकारी

155–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या सरकार बतने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में सरकारी कर्मचारियों के लिए बने डी० एम० कम्पाउण्ड टाइप–2 आवसों को आवंटन करने हेतु कोई सूची बनी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी वांछित सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 223-224 पर)

जनपद चमोली गढ़वाल में राजकीय इण्टर कालेज कोट में अंग्रेजी, गणित व विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

156–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि रा० इ० कालेज, कोट (चमोली गढ़वाल) में नू 1985 से महत्वपूर्ण विषय अंग्रेजी, गणित व साइंस के अध्यापक नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार की ओर से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक अध्यापकों की पूर्ति वहीं पर होगी ?

डा० मसूद अहमद–

राजकीय इण्टर कालेज कोट नाम का कोई विद्यालय चमोली जनपद में नहीं है, अपितु इस नाम का एक विद्यालय जनपद–पौड़ी गढ़वाल में है, जिसमें जीव विज्ञान प्रवक्ता एवं एल० टी० वेतनक्रम के शिक्षकों के तीन पद (विज्ञान/गणित,जीव विज्ञान तथा सामान्य विषय) वर्तमान में रिक्त हैं।

प्रश्नगत रिक्तियों के विरुद्ध नियमित चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। चयन की कार्यवाही प्रगति में हैं। चयनित अध्यापकों के उपलब्ध होते ही प्रश्नगत रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जायेगी।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

157–श्री बची सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में भौतिक विज्ञान प्रवक्ता का पद विगत 7 वर्षों से लगातार रिक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्राओं के हित में इण्टर कालेज में भौतिक विज्ञान प्रवक्ता की नियुक्ति शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, रानीखेत, अल्मोड़ा में प्रवक्ता, भौतिक–विज्ञान का पद दिनांक 13-7-1990 से रिक्त है।

प्रवक्ताओं की नियुक्ति हेतु उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अप्रैल, 1992 में अधियाचन भेजा जा चुका है। आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर उक्त पद पर नियुक्ति की जायेगी।

मदरसा दारुल उलूम पीरबटावन बाराबंकी के प्रबन्धक को सहायक रजिस्ट्रर सोसाइटिंग फैजाबाद द्वारा बैलेन्स शीट की पंजीकृत सूचियां उपलब्ध कराए जाने की मांग

158–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे मदरसा दारुल उलूम पीरबटावन, बाराबंकी के प्रबन्धक के पत्र दिनांक 6-12-91 व दिनांक 27-1-94 द्वारा आवेदन करने पर सहायक रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, फैजाबाद ने वर्ष 1982-83 से वर्ष 1993-94 तक की प्रबन्ध समिति व बैलेंसशीट की पंजीकृत सूचियां उनको दे दी

हैं ? यदि नहीं, तो उक्त पंजीकृत सूचियां प्रबन्धक को कब तक दे देंगे ? क्या उपरोक्त अवधि की उक्त सूचियों को सदन के पटल पर भी रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि उक्त प्रबन्धक के पत्र दिनांक 17-12-93 पर रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 493(1) एस०टी०/93, दिनांक 20-12-93 द्वारा दिये गये आदेश का सहायक रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, फैजाबाद ने क्रियान्वयन किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मदरसा दारुल उलूम, पीर बटावन, बराबंकी नाम की कोई समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है । अतः प्रबंध समिति को वांछित सूची एवं बैलेन्सशीट की पंजीकृत सूचियां दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में जसमौर ग्राम में 3 कि० मी० तक के मार्ग को शीघ्र पूरा कराए जाने की मांग

159–श्रीमती रानी देव लता–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफराबाद विधान सभा क्षेत्र जिला सहारनपुर में जसमौर ग्राम में तीन कि० मी० मार्ग वित्तीय वर्ष 1993-94 में निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो यह निर्माण कार्य अभी तक पूरा न होने के क्या कारण हैं ? यदि निर्माण कार्य कराया जायेगा ? तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता के पश्चात कराया जा सकता है ।

160–श्री मंजूर अहमद–

[दि० 21-3-94 को अता० प्र० सं०–45 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरिद्वार में नए जिला मुख्यालय एवं न्यायालय जाने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण शीघ्र कराये जाने की मांग

161–आचार्य जगदीश मुनि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे हरिद्वार जनपद में नया जिला मुख्यालय एवं न्यायालय जहां बन रहे है वहां हरिद्वार नगर एवं नगर की ओर से सैकड़ों गांवों के लोगों के आने के लिये कोई मार्ग नहीं है ? क्या बीच में राजा जी पार्क तथा बी० एच० ई० एल० फैक्ट्री की भूमि पड़ती है ? क्या वे मार्ग निर्माण हेतु भूमि देने को तैयार नहीं हैं ? यदि हां, तो उक्त मार्ग निर्माण की समस्या के समाधान के लिये सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह कहना सही नहीं है कि हरिद्वार जनपद में बन रहे जिला मुख्यालय एवं न्यायालय तथा हरिद्वार नगर के बीच कोई मार्ग नहीं है ।

जी हां ।

जी हां ।

राजा जी पार्क तथा बी० एच० ई० एल० से भूमि न मिलने के कारण हरिद्वार नगर से जिला मुख्यालय एवं न्यायलय के बीच की मार्ग के समस्या के समाधान का प्रस्ताव है ।

प्रश्न हीं उठता ।

जनपद जौनपुर में खुज्झी मोड़ से महुधा गाजीपुर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराए जाने की मांग

162–श्री सतीश भाटिया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुज्झी मोड़ (डोभी) से महुधा–गाजीपुर मार्ग जनपद जौनपुर कब स्वीकृत किया गया था ? क्या उक्त मार्ग से लिंक मार्ग जो ग्राम कछबन्ध (पूर्व) से होकर जा रहा है ? बाग सं०–1991 सड़क मार्ग में पड़ रहा है ? उक्त बाग किसका है तथा किस जमीन पर है ? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग के निर्माण में बाग सं०–1991 के किनारे पश्चिम ओर पर ग्राम सभा की जमीन उपलब्ध करायी गयी थी, जिस पर श्री नरेन्द्र देव सिंह पुत्र स्व० जनार्दन सिंह द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कब्जा हटवा कर अधूरे सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? अभी तक निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

''सन्त शिरोमणि रविदास'' जी के नाम से शोध संस्थान बनवाए जाने की मांग

163–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेगे कि ''सन्त शिरोमणि रविदास'' जी के नाम से शोध संस्थान बनाया जाना शासन से प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ''सन्त रैदास'' उर्फ रविदास जी के बिखरे हुए काव्य को संग्रह करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद जौनपुर में वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जानकारी तथा उनमें कार्यरत अध्यापकों को शासन द्वारा वेतन दिए जाने की मांग

164–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने विद्यालायों को वित्त विहीन मान्यता प्राप्त है तथा इन वित्त विहीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कुल कितने अंशकालिक शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इन अंशकालिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन वितरण का भी दायित्व शासन निकट भविष्य में लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है ।

जी नहीं ।

ऐसे विद्यालयों को वर्तमान में अनुदान सूची पर लिये जाने की शासन की नीति नहीं है ।

जनपद कानपुर देहात में राजकीय पालीटेक्निक घाटमपुर के भवन निर्माण की गलत सूचना प्रेषित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

165–श्री राम करन आर्य तथा श्री धनराज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, त० कोष्ठ–7 ने अपने पत्र सं०–4000/17बी-विश्व बैंक भवन/93, दिनांक 4-8-93 के माध्यम से प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, घाटमपुर (कानपुर देहात) को सूचित किया था कि उक्त संख्या के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि हां, तो मुख्य अभियन्ता ने किस अधिकारी की रिपोर्ट पर उक्त सूचना प्रेषित की थी, क्या उक्त सूचना गलत सिद्ध हुई है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त पत्र की प्रति को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां, किन्तु संदर्भित पत्र सं०–400/17-बी-विश्व बैंक भवन/93, दिनांक 4-8-1993 है ।

उक्त सूचना मुख्य अभियन्ता (भवन) द्वारा भेजी गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 225 पर)

बेसिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से जनपद फैजाबाद में खोले गए विद्यालयों में स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने की मांग

166–श्री परशुराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में शिक्षण सत्र 1993-94 के लिये तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा माह जुलाई, 93 से जनपद भर मे बेसिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से करीब 300 (तीन सौ) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कराकर, इन विद्यालयों में अस्थायी तौर पर अध्यापकों की नियुक्ति करके शिक्षण कार्य शुरू करा दिया गया है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद के किन-किन विकास खण्डों में कितने-कितने प्राथमिक विद्यालय कहां-कहां पर स्थापित कराये गये हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि क्या इन प्राथमिक विद्यालयों में स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां । कुल 290 विद्यालय अस्थायी रूप से संचालित हैं तथा बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्थायी विद्यालयों से अध्यापकों को इन विद्यालयों में अस्थायी रूप से सम्बद्ध कर शिक्षण कार्य शुरू कराया गया है ।

विकास खण्डवार सूची संलग्न है । †

जी नहीं ।

अन्य विद्यालयों से शिक्षक सम्बद्ध करके शिक्षण कराया जा रहा है । वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में भवनयुक्त तथा भवन विहीन बेसिक विद्यालयों की जानकारी

167–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने भवनयुक्त एवं भवन विहीन प्राथमिक बेसिक विद्यालय हैं ? प्रदेश में कितनी ग्राम सभाओं में प्राथमिक बेसिक विद्यालय खुल गये हैं ? उनमें से कितनी ग्राम सभायें बेसिक विद्यालय विहीन हैं ? वर्ष 1993 व 31 जनवरी, 1994 में प्रदेश में कितने बेसिक विद्यालय खोले गये ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां । प्रदेश में कुल 74969 भवन युक्त प्राथमिक बेसिक विद्यालय है । निर्माण हेतु स्वीकृत भवनों के वन जाने पर कोई भवनहीन प्राथमिक विद्यालय नहीं रह जायेगा ।

प्रदेश में 63210 ग्राम सभाओं में प्राथमिक बेसिक विद्यालय खुल गये हैं ।

---

† छापी नहीं गई ।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार लगभग 10707 ग्राम सभायें विद्यालय विहीन है ।

प्रदेश में 216 बेसिक विद्यालय खोले गये हैं ।

नए प्राथमिक विद्यालयों को खोलने एवं पुराने विद्यालय भवनों के मरम्मत के सम्बन्ध में शासन की नीति तथा ग्राम मेड़िया एवं मेड़िया जिला मिर्जापुर में नये विद्यालय की स्थापना की मांग

168–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नये प्राथमिक विद्यालयों को खोलने एवं पुराने विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार की शासन की नीति क्या है ? क्या ग्राम भेड़िया एवं ग्राम-मेड़िया, जिला–मिर्जापुर (सीखड़ ब्लाक) में भवन जीर्णोद्धार एवं नया विद्यालय स्थापना के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 28-29 जनवरी, 94 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? उक्त मेड़िया ग्राम में, प्राथमिक विद्यालय कब तक स्थापित हो जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

1 1/2 किमी की दूरी में कोई प्राथमिक पाठशाला न होने तथा 300 की आबादी होने के उपरान्त बेसिक शिक्षा समिति के निर्णयोपरान्त खोले जाते हैं । शासन का यह भी प्रयास है कि प्रत्येक गांव सभा में प्राथमिक विद्यालय खोला जाय । भवन की जीर्णशीर्ण स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा समिति के निर्णयोपरान्त पर्नुनिर्माण कराये जाते हैं ।

जी हां ।

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपदीय अधिकारी को भेजा गया है ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर जिला बेसिक शिक्षा समिति के निर्णयोपरान्त ही खोला जा सकेगा ।

प्रदेश की समस्त सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत अस्थायी एवं आकस्मिक कर्मचारियों को स्थाई किए जाने की कार्यवाही

169–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० की समस्त सहकारी चीनी मिलों में तृतीय वेतन आयोग (शक्कर) के वीसलपुर-कि० स० चीनी मिल लि०, वीसलपुर ज० पीलीभीत द्वारा वर्ष 1992-93 में पूर्व में मिल रहे वेतन को कम करके मात्र रु० 20 तथा वर्ष 93-94 में मात्र रु० 22 वेतन अस्थाई एवं आकस्मिक कर्मचारियों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उ० प्र० की सहकारी चीनी मिलों में कितने अस्थाई व आकस्मिक कर्मचारी कितने-कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या उनके स्थायी किये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उ० प्र० गन्ना शोध परिषद् की गवर्निंग बाडी की दिनांक 4-10-89 को सम्पन्न हुयी उन्तीसवीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पश्चिम क्षेत्र की मिलों में अकुशल की मजदूरी दर रु० 20 प्रतिदिन अर्ध कुशल के लिये रु० 23 प्रतिदिन, कुशल के लिये रु० 26 प्रतिदिन निर्धारित की गयी । पूर्वी क्षेत्र की मिलों के लिये अकुशल श्रमिकों की मजदूरी रु० 18 प्रतिदिन अकुशल की रु० 23 तथा कुशल के लिये रु० 26 प्रतिदिन निर्धारित की गयी यह नीति सभी मिलों में एक रूपता लाने की दृष्टि से की गयी थी ।

अवधि	अस्थाई	आकस्मिक
15 वर्ष से अधिक	52	626
10 वर्ष से 15 वर्ष	389	933
5 वर्ष से 10 वर्ष	757	2590
0 वर्ष से 5 वर्ष	224	1100
	1422	5249

पात्र व्यक्तियों को स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार रिक्त नियुक्तियों पर तैनाती शीघ्र की जायेगी ।

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(समय–12 बजकर 20 मिनट)

श्री हृदय नारायण

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

अब कोई प्रश्न नहीं ।

श्री हृदय नारायण –

मान्यवर, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं । एक व्यवस्था का प्रश्न है मेरा ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं अब कोई अनियमित बात न करिये । कोई सवाल नहीं । आज दिनांक 25 अप्रैल, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई । पहली सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई जनपद के गांव बुंजारिन पुरवा मजरा विराइचमऊ में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे (गुरू जी) की है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

श्रीमन्, प्रक्रिया यह नहीं है। प्रश्नकाल के बाद पहले निधन के निर्देश लिये जाते हैं। पहले निधन के निर्देश लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं पहले वही लेता हूं।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री राव अब्दुर्राफे खां तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी के निधन पर शोकोद्गार

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, बड़े खेद के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे तीन भूतपूर्व सदस्य, जिन्होंने इस विधान सभा की और पूरे प्रदेश की जीवन पर्यन्त सेवा की, आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। श्रीमन्, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह वर्ष 1967 में अमेठी जिला सुल्तानपुर से सामान्य निर्वाचन में जनसंघ के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और मृत्युपर्यन्त बी० जे० पी० से जुड़े रहे। बी० जे० पी० के कई उत्तरदायी पद पर भी रहे। सन् 1977 में लोक सभा के लिये भी निर्वाचित हुए। इनका निधन 15/16 अप्रैल को हो गया। हम सब उनके निधन से अत्यन्त दुःखी हैं। श्रीमन्, आपसे अनुरोध है कि पूरे सदन की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से हमारी शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन्, श्री राव अब्दुर्राफे खां मुजफ्फरनगर के निवासी थे और इस सदन की और पूरे प्रदेश की मृत्युपर्यन्त सेवा की। इनका निधन 18 अप्रैल, 1994 को हृदय गति रुक जाने से हो गया, इनकी आयु लगभग 57 वर्ष थी। श्री खां का जन्म सन् 1937 को ग्राम कैड़ी परगना शामली तहसील कैराना जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से एम० एस० सी० एवं एल० एल० बी० की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राव अब्दुर्राफे खां 1969 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र थाना भवन जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राव अब्दुर्राफे खां के निधन से पूरे समाज और प्रदेश को एक अपूर्णनीय क्षति हुई है। आपसे अनुरोध है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक सत्ता पक्ष की तरफ से और पूरे सदन की तरफ से शोक संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी जी का निधन 19-4-94 को हो गया। यह लगभग 65 वर्ष के थे। मुझे याद है कि नेगी साहेब जब हम लोगों के साथ बैठते थे उनको यहां के जो प्रमुख संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले सदस्य थे, उनमें माना जाता था और उनके बहुत सटीक तर्कों से सदन को लाभ होता था। पर्वतीय क्षेत्रों में श्री नेगी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से 1974–77 में विधान सभा में निर्वाचित होकर आये थे। उन्होंने कई आन्दोलनों में अगुवाई की। निश्चित ही श्री नेगी के निधन से प्रदेश की राजनीति में क्षति हुई है वह एक प्रमुख जनवादी नेता थे। मेरा आपसे अनुरोध है कि श्री नेगी के शोक-संतप्त परिवार को पूरे सदन की ओर से शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं नेता कांग्रेस पार्टी बोलें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री राव अब्दुर्राफे खां, श्री गोविन्द सिंह नेगी के निधन पर जो विचार संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यक्त किए हैं मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । माननीय रवीन्द्र प्रताप सिंह जी जिनका कार्यकाल बाद में सुल्तानपुर रहा उनका जन्मस्थली मेरा ही क्षेत्र था । वह एक सक्रिय सदस्य थे। उनके निधन से सुल्तानपुर ने एक अच्छा शिक्षाविद् खो दिया है । जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा शिक्षा के प्रचार-प्रसार में लगा दिया । श्री सिंह रणवीर रणंजय डिग्री कालेज, अमेठी के सचिव तथा श्री नरेश बहादुर जूनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल कोहरा, अमेठी के सभापति भी रह चुके थे । वह बड़े ही व्यवहार कुशल और सक्रिय नेता थे । उनके निधन से सुल्तानपुर जनपद ने बहुत बड़ा समाज सेवी खो दिया है। इनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें । श्री अब्दुर्राफे खां के निधन से मुजफ्फरनगर ने समाजसेवी और कृषि विशेषज्ञ खो दिया है । उन्होंने मुस्लिम सम्प्रदाय के शिक्षा के प्रसार में विशेष ध्यान दिया । उनके परिवार तक हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी जी ने पर्वतीय विकास के लिए बहुत कार्य किए । वह एक जाने-माने वकील थे । वह कई बार जेल भी गये । श्री नेगी विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति तथा प्रतिनिहित विधायन समिति के सदस्य भी रह चुके थे । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन तीनों भूतपूर्व माननीय सदस्यों के प्रति मैं तथा मेरा दल हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है उनके परिवार तक हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

नेता बहुजन समाजवादी पार्टी तो हैं नहीं । माननीय नेता जनता दल बोलें ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन भूतपूर्व माननीय सदस्यों के बारे में श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री राव अब्दुर्राफे खां, श्री गोविन्द सिंह नेगी के बारे में जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता कांग्रेस ने व्यक्त किए हैं मैं और मेरा दल उनसे अपने को संबंद्ध करता है । श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह जी सुल्तानपुर जनपद के थें । जनपद प्रतापगढ़ में उनका जन्म हुआ था । 56 वर्ष की कम आयु में ही उनका निधन 15/16 अप्रैल को हो गया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, वह एक बार सन् 1967 में इस विधान सभा के सदस्य रहे तथा 1977 में वह लोक सभा के सदस्य रहे । वह जनपद सुल्तानपुर के लोकप्रिय कार्यकर्ता और नेता थे । अनेक शिक्षण संस्थाओं से वह संबंधित थे । उनको सुल्तानपुर के लोग राजा भैया कह कर पुकारते थे । उनको घुड़सवारी से प्रेम था । इनके निधन से पूरा प्रदेश विशेष रूप से जनपद सुल्तानपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । मैं इनके निधन से दुःखी हूं तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक मेरे व मेरे दल की ओर से शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें । मान्यवर, श्री राव अब्दुर्राफे खां का निधन 18 अप्रैल, 1994 को हृदय गति रुक जाने से हो गया । वह 57 वर्ष के ही थे । उनका जन्म सन् 1937 में ग्राम कैड़ी, परगना शमली, तहसील कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ था । उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से एम० एस० सी०, एल० एल० बी० तक शिक्षा ग्रहण की । वह सन् 1969 में भवन विधान सभा क्षेत्र से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर इस सदन के लिए निर्वाचित होकर आये थे । उनका व्यवसाय कृषि था । इन्हें कृषि का बहुत ज्यादा ज्ञान था । उनके निधन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से मुजफ्फरनगर के समाज सेवी और सबका प्यारा भूतपूर्व सदस्य खो दिया है । मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार तक मेरे और मेरे दल की ओर से शोक प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी का जन्म 7 जुलाई, 1929 को हुआ था । इनका निधन 19 अप्रैल, 1994 को 65 वर्ष की अवस्था में हो गया । यह 1969 में कम्युनिष्ट पार्टी के टिकट पर टिहरी से चुनकर आये थे । दुबारा 1974 और 1977 में यह विधान सभा के लिए चुनकर आये । इन्होंने उत्तरांचल के लिए बहुत काम किये । उत्तरांचल में यह काफी लोकप्रिय थे । उनके निधन से जनपद टिहरी ने कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है । उनके निधन से मैं दुःखी हूं तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ओर से व मेरे दल की ओर से उनके शोकाकुल परिवार तक शोक-संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री ऊदल–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने और माननीय जनता दल ने भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर जो शोक व्यक्त किया है, उसके साथ मैं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह का निधन 15/16 अप्रैल, 1994 को हो गया । उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र 56 वर्ष में ही हो गयी । यह 1967 के सामान्य निर्वाचन में विधान सभा के सदस्य रहे । यह सुल्तानपुर से विधान सभा के लिए चुनकर आये थे । उसके बाद 1977 में अमेठी संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य रहे थे । इनकी रुचि जनपद सुल्तानपुर में तथा आस-पास में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी थी । श्रीमन्, यह भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे और आपात काल में भी यह 18 महीने जेल में रहे । इनके उठ जाने से जनपद सुल्तानपुर में बहुत बड़ी कमी हो गयी है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है । इनके निधन पर अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक व्यक्त करता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं कि इनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की ओर से शोक-संवेदना पहुंचाने की कृपा करें । श्रीमन्, दूसरे भूतपूर्व सदस्य राव अब्दुर्राफे खां का निधन 18 अप्रैल, 1994 को हो गया । श्रीमन्, उनका जन्म 1937 में ग्राम–कैड़ी, परगना–शामली, तहसील–कैराना, जनपद–मुजफ्फरनगर में हुआ था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जन्म 1937 में ग्राम–कैड़ी, परगना–शामली, तहसील–कैराना, जनपद–मुजफ्फरनगर में हुआ था । एम० एस० सी०, एल० एल० बी० तक की शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया था । उनकी रुचि कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी और उसी को उन्होंने प्राथमिकता भी दिया । उनके उठ जाने से मुजफ्फरनगर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच से उठ गया जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं हो सकती । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी ओर से तथा हमारे दल की ओर से शोक-संवेदना उनके दुःखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, तीसरे भूतपूर्व माननीय सदस्य गोविन्द सिंह नेगी जो तीन बार इस विधान सभा के सदस्य रहे वह हमारी पार्टी के ही थे । वह शुरू से ही समर्पित कार्यकर्ताओं में से थे । उनकी शिक्षा एल० एल० बी० तक थी और देहरादून में वह वकालत करते थे और वह वहां के जाने-माने वकीलों में से थे । श्रीमन्, वह सर्वप्रथम 1969 के सामान्य निर्वाचन में हमारे दल के टिकट पर चुने गये । उसके पश्चात् 1974 तथा 1977 में भी चुने गये । श्रीमन्, वह बहुत कर्मठ और समर्पित नेता थे । भूतपूर्व टिहरी राज्य के प्रजा मण्डल में वह पदाधिकारी थे और सामंती शासन में संघर्ष करने के कारण उनको टिहरी रियासत से बाहर निकाल दिया गया था । श्रीमन्, उनके निधन से पूरे पहाड़ी अंचल और खासकर देहरादून के सार्वजनिक जीवन में बहुत ही कमी आ गयी है साथ ही हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का एक कर्मठ तथा जुझारू नेता हमारे बीच से उठ गया है । इसलिए श्रीमन् मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना तथा हमारे दल की संवेदना को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जिन तीन भूतपूर्व सदस्यों के असामयिक निधन के समाचार पर जो शोकाद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता कांग्रेस, हमारे दल के नेता, माननीय कम्युनिस्ट पार्टी श्री ऊदल जी ने प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं । विशेषकर, राव अब्दुर्राफे खां मेरे जनपद और मेरे क्षेत्र के रहने वाले थे । मेरा उनका पारिवारिक संबंध था और मान्यवर, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनसे शरीफ इन्सान शायद आज तक रोशनी में नहीं आया । आज उनके आकस्मिक निधन पर जो रिक्तता पैदा हुई है और एक शरीफ व्यक्तितत्व हमारे बीच से चला गया है । श्री राव अब्दुर्राफे खां बागवानी के लिए मेरे जनपद में मशहूर थे । उनके बाग का एक-एक पेड़ उनकी मेहनत का परिचायक था । उनके आकस्मिक निधन के बाद उनके परिवार में उनके छोटे-छोटे बच्चे और उनकी बेवा रह गयी है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी शोक संवेदना को उनके पीड़ित परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री राव अब्दुर्राफे खां, श्री गोविन्द सिंह नेगी के निधन पर जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने शोक प्रस्ताव रखा है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता कांग्रेस, जनता दल, नेता कम्युनिस्ट पार्टी तथा मलिक जी के द्वारा व्यक्त किये गये शोक संवेदना से अपने को तथा बहुजन समाज पार्टी को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जीवन के ऐसे क्षण जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

हैं, सभी के जीवन का आखिरी क्षण होता है और वह बहुत दुःखद होता है और ऐसे लोगों का हमारे बीच से चला जाना और भी ज्यादा दुखदायी होता है, जिनका जीवन सामाजिक और राजनैतिक होता है और जिनके जीवन को देश को और प्रदेश को कुछ मिलता है, इन्हीं लोगों में से श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह जी थे, इनके आसमयिक निधन से जनपद प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि प्रदेश में रिक्तता से अपूर्णनीय क्षति हुई है। श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह वर्ष 1967 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र अमेठी, जिला सुल्तानपुर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे 1977 में अमेठी संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य भी रह चुके थे। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनैतिक क्षेत्र में इनका अनुकर्णीय योगदान रहा है। इनका निधन 15/16 अप्रैल, 1994 को 2.30 बजे प्रातः हो गया। वे लगभग 56 वर्ष के थे। मैं अपनी तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि मेरी शोक संवेदना को और मेरे दल की शोक संवेदना को उनके दुखद परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, दूसरे भूतपूर्व सदस्य, श्री राव अब्दुर्राफे खां का निधन 18 अप्रैल, 1994 को हृदयगति रुक जाने के कारण हो गया। वे 57 वर्ष के थे। इनसे प्रदेश को काफी आशा थी, ये प्रदेश को कुछ दे सकते थे। इनकी जो कर्म भूमि मुजफ्फरनगर थी, उस जनपद को तो एक अपूर्णनीय क्षति हुई है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जिनके निधन से केवल जनपद ही नहीं, बल्कि पूरा प्रदेश मरमाहत होता है। इनके निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपने दल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवार तक हमारी शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन्, तीसरे भूतपूर्व सदस्य, श्री गोविन्द सिंह नेगी का निधन 19 अप्रैल, 1994 को हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे। मान्यवर, ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और साम्यवादी आन्दोलन से जुड़े हुए थे और सर्वहारा की लड़ाई में इनका अद्वितीय योगदान रहा है। इनके न रहने से हमारे पूरे प्रदेश को एक अपूर्णनीय क्षति हुई है। मैं अपनी तरफ से और अपने दल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इनके प्रति शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक-संवेदना इनके दुःखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पहली बार यह देखने को मिला है कि ये भूतपूर्व माननीय सदस्य कोई 15 तारीख कोई 18 तारीख को और कोई 19 तारीख को मरे हैं और इनके निधन की सूचना आने पर हम शोक-संवेदना व्यक्त करते हैं इनके निधन के बारे में जो सूचनायें आती हैं, वे देर से आती हैं और यहां पर हम उनके प्रति शोक संवेदना देर से व्यक्त करते हैं, यह अच्छी परिपाटी नहीं थी, लेकिन अब यह अच्छी परिपाटी शुरू हुई है। ऐसे सदस्य जो हम लोगों के बीच में नहीं रह जाते हैं उनकी सूचना जिलाधिकारी तत्काल भेजने की कृपा करें, ताकि उनके परिवार वालों को समय से शोक संवेदनायें भेजी जा सके।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

श्रीमन्, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह का जन्म ग्राम विजयी मऊ थाना संग्रामगढ़, कुण्डा जिला प्रतापगढ़ में हुआ था, इनका जन्म 18 जुलाई, 1938 को हुआ था। वह 1971 को सामान्य निर्वाचन में अमेठी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और 1977 में अमेठी संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । उनका राजनैतिक जीवन ऐसा था कि उनके मरने से बी० जे० पी० को गहरा धक्का लगा है, इसलिए मैं अपनी शोक-संवेदनायें प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन् राव अब्दुर्राफे खां का निधन 18 अप्रैल, 1994 को हो गया, उनका निधन हृदय गति रुकने से हो गया । उनका जन्म मुजफ्फरनगर जिले में हुआ था । उन्होंने 1969 में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था और निर्वाचित हुए थे । वह 57 वर्ष के थे । वह कृषि के बहुत अच्छे जानकार थे । उनके निधन से काफी क्षति हुई है । मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी शोक-संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन् गोविन्द सिंह नेगी टिहरी गढ़वाल के किसानों और मजदूरों के नेता थे । वह बचपन से स्वतन्त्रता आन्दोलन में भागीदार थे । दण्ड स्वरूप उनको टिहरी गढ़वाल से निकालना पड़ा और वह देहरादून में रहने लगे और वहां पर भी उन्होंने गरीबों और मजदूरों की सेवा की । उन्होंने वकालत के समय भी गरीब जनता की सेवा की और कई बार उनको जेल जाना पड़ा । वह लगातार 1969, 1974 और 1977 में विधान सभा के सदस्य चुन कर आये । उनका निधन 19 अप्रैल, 1994 को हो गया । उनके निधन से मैं दुःखी हूं और आपसे अनुरोध है कि मेरी शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री महबूब अली–

श्रीमन्, लोकतन्त्र में आस्था रखने वाले तीन भूतपूर्व सदस्यों के बारे में जो विचार, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी जी ने, नेता कम्युनिस्ट पार्टी श्री ऊदल जी ने और अन्य दलों के नेताओं ने प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी शोक-संवेदनायें उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन और इस प्रदेश की सेवा करने के बाद श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, सुल्तानपुर जिनका निधन 15 अप्रैल, 1994 को हुआ, श्री राव अब्दुर्राफे खां साहब मुजफ्फरनगर जिनका निधन 18 अप्रैल, 1994 को हुआ और श्री गोविन्द सिंह नेगी जो टिहरी गढ़वाल के थे उनका निधन इसी 19 अप्रैल को हुआ । आज हमारे बीच में यह सारे लोग नहीं हैं । श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह जी बहुत कर्मठ, जुझारू और लोकप्रिय नेता अपने जिले के रहे हैं और जिनके बारे में जैसा कि उल्लेख किया गया है राजा साहब उनको कहा जाता था लोग बड़ा प्यार करते थे और उन्होंने विभिन्न माध्यमों से विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से न केवल इस सदन की और इस प्रदेश की सेवा की है बल्कि वहां के लोगों की हर प्रकार से सेवा की थी, आज वह हमारे बीच में नहीं हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, श्री राव अब्दुर्राफे खां साहब जो मुजफ्फरनगर जिले के थे जिनके बारे में मलिक जी ने खासकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है वह भी आज हमारे बीच में नहीं है । उन्होंने भी इस सदन की सेवा की थी और जनपद के लोगों की भी बहुत सेवा की थी और एक तरह से उनकी खासियत यह थी कि एम० एस० सी०, एल० एल० बी० तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कृषि कार्य का पेशा अपनाया था उसको उन्होंने उत्तम व्यवसाय की तरह लिया और काफी उसमें नये-नये प्रयोग किये कृषि और बागवानी के क्षेत्र में और यही नहीं उन्होंने जो हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है उसमें शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए काफी कुछ किया है । उसके लिए जाने जाते रहेंगे और याद किये जाते रहेंगे । मान्यवर, श्री गोविन्द सिंह नेगी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य इस सदन में रहे हैं । उन्होंने 3 बार इस सदन की सेवा की है और इससे पूर्व उन्होंने टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड की जनता के बीच में भी बहुत सारा कार्य किया है और यह मान्यवर, बड़ी विचित्र बात थी कि देश जब आजाद हो गया था 1947 में तो भी टिहरी की जनता आजाद नहीं हुई थी, टिहरी की जनता 1948 के बाद आजाद हुई है और उत्तराखण्ड में जहां अंग्रजों के खिलाफ लोगों से संघर्ष किया था वहीं टिहरी रियासत सहित कई जगह पर लोगों ने दासता के खिलाफ आन्दोलन किया था । टिहरी रियासत में उस समय गोविन्द सिंह नेगी काम करने वाले थे और प्रजा मण्डल टिहरी में होने के नाते सामान्तशाही के खिलाफ आन्दोलन करने के कारण उनको टिहरी रियासत से बाहर कर दिया गया था और उनकी पढ़ाई में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था और यहां तक कि सामन्तशाही में व्यवस्था की गयी कि अगर उनको कोई किसी तरह की मदद पहुंचयेगा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए या किसी अन्य काम के लिए तो उसके खिलाफ वहां की सामान्तशाही बहुत सख्त कदम उठाती थी । और सारे बुरी तरह से त्रस्त थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया । प्रजा मण्डल के माध्यम से लोगों को संगठित किया । टिहरी रियासत के बाहर तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया । गोविन्द सिंह जी ने न केवल देश की आजादी बल्कि टिहरी रियासत की आजादी के लिये बहुत काम किया था और इसके अलावा भी वह कांग्रेस की जो सोशलिस्ट विंग थी, समाजवादी शाखा थी, उसके भी व सदस्य रहे उसमें उन्होंने काफी काम किया । अन्ततोगत्वा 1947 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य वे बने, वे मृत्यु पर्यन्त कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ही रहे । साम्यवादी व्यवस्था के लिये, साम्यवादी सेवा में उन्होंने काफी काम किया । विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में वे सक्रिय रहे । आज वे हमारे बीच नहीं रहे, उनके न रहने से केवल टिहरी की जनता की ही नहीं बल्कि उत्तराखण्ड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को अपूर्णनीय क्षति हुई है । मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल उत्तराखण्ड क्रांति दल की ओर से शोक संवेदनायें इन सभी सम्मानित सदस्यों के परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, निधन के निर्देश के अवसर पर हम सदन में अपनी भावनायें व्यक्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं स्व० भू० पू० सदस्य श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह (सुल्तानपुर) श्री अब्दुर्राफे खां (मुजफ्फरनगर) श्री गोविन्द सिंह नेगी (टिहरी गढ़वाल) के निधन पर अपनी शोक संवेदनायें अर्पित करता हूं । इन माननीय सदस्यों की राजनीति में सामाजिक सेवा में, मानव सेवा में दिये गये योगदान के विषय में लगभग पूरे सदन में, संसदीय कार्य मंत्री जी ने, नेता कांग्रेस माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, माननीय वर्मा

जी ने और अन्य सदस्यों ने जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उससे मैं अपने आप को जोड़ते हुए एक निवेदन करूंगा कि मान्यवर, वैसे भी निधन के निदेश के अवसर पर जब अपनी भावनायें यहां व्यक्त की जाती रही हैं तो सम्पूर्ण सदन बड़ा भाव विहोर होता है, अपने पुराने साथियों को याद करता है उनकी सेवायें जो सदन के प्रति रही हैं, उनको याद करता है। समाज के प्रति जो उनका निर्वाह रहा है, उनको याद करता है, उनका उल्लेख करता है और उनके संसदीय कार्यों का भी उल्लेख किया जाता है। मैं पुनः यह कहते हुए कि हमारी शोक-संवेदना के फूल इनके शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दिये जायें, साथ ही मान्यवर, मैं यह भी आशा करता हूं कि आज इस निधन के निदेश के अवसर पर लगभग सम्पूर्ण सदन की भावनाओं से हम अवगत हो गये लेकिन और भी दुख थोड़ा बढ़ गया है कि हमारे और भी सहयोगी सदस्य हैं, इस चला चली के दुनिया में जाना सभी को है कल हम भी इस सदन और इस संसार को छोड़कर चले जायेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी भावना स्वर्गवासी इन भूतपूर्व सदस्यों के बारे में नहीं व्यक्त की गयी है मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं से सदन को अवगत करा देंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कल तो हम लोग भी सदन से इस संसार में नहीं रह जायेंगे तो हम लोगों के क्रियाकलाप के बारे में इस सदन के सदस्य अपनी भावनाओं से सबको अवगत करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

हमारे इस सदन के तीन सदस्य आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके आकस्मिक निधन से हमारा पूरा सदन दुःखी है और उनकी शोक-संवेदना के लिए जो शब्द माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय नेता, कांग्रेस, श्री प्रमोद तिवारी जी ने, बहुजन समाज पार्टी के बी० आर० वर्मा जी ने, माननीय नेता, जनता दल श्री किरनपाल सिंह जी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय नेता, श्री ऊदल जी ने, माननीय नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), श्री राम स्वरूप जी ने, माननीय नेता जनता पार्टी श्री महबूब अली जी ने, माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रांति दल, श्री काशी सिंह ऐरी जी ने और अन्त में हमारे निर्दलीय नेता, श्री अतीक अहमद जी ने व्यक्त किये हैं उन सब विचारों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री रवीन्द्र प्रताप जी के आकस्मिक निधन से एक उच्च कोटि के वकील आज हमारे बीच से उठ गये हैं और साथ ही साथ वे हमारे इस सदन के दो बार सदस्य भी रह चुके हैं। इसके बाद श्री राव अब्दुर्रफे खां साहब भी इस सदन के एक बार सदस्य रहे। वे भी आज हमारे बीच में नहीं हैं। श्री नेगी साहब भी इस सदन के तीन बार सदस्य रहे और उन्होंने कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में उसके प्रसार में बहुत कुछ कार्य किये। यह भूतपूर्व माननीय सदस्यगण, यह अवश्य है कि हमारे बीच में सशरीर नहीं हैं, परन्तु उनकी आत्मायें आकाश मण्डल में व्याप्त रहते हुए हम सबके सामने प्रेरणा प्रेषित कर रही हैं। उनके कार्य और व्यवहार, उनके आचरण, उनके आदर्श हम सबके सामने हैं। समाजसेवी किसी जाति, समाज और देश के लिए नहीं है बल्कि उसके विचार उनके सिद्धान्त, उनके आदर्श सम्पूर्ण विश्व के लिए धरोहर स्वरूप होते हैं।

कोई भी प्राणी, जो इस संसार में आता है, उसका जाना अवश्यसम्भावी है। लेकिन जो सदस्य, जिसके ज्यादा निकट हुआ करते हैं, उनको और जिन माननीय सदस्यों से समाज और देश को कुछ मिलता है, उन्हें उनके न रहने से अपार कष्ट करता है। हमारे सभी माननीय तीन भूतपूर्व सदस्य इस विधान सभा से जुड़े रहे, वह समाजसेवा से जुड़े रहे, इसलिये हम सभी विधान सभा के सदस्य और

उनसे जुड़े हुये जो समाज के व्यक्ति रहे, निश्चयात्मक रूप से उनका दुखी होना स्वाभाविक है । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनका आदर्श, उनके कार्य और उनकी सेवायें हमेशा-हमेशा के लिये अनुकरणीय रहेंगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी तीनों भूतपूर्व सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये, सम्पूर्ण सदन और नेताओं की भावनाओं के अनुरूप ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगा कि जो माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी आत्माओं को ईश्वर शाश्वत शान्ति प्रदान करे और उनके परिवारजनों और पास में रहने वाले लोगों को धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करे । आज हम सब दुखी हैं । इस विधान सभा के सदस्यगणों को मैं यह आश्वासन दे रहा हूं कि सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को अपनी भावनाओं सहित उनके परिवारजनों तक पहुंचा दिया जायेगा । अब हम सब लोग दो मिनट के लिये उन स्वर्गीय आत्माओं के प्रति, ईश्वर से प्रार्थना करते हुये मौन होकर खड़े रहेंगे ।

(सभी सदस्य 2 मिनट तक मौन खड़े रहे)

मा० अध्यक्ष विधान सभा के प्रति श्री कल्याण सिंह, नेता विरोधी दल द्वारा असम्मान जनक कथन के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव

श्री जगदम्बिका पाल–

नियम–311 में मैंने एक सूचना दी, 15 जनपद ऐसे हैं, जिनमें डीजल का संकट हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है, मैं ले लूंगा ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा दूसरा अनुरोध स्वीकार कर लें । आपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद, जो एक प्रस्ताव निन्दा का रखा है, उसे आप लेंगे । तो प्रश्नकाल समाप्त हो गया, निधन के निर्देश भी समाप्त हो गये, अब उपर्युक्त अवसर आया है, उसे आप स्वीकार कर लें, मैं इस पर बल देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप अनुज्ञा मांग लीजिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं नेता, विरोधी दल माननीय श्री कल्याण सिंह द्वारा माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति कहे गये असम्मानजनक कथनों की निन्दा करने हेतु, निन्दा प्रस्ताव रखने की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुज्ञा से सम्बन्धित प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि प्रक्रिया नियमावली के संगत नियमों को निलम्बित करते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाये :–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

" यह सदन विधान सभा में दिनांक 22 अप्रैल, और 23 अप्रैल, 1994 को नेता, विरोधी दल माननीय श्री कल्याण सिंह द्वारा माननीय विधान सभा के प्रति कहे गये आक्षेपात्मक कथनों की घोर निन्दा करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली के संगत नियमों को निलंबित करते हुये प्रस्ताव करता हूं। "कि यह सदन विधान सभा में दि० 22 और 23 अप्रैल, 1994 को नेता विरोधी दल श्री कल्याण सिंह द्वारा माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति कहे गए आक्षेपात्मक कथनों की घोर निन्दा करता है।"

मान्यवर, सम्भवतः लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे दुःखद क्षण बहुत ही कम आते हैं, आज हम उन्हीं के प्रति रूबरू हैं। मुझे इस प्रस्ताव के रखने में दुःख भी हो रहा है और क्षोभ भी हो रहा है लेकिन यह प्रस्ताव इसलिये रख रहा हूं कि आने वाले दिनों में यह नसीहत सबके लिये हो कि नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही चलती है। मान्यवर, इस सदन में बहुमत से अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और उच्च परम्पराओं की रक्षा के लिये मान्यवर, यह प्रयास किया जाता है कि सर्वसम्मति से इस पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति को चयनित किया जाये। मान्यवर, जब तक अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं होती तब तक वह साधारण सदस्य होता है परन्तु जब वह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और कोई भी सम्मानित सदस्य इस गरिमामय पद पर आसीन हो जाता है तो वह मात्र अध्यक्ष ही नहीं होता है, सम्पूर्ण विधान सभा का संरक्षक होता है और वह हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई बात आती है तो परम्पराओं और नियमों के अनुसार उसकी आलोचना की जा सकती है। एक नियम जरूर है कि जो हमारे वरिष्ठतम सदस्य श्री ऊदल जी ने रखा था, उसके अनुसार यदि सम्मानित अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास होता है तो 14 दिन के पहले सूचना देना आवश्यक है, ऐसा प्राविधान मान्यवर, भारत के संविधान 189 में उल्लिखित है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। वह विषय माननीय ऊदल जी उठायेंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यहां हमारे सदस्य जब चुनकर आते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता, कर्तव्य क्या होता हैं ? मान्यवर, उनका उद्देश्य और कर्तव्य होता है कि यह जो उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत और फोरम है, जहां लाखों, करोड़ों लोगों की समस्याओं को हम यहां बैठकर उठाते हैं, 14 करोड़ों लोगों के लिये हम विधान बनाते हैं और वह धरती का कानून हो जाता है, सबके लिये बाध्यकारी होता है। मान्यवर, कोई कानून बने उसके लिये इसे विधेयक के रूप में आने के पूर्व उस पर चर्चा होनी चाहिए।

मान्यवर, विभिन्न विभाग बजट रखते हैं, उसमें भाषण होता हैं, कटौती के माध्यम से हम कुछ संशोधन रखते हैं, जो मान्यवर, निश्चित रूप से किसी भी विभाग की दिशा नीति तय करता है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाता है, इसलिए यह सदन अव्यवस्थित रहता है, यह सदन आपकी कृपा से चलता है। मैं, हमारा दल किसी विशेष दल से संबंधित दल नहीं है, कांगेस दल, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, उत्तराखण्ड क्रांति दल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व निर्दलीय सदस्यों का यह प्रयास रहता है कि जो शासन की नीतियां हैं उनकी आलोचना करें और शासन इस संबंध में अतिरिक्त कदम उठाये, जो जनभावनाओं और जनहित के विपरीत है, उसके लिये हम सरकार को सचेत करें और उन्हें

अच्छा कार्य करने के लिये विवश करें जो जनहित में हो । कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या–175 है इसलिये अपनी संख्या बल के आधार पर ऐसा वातावरण बना देते हैं कि लोकतंत्र की मान्यतायें टूटती चली जा रही हैं । उनका यह प्रयास होता है कि जब वह बोलें, जो कुछ भी बोले, उसे सदन में सुना जाय जब दूसरा दल बोले तो उनको सुनने को मौका न दिया जाय, संख्या के बल पर यह जताने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरह से कैसे कार्यवाही चल पायेगी ?

मान्यवर, शुक्रवार को इस संदर्भ में प्रश्न उठाया था और कहा था कि लोकतंत्र की जिस तरह ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, नीति और अनीति को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, इसी संदर्भ में इन्हीं धृतराष्ट्र की और उनकी सहयोगी गांधारी की, भारतीय जनता पार्टी के उप नेता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को जो बैठे थे, इनको नीति,और अनीति को देखते हुये मैंने उपमा दी थी । मान्यवर, पूरी बात यह है कि इन्होंने सीमा तोड़ दी, सदन की कार्यवाही हमेशा बाधित करते हैं, इनके इशारे पर बाधित होती है, इस लोकतंत्र में होती रहती है, मान्यवर, हद हो गयी है । इसीलिये आज निन्दा का प्रस्ताव लाने के पीछे हमारा दल विवश हो गया । मान्यवर, इन लोगों का आचरण अच्छा होना चाहिए, नेता विरोधी दल का ऐसा आचरण होना चाहिए कि सम्पूर्ण विरोधी दलों को साथ लेकर चलना चाहिए, सभी साथ में न भी हों तो जो मुद्दे हों तो उन पर सहयोग दे सकें । साथ ही ही चर्चा कराये, अपनी आवाज उठायें, लेकिन वह हमारी बातें मान सकते हैं नहीं । मैं बताना चाहता हूं कि मान्यवर, सर्वविदित हैं, पहले कहा था कि संविधान में यह व्यवस्था रही है कि इस सदन की कार्यवाही को चलाने की जो अध्यक्ष के चयन किये जाने का संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार व्यवस्था है कि अध्यक्ष का चयन होता है ।

मैं आपको और इस सदन को संविधान की ओर आकृष्ट कर रहा हूं अध्यक्ष के पद पर परम्पराओं के अनुसार व्यक्ति नहीं बैठता है बल्कि संविधान के नियमों और प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जो अधिकार प्राप्त हैं, जो संविधान है और उसी संविधान के अन्तर्गत जो पद है उसी संविधान की परम्परा से अध्यक्ष बना है, विधान सभा की नियमावली से नहीं बना है और इस पद का निर्वहन करने के लिये और इसके दायित्व के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 में प्राविधान है, उस पद की गरिमा बनी रहे, इसलिए उसको संविधान के अनुच्छेद 179 में प्राविधानित किया गया है । इस संबंध में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं इसमें विस्तार से चर्चा होगी । यह सत्य है कि जो व्यक्ति उस उच्च आसन पर आसीन हो जाता है, व व्यक्ति आलोचनाओं और असंसदीय कृत्यों व आरोपों से ऊपर होता है उसके आचरण के विरुद्ध आरोप नहीं लगाया जा सकता, जब तक सदन में एक सूचना न दे दी जाय, तब तक चौदह दिन बाद उस पर चर्चा न हो, नियमों के अनुसार जब कोई सूचना दी जाती है तो उस पर 14 दिन बाद ही विचार होगा । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं और दोहराते हुये कहना चाहता हूं कि जब तक चौदह दिन न बीत जायं और उसकी सूचना न प्राप्त हो जाय तब तक अध्यक्ष के लिये कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, अध्यक्ष का अपमान, सम्पूर्ण सदस्यों का अपमान है, सदन का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है ।

मैं इस बात पर बल देते हुये उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत प्रस्ताव नियम–103, 104 एवं 105 के अन्तर्गत रख रहा हूं । नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव आपको दे दिया, नियम–105 के अन्तर्गत इन बिन्दुओं की ओर आपको यह ग्राह्य करना चाहिए, जिसमें

सात उपबन्ध हैं, मान्यवर, 105 के सातों उपबन्धों को देखें, मेरा यह प्रस्ताव नियमों के विपरीत नहीं हैं। इसमें जो एक-एक बात उठाई गई है, उन शर्तों को मैंने पूरा किया है।

मैं आपके समक्ष विधान सभा की कार्यवाही के वे अंश रखना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यह कहने के लिए विवश किया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की 23 अप्रैल, की कार्यवाही है इसलिए मुझे इसके साक्ष्य हेतु कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। 23 अप्रैल को पूर्वाह्न में जब सदन प्रारम्भ हुआ तो उस समय के कुछ अंश में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यह सब सदन की कार्यवाही का हिस्सा है, इस विश्वास के साथ मैं रख रहा हूं। इसलिए इसमें साक्ष्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ–1 पर, आप विराजमान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों का एक साथ खड़े होकर यह कहना कि "अध्यक्ष जी वापस जाओ" यद्यपि यह परम्परा नहीं है, परन्तु उन्होने कहा जो अनुचित है। मैं इससे आगे बढ़ता हूं। नेता विरोधी दल श्री कल्याण सिंह जी बोलने के लिए खड़े हुए। यदि कोई साधारण सदस्य कहता तो वह क्षमा का अधिकारी होता क्योंकि उसे नियमों की जानकारी नहीं होती है परन्तु एक ऐसा व्यक्ति कहे जो नेता प्रतिपक्ष के गरिमामय पद पर बैठा हो और इस प्रदेश का मुख्य मंत्री भी रह चुका हो।

इस समय मैं अपनी बात को थोड़ा सा विराम देते हुए यह कहना चाहता हूं कि जिस नेता विरोधी दल के बारे में मैं कहने जा रहा हूं वह एक आदतन लोकतंत्र के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने में माहिर व्यक्ति है। यह केवल आज की बात नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने मुख्य मंत्री के रूप में इस सदन को गुमराह किया है कि वह विवादित ढांचे की रक्षा करेंगे परन्तु रक्षा नहीं की। यही नेता प्रतिपक्ष जब राष्ट्रीय एकता परिषद् में गये तो वहां पर भी उन्होंने जानबूझकर लोकतंत्र को तोड़ने वाला ऐसा वायदा किया है, जिसे उन्होने जानबूझकर किया। मैं इसे इस आशय के साथ कह रहा हूं कि इसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा है बल्कि एक संविधान और लोकतंत्र विरोधी व्यक्ति कर रहा है। इसी नेता विरोधी दल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था कि 6 दिसम्बर को, विवादित ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देंगे, वहां भी इन्होंने असत्य बोला। इसलिए, मुझे आज इसे लाने की जरूरत पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, कल कहा गया कि आपने सदन में लोकतंत्र की हत्या की। अध्यक्ष पीठ पर बिराजमान व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और संविधान के अनुच्छेद 178 के अन्तर्गत बैठता है। यह एक संवैधानिक पद है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा वह व्यक्ति बैठता है। लोकतंत्र की हत्या कहना, यह आपका अपमान नहीं, आपकी पीठ का ही अपमान नहीं, अपितु सम्पूर्ण सदन का अपमान है। आगे उन्होंने कहा "जनता के साथ विश्वासघात किया है" एक तरह से आपकी छवि के बारे में कि आपने उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया है, कहना है। आपने इस कुर्सी के साथ विश्वासघात किया है। यह पीठ आपको सर्वसम्मति से सौंपी गई है, इसके साथ आपने विश्वासघात किया है। यह आरोप लगाये गये हैं, नेता विरोधी दल के द्वारा जिसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। जिससे मैं सहमत नहीं हूं। उनके आरोप को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। "आप उस स्थान पर अब नहीं बैठ सकते हैं।" तो इस पर मैं बल देता हूं। नेता विरोधी दल को यह अधिकार नहीं है, नेता सदन को भी यह अधिकार नहीं है, किसी भी सदस्य को यह अधिकार नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति सर्वसम्मति से, बहुमत के साथ उस कुर्सी पर, उस पीठ पर बैठे उसे उस पीठ पर न बैठने देने की धमकी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं हो सकता है,

संविधान के ऊपर नहीं हो सकता है । उन्होंने कहा आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं उनका यह कहना कानून, संविधान और लोकतन्त्र के विरुद्ध है । आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आ चुका है यह उन्होंने मिथ्या कहा । जब तक आप उसे स्वीकार नहीं कर लेते, 14 दिन बीत नहीं जाते वह प्रस्ताव नहीं हो सकता है, वह नोटिस होता है । तो यह उन्होंने मिथ्या भाषण किया । मैं कृपा पूर्वक बताना चाहता हूं, आप विद्वान हैं फिर भी मैं कहना चाहता हूं यह प्रस्ताव नहीं था यह मात्र नोटिस थी जब नोटिस को 14 दिन पूरे हो जायं उसके बाद आपकी अनुज्ञा प्राप्त हो जाय तब वह प्रस्ताव का रूप धारण करेगा, तब चर्चा होगी । उनका यह संविधान के विरुद्ध मिथ्या आरोप है, जब तक उसका निस्तारण नहीं होता है तब तक आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं यह कहना अनुचित है । नियमों में प्राविधान है 14 दिन बाद, जब अनुज्ञा प्राप्त हो जाय उसके बाद आप चाहें, जिस समय प्रस्ताव पर चर्चा हो उस समय आप आसन पर बैठें या न बैठें यह आपके ऊपर है ।

इसके बाद कहते हैं "आप कुर्सी के पात्र नहीं रह गये हैं, इस पर बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं है" यह सारे आरोप जो उन्होंने लगाये हैं ऐसा नहीं है कि वह आवेश में कह गये । फिर 2.30 बजे जब सदन पुनः बैठा उस समय भी जो कुछ उन्होंने कहा उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं । मैं नहीं समझता हूं कि जो लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं मेरे इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे, मैं समझता हूं कि सभी का इसमें मुझे समर्थन मिलेगा । तो मान्यवर, 2.30 बजे पुनः नेता विरोधी दल कल्याण सिंह जी कहते हैं "मान्यवर, आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, आपने लोकतन्त्र और संविधान की हत्या की है ।" मैं इस वाक्य पर बल देता हूं मैंने पहले इसीलिए संविधान उद्धृत किया, यह संविधान में बताया गया है, संविधान लोकतन्त्र से उपजा है । आप संविधान और लोकतन्त्र दोनों से ऊपर बैठे हैं । आपको लोकतन्त्र और संविधान का हत्यारा कहना किसी व्यक्ति के दिमाग का दिवालियापन हो सकता है । उनका यह कहना न संविधान सम्मत है और न संसदीय परम्परा सम्मत है । जिस तरह का अपमान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया और लोकतन्त्र और संविधान का अपमान किया जितना भी उसकी निन्दा की जाय वह कम है ।

भारतीय जनता पार्टी एक फासिस्टवादी पार्टी है, यह वह दल है जो बेगुनाहों की लाशों पर सत्ता का महल खड़ा करने का प्रयास करती है । यह वह दल है जिसकी संविधान में आस्था नहीं है । इन्होंने संविधान का ही अपमान नहीं किया बल्कि जनता का अपमान किया है । इस तरह की बातें इससे पहले सदन से बाहर कहते रहे हैं और साम्प्रदायिक विद्वेष भड़काकर देश के बंटवारे का स्वप्न देख रहे हैं । साम्प्रदायिक सौहार्द समाप्त कर घर फूंक कर आग में घी डालने का काम करना चाहते हैं । इस तरह का आचरण उनका सदन से बाहर था लेकिन मान्यवर, सदन में जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की है उसकी मैं निन्दा करता हूं और निन्दा प्रस्ताव पर बल देता हूं और सम्पूर्ण सदन निन्दा प्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त करे और सर्व सम्मति से पास करें जिससे आने वाले दिनों में उस पद पर बैठने वाले को सम्मान प्राप्त हो तभी लोकतन्त्र चलेगा । जब तक हम इस संविधान और लोकतन्त्र की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी और इसी से इतिहास तैयार होगा । तो मैं भारी मन से निन्दा प्रस्ताव पर बल देता हूं । उनके द्वारा कहे गये शब्दों पर वह खेद व्यक्त नहीं करते, क्षमा याचना नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय । मैं इस प्रस्ताव पर अपने दल की प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं और आशा करता हूं कि सभी इसका समर्थन करेंगे ।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, जो प्रस्ताव मा० नेता कांग्रेस, श्री प्रमोद तिवारी द्वारा सदन के समक्ष रखा है और सदन ने उस पर विचार करने की अनुज्ञा दे दिया है, मैं अपनी सहमति उससे प्रकट करता हूं और जिन बातों को उन्होंने कहा है उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं बल्कि उनका समर्थन करते हुए अपने को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, 23 तारीख को जो घटना यहां घटी और मुख्य विरोधी दल के मा० सदस्यों ने और नेता विरोधी दल ने आपके प्रति जिन बातों को कहा, जिसका जिक्र श्री तिवारी जी ने किया है, मैं समझता हूं वह लोकतन्त्र के लिए और लोकतन्त्र की हिफाजत के लिए बहुत ही कलंक की बात है। उससे हमारे सदन की गरिमा तो गिरती ही है लेकिन जो हमारे सदन का उच्च आसन है उसके प्रति जिन बातों को उसके पहले भी और उस दिन और आज कहा गया है, मैं समझता हूं वह बहुत ही निन्दनीय है। मैं आज खड़ा न होता किन्तु आज भी आपके आते ही नेता विरोधी दल, श्री कल्याण सिंह ने और उनके साथ बैठने वाले सदस्यों ने जिन भाषाओं का प्रयोग किया है, जो यहां उद्धृत करने लायक नहीं है, जिसको मैंने अपने कान से सुना है, मैं समझता हूं वह बहुत शर्मनाक है उस पीठ के लिए और उस पीठ में बैठे व्यक्ति के लिए वह भाषा बहुत ही निन्दनीय है, इसीलिए इसकी जितने कड़े शब्दों में निन्दा की जाय वह थोड़ी है, जिसको मैंने अपने कान से सुना है और उसको यहां न कहा जाय तो ठीक है। नेता विरोधी दल और उनके लोग आपको लोकतन्त्र का हत्यारा कहते हैं जबकि यह माननीय सदन ने आपको सर्व सम्मति से चुना है। और आप इस माननीय सदन के सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि आपके द्वारा इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं के बारे में जो विचार प्रकट किये जाते हैं वे लोकतन्त्र की रक्षा के लिए होते हैं। मान्यवर, यह हमारा सदन भारत वर्ष में सबसे बड़ा सदन है और इसके अध्यक्ष की गरिमा सर्वोपरि होती है और यहां से जो नजीरें बनी हैं, जो आपकी पीठ से व्यवस्थायें दी गयी हैं, मैं समझता हूं कि वह पूरे देश के लिए अनुकरणीय हैं और लगभग सभी विधान सभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने तथा संसदीय समितियों ने यहां आकर उनका अध्ययन किया है और अपनी-अपनी विधान सभाओं में उनको लागू किया है।

श्रीमन्, मैं जिस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसका श्री तिवारी जी ने जिक्र किया है, कि आपको नेता विरोधी दल ने कहा है, कि आप लोकतन्त्र के हत्यारे हैं, आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ चुका है, आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नियम कानून को परम्पराओं को और देश के संविधान को यह दल और इसके सदस्य मानते नहीं हैं, यह मेरा आरोप है और मैं आपके सामने जो हमारे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है, उसके नियम 270 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इसको पढ़कर अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें सभी बातें आ चुकी हैं। 270–अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प–कोई सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 179(ग) के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्तर्गत किसी संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना देना चाहे तो वे उसे लिखित रूप से देंगे परन्तु पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए कोई संकल्प अनुज्ञा के लिए तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक कि सचिव को चौदह दिन के पूर्व ऐसी सूचना न दी गयी हो । तो श्रीमन्, मान भी लिया जाय कि उन्होंने आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे दी हो, किन्तु जब तक वह 14 दिन के बाद माननीय सदन में पेश न हो तथा सदन की अनुज्ञा प्रस्ताव को न मिल जाय, तब तक उसको अविश्वास का प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता है । उसमें आप नियम 271 को भी देख लें, इसमें अनुज्ञा के बारे में दिया है–"271–संकल्प लिए जाने के लिए सदन की अनुज्ञा (1) जिस सदस्य के नाम से संकल्प हो वे संकल्प वापस ले सकेंगे, परन्तु यदि वे ऐसा न करें तो वे संकल्प उपस्थित करने के लिए सदन की अनुज्ञा मांगेंगे । इस प्रक्रम पर किसी भाषण की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु प्रस्तावक संकल्प लाने के कारणों का संक्षेप में उल्लेख कर सकेंगे ।" इसमें का दूसरा भी आप देखें–(2) अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, अपने-अपने स्थानों में खड़े होने के लिए कहेंगे । यदि तत्समय सदन के सदस्यों के पंचमाश से न्यून सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी प्रस्तावक को सूचित करेंगे कि उसे संकल्प करने के लिए सदन की अनुज्ञा नहीं है । अर्थात् पंचमाश जो है, उससे ज्यादा अगर होंगे तब वह अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत होगा और उसके बाद आप उसके लिए समय निश्चित करेंगे और फिर उसी दिन या उसके बाद किसी दिन जो आप चाहेंगे सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा तब उस पर बहस हो सकेगी ।

इसके साथ ही आप नियम 272 को भी देख लें, जो नियत दिन की कार्यसूची में संकल्प का सम्मिलित किया जाना, में दिया है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इस माननीय सदन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने जो आपको लोकतन्त्र की हत्या की है या लोकतन्त्र का हत्यारा कहा है बहुत ही निन्दनीय है यह हर संस्था के प्रति झूठ बोलकर, झूठा आरोप लगाकर, जो लोकतन्त्र की संस्थायें हैं विधान सभायें और लोक सभा, उसको अपने कृत्यों से अपने कार्यों से कलंकित करना चाहते हैं और जनता के अन्दर एक गलत रुझान पैदा करना चाहते हैं कि ये संस्थायें लोकतन्त्र के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं, ताकि जनता का विश्वास इन संस्थाओं से उठ जाय । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत ही विनम्रतापूर्वक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो कृत्य किया है, वह बहुत ही निन्दनीय है, जो परम्परा के अनुकूल नहीं है, संविधान के अनुकूल नहीं है और जो हमारी विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है, उसके अनुरूप नहीं है ।

मान्यवर, यह सब देखकर मुझे बहुत ही दुःख हुआ है, मैं यहां सन् 57 से सदस्य हूं और सबसे पुराना भी हूं, कभी भी इस तरह की बातों को, ऐसे झूठे और गलत आरोपों को मैंने सुना नहीं, मिथ्या प्रचारों को नहीं सुना ।

श्रीमन्, आपके कक्ष में 23 तारीख को मीटिंग हुई थी । उन्होंने यहां आपको लोकतन्त्र का हत्यारा कहा था । मैंने मा० कल्याण सिंह जी से कहा था, मा० मुलायम सिंह जी भी थे । मा० बेनी प्रसाद भी मौजूद थे और दूसरे माननीय नेतागण मौजूद थे । मैंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा था कि आप इस तरह की कार्यवाही बन्द करें और अपने सदस्यों को अनुशासित करें लेकिन उन्होंने उसमें अनभिज्ञता जाहिर की । मान्यवर, यह कैसा दल है, जिसके सभी सदस्य अपनी-अपनी बात कहना चाहते हैं और गलत तर्क देना चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि इसी पर यह दल जिन्दा है । मिथ्या प्रचार किया जाय,

गलत आरोप लगाये जायें, जनतन्त्र और लोकतन्त्र की हत्या की जाय । इस तरह से यह झूठ बोलने वाले लोग इस देश के ऊपर अपना राज्य कायम करना चाहते हैं । यदि यह लोग अपने इस तरह के कार्यों में सफल हो गये तो वह दिन पूरे जनतन्त्र के लिए, हमारे देश के लिए एक काला दिन होगा । मान्यवर, इसलिए हम सबको मिलकर इनके कुकृत्यों और कुकर्मों की निन्दा करनी चाहिए और जनतन्त्र और लोकतन्त्र की हिफाजत करनी चाहिए ताकि यह जो सबसे बड़ा लोकतन्त्र है दुनिया में, एक अपना स्वरूप दिखायेगा और दूसरे देशों के सामने एक नजीर पेश करेगा तब ही इस देश की अस्सी करोड़ जनता की भावनाओ का हम आदर करेंगे और सही मायने में उनकी भावनाओं को रखकर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे । इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं माननीय तिवारी जी द्वारा रखे उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि श्री कल्याण सिंह और उनके दल के सदस्यों के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पेश किया जाय ।

(मेजें थपथपाई गयीं)

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी श्री प्रमोद तिवारी, नेता कांग्रेस पार्टी और माननीय ऊदल नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, निन्दा प्रस्ताव के ऊपर जो माननीय तिवारी जी द्वारा लाया गया है, को बड़े ध्यान से सुना और बहुत हद तक मैं उनकी बातों से सहमत हूं । मान्यवर, उन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है जो दोनों नेताओं ने कही हैं और यही सही बात है कि इस सदन में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और सर्वसममति से आप चुने गये हैं । आपमें सबकी आस्था और विश्वास है । सदन का कार्य संचालन करते समय जहां आप विरोध पक्ष के अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं वहीं सरकारी कार्यों के सम्पादन के लिए कभी-कभी नर्म रुख अपनाना पड़ता है । यह हमेशा से होता रहा है और होता है । मान्यवर, 23 तारीख को एक दुःखद स्थिति पैदा हुई और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ हो लेकिन सबसे दुःखद पहलू यह था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष से जो हम लोग उम्मीद नहीं करते थे । मैं समझता हूं कि हम ही क्या सारा प्रदेश उम्मीद नहीं करता होगा । मान्यवर, अधिकतर होता है कि कम जानकारी में, उत्तेजना में अपने अधिकारों और सीमा से बाहर जाकर व्यक्ति कुछ कह देता है । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपके बारे में जो कहा है कि आप लोकतन्त्र के हत्यारे हैं । आपने लोकतन्त्र की हत्या कर दी, आपको इस पीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है, यह बात कही है, यह बहुत खेद जनक है । इसकी हम लोगों को मिलकर निन्दा करनी चाहिए । ऐसा नहीं है कि गतिरोध पैदा नहीं होता । गतिरोध पैदा होता है तो उसको बैठकर दूर किया जाता है । गलती करने वाला खेद व्यक्त करता है, क्षमा मांगता है और आप हमेशा उदार रहे हैं और क्षमा करते रहे हैं । आपका कभी भी, इस पीठ का कभी भी ऐसा रवैया नहीं रहा है कि बड़े से बड़े दोष पर क्षमा न किया गया हो । तीन दिन प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे अफसोस के साथ कहना है कि क्षुद्र राजनीति को सर्वोपरि सामने रखकर, अपनी गलत बात पर अपनी गलत मांग पर अड़े रहे । वह कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाना है । अविश्वास प्रस्ताव सदन के संज्ञान में नहीं है अनुज्ञा नहीं दी गयी, जो प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हों साधारण नोटिस को अविश्वास प्रस्ताव कहकर, सदन का समय बरबाद करना इस सदन की छाप देश में धूमिल करना बहुत अफसोस की बात है ।

मैं बहुत कहना चाहता हूं जो प्रमोद तिवारी ने कहा है, ऊदल जी ने कहा है साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के बारे में और उनके भ्रामक विचारों के बारे में उनके कार्यकलापों के बारे में, लेकिन मान्यवर, उनकी अनुपस्थिति में मैं समझता हूं मुझे बोध होता है कि मैं बहादुरी नहीं करूंगा । लेकिन जो बातें हैं वह अपने आप में सही हैं। माननीय कल्याण सिंह जी सदन के बाहर असत्य बोलकर, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं । यह सदन के बाहर ऐसे काम करते हैं इस सदन के भीतर भी उन्होंने वही काम शुरू कर दिये । मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं जो माननीय कल्याण सिंह जी सुप्रीम कोर्ट या नेशनल इन्टीगेशन कौंसिल का वाक्या ले लें. चाहे शपथ-पत्र का वाक्या ले लें, चाहे जो वाक्या हो, सही काम नहीं करते हैं । मैं अफसोस जाहिर करता हूं इस दल के नेता का जो आचरण रहा है वह सदन के फोरम पर आयगा वह जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं वह गलत है । जो ऊदल जी ने बात कही है और प्रमोद तिवारी जी ने निन्दा प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । नेता प्रतिपक्ष ने जो तीन-चार दिन ऐसा किया है उसकी घोर निन्दा करता हूं । आगे आने वाले समय में सदन की संसदीय परम्परा बनी रहे नियम कानून संविधान के ऊपर आपको बड़ी शक्ति मिली है वह आपका विवेक है उन सब बातों से ऊपर उठकर देश और प्रदेश की जनता के हित में सोचना, अपने विवेक से सोचना वह नजीर बनती है । जो नेता प्रतिपक्ष ने आचरण किया है उनके दल ने आचरण किया है उसकी घोर निन्दा करता हूं ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, दो-तीन दिन से सदन के अन्दर घटना क्रम देखने को मिल रहा है उससे दुःख हुआ । मुझे विश्वास है कि नेता विरोधी दल सही मायने में नेता विरोधी दल के रूप में आचरण नहीं कर रहे हैं । वह भाजपा की नीति-रीति के मुताबिक उनके प्रतिनिधि के रूप में आचरण हो सकता है लेकिन विपक्षी दल के नेता के रूप में उनका आचरण देखने को नहीं मिलता है विपक्षी नेता के रूप में जब आचरण नहीं किया जाता है तो पीठ पर जो बैठता है कभी-कभी उसे जहर का घूंट पीना पड़ता है वह अपनी बात जाहिर नहीं कर पाता है । चाहे हमारे दल के लोग हों, चाहे कांग्रेस दल के लोग हों, सब के मन में हमेशा यह बात रही है कि पीठ के प्रति सम्मान बनाये रखना है । अगर कभी उत्तेजना के क्षण भी आये और हम लोग उत्तेजित हुए तो भी आपकी पीठ के सम्मान को ध्यान में रखा गया है । तथा उसमें कमी नहीं आने दी गयी । दूसरी बात, अगर नेता विरोधी दल को कोई शिकायत पैदा हुई थी, तो विपक्ष के नेता के रूप में उनका यह फर्ज बनता था कि जो भी विपक्ष के नेता थे, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे जनता दल के नेता हों या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हों, सबसे बात करके, कोई नीति तय करते । बहुत सी बातें आपस में बातचीत करके ही हल हो जाती हैं । इतिहास के पन्नों को उठाकर आप देखें, कोई भी विधान सभा ऐसी नहीं है, जहां पर इस पीठ पर बैठने वाले के प्रति रोष व असन्तोष न पैदा हुआ हो । लेकिन उस रोष व असन्तोष को हल करने के बहुत से तरीके अपनाये गये । सदन के मंच पर इस तरह का आचरण कभी नहीं किया गया । जिस तरह का आचरण इस बार देखने को मिल रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय कल्याण सिंह ने जो प्रस्ताव रखा, वह भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में रखा । विपक्ष के नेता के रूप में मैं उसे नहीं मानता हूं । वह प्रस्ताव, उसकी नोटिस भी अभी नियमों के मुताबिक जब तक 14 दिन पूरे न हो जायें, सदन की अनुज्ञा उस पर न हो, तब तक यह कह देना कि आपको इस पीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है । यह तो इस पीठ को कलंकित करने का काम है । जो संसदीय परम्परा है, जो लोकतान्त्रिक मर्यादा है, उस मर्यादा पर दाग लगाने का काम है । ऐसा आचरण नेता प्रतिपक्ष की तरफ से किया गया है । मैं तो उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं हूं । जब हमको वृह विपक्ष के साथ नहीं जोड़ते और कहते हैं कि यह लोग तो सहयोगी दल हैं तो हम और हमारा दल उनको विपक्ष के नेता के रूप में मानने को तैयार नहीं है । सहयोगी दल की भूमिका क्या होती है । हम सहयोगी हैं और सरकार बचाने के लिए और इसलिए क्योंकि इस प्रदेश की जनता को नई सरकार से बहुत आशायें हैं । अगर यह सरकार उनकी आशाओं को पूरा करती है, तो अच्छी बात है । नहीं पूरा करेगी तो जनता की अदालत में इन्हें जवाब देना पड़ेगा । हम सरकार बचाने के लिए सहयोगी दल हैं । लेकिन इनके कार्यकलापों की आलोचना समालोचना करने का हमें पूरा अधिकार है । हमारा यह अधिकार है कि सरकार जो भी गलतियां करे उसकी आलोचना करें । विपक्ष की अकेले ठेकेदारी श्री कल्याण सिंह अपने पास लिए हुए हैं । कांग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी इनकी नजर में सहयोगी दल हैं । मैं आपके माध्यम से इस सदन में घोषणा करता हूं कि कल्याण सिंह को नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम नहीं मानेंगे । हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक आप इस पीठ पर बैठेंगे तब तक आपके बारे में कहे गये शब्द आपकी पीठ के प्रति कहे गये शब्द माने जायेंगे । हमारे दल की तरफ से जो सम्मान का भाव उस पीठ के प्रति होना चाहिए, जब तक आप उस पीठ पर रहेंगे तब तक बना रहेगा । इन शब्दों के साथ माननीय प्रमोद तिवारी जी द्वारा रखे गये निन्दा प्रस्ताव से अपने को जोड़ते हुए और अपने दल को जोड़ते हुए सदन से अपेक्षा करता हूं कि इस निन्दा प्रस्ताव को सर्वसममति से पास करें ।

* श्री काशी सिंह ऐरी–

श्रीमन्, हालांकि 22 तारीख की सदन की कार्यवाही में अपरिहार्य कारणों से मैं उपस्थित नहीं था, जब इस सारी घटना की जानकारी मिली तो मान्यवर, मुझे अत्यन्त दुःख और क्षोभ हुआ और मुझे याद आया कि वह प्रवृत्तियां फिर सर उठा रही हैं जो प्रवृत्तियां इस देश में कानून का शासन संविधान का शासन चलाने में विश्वास नहीं रखती हैं । एक बार पिछले 6 दिसम्बर की घटना में हमने बड़ी मुश्किल से अपनी लाज और इस देश की लाज बचायी थी । कुछ ऐसे ही लोगों के प्रयास से पूरा देश बदनाम हुआ था और संविधान में आस्था रखने वाले लोगों का सिर नीचा हुआ था । कुछ लोगों ने मिलकर जो त्रासदी संविधान के साथ की थी, न्यायालय के साथ की थी वही त्रासदी आज फिर उभर कर आयी है । हमने यह सोचा था कि ऐसी प्रवृत्तियां कुछ सबक लेंगी । सारा देश ऐसी शक्तियों के खिलाफ एक साथ उठ खड़ा हुआ था और हमें आशा थी कि उससे यह लोग कुछ लेंगे लेकिन वैसी ही आचरण फिर किया जा रहा है । इन घटनाओं को देखते हुये मुझे ऐसा लगता है कि उन प्रवृत्तियों ने कुछ सबक नहीं लिया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है बल्कि वह और ज्यादा उग्र हुयी है । श्रीमन्, इस पीठ के बारे में कुछ कहना मैं आवश्यक नहीं समझता, माननीय वर्मा जी ने और अन्य माननीय नेताओं ने उस संबंध में कहा है ।

मान्यवर, आपत्तियां होती हैं, पीठ से असहमतियां होती हैं । मैं बहुत पहले से इस सदन का सदस्य तो नहीं रहा लेकिन तीसरी बार मुझे इस सम्मानित सदन में आने का मौका मिला है और हमेशा इस पीठ के प्रति हम लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने सम्मान व्यक्त किया है । मैंने पिछली घटनाओं के बारे में भी काफी पढ़ा है और सुना है, ऐसी घटना पहली बार हुई है कि बिना किसी परम्परा को देखे, बिना किसी नियम को देखे ऐसा प्रस्ताव रख दिया गया है । इस पीठ के प्रति जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है, उनको दोहराने में मुझे शर्म आती है । जैसा मैंने पहले कहा कि पीठ के प्रति असहमति होती रही है और माननीय सदस्य आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर वह असहमति आपको बताते रहे हैं, माननीय सदस्यों को अगर कोई कष्ट हुआ है तो मिलकर उसका समाधान निकाला गया है, माननीय नेताओं ने मिलकर समाधान निकाला है और लोकतंत्र की लाज रखी है और इस सदन की महानता और गरिमा हम बचा सके हैं ।

मान्यवर, 16 दिसम्बर, की घटना जो ऐसी उत्तेजनात्मक प्रवृत्तियों के कारण घटित हुयी उसका निपटारा करने के लिये सारे दलों के सम्मानित नेता बैठे और आपस में विचार विमर्श किया गया और यह उचित समझा गया कि ऐसी घटना को भूला दिया जाना चाहिये और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो यह प्रयास किया जाना चाहिये । लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि प्रवृत्तियां खत्म हुयी हैं, मेरा आरोप नेता प्रतिपक्ष पर है । उसी प्रवृत्तियों के चलते नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा व्यवहार किया है और ऐसे आरोप लगाये हैं । अगर आपसे कोई शिकायत थी तो आपसे शिकायत करते, आपस में विचार विमर्श करते, हम लोगों से कहते कि यह गलत काम हो रहा है, हम आपका ध्यान आकर्षित करते, मेरा विश्वास है कि अगर कोई गलती होती तो उसका समाधान निकलता लेकिन ऐसा न करके नियमों और परम्पराओं को ताक पर रखकर जिस तरह का आचरण उन्होंने किया है उससे मैं मेरे जैसा समाजवादी, लोकतंत्र में, परम्पराओं में आस्था रखने वाले बहुत सारे लोगों तथा प्रदेश की जनता को कष्ट हुआ है ।

नेता विरोधी दल और उनके दल के नेता यहां पर मौजूद नहीं है, अगर वह यहां पर मौजूद होते तो मैं इससे भी ज्यादा उग्र भाषा का प्रयोग करता और उनसे कहता कि आपने यह गलती की है । अगर वह आयेंगे तो मैं इससे तीव्र रोष के साथ आग्रह करूंगा कि आपका आचरण लोकतांत्रिक नहीं है । उत्तर प्रदेश विधान सभा जो देश के सामने नजीर करती रही है । मैंने बहुत सारी विधान सभाओं के बारे में पढ़ा और सुना है, पार्लियामेंट के बारे में देखा है और सुना है लेकिन जो गरिमा उत्तर प्रदेश विधान सभा की रही है उसके सामने न कोई विधान सभा की ओर न पार्लियामेंट में वैसी कोई नजीर नहीं मिलती जो गरिमा और मर्यादा इस सदन की रही है । अगर कोई नये माननीय सदस्य यह कहते तो हमारी समझ में आता और हम उनको समझा सकते कि आपका आचरण उचित नहीं है, उनको हम समझा सकते थे लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो 8वीं बार इस सम्मानित सदन के सदस्य होकर आये हैं उनके द्वारा ऐसे आचरण की अपेक्षा हमें कम से कम नहीं थीं । नियमों के एकदम विरुद्ध है, परम्परा और गरिमा के विरुद्ध है और लोक तंत्र के खिलाफ यह सारा आचरण है और इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के खिलाफ तो उनका आचरण पहले से ही रहा है और शार्ट कट अपना कर भावनाओं को भड़का कर वे लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं । लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले

लोगों को हर स्तर पर इनका मुकाबला करना चाहिए, राजनैतिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, इस प्रवृत्ति का मुकाबला करना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी द्वारा रखे गये निन्दा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय कल्याण सिंह जी अपने इस आचरण के लिए निश्चित तौर पर खेद व्यक्त करें और जो यह तथाकथित अविश्वास का प्रस्ताव है, तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह न तो नियमों के अन्तर्गत है और न ही परम्परा के अनुरूप है । हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और इस सदन के प्रति विश्वास रखते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं मान्यवर, इस प्रकार का आचरण जो है, वह एक इस प्रवृत्ति का द्योतक है और इस प्रवृत्ति के खिलाफ हमको लड़ना चाहिए ।

*श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी द्वारा रखे गये निन्दा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय कल्याण सिंह के बारे में 22 और 23 तारीख को जो उन्होंने अपनी आदत और परम्पराओं और सिद्धान्त के अनुसार आचरण किया, ये फासिस्टवादी प्रवृत्ति और सम्प्रदायिक प्रवृत्तियों के लोग देश और तमाम विश्व में इनके यही आचरण रहा है यही चरित्र रहा है कि घिनौना से घिनौना काम करने में भी इन्हें शर्म नहीं आती । झूठ बोलना, धोखा देना यह इनका धर्म है । इनके नेता डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय आन्दोलन में जब सारा देश और सारे देश की जनता अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन कर रही थी और तरह-तरह की कठिनाइयां उठा कर राष्ट्रीय आन्दोलन में अंग्रेजों को भगाने में कार्य कर रही थी, उस समय भी उनके नेता डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजा और महाराजाओं के माध्यम से उनकी पैरोकारी करके राष्ट्रीय आन्दोलन में बाधा पैदा कर रहे थे, जिससे उनके आचरण से अंग्रेजों को लाभ पहुंच रहा था, यही उनका धर्म था कि अंग्रेज भारत से न जायं, क्योंकि वे लोग राजाओं और महाराजाओं के पैरोकार बने हुए थे । वे लोग राष्ट्रीय आन्दोलन को पीछे ढकेलने का काम कर रहे थे । कोई भी देश भक्त दल या नेता इस तरह का आचरण नहीं कर सकता था, जो इनके नेताओं ने किया, जो राष्ट्रीय आन्दोलन को पीछे ढकेलने का काम किया । जब नेशनल कांफ्रेंस के नेता शेख अब्दुला को जेल में बन्द कर दिया गया और उनके आन्दोलन का दमन कश्मीर की रियासत ने शुरु किया तब आशिफ अली और जवाहर लाल नेहरू कश्मीर गये, तब प्रेम नाथ डोगरा ने विरोध किया और महाराजा का समर्थन किया और इनका विरोध किया । फिर बाद में इन्होंने जनसंघ नाम की पार्टी बनाया, जिसमें प्रेम नाथ डोगरा, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ नाम की पार्टी बनाई । उससे पहले नेता लोग जो रहे, उनका राष्ट्रीय आन्दोलन में कोई योगदान नहीं रहा है ।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, नेता कांग्रेस ने जो निन्दा प्रस्ताव रखा है, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ रखा है और उस पर दूसरे नेताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मैं उस निन्दा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्ताव के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुये उस आचरण की कठोर लब्जों में निन्दा करता हूं, जो आचरण और व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया है। मान्यवर, यह सौभाग्य की बात है मुझे इस सम्मानित सदन में बैठने का पहली बार मौका मिला है, जिस दिन से मैंने यहां पर कदम रखा उसी दिन से लगातार यह देखने को मिला कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से किसी मुद्दे की बात नहीं की गयी और बिना किसी बात के किसी मामले को तूल दिया गया, यही कर्तव्य रहा है। मान्यवर, यह बजट सत्र चल रहा है। इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना और अपनी बात को कहना जनता के हित के लिये बहुत जरूरी होता है, लेकिन प्रतिपक्ष का कोई इससे वास्ता ही नहीं है। जिस चीज के बारे में 14 करोड़ की जनता बात करना चाहती है, लेकिन वह सिर्फ ऐसे पक्ष और समुदाय की बात करते हैं। अगर कोई हिस्ट्री शीटर मारा जाता है, तो उसकी बात यह करते हैं। मैं ज्यादा न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनके इस आचरण की जितनी भी निन्दा की जाये वह कम है। माननीय तिवारी जी ने जो निन्दा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि अगर 14 करोड़ की जनता की खुशहाली के लिये अगर मुझे सदन से पूरे प्रदेश को सन्देश जाता है, लेकिन प्रतिपक्ष की ओर से इस प्रदेश के विकास में बाधा पहुंचायी जाती है। उनकी सह कोशिश रहती है कि प्रदेश का विकास रुके और प्रदेश की छवि धूमिल हो। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के रहते हुये अगर मुझे अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़े तो मैं देने के लिये तैयार हूं, अगर सदन नेता प्रतिपक्ष से भी इस्तीफा ले लें और पूरा प्रदेश सुरक्षित चले और विकास की ओर चले। मैं अपनी ओर से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं बशर्ते यह बी०जे०पी० का पूरा दल इस्तीफा दे। इन शब्दों के साथ में प्रमोद तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत निन्दा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री समरपाल–

मान्यवर, इस सदन की गरिमा है, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि जो आचरण भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा किया गया, वह निन्दनीय है। सदन में बहुत सी बातें ऐसी होती रहती हैं, जो सुनायी नहीं पड़ती हैं, आप सुन नहीं पाते हैं, पत्रकार सुन नहीं पाते हैं। इस तरह की बाते हों रही थीं जो सुनी ही नहीं जा रही थी। बहुत ही खराब बातें कही जा रही थीं, वह बहुत ही गलत बातें थीं और गन्दी बातें थीं। मान्यवर, एक मिनट के अन्दर 6 हजार का खर्च होता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल मजाक बनाया जाता है, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इन लोगों की संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है । एक बेजान चीज को गिराकर देश के अन्दर बड़ा उधम मचाते हैं कि हमने बड़ा अफलातूनी काम किया है क्योंकि एक बेजान चीज एक मस्जिद को गिरा दिया है । और इसी उसमें आकर इन्होंने साम्प्रदायिकता का नंगा नाच किया जिससे न जाने कितने लोग मारे गये और कितने बेघर हो गये । पिछले दिनों यही कल्याण सिंह सदन में चिल्लाते थे और बाहर भी चिल्लाते थे कि मुलायम सिंह ने फायर करवा दिया जिससे कई हजार लोग मारे गये। मान्यवर, मैंने इनको मुरादाबाद में एक मेमोरेन्डम दिया था, कल्याण सिंह जी को जब वे मुख्य मंत्री थे, कि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि 16 आदमी मारे गये और उनको कम्पन्सेशन दे दिया था और आप कहते हो कि हजारों आदमी मारे गये हैं तो उन हजारों लोगों का आप नाम बता दें और उनको कम्पन्सेशन दे दें । तो मान्यवर, यह तो ढोंगी आदमी हैं । दूसरे से कहते हैं कि विदेशी सामान को त्यागो और इन डंडी मारों के यहां सबसे ज्यादा विदेशी सामान मिलेगा । यह देश और प्रदेश के प्रति निष्ठावान नहीं हैं । मान्यवर, एक छोटी सी कहावत है–

एक जोटा (भैंसा) कल्याण सिंह जी के पास था और वह खो गया । वह उसको खोजते खोजते हस्तिानपुर आ गये वहां बहुत मंदिर हैं । वहां पर एक पंडित जी खोई हुई चीज को बता देते थे उन्होंने कल्याण सिंह जी से कहा कि क्या हो गया है तो इन्होंने कहा कि हमारा जोटा खो गया है उसे बता दो, तो पंडित जी ने पूछा कि जोटा कितने रुपये का था तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि 500 रुपये का था तो उस पंडित जी ने कहा कि इस मंदिर में आओ और प्रसाद बोल दो तो इन्होंने कहा कि पैसे तो हैं नहीं तो पंडित जी ने कहा कि उधार ही बोल दो । तो पंडित जी कहीं विष्णु के मंदिर में लेकर गये और कहा कि यहां 51 रुपये का प्रसाद बोल दो फिर गणेश जी के मंदिर में गये कि यहां 51 रुपये का प्रसाद बोल दो और इस तरह से कई मंदिरों पर प्रसाद बुलवा दिया तो कल्याण सिंह जी के साथ गये लोगों ने कहा कि जोटा तो 500 रुपये का था और आप साढ़े पांच सौ रुपये का प्रसाद बोल चुके है तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि ऐसी की तैसी राम की और इस पंडित जी की, मैं तो जोटा ढूंढ रहा हूं । तो मान्यवर, इनकी आस्था न राम जी में है और न ही पंडित जी में यह तो अपना जोटा ढूंढ रहे हैं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे तो जो इस समय माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं मैं तो इसकी अपेक्षा भी नहीं रखता था क्योंकि मैं यह नहीं सोचता था कि जो 22 और 23 तारीख को जो हुआ था उसकी परिणति यह होगी । कभी उत्तेजना में पीठ के संबंध में भी रोष व्यक्त किया जाता है यहां तक कि सदन में इससे पूर्व अविश्वास प्रस्ताव भी पीठ के खिलाफ हुए हैं लेकिन शायद सदन में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हों और कभी-कभी माननीय सदस्य के द्वारा या दल के द्वारा पीठ के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव इस तरह किया गया हो, तो जो आचरण इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता-प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया है, कदाचित संसदीय परम्पराओं और इस उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी इस तरह का आचरण किसी दल या किसी माननीय सदस्य के द्वारा कभी इसके पूर्व नहीं किया गया है । इसलिये मुझे खेद है मैं तो यह सोचता था कि न तो यह निन्दा प्रस्ताव आना चाहिए था और न ही इनका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अविश्वास प्रस्ताव अब तक रहना चाहिए था वह वापस लेते तो शायद यह सदन जो सबकी मंशा हैं, सबकी इच्छा है, सबकी आकांक्षा है, अपेक्षाएं हैं, आशायें हैं, उम्मीदें हैं उनको पूरा करने में यह सदन में अपने कर्तव्य का पालन करते, उनका निर्वहन करते । लेकिन मान्यवर, यह दुख की बात है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लाया गया अविश्वास का प्रस्ताव नियमानुकूल भी नहीं रहा और उस नियमानुकूल के पहले जो आचरण किया उसी का कारण था कि कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता माननीय प्रमोद तिवारी जी को इन संसदीय परम्पराओं की रक्षा के लिये या संसदीय परम्पराओं का अवमूल्यन न हो, इसी के कारण यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में सभी दल के सम्मानित नेताओं ने और सदस्यों ने अपने को सम्बद्ध किया है । इसलिये कि जब उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में हम जाते हैं तो सबसे पहले राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन तत्कालीन अध्यक्ष जी वहां विराजमान थे जहां मान्यवर, आप आज अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था मुस्लिम लीग के सदस्य जहीरुल हसन लारी साहब ने वह प्रस्ताव दिया था उन्होंने वह अविश्वास का प्रस्ताव 4 नवम्बर, 1947 को रखा था और स्वयं वह अविश्वास का प्रस्ताव लिखित रूप में वापस ले लिया था । यह प्रसंग मैं इसलिये उल्लेख कर रहा हूं कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जी के खिलाफ आया प्रस्ताव माननीय सदस्य ने स्वयं वापस ले लिया । 1959 में राम स्वरूप वर्मा जी के द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर जी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और अविश्वास प्रस्ताव का जो नियम है कि 1/5 लोग उसके समर्थन में खड़े होंगे लेकिन मात्र उसमें 24 सदस्य खड़े हुए और वह प्रस्ताव गिर गया । 4 मई, 1962 को शेष नारायण सिंह जी द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष मदन मोहन जी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया इसी सदन में उस प्रस्ताव पर न सत्ता पक्ष से न प्रतिपक्ष से और न किसी दल से कोई एक सदस्य उसके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ वह प्रयास असफल रहा । 19 अक्तूबर, 1962 को नेकराम शर्मा जी प्रस्ताव लाये उन्होंने प्रस्ताव को वापस ले लिया । इस तरह से जब-जब इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव आये हैं या तो मान्यवर, वह प्रस्ताव वापस ले लिये गये या कभी उसकी अनुज्ञा की बात आयी तो जो संख्या की बात होती है उस संख्या में लोग नहीं खड़े हुए । जबकि दूसरे किसी विषय में माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव पर बल देते हैं लेकिन केवल इस पीठ की मर्यादा के लिये, संसदीय परम्पराओं की रक्षा के लिये इस सदन के सर्वोच्च उस आसन की गरिमा की रक्षा के लिये, माननीय सदस्य जब अपनी सामान्य स्थिति में आते हैं तो इस पूरी पीठ की गरिमा जो इस सदन में सर्वोपरि है, सर्वोच्च शिखर के रूप में पीठ हुआ करती है, उस पर बल नहीं देते हैं ।

पहली बार यह हो रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आ रहा है आज तक ऐसा प्रस्ताव संसदीय इतिहास में माननीय सदस्य द्वारा ही किन्हीं परिस्थितियों में लाया गया था । लेकिन नेता प्रतिपक्ष जैसा कि उल्लेख किया गया है, आठवीं बार इस विधान सभा में आये हैं, उनको तो पीठ की मर्यादा, पीठ के सम्मान के प्रति निश्चित तौर से ध्यान होना चाहिए था । उनके द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव जिसकी कि उन्होंने 14 दिन प्रतीक्षा नहीं की जबकि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव आया उसके दूसरे दिन ही, 15 दिन पहले ही, प्रेस करने के लिये दबाव डालने के लिये आक्षेप लगाये पीठ पर कि नहीं बैठ सकते हैं, उसके बाद सदन स्थगित हुआ, तब मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात की कि इस गतिरोध को समाप्त किया जाय, जबकि एक दिन पहले पीठ पर आक्षेप लग चुका था, संसदीय

कार्य मंत्री जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है । आपके साथ बात हुई, माननीय नेता सदन मुलायम सिंह यादव जी आये, किरन पाल जी, ऊदल जी, राम आसरे वर्मा जी भी आये, हम लोगों ने आपके कक्ष में बैठकर बात की, नेता सदन भी थे । मान्यवर, हम लोगों ने कहा कि आप उस पीठ पर विराजमान हैं आप इस सरकार के किसी विधेयक को पारित करा दें, किसी विभाग की मांगों पर मतदान कराते समय जितना कठोर हो सकते हैं, कठोर रहें । सरकार के कामों को, विभाग के बजट को पारित कराना आपका दायित्व है । सरकार के किसी प्रस्ताव, संकल्प को पारित कराना आपका दायित्व है चाहे जितना कठोर रहे । लेकिन मान्यवर, जो विचार विनियम और चर्चा का सवाल है उसमें आपकी तमाम दृष्टि उदारतापूर्वक विपक्ष के साथ रहे । यह बात हमने कही थी और नेता प्रतिपक्ष के लिये माननीय ऊदल जी, माननीय किरनपाल जी और हम लोगों ने यह कहा था कि नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा नेता सदन से कम नहीं होनी चाहिए और इस बात का उल्लेख इसलिये कर रहा हूं, मैं इस बात का उल्लेख नहीं करता मगर नेता प्रतिपक्ष के लिये निन्दा का प्रस्ताव आया है इसलिये उल्लेख कर रहा हूं ।

मान्यवर, हमने 23 तारीख को उनसे यह भी कहा था कि अब तो इस विषय को समाप्त कर दें । मान्यवर, हमने आपसे कहा था कि किन्हीं भी परिस्थितियों में जब सदन अव्यवस्थित हो, या हंगामा हो रहा हो और नेता प्रतिपक्ष जब खड़े हो जायें बोलने के लिये तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप उनको अवश्य सुनें और आपने महानतापूर्वक और कृपापूर्वक यह कहा भी था कि मैं कभी उनकी उपेक्षा नहीं करता हूं और भविष्य में इस बात का ध्यान रखूंगा कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिये खड़े हों तो उनकी उपेक्षा न हो और सब दलों के नेता भी इस बात के लिये सहमत भी हो गये थे । और हमने नेता प्रतिपक्ष से यह कहा था कि अब तो इस गतिरोध को समाप्त करो जिससे आपस में समन्वय स्थापित हो सके । उन्होंने तब यह कहा था कि हम इसे वापस ले लेंगे । उसके बाद यह अपने दल के सदस्यों के पास गये और उनसे बातचीत की और जब यह लौटकर आये तो उन्होंने यह कहा कि हमारे दल के लोग नहीं मान रहे हैं । मान्यवर, जब उनके दल के लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं, अपने नेता की बात नहीं मान रहे हैं तो उन्हें नेता पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था । हमारे दल के नेता प्रमोद जी हैं हम उनकी हर बात को मानते हैं । उन्होंने हम लोगों के समक्ष यह कहा कि हमारे दल के लोग नियंत्रण में नहीं हैं और वह हमारी बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो यह साबित करता है कि उनका अपने दल के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और वे संसदीय परम्पराओं को तोड़ने में विश्वास करते हैं, नियमों और कानूनों को तोड़ने का काम करते हैं और उस दिन भी यही बात उन्होंने की ।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि आज निधन के निर्देश थे । इस सदन की यह परम्परा रही है कि जिस दिन ये आते हों, जिन्होंने इस सदन में जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा की है जब वह दिवंगत हो जाते हैं तो उनके लिये पूरा सदन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है क्योंकि वह सम्मानित सदस्य थे और उन्होंने इस सदन की सेवा की थी आज वह दिवंगत हो गये हैं, उनकी सूचना यहां पर रखी गयी यह पहली बार परम्परा पड़ी होगी यह सदन इस बात का गवाह है कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की गयी यह पहली बार यहां पर हुआ है । मान्यवर, वह यहां पर आते और श्रद्धांजलि अर्पित करते मगर यह उन्होंने नहीं किया । वह मर्यादा की बात कर रहे हैं । अगर इतनी ही मर्यादा की बात करते हैं, गरिमा की बात करते हैं कि हम सदन में नहीं आयेंगे और सदन का

बहिष्कार करेंगे तो क्यों वह लाबी में जाकर हस्ताक्षर कर रहे हैं । हस्ताक्षर करने के लिये वे आ रहे हैं,जैसा अभी हमारे माननीय नेता, श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा, और सरकारी भोजन भी लाबी में बैठकर कर रहे हैं, और हस्ताक्षर करके एक दिन का डी० ए० भी ले रहे हैं तो यह बड़े दुख की बात है । यह भी बड़े दुख की बात है कि वे उन महान नेताओं के निधन के निर्देश में नहीं हैं । मैं समझता हूं कि अगर उस सूचना को, उस नोटिस को प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य कर लिया होता तो प्रस्ताव की ग्राह्यता पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता, कोई आक्षेपात्मक टिप्पणी की जाती तो भी क्षम्य था, लेकिन जिस तरह से सूचना देकर, उन्होंने पीठ पर जिस तरह का आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कुर्सी की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, इस तरह की जो टिप्पणियां की गयीं, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां और कोई हो नहीं सकती ।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जिस तरह की घटना उस दिन हुई और जिस तरह की टिप्पणियां हुई और टिप्पणियों के बाद समाचार-पत्रों में बयान दिया कि हमारे अध्यक्ष महोदय दिमागी दिवालियापन का द्योतक है, यह कतई उचित नहीं है । जिस तरह नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकार वार्ता में आपके आसन के प्रति, आपके प्रति टिप्पणी की है, हम भले ही सदन में उनका संज्ञान न लें, लेकिन प्रदेश की 14 करोड़ जनता ने उसका संज्ञान अवश्य लिया है । मान्यवर, इन बातों से साबित होता है कि जिस तरह का बयान और आरोप सदन के अन्दर आपके ऊपर लगया गया, वह पूर्वाग्रह से प्रेरित है, इससे ऐसा नहीं मालूम होता कि यह किन्हीं परिस्थितियों में कहा गया हो । जिस तरह की टिप्पणियां हुई हैं, वह अपने आप में, इस संसदीय इतिहास में अत्यन्त दुखद और निन्दनीय हैं । जो कृत्य उनके द्वारा किया गया है, उससे आज पूरा देश और प्रदेश स्तब्ध है । ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयीं जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुईं । श्रीमन्, आज भी उस कृत्य के लिये वह क्षमा नहीं मांग रहे हैं, दुख प्रकट नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, यदि आज यह सदन में होते, तो जिस तरह का अविश्वास प्रस्ताव वह बिना लोगों को विश्वास में लिये हुए लाये, और जिस तरह का आचरण उन्होंने किया, उसके खिलाफ उन्हें यहां अवश्य सुनना पड़ता, इसीलिये आज उन्होंने सदन का बहिष्कार किया, क्योंकि उनमें यह सब सुनने की क्षमता नहीं थी जिस तरह का वह आचरण कर रहे थे, उसके बारे में हम जरूर कहते, उसका जवाब दे सकने की उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिये उन्होंने आज बहिष्कार किया । माननीय नेता, कांग्रेस दल ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

(समय 2 बजकर 30 मिनट)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर बल देना चाहता हूं, साथ ही यह भी चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्य तथा संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस पर बोलने के लिये खड़े हों । मैं दो अन्य बातों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह पहली बार हुआ है कि कोई नेता विरोधी दल मुख्य मंत्री पद से हटने के बाद श्री कल्याण सिंह, जो गरीबों की बात करते हैं, उनके दर्द की बात करते हैं, क्या यह सच है सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी, कि उनके आवास के संबंध में 9 लाख 80 हजार रुपया रंगमहल बनाने पर खर्च हुआ है । क्या यह भी सच है कि.....

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जिस गम्भीरता से यह विषय चल रहा है, उसके संबंध में अन्य बातें कहकर उसको हल्का न किया जाये, इस पर प्रमोद तिवारी जी विचार कर लें। आप इन बातों को किसी अन्य समय पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात ठीक है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं नेता, जनता दल के सुझाव को स्वीकार करता हूं। मैंने जो निन्दा का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देता हूं और इसी संदर्भ में यह जरूर चाहूंगा कि सत्ता पक्ष भी इसमें सहयोग करे।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आज इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जो माननीय प्रमोद तिवारी जी ने निन्दा का प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही निन्दनीय है। यह स्थिति अगर किसी नये सदस्य के द्वारा हुई होती या उत्तेजना में हुई होती तो बात कुछ समझ में आती, परन्तु एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इस सदन के नेता भी रहे हैं और इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं और ऐसे आसन पर इस समय विराजमान हैं, जो बड़ा गरिमामय पद है, उनके द्वारा इस तरह की बात करना उचित नहीं है। यह सदन, नियम, कानून और नियमावली से, मर्यादित परम्पराओं और संसदीय परम्पराओं से चलता है। परन्तु इनका जिस दल से वास्ता है, उनके लोगों के द्वारा हम उनकी सभाओं में सुना करते थे, वह खुलेआम कहते थे कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, न्यायालय को नहीं मानते और उसकी परिणित अयोध्या की घटना के रूप में हुई जो कि अपने आप में एक गवाह है, सबूत है। यह लोग इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, यह मानते हैं "मनु" के विधान को, ये मानते हैं "धर्म संसद" के द्वारा किये गये निर्णय को। "धर्म संसद" कोई लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। आज हम लोग जो इधर बैठे हैं भारतीय संविधान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गयी है, उस व्यवस्था के तहत चुनकर आये हैं और सभी सदस्यों की, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारियां हैं। वह अपने क्षेत्रों की समस्याओं को या सत्ता पक्ष द्वारा जो विधेयक लाये जा रहे हैं, जो काम किये जा रहे हैं, जो कानून बनाये जा रहे हैं, उनके बारे में अपने विचार रखे, अपनी नीतियां रखे, दल की नीतियों को रखें। परन्तु मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि नेता प्रतिपक्ष और उनके दल के सदस्यों द्वारा, जब पंचायती राज विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ था, इन्हीं के दल के माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी उन्होंने दूसरे दिन के लिये उस पर बहस कराये जाने का अनुरोध किया था और प्रमोद तिवारी जी ने बल दिया था कि दूसरे दिन इस पर बहस हो ताकि सभी सदस्यों के मूल्यवान सुझाव आयें और एक अच्छा पंचायती राज विधेयक बने। परन्तु मान्यवर, उस दिन जैसा आचरण देखने को मिला उससे लगता था कि सोची समझी प्लान के तहत, राजनैतिक साजिश के तहत ये लोग न तो पंचायती राज विधेयक का विरोध कर

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पा रहे थे और न उसे स्वीकार कर पा रहे थे, जो भी कारण रहा हो लेकिन उनका और उनके दल का आचरण बहुत ही निन्दनीय रहा है। अगर उस पर बहस होती तो बहुत से माननीय सदस्यों के मूल्यवान सुझाव आये होते, जिसे सत्ता पक्ष उन सुझावों को विधेयक में समाहित करता।....

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी अपनी बात संक्षेप में कहिये।

श्री बी० आर वर्मा–

मान्यवर, 22, 23 तारीख को जो घटना हुई और उससे जो आपका और पीठ का अपमान हुआ, वह आपका अपमान नहीं हुआ है बल्कि पूरे सदन का अपमान हुआ और ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा जो कि बड़े ही गरिमामय पद पर आसीन हैं। एक दिन मैं माननीय कल्याण सिंह जी के भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था वह कह रहे थे कि यह तो साइकिल चलाने वाले लोग हैं, भैंस चराने वाले हैं, यह सरकार क्या चला पायेंगे, मान्यवर, जो भैंस चराने वाले लोग हैं, साईकिल चलाने वाले लोग हैं यह सरकार को चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी आप विषय पर बोलिये।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह सरकार को चला ही नहीं रहे हैं, जो इनकी (भाजपा) की सरकार चल रही थी उससे अच्छे ढंग से चला रहे हैं। इसको देखकर इन्हें हड़बड़ाहट हो रही है, तीन-चार दिनों का सदन और रह गया था लेकिन इतने समय के लिये यह ऐसा आचरण कर रहे हैं। यह कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, एक अच्छे बेहतर सरकार का स्वरूप जनता के बीच में उभरकर सामने आ रहा था और इस सरकार के अच्छे काम जनता में प्रस्फुटित हो रहे थे, जब यह सरकार अपने हर तर्कों के द्वारा और अपनी नीतियों के द्वारा जनता के बीच में किये गये वादों पर कार्य कर रही थी तो उनके दिल पर सांप लोट रहा था। सोचे समझे प्लान के तहत अपने चेहरे को जो है जिसको लाख छिपाने का प्रयास करते थे, उजागर ही कर दिया। आपकी पीठ के प्रति जो इन्होंने टिप्पणी की और जो कहा, उसकी मान्यवर, जितनी भी निन्दा की जाय कम है, इसलिये मान्यवर, यह जो उनका व्यवहार होना चाहिये था, दल का व्यवहार होना चाहिये था, उस तरह का मान्यवर, इन लोगों का व्यवहार तो नहीं था, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, परन्तु जिस तरह की विकृति मानसिकता झलक रही थी, उनके कृत्यों से झलक रही थी, न लोकतंत्र के हित में है, न इस सदन के हित में है और न ही इस देश के हित में है। इसलिये मान्यवर, ऐसे लोगों को संगठित हो करके ऐसा जो कहा वह कतई उचित नहीं है, यह लोग नारा लिखते थे कि आज पांच प्रदेश तो कल सारा देश, वह तो हुआ नहीं, तो बौखला गये, ये बौखलाये हुए लोग हैं, बौखलाये लोग सोच तक नहीं पाते हैं, इन लोगों के पास तर्क देने की शक्ति नहीं रह गयी है, नीतियों को कहने की शक्ति नहीं है, ऐसे लोग इन कारणों से आपकी और इस सदन की मर्यादाओं को घटा रहे हैं। मैं इस निन्दा के प्रस्ताव पर बल देता हूं कि इस संबंध में सख्त से सख्त निर्णय लिया जाय ताकि आने वाले दिनों में जो

भी सदस्य यहां पर आयें वह इससे सबक सीखें और अच्छा आचरण सदन के माध्यम से जनता में पहुंचे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस निन्दा प्रस्ताव पर बल देते हुए इसका समर्थन करता हूं ।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री वर्मा जी, संसदीय कार्य मंत्री जी की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिये ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है और उससे सहमति व्यक्त की है, माननीय श्री किरनपाल जी ने, माननीय श्री ऊदल जी ने, माननीय सदस्य, मुरादाबाद ने, माननीय श्री राम आसरे वर्मा जी ने, माननीय नेता जनता पार्टी, माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, माननीय जगदम्बिका पाल जी ने और माननीय श्री बी० आर० वर्मा जी ने । इन लोगों ने सहमति व्यक्त की है । श्री तिवारी जी के प्रस्ताव पर तकलीफ के साथ भारी मन से हम भी अपने को उससे सम्बद्ध करते हैं । तकलीफ के साथ श्रीमन्, इसलिये कि शायद हिन्दुस्तान में भी यहां इस सदन में तो यह प्रथम अवसर है जब नेता विरोधी दल जैसे सम्मानित व्यक्ति के विरुद्ध इस तरह का प्रस्ताव आ रहा है और हमको उस पर बोलने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ रहा है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सदन को संचालित करने में नेता सदन, नेता विरोधी दल और आपकी पीठ का सर्वाधिक महत्व होता है । श्रीमन्, लोकतंत्र, नियमों और संविधान के अनुरूप ही स्वस्थ्य तरीके से जनहितकारी हो सकता है और तर्कों के माध्यम से ही निर्णय संगत माने जाते हैं । लोकतंत्र में हम सबको वाणी की स्वतंत्रता है लेकिन नियम और परम्परायें हमको सीमित भी करती हैं । माननीय नेता विरोधी दल कोई नेता विरोधी दल के रूप में सीधे जीतकर नहीं आते हैं, वह आपकी पीठ से ही नामित व्यक्ति होते हैं । कोई ऐसा भी नियम और संविधान में प्राविधान नहीं है कि बहुमत दल का नेता ही विरोधी दल होगा । केवल एक परम्परा रही है । लेकिन ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इसलिये ज्यादा दुख इस बात का भी हो रहा है कि आपके द्वारा ही नामित व्यक्ति आपको अपमानजनक शब्दों से सम्बोधित कर रहा है और आपके ऊपर आरोप लगा रहा है ।

श्रीमन्, नेता विरोधी दल तो कम से कम सबसे ज्यादा तर्कपूर्ण, नियम-संगत और संविधान में आस्था रखने वाला होना चाहिये । वह अपनी बात को कह सकते थे नियमों के अन्तर्गत । नियमों का जहां तक प्रश्न है, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है, जिसे श्री ऊदल जी ने उद्घृत किया । नियम–273 में लिखा है कि जिस दिन माननीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प 14 दिन बाद लिया जाय तो उस समय "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुच्छेद 180(2) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होंगे ।" अगर उस दिन आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो तो आप पीठासीन नहीं होंगे । लेकिन 14 दिन के पूर्व उस पर कोई बहस भी नहीं हो सकती है । वह तिथि भी आप ही निर्धारित करेंगे कि किस दिन बहस हो और यहां पर 1/3 सदस्य उसके पक्ष में खड़े हों । यह सब जानते हुए भी माननीय नेता विरोधी दल ने 22 तारीख को जब यहां पर आबकारी विभाग, लोक निर्माण विभाग व तमाम अन्य विभागों की बजट मांगें पारित हो रही थीं, उस समय कुछ अपमानजनक शब्द कहे । श्रीमन्, हमको भी उससे कष्ट हुआ है । दूसरे दिन आपकी अनुपस्थिति में हम सब नेताओं ने उनसे अनुरोध किया, हमने

भी अनुरोध किया नेता विरोधी दल से । यह प्रतिपक्ष के नेता से भी पूछ लिया जाय, यह एक औपचारिकता होती है । उत्तर प्रदेश विधान सभा में विशेष रूप से सर्वसम्पति से उस कुर्सी पर व्यक्ति को बैठाया जाये और बैठाया जाता है । अगर प्रतिपक्ष न भी चाहे तो जिस भी दल का बहुमत होगा उसका व्यक्ति उस पद पर बैठेगा । लेकिन सदन की यह मर्यादा है कि इस पर बैठे हुए व्यक्ति का आदर सब करें और आपका सबके प्रति उदार भाव रहे । इसलिये इस मर्यादा को रखने के लिये, लोकतंत्र में स्वस्थ परिपाटी हमारे सदन की रही है, नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन और सभी दलों के नेतागण सर्वसम्पति से उस पर चयन करते हैं । लेकिन श्रीमन्, हम लोगों के अनुरोध का कोई उत्तर वहां दे नहीं पाये, सहमति करीब-करीब उन्होंने व्यक्त कर दी, जैसा पाल साहब ने कहा सिर्फ अनौपचारिकता रखी कि हम अपने सदस्यों से बात कर लें । हम नहीं समझते हैं कि लोकतंत्र में जब नेता किसी बात पर सहमत हो जायेगा तो उसके सदस्य उससे असहमत हो जायेंगे । अगर असहमत भी हो जाते हैं तो कम से कम लोकतंत्र में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो राजनीति में हैं उनमें थोड़ा साहस भी होना चाहिये, हमारे दल के नेता है, चाहे किसी दल के नेता हों जब एक बात सभी दलों के नेताओं में तय हो जाय, सब सहमत हो जायं तो फिर दलों के लोग न मानें तो कम से कम हम को नेता की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है । नेता की-कुर्सी पर बैठने वाले से असहमत हो जायं तो इसका मतलब है हमारे नेतृत्व में विश्वास नहीं है ।

ऐसा नहीं है पूरे देश और प्रदेश को मालूम है, पूरा देश अलोकतांत्रिक और संविधान विरुद्ध त्रासदी से गुजर चुका है, यह उन्हीं शक्तियों का नेतृत्व करते हैं नेता विरोधी दल, पर कहने में हमें कोई संकोच नहीं है पूरी दुनियां में हिन्दुस्तान को शरमिंदा किया इन्होंने अपनी सरकार के समय में ।

उस दिन हम चाहते थे पी० डब्लू० डी० और आबकारी के बजट पर बहस हो, हम आपसे अनुरोध कर रहे थे कि बहस हो लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयीं कि बहस नहीं हो पायी । हम तर्क रखते कि कौन से बड़े ईमानदार लोग हैं लखनऊ, आगरा, कानपुर इलाहाबाद जो बड़े शहर हैं, जो राजस्व देने वाले थे घाटे में क्यों चले गये आबकारी विभाग में ? जब हमारी सरकार थी 100, 200 करोड़ का लाभ हुआ और इनकी सरकार में 28 करोड़ का सिर्फ शराब की नीलामी में ।

इसी तरह से पी० डब्लू० डी० में उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब से विकास कार्यों में ज्यादा पैसा खर्च होने लगा । 1977 के बाद की बात मैं कह रहा हूं । 1977 से पहले विकास कार्यों में कम खर्च होता था । सबसे कम विकास कार्यों में खर्च जो हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जब माननीय कल्याण सिंह मुख्य मंत्री की कुर्सी पर मौजूद थे । उस समय बदले की भावना से काम हुए । जो हमने कार्य स्वीकार किये थे उनको निरस्त भी किया, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ । तो वहीं लोग आज लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं । हम उनका व्यक्तिगत सम्मान करते हैं । आज वह निरुत्तर हैं अपने कार्यकलापों से, जनता के बीच वह अपने किसी भी कारनामों से प्रशंसा नहीं करवा सकते हैं । इसलिये वह शरमिंदा हैं । तीन महीने बजट सत्र को बीत गये किसी मसले पर वह सरकार को घेरे में नहीं ला सके ।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में यदि कोई भ्रष्ट सरकार हुई है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी । मुंह में राम बगल में छुरा—उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिवालिया

बना दिया विकास कार्य शून्य कर दिये पूरा प्रदेश एक धर्म और जाति के लोगों के लिये खुला जेल बना दिया, पूरे प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया और इसे दंगों में झोंक दिया। पाल साहब जब शान्ति सुरक्षा बल पर बोल रहे थे उनका वह तर्क हमें जिन्दगी भर नहीं भूलेगा कि अगर डकैत को ही एस० पी० बना दिया जाय, अगर वह कहे कि हमें एस० पी० बना दों तो डकैती बन्द हो जायेगी तो क्या उसे एस० पी० बना दिया जायेगा ? उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस सत्र में अगर किसी ने नीति संगत प्रश्न किये हैं तो वह माननीय जगदम्बिका पाल ने किये हैं। श्रीमन्, यह जो निन्दा का प्रस्ताव है यद्यपि इसमें हम पूरी तरह से दुखी हैं कि इतने सम्मानित व्यक्ति के विरुद्ध निन्दा के प्रस्ताव में हम बोल रहे हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है। उस पीठ पर जो बैठता है उसको कभी-कभी कठोर होना पड़ता है। इसके पूर्व श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी उस पीठ पर थे तो उन्होंने संचालन अच्छा किया लेकिन पहले जब धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था तो उस पर न तो बहस हो पायी थी और न मतदान के पहले सर्वसम्मति से ही वह धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो क्या हमने उनको आरोपित किया, नहीं। यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि उस पीठ पर बैठे व्यक्ति को हम आरोपित करें। उस पीठ पर बैठा व्यक्ति हमको डांट सकता है लेकिन हम उसके खिलाफ अपमान-जनक बात नहीं कह सकते हैं। इसलिये हमारी कुछ सीमायें हैं जिनके अन्दर रह कर लोकतंत्र को समृद्ध कर सकते हैं और जनता की आकाक्षायें पूरी कर सकते हैं और सीमायें लांघना ठीक नहीं है। मान्यवर, हमको आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वह पूरे प्रदेश में दंगा और भय फैलाने की है और सच्चाई पर परदा डालने की है जो निन्दनीय है। मान्यवर, वह सरकार को किसी भी मामले में घेरे में नहीं ला पाये तो फिर वह आपकी कुर्सी को निशाना बनाना चाहा। इसलिये तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं लेकिन प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश और देश में सन्देश जायेगा कि उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक शक्तियां एक जुट होकर फासिस्टवादी शक्तियों का मुकाबला कर रहीं हैं। श्रीमन्, इससे जो प्रदेश में संदेश जायेगा उसमें हमको पूरी प्रसन्नता है लेकिन तकलीफ के साथ हम इस निन्दा के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान सभा में दिनांक 22 और 23 अप्रैल, 1994 को नेता विरोधी दल, श्री कल्याण सिंह, द्वारा माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रति कहे गये आक्षेपात्मक कथनों की घोर निन्दा करता है ?

[प्रश्न उपस्थित किया गया और (भाजपा सदस्यों को छोड़कर) सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।]

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25 अप्रैल, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई हैं।

पहली सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है जिसका विषय है– हरदोई जनपद के गांव बंजारिन पुरवा मजरा, बिराइचमऊ में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय की है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हैं ।

तीसरी सूचना श्री हरपाल सिंह की है, लेकिन वह भी उपस्थित नहीं है ।

चौथी सूचना श्री जगदम्बिका पाल की है–जिसका विषय–24 अप्रैल, 1994 को मुरादाबाद मंडल में मेवा नेवादा एवं कांठ स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन से 5 व्यक्तियों की कथित रूप से सेना के जवानों द्वारा नीचे फेंक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । अगली सूचना समरपाल सिंह जी की है, विषय है, लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में एक व्यवसायिक केन्द्र की कुछ दुकानों एवं प्राधिकरण की भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटवाने के संबंध में । अगली सूचना है श्री गया चरण दिनकर जी की, विषय है बांदा के बबेरू क्षेत्र की उपजाऊ भूमि को ऊसर होने से बचाने के लिये राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में । आगे की सूचना रतन लाल पंवार की है, जो है नहीं । अब दो सूचनायें हैं प्रतीक्षा सूची में, पहली सूचना है श्री अजय कुमार पोइया की, यह हैं नहीं । दूसरी सूचना इसमें श्री शारदा प्रसाद जायसवाल की है, वह भी नहीं हैं । तो इस तरह से आगे श्री लवानियां हैं नहीं, श्री भगवती प्रसाद हैं नहीं और गुप्त जी नहीं हैं फिर श्री नजमुद्दीन व श्री हीरामणि पटेल नहीं हैं, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री रामसरन वर्मा, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री बची सिंह रावत भी नहीं हैं । अगली सूचना है श्री मित्रसेन यादव की, वह भी नहीं है और उसके बाद सूचना है श्री मातवर सिंह कण्डारी की और रणधीर सिंह की है, ये माननीय सदस्य भी नहीं हैं । अगली सूचना है श्री हृदय नारायण जी की, वह हैं, उनकी सूचना को लिया जाता है । अगली सूचना और अंतिम सूचना श्री जगदम्बिका पाल की है, किन्तु उनकी पहले एक सूचना आज चुकी है और किसी सदस्य की इसमें सूचना नहीं है । तो यह सारी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जा रही हैं, जिनकी संख्या पांच है ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत पांच सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गई ।)

हरदोई जनपद के गांव बंजारिन पुरवा मजरा बिराइचमऊ में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विश्राम सिंह यादव–

[महोदय, हरदोई जनपद के थाना सांडी के गांव बंजारिन पुरवा मजरा बिराइचमऊ में कई घर आग लगने के कारण जल गये हैं काफी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है परन्तु अभी तक उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिली है गरीब लोग है उनके सामने रोजी रोटी की समस्या भी पैदा हो गई है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मुरादाबाद मण्डल में मेवानेवादा एवं कांठ स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में पांच व्यक्तियों को कथित रूप से सेना के जवानों द्वारा फेंके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदम्बिका पाल–

[मान्यवर, 24 अप्रैल को उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में मेवानेवादा एवं कांठ स्टेशनों के बीच सेना के जवानों ने पांच यात्रियों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जिससे दो की मृत्यु हो गयी और तीन गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं । घटना 8 डाउन सियाल्दाह एक्सप्रेस बिजनौर जिले के शिवहारा स्टेशन से जैसे ही रवाना हुई उसी के उपरान्त घटित हुई । उस आरक्षित डिब्बे में कुछ दैनिक यात्री चढ़ गये इसे लेकर उन यात्रियों एवं डिब्बे में पहले से बैठे सेना के जवानों में विवाद हुआ, जिससे सेना के जवानों ने उन यात्रियों को चलती ट्रेन से उठाकर नीचे फ़ेंक दिया । फलस्वरूप ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों में उत्तेजना व्याप्त हो गयी । लखनऊ रेलवे स्टेशन पर गाड़ी के पहुंचने के बाद भी सेना के लोगों ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया । इस तरह अनुशासित फौज के जवानों ने जिस तरह का कृत्य चलती ट्रेन में किया है जिससे मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक के लोगों में क्षोभ एवं रोष व्याप्त है । स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है ।

अस्तु इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार से आवश्यक कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं ।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में व्यवसायिक केन्द्र एवं प्राधिकरण की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समर पाल सिंह–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में एक लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर–बी में एक व्यावसायिक केन्द्र का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया गया है । उक्त केन्द्र के उत्तर दिशा में 18 मीटर चौड़ा रोड प्राधिकरण द्वारा बनाया जाना है जो कि अभी कच्चा है । उसी रोड पर प्राधिकरण की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा लकड़ी, बांस बल्ली आदि लगाकर स्थाई दुकानें बनवाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है तथा प्राधिकरण की दुकान संख्या एस–170 व एस–171 आदि दुकानों के अन्दर अथवा बरामदें में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के बकरे/सुअर गोश्त की दुकानें खुली हुई हैं तथा उक्त दुकानों के पास में ही प्रतिदिन सायंकाल प्राधिकरण की भूमि पर मछली मण्डी भी लगती है । प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक दुकान से 5 से 50 रुपये प्रतिदिन की वसूली की जाती है । गोश्त की दुकानों एवं मछली मण्डी से उक्त व्यावसायिक केन्द्र का पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया है जिसके कारण दुकानों के आवंटी अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं । इसलिये व्यवसायिक केन्द्र का विकास नहीं हो पा रहा है ।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हू कि तत्काल उक्त सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाय एवं बिना लाइसेंस के चल रही गोश्त की दुकानों एवं मछली मण्डी को तत्काल हटाये जाने हेतु सरकार को निर्देश दिया जाय तथा इसकी सदन में चर्चा कराई जाय ।]

बांदा के बबेरू क्षेत्र की उपजाऊ भूमि को ऊसर होने से बचाने के लिये राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गयाचरण दिनकर–

[मान्यवर, ससम्मान अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़े उद्योग शून्य, दस्यु प्रभावित जनपद बांदा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बबेरू के लाखों लोगों का जीवन निर्वाह कृषि कार्य पर निर्भर है । लगभग 1/3 भूभाग केन कैनाल पर निर्भर है किन्तु सम्पूर्ण क्षेत्र टेल में होने के कारण प्रतिवर्ष सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है । राजकीय नलकूप एवं अन्य सिंचाई साधनों का अभाव होने के कारण मेहनतकश कृषक उपजाऊ भूमि में उत्पादन करने में अक्षम हैं एवं निरन्तर भूखमरी का शिकार होते जा रहे हैं । यदि ग्राम भदावल, कुल्लू खेड़ा, सिंपुर, परसेटा, इटवा, बेलगवां, विकास खण्ड बिसण्डा, एवं ग्राम टोला कला, बघेला मझीवां, निभौर, काजी टोला, कबीरपुर, विकास खण्ड बबेरू एवं लाखीपुर, अछरौल, लखनपुर, नरायनपुर, अन्दौरा आदि में राजकीय नलकूप स्थापित कर दिये जायं तो कृषकों को पलायन से बचाया जा सकता है ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को संज्ञान में रखते हुए उल्लिखित ग्रामों में राजकीय नलकूप स्थापित कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावी आदेश पारित करने का कष्ट करें ।]

जनपद उन्नाव में रायपुर–सुर्जापुर बसनोहा तथा मुबारकपुर–जगदीशपुर मार्ग के पुनः निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हृदय नारायण–

[महोदय, उन्नाव जिले की पुरवा कृषि उत्पादन मण्डी में पुरवा क्षेत्र के किसानों अपनी कृषि उपजें बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं पुरवा में सप्ताह में 4 दिन की बड़ी बाजारें व शेष 3 दिन की रोजमर्रा विपणन की बाजार लगती है पास पड़ोस के किसान अपने कृषि उत्पादन गेहूं, लाही बाजारा के अलावा अल्पकाल में ही खराब हो जाने वाले कृषि उत्पाद ताजी सब्जी दूध आदि लेकर पुरवा में बेचते हैं । इस मण्डी से हजारों किसान लाभान्वित होते जा रहे हैं ।

मगर गत 3 साल से मुबारकपुर ग्राम से जगदीशपुर, मझिगंवा होकर पुरवा मण्डी तक आने वाले मार्ग की हालत इतनी खराब हो गयी है कि बैलगाड़ी की कौन कहे पैदल भी चलना कठिन है । यही

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थिति पुरवा उन्नाव रोड से निकलने वाले रायपुर–सुर्जापुर मार्ग की है बसनोहां मार्ग का भी यही हाल है। परिणामस्वरूप इन मार्गों के पास रहने वाले किसान अपने कृषि उत्पाद लेकर पुरवा मण्डी तक नहीं पहुंच पाते। इससे किसानों में क्षोभ भी है। यह उत्तरदायित्व कृषि उत्पादन मण्डी समिति का है कि वह कृषि विपणन की अच्छी परिस्थितियां पैदा करें ताकि किसान माटी के भाव अपने कृषि उत्पाद बेचने को विवश न हो। किसानों का घाटा तो हो ही रहा है उनमें गुस्सा भी है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या को सदन की जानकारी में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब इसके बाद नियम 300 में, और तो निरस्त है, माननीय जगदम्बिका पाल जी आप अपनी सूचना को संक्षेप में पढ़ें ..

श्री जगदम्बिका पाल–

मुरादाबाद में पांच यात्रियों को सेना कर्मियों द्वारा जो ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया है, उसको आप सुनें ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

हमें सुनने का इसमें कोई औचित्य है नहीं ....(व्यवधान) आप दो शब्द कह लीजियेगा (व्यवधान) आगे वह सूचना है, उसमें आप कह लीजियेगा थोड़ा।

पुलिस महानिदेशक के आदेश पर विधायकों को उपलब्ध शैडो को पूर्व अनुमति के बिना बाहर न ले जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह आपका जो पुलिस महानिदेशक के पत्र के बारे में है, यह चूंकि विधायकों से संबंधित है, महत्वपूर्ण है, इस पर आप संक्षेप में कह लें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरी सूचना विधायकों से संबंधित है और अति महत्वपूर्ण है, इसको आप स्वीकारते हैं तो आप सीधे सरकार को निर्देश दे दें, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। मान्यवर, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां से पुलिस महा निदेशक का एक पत्र समस्त एस० एस० पीज० को भेजा गया है, यह शासनादेश गया है, जिसकी संख्या भी मैंने लिखी है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी के

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यहां से पुलिस महानिदेशक को और हर एक जनपद में आदेश भेजे गये हैं जो माननीय सदस्यों के अंगरक्षक, गनर या शैडो हैं जो उनको मिले हुए हैं, उनके संबंध में उसमें निर्देश दिया गया है कि वह जब माननीय विधायक के साथ कहीं बाहर जायेंगे, तो उसकी सूचना वह वहां के एस० एस० पी० को देंगे और उसकी अनुमति लेकर ही जायेंगे और बिना अनुमति के नहीं जायेंगे। साथ ही हर मुख्यालय पर इनके आवागमन के संबंध में एक जी० ए० डी० भी खोली गयी है, यह उसमें लिखेंगे कि वह कब और कहां जा रहे हैं ? इसमें माननीय विधायकों की सुरक्षा का प्रश्न इन्वाल्व है, इससे उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। माननीय विधायक जिनकी सिक्योरिटी को खतरा है, वह अपने आवागमन–मूवमेंट को सेक्रेट रखना चाहते हैं, जो जरूरी भी हो जाता है किन्तु अब इसके चलते वह इसे सेक्रेट नहीं रख पायेंगे, वह आम हो जायेंगे। यह भी मान लिया जाय कि कोई लखनऊ में आया और उसके बाद उसे वाराणसी जाना पड़ा और वह तुरन्त बाद वहां चला गया, तो फिर क्या गनर या शैडो विधायक के साथ लखनऊ से वाराणसी जाने के स्थान पर, वह कहां से वापस अपने मुख्यालय जाएगा और वहां से अनुमति लेकर आयेगा, तभी वाराणसी जा सकेगा। तो मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जो यह बिना वजह के यह हुआ है यह अव्यहारिक है और विधायकों की सुरक्षा के विपरीत है, तो क्या इस आदेश को मंत्री जी वापस लेने और निरस्त करने की कृपा करेंगे। जो गनर या शैडो हैं, जहां विधायक जायगा, वहां पर वह जाय और उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रकरण है। गनर हो या शैडो, जब विधायक को दिया जाता है, अगर उनके बारे में इस आदेश का, जिसका जिक्र माननीय किरनपाल जी ने किया है का पालन करने के बाद ही गनर या शैडो विधायक के साथ जा सकेंगे तो मान्यवर, इससे ऐसा लगता है है कि विधायक के साथ शैडो नहीं बल्कि शैडो के साथ विधायक को जाना पड़ेगा। बजाय इसके कि शैडो विधायक की सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ रहे इस आदेश का असर यह होगा कि विधायक इन्तजार करेगा कि कब शैडो अनुमति लेकर आता है, गनर अनुमति लेकर आता है और तब वह अपना मूवमेंट शुरू करें। एक तो मान्यवर, यह कठिनाई है। दूसरी बात यह है कि बहुत सी परिस्थितियां, ऐसी पड़ती हैं कि अगर वह अनुमति लेने जाता है तो वह अधिकारी मिले न मिले। तो मान्यवर, इससे व्यावहारिक कठिनाई पैदा हो रही है जिससे विधायकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। मान्यवर, स्वीकृति लेकर मूवमेंट की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि आज प्रदेश भर की स्थिति अलग है, उसको ध्यान में रखते हुए कभी-कभी बिना बताये भी जाना पड़ता है, शैडो को पता भी नहीं होता है कि विधायक को कहां जाना है। मान्यवर, इस तरह से शैडो और गनर के बारे में आदेश भेजना निरा पागलपन है। यह चाहे शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा जारी किये गये हों सरकार द्वारा इसे तुरन्त निरस्त किये जाने के सिलसिले में निर्देश दिये जायं ताकि विधायकों की सुरक्षा हो सके और उनको कठिनाइयों से भी न जूझना पड़े।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो विषय माननीय नेता जनता दल ने उठाया है और जिसका समर्थन वर्मा जी ने किया है, वह इस सदन के सभी सम्मानित विधायकों के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो शासनादेश है, शासन की तरफ से है, डी० जी० महोदय ने भेजा है, उसको भी मैंने देखा है। मान्यवर, आज सार्वजनिक

जीवन में जन प्रतिनिधियों के अपने कुछ कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उनको किस तरह से काम करना पड़ता है, उससे आप स्वयं भिज्ञ हैं। किसी विधायक को यह नहीं पता रहता कि दो बजे रात को कौन व्यक्ति उसके दरवाजे पर चला आयेगा या उसे कोई सूचना मिलेगी कि उसके क्षेत्र का व्यक्ति मेडिकल कालेज गोरखपुर, लखनऊ, बनारस में एडमिट है या दिवंगत हो गया है। इस तरह की तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस आदेश के रहते सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधियों के कार्यों में बाधा डालती है और उनके जो कर्तव्य हैं, उनको पूरा करने से वह वंचित रह जायेंगे। इतनी रात को वह शैडो या गनर आर० आई० या एस० एस० पी० के पास अनुमति लेने जाये तो उसकी हिम्मत नहीं कि उसको जगाकर कहे कि माननीय विधायक को अपने क्षेत्र से इस समय बाहर जाना है। यह तो इस तरह की विसंगति उत्पन्न हो गयी माननीय विधायक लोग घर छोड़े तो मूवमेंट चार्ज दें तो विधायक अधिकारी तो है नहीं कि सूचना भेज दें। पन्द्रह दिन पहले कि भ्रमण पर जा रहे हैं विधायक तो जनता के प्रति जवाबदेह है उनके तो वकील हैं जनप्रतिनिधि का कोई वकील तो है नहीं, जनप्रतिनिधि तो स्वयं जवाबदेह है। श्रीमन्, अपने कार्यों से अपने आचरण, अपने कार्यकलाप, अपनी कार्य संस्कृति से।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप मान्यवर,वहीं से आदेश देने की कृपा करें कि इस तरह का आदेश लागू न हो। कहा गया शैडो फर्जी यात्रा बिल बनाते हैं इसको सी० ओ० एकाउन्ट्स देखते हैं यह जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं है कि फर्जी बिल है या सही बिल है इसके लिये वह जिम्मेदार नहीं है, विधायक इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा। जो ब्लाक प्रमुख आदि होते हैं उनको इस दायरे में रखा जा सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधि, जिनका सम्मेलनों कार्यक्रमों में जाना लगा रहता है उनके ऊपर इसको लागू करना सही नहीं है।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, नियम–300 के तहत सूचना दी है। स्वयं जनप्रतिनिधि हैं सर्वोच्च पद पर आसीन हैं आप सहमत होंगे कोई भी विधायक माननीय सदस्य या जनप्रतिनिधि अपना कार्यक्रम अचानक बना लेता है शैडो को अपने कार्यक्रम की सूचना नहीं देता है जब चलने लगता है तो कहता है चलो। दो-तीन दिन बाहर जाता है तो कहा जाता है कपड़े ले लो, जिस प्रकार का यह आदेश है। इसमें सीधी बात यह है कि हमारे विशेषाधिकार का भी हनन होता है। यह जानबूझ कर षड़यंत्र किया जा रहा है। लालफीता शाही को बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है। यह फासिस्टवादी ताकतें हैं, अराजकता है। फासिस्टवादी ताकतें सरकार को बदनाम कराना चाहती हैं। अब माननीय सदस्य, एस० पी० के यहां जाकर अनुमति लेंगे उसके बाद लाइन में जाकर आमद-रवानगी करेंगें। जी० डी० में वापसी करायेंगे। माननीय अध्यक्ष का ध्यान नहीं करेगे एस० पी० का ध्यान रहेगा कि उसको सूचना मिल जाये। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस आपराधिक लोगों से मिली है। कभी-कभी ऐसे अवसर भी आये हैं जब पूरे सदन में पक्ष विपक्ष दोनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठायी है और पूरा सदन एकमत हो गया है। अब एस० पी० के रहमो-करम पर रहना होगा। जो हां में हां मिलायेगा उनको अनुमति मिलेगी नहीं तो नहीं

मिलेगी । इस काले कानून को समाप्त करें और जांच करायें कि ऐसा कुप्रयास, कुचेष्टा किसने की उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही करें यह मैं विशेषाधिकार की सूचना दे रहा हूं लिखकर भी दे दूंगा ।

श्री रामलखन वर्मा–

मैं जगदम्बिका पाल जी का सम्मान करता हूं । इन्होंने अंगरक्षक के बारे में जितनी भी बातें बतायी उनको सुना । श्री राजेन्द्र सिंह और एक एम० एल० सी० है और 6 गनर अपने रिश्तेदारों और भाइयों के लिये लिये हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये । कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर–व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

अध्यक्ष जी, जो माननीय पाल साहब ने, श्री वर्मा जी ने, श्री किरन पाल सिंह जी ने और तमाम हमारे साथियों ने अंगरक्षकों के बारे में प्रश्न किया है, वह जी० ओ० हमारे पास है । यात्रा भत्ते में मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से यह प्राविधान किया गया है । हम इस बात से सहमत हैं कि यदि इस जी० ओ० का अनुपालन किया गया तो विधायकों को परेशानी होगी । व्यावहारिक कठिनाई होगी । मितव्ययिता हो, इससे तो सभी लोग सहमत हैं । इस पर हम विचार कर लेंगे । वैसे कोशिश हमारी यह होगी कि जो पूर्व व्यवस्था थी, वही व्यवस्था लागू रहे ।

श्री अध्यक्ष–

और सूचनायें निरस्त की जाती हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1994-95 (भाग प्रथम एवं द्वितीय) फरवरी, 1994 †

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र 1994-95 (भाग प्रथम एवं द्वितीय) फरवरी, 1994 को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

विधायकों को आवंटित फ्लैट खाली कराये जाने तथा कब्जा न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी पार्टी के श्री समर पाल के नाम जो फ्लैट आवंटित था, उसको राज्य सम्पत्ति अधिकारी के आदेश द्वारा श्री राम सरन दास के नाम आवंटित कर दिया गया। जबकि वह विधान सभा के सदस्य भी नहीं हैं। दूसरा श्री राम आसरे वर्मा के नाम जो मकान आवंटित हुआ था उस पर अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा। श्री राम आसरे वर्मा जिनके नाम मकान 3 माह पूर्व आवंटित किया गया है, उसका कब्जा दिलाया जाये व जो फ्लैट श्री समर पाल को आवंटित है उसको खाली न करवाया जाए।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। जहां तक मकान आवंटित करने की बात है, उस संबंध में हम श्री समर पाल जी से बात कर लेंगे जैसा वह कहेंगे वैसा कर दिया जाएगा। यह तो हमारी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष–

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी उपस्थित नहीं हैं। अतः हम अगली मद ले रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। श्री समर पाल जी का फ्लैट जो था, उसको श्री राम शरण दास के नाम आवंटित कर दिया गया है। दूसरे जो हमारे नाम मकान 3 माह पूर्व एलाट हुआ था उसका अभी तक कब्जा नहीं मिला। माननीय सदस्य के नाम जो एलाट हुआ उसको तो खाली करने की नोटिस दे रहे हैं और जो मेरे नाम मकान एलाट हुआ, उस पर कब्जा दिलाने की व्यवस्था नहीं हुई है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, समरपाल जी से बात करके, जहां भवन चाहेंगे, वार्ता करके उनका हल निकाल लेंगे, उनको भवन मिलेगा।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, राम शरण दास जी को आप कोई बड़ी कोठी दे दीजिये लेकिन समर पाल जी को उसी में रहने दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय राम शरण दास इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनको संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए। हम आपसे बात करेंगे।

दिल्ली स्थित यू० पी० भवन के बदइन्तजामी तथा उसके व्यवस्थापक के दुर्व्यवहार के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, हम सम्मानित सदस्य जब दिल्ली जाते हैं तो वहां यू० पी० भवन में रुकने का काम करते हैं। यू० पी० भवन आपके अधीन आता है लेकिन आजकल वह नरक बना हुआ है। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार के लिये कुख्यात ओंकार नाथ सिंह वहां का वरिष्ठ प्रबन्धक बना हुआ है। माननीय आजम साहब ने जिसे प्रताड़ित किया था, जिसने उनके साथ मिसबिहैव किया था, आज वह वहां का वरिष्ठ प्रबन्धक है। सच्चाई यह है कि आप यू० पी० भवन में एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। सारा रेड लाइट एरिया हो गया है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप देख लें, और कोई भी सदस्य जाकर देख ले। उसने माननीय आजम साहब के साथ, जब वह मंत्री थे और माननीय यदुनाथ सिंह जब हमारे प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष थे, उसने उनके साथ मारपीट की थी। वहां की बड़ी बुरी हालत है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। पूर्वांचल के मेरे कई साथियों ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनके सम्मान के कारण, वह वहां से प्रताड़ित होकर आये हैं। वहां पर पैसा लेकर लोगों को रुकवाया जा रहा है। जो व्यक्ति दुर्व्यवहार के लिये इतना कुख्यात रहा हो, वह वहां का वरिष्ठ प्रबन्धक है। वह पैसा लेकर कमरों को दिलाता है। मेरा आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि उसको वहां से तुरन्त हटायें और किसी दूसरे अच्छे मृदु व्यवहार के अधिकारी को वहां रखें जो माननीय सदस्यों को कक्ष दिलाने का काम करे।

श्री अध्यक्ष–

आप बात कर लीजियेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपकी जिज्ञासा देख लीजियेगा।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

आपका सहयोग रहेगा, तो कोई भी गलत काम करने वाले अधिकारी दण्डित होने से नहीं बच सकेंगे। आप थोड़ा संयम रखें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हमारे सहयोग की बात कही, मान्यवर, जिस अधिकारी के बारे में यहां पर जिक्र किया, उसके बारे में घोषणा करवा दीजिये।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, वह सबके साथ दुर्व्यवहार करता है। दूसरे लोगों से पैसा लेकर, उनको वहां पर ठहराता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अशोक कुमार सिंह–

मान्यवर, ऐसे अकर्मण्य लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? मान्यवर, इस संबंध में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यू० पी० निवास में कार्यरत ओंकार नाथ सिंह के खिलाफ कया कार्यवाही करेंगे ? इस संबंध में मैं शासन का आश्वासन चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने तो कहा कि हमारा सहयोग रहेगा।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ओंकार सिंह का आचरण सन्तोषजनक है ? मान्यवर, हम जानते हैं कि यू० पी० भवन की व्यवस्था से आप भलीभांति परिचित हैं।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यू० पी० भवन में जब हम लोग जाते हैं, तो हम लोगों को वहां पर कमरा जल्दी नहीं मिलता है। इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह बात यथार्थ है कि दिल्ली के यू० पी० भवन का जो वातावरण है, जो उसकी ख्याति होनी चाहिए, वह नहीं है, वह निहायत बदनामी की जगह है। वहां की व्यवस्था के कारण और जो पात्र लोग नहीं हैं, वे लोग वहां पर ठहराये जाते हैं और मैं नहीं कहना चाहता हूं, बदनामी जिन चीजों से होती है, वे काम भी वहां पर होते हैं। हम तो वहां पर जब से इस बार चुनकर आये हैं, ठहरे नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह न समझें कि कोई विरोधी पक्ष का सदस्य आरोप लगा रहा है। व्यक्तिगत वार्ता में आप इस बात से सहमत थे कि यू० पी० भवन की व्यवस्था सही नहीं है, वहां पर शराब और अन्य चीजों के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं, वहां पर शराब और सुन्दरी वाली बात है, जो वहां पर रहने के पात्र नहीं हैं, आप छापा डलवा दीजिये, वहां पर जो पात्र नहीं हैं, वे लोग वहां पर रहते हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, एक तो पहली बात हम माननीय किरन पाल सिंह जी को विराधी पक्ष का मानता ही नहीं हूं, हम उनको सहयोगी दल मानता हूं और जो भी सम्भव उपाय होगा, यू० पी० भवन की व्यवस्था के लिये आपसे वार्ता करके ठीक कर दी जायगी। यहां पर और बात करना ठीक नहीं है।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, जो व्यवस्था अधिकारी वहां पर है, वह वहां पर भ्रष्टाचार फैलाये हुए है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7 श्री हरबंश कपूर उपस्थित नहीं हैं।

मद संख्या–8 श्री बालेश्वर त्यागी उपस्थित नहीं हैं।

मद संख्या–9श्री धनराज यादव उपस्थित नहीं हैं।

मद संख्या 11 व 12 इसमें कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 †

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सन्त बक्श रावत)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सन्त बक्श रावत–

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 311 की परिवर्तित सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 और नियम 56 में कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जो सूचनायें 311 में दी गयी थीं, उन्हें नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है और पहली सूचना जिसे विवेक से सुना जा रहा है, वह है श्री प्रमोद तिवारी की, श्री जगदम्बिका पाल, श्री कामेश्वर उपाध्याय, श्री हरिशंकर तिवारी और श्री श्याम देव राय चौधरी और श्री रंगनाथ की है। इनकी सूचना केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के बुनकरों के लिये, रियायती दर पर आवंटित सूत को महीनों बीत जाने पर भी बुनकरों को न मिलने तथा कालाबाजार में बेंच दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री रमेश कान्त लवानिया की है, वह नहीं हैं, निरस्त की जाती है।

तीसरी सूचना श्री गनपत सिंह की है, वह नहीं हैं, निरस्त की जाती है।

चौथी सूचना श्री राम चन्द्र लाम्बा की है, वह नहीं हैं, निरस्त की जाती है।

---

† दिनांक 29-4-94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

पांचवीं सूचना श्री राम सरन वर्मा जी है, वह भी नहीं हैं, निरस्त की जाती है।

छठी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की, उत्तरांचल में सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर कोई भर्ती न किये जाने के संबंध में है, वह भी नहीं हैं, निरस्त की जाती है।

सातवीं सूचना श्री किरन पाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल और श्री मदन गोपाल वर्मा की, जनपद पीलीभीत के कतिपय ग्रामों की किसानों की खड़ी फसल वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर चलाकर उजाड़े जाने के संबंध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, यह किसानों से सम्बन्धित मामला है। बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। दो-दो मिनट सभी को सुन लें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, दो-दो मिनट सुन लें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, दो-दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें।

आठवीं और नवीं सूचना श्री बचनू राम पटेल और श्री अजय कुमार पोइया की हैं, वह नहीं हैं, निरस्त की जाती हैं।

अगली सूचना सर्वश्री जगदम्बिका पाल, प्रमोद तिवारी, कामेश्वर उपाध्याय और हरि शंकर तिवारी की है। यह सूचना एक बार आ चुकी है, इसलिये इस पर सुना नहीं जायेगा।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, 2-2 मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको सुन लूंगा, कम लोग हैं, इसलिये सुन लूंगा।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो सूचना नियम 311 में दी गयी है, चाहे पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के हों, जिनका ताल्लुक गोण्डा, बहराइच, गोरखपुर, सिद्धार्थगर और मऊ से है, वह जानते हैं, वहां पर पिछले सात दिनों से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। किसानों को एक बूंद डीजल नहीं मिल पा रहा है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेट्रोल पम्पों पर लाइन लगी हुई है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में डीजल की बड़ी आवश्यकता है । मान्यवर, आप देख रहे हैं कि मौसम खराब हो रहा है और किसान अपने खेतों से और खलिहान से फसल को घर पहुंचाना चाहता है । आज खलिहान में उसकी फसल रखी हुई है और डीजल उनको नहीं मिल पा रहा है । मैंने कल खाद्य सचिव से बात की है, तो उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त से बात कर ली है ।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अखिलेश पीठासीन हुए ।)

आज मान्यवर, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों को अपनी फसल के लिये उसकी मड़ाई के लिये डीजल नहीं है और वह ब्लैक में लेने के लिये विवश हो रहा है और वह ब्लैक में भी नहीं मिल पा रहा है । इस समय शादी व्याह का मौसम है उनकी गाड़ियों के लिये भी डीजल उपलब्ध नहीं है । इसके साथ ही साथ विद्युत का भी संकट है । मान्यवर, 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की बात कही जाती है और वास्तविकता यह है कि 6 बजे के बाद विद्युत नहीं रहती है जबकि इस समय परीक्षाएं चल रही हैं । मैंने कई बार इसे शासन के ध्यान में लाने का भी प्रयास किया । मान्यवर, एक तो विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है और दूसरे डीजल भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है और जो ब्लैक में उपलब्ध हो रहा है उसमें मिट्टी के तेल में मोबिल मिलाकर डीजल के रूप में बेचा जा रहा है । इसी वजह से देवरिया में किसानों ने पेट्रोल पम्प को फूंकने का प्रयास किया था लेकिन प्रशासन के हस्तक्षेप से यह होते-होते बच गया ।

मान्यवर, आज किसान खुले आसमान के नीचे डीजल के लिये पड़ा हुआ है कि शायद अब डीजल आ जायेगा और उसको उपलब्ध हो जायेगा । मान्यवर, पिछले 7 दिनों से डीजल का संकट है इस पर सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है और न ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही की गयी है । मान्यवर, इससे गम्भीर कोई और संकट नहीं हो सकता है । यह कहते हैं कि हम किसानों के समर्थक हैं आज संसदीय कार्य मंत्री अपने उत्तर में यह बतायें कि इन 7 दिनों में संकट है कि नहीं और कितना संकट है, किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और क्या कदम इसके लिये उठा रहे हैं, क्या कार्यवाही की गयी है, अन्यथा इसको स्वीकार करके इस पर आप चर्चा करायें ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, डीजल के संकट की तरफ जो ध्यान माननीय जगदम्बिका पाल जी ने आकर्षित किया है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं, जोड़ता हूं । प्रदेश में डीजल का संकट गहराता जा रहा है कहीं-कहीं पर अभी वह स्थिति नहीं आ पायी है लेकिन आगे आने वाले दिनों में इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, पूरा प्रदेश डीजल के संकट के चपेट में होगा और जानकारी में यहां तक आया है कि शासन की ओर से जिलों को निर्देश कुछ और भेजे गये हैं कि डीजल का लाइसेंस न दिया जाय । आपको ऐसे भी जिले मिलेंगे जिन जिलों में वर्षों पहले से डीजल का लाइसेंस देना बन्द कर रखा गया है । दूरदराज के रहने वाले लोग जो डीजल का सहारा लेकर किसी तरह से खेतीबारी करते हैं उनको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डीजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है क्योंकि डीजल का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 16 घंटे तक बिजली देने की घोषणा की थी तो माननीय मंत्री जी पता लगा लें कि पूरे प्रदेश में 16 घंटे बिजली मिल रही है कि नहीं, मैं समझता हूं कि 2-3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में । शहरों की बात मैं नहीं करता और जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी वह भी थोथी साबित होती जा रही है एक डीजल का ही सहारा है डीजल का लाइसेंस दूरदराज देहातों में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाय और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय ताकि एक सम्भावित संकट में जो पूरा प्रदेश फंसने जा रहा है उससे उसको बचाया जा सके ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह जो डीजल की किल्लत इस वक्त शुरू हुई है और थ्रेसर शुरू हो गया है गेहूं, जई और विभिन्न फसलों के लिये तो यह जो व्यापारी लोग हैं जो तेल का व्यापार करते हैं वह इस वक्त जानबूझकर किल्लत पैदा करते हैं । डीजल के पेट्रोल पम्पों पर लम्बी-लम्बी लाइनें लगी हुई हैं । डीजल होते हुए भी वह कहते हैं कि केवल वी० आई० पी० कोटे के लिये ही डीजल बचा है, किसानों के लिये डीजल नहीं है और एक परिस्थिति जो इस बार देखने को मिल रही है कि सरकार व्यापारियों के प्रति बड़ी हमदर्द है क्योंकि जो इनके खिलाफ किसी दफा में कार्यवाही हो सकती थी वह प्रशासनिक अधिकारी अब नहीं कर पाते हैं उन्हें अब 3/7 का डर नहीं है और इस वक्त थ्रेसिंग का पीक आवर चल रहा है सरकार को आप निर्देशित करें, यह मेरा विनम्र निवेदन है, थ्रेसिंग के समय डेढ़-दो महीने तक, डीजल की जो बनावटी किल्लत पैदा करने जा रहे हैं, वह पैदा न हो, सरकार ऐसा करने वाले व्यापारियों के प्रति कठोरतम से कठोरतम कार्यवाही करे ।

* श्री हरेन्द्र सिंह(मुजफ्फरनगर)–

अभी नियम 311 की सूचना पर माननीय पाल साहब और माननीय नेता जनता दल ने विचार रखे। डीजल की कमी के संबंध में जो सूचना दी गयी हैं मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां किसान की फसल की मड़ाई का समय है और इस गर्मी के मौसम में जहां सिंचाई की आवश्यकता है किसान के खेत को वहीं दूसरी ओर व्यापारियों ने मिलकर या सरकार के कम कोटे के कारण, किसान के समक्ष डीजल की कमी की बात पैदा कर दी गयी है । इससे किसान की कमर टूटी है अभी वह ओलावृष्टि से उबर नहीं पाया, बिजली का संकट अलग है, किसान जो उधार लेकर खेत की सिंचाई और फसल की मड़ाई के काम में लगा था उस पर यह कुठाराघात हो रहा है, इस कारण वह अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है । मान्यवर, यह भी सुनिश्चित कर लें कि कहीं यह कृत्रिम अभाव, वहां परिषद् से पास होने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जा रहा है डीजल आयल बिक्रीकर कराधार संशोधन विधेयक, उसके बाद डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे इससे शंका हो रही है 27 पैसे प्रति । इस तरह से स्टोरेज किया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा । मान्यवर, इससे किसानों की कमर टूट रही है । किसान हितैषी यह सरकार है किसान के हित में ही यह सरकार निर्णय लेगी । सरकार इसमें तुरन्त कार्यवाही करे । 3/7 को तो खत्म कर दिया और भी कानून हैं जिसमें जमाखोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही यह सरकार करे । कंट्रोल द्वारा किसानों को डीजल उपलब्ध कराये । मैं यह भी मांग करता हूं कि इस पर शेष कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में जब किसान गेहूं की फसल की मढ़ाई करने के लिये तैयार है जब-जब गेहूं की मढ़ाई का समय आता है या शादी–व्याह का समय आता है तब तक मिट्टी के तेल और डीजल की किल्लत होती है, पेट्रोल की किल्लत होती है । गोण्डा का किसान, देवरिया, बस्ती का किसान जब टंकी पर जाता है, वैसे पूरे प्रदेश का किसान फसल की मड़ाई के लिये तेल लेने के हेतु जटा पेट्रोल टंकी पर जाता है सुबह अपनी साइकिल पर इस आश के साथ जाता है कि हम को तेल मिलेगा तेल मिल जायेगा तो फसल की मढ़ाई करेगे । लेकिन उसे वहां निराशा हाथ लग रही है । आंधी पानी का समय है कभी भी बरसात हो सकती है इससे फसल बर्बाद हो सकती है । जो उसकी फसल है वह उसको घर में लाना चाहता है । तेल के लिये वह दिन भर लाइन लगाता है लेकिन तेल नहीं मिल पाता है । मेरा यह सीधा आरोप है कि पेट्रोल टंकी के मालिक अपने तेल को बचा रहे हैं उनको यह मालूम हो गया है कि तेल के दाम बढ़ने वाले है उन्होंने तेल को डम्प कर दिया है किसी को तेल नहीं मिल रहा है । 20-20 रु० लीटर तेल ब्लैक में बिक रहा है । किसान परेशान है । किसान की यह सरकार है किसानों के हित की सरकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय आजाद जी, प्रमोद जी से कह दीजिये कि तेल और पेट्रोल के दाम बढ़ने न पायें ।

श्री राम विशुन आजाद–

चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है प्रदेश सरकार को आप निर्देशित करें तेल ज्यादा से ज्यादा मुहैय्या करा दिया जाय जिससे किसानों को दिक्कत न हो वह अपनी फसल की मढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकें गेहूं की बुवाई का समय चल रहा है । गन्ने की बुवाई भी कर लें । सरकार तेल मुहैय्या करा दे ।

श्री बालेश्वर यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि गोरखपुर मण्डल में..

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं। यह बहुत ही अच्छी और स्वस्थ परम्परा चल रही है कि पहली बार सरकार के खिलाफ सरकारी सदस्य काम रोको प्रस्ताव पर बोल रहा हूं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

आप बैठ जाइये। इसमें सत्ता पक्ष का सदस्य नहीं बोलता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य पडरौना के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

श्री बालेश्वर यादव–

मान्यवर, मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विरोध करते हुए, यह कहना चाहता हूं कि गोरखपुर मण्डल में जो डीजल का संकट है मैं उसे बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं कल पडरौना से गोरखपुर से आ रहा था। पडरौना में और गोरखपुर के बीच पट्रोल पम्पों पर हजारों की संख्या में ट्रेक्टर और लोग लाइन लगाये हुए थे। पडरौना में चार डीजल पम्प हैं वहां पर लोग बैठे हुए थे। मैं भी डीजल लेने आया था। काफी परेशनी उठानी पड़ी। मैंने डी० एम० से कहा था कि आप इसकी शनिवार तक व्यवस्था करायें मगर इतवार तक भी कोई इसकी व्यवस्था नहीं हो पायी। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहना चहता हूं कि यह जो बनावटी संकट गोरखपुर मण्डल में पैदा किया गया है उस पर गौर करके इसे दूर करायें।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जो नियम–311 के अन्तर्गत सूचना है वह लोक महत्व की है वह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के बारम्बार प्रयास के बावजूद भी सत्तारूढ़ के सदस्य समर्थन करने के लिए तैयार हो जाये। मैं जानता हूं माननीय बालेश्वर यादव जी एक इमानदार व्यक्ति हैं वह वही बोले जो उन्होंने देखा।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह लोक महत्व का प्रश्न है। डीजल एक ऐसी आवश्यक वस्तु है जिसके महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। यह रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है। किसानों की मड़ाई के लिए फसल अभी खेत खलिहानों में ही पड़ी हुई है और मौसम भी ऐसा है कि कभी भी बरसात हो सकती है इसलिए किसान जल्दी से जल्दी आपने फसल की मड़ाई करके अपने घर में रखना चाहता है। आज शादी-ब्याह भी हो रहे हैं बिना इसके शादी-ब्याह भी सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं तो यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोक महत्व का भी हो गया है। मान्यवर, जहां तक सवाल निरन्तरता का है तो यह समस्या दो दिन से बनी हुई है और यह अविलम्बनीय भी हो गया है तो इस तरह से यह तीनों शर्तों को पूरा करता है। एक शंका पीठासीन अधिकारी की तरफ से व्यक्त की गयी कि माननीय प्रमोद जी से कहें। मान्यवर, इससे तो ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार ने बढ़ाया है। मान्यवर, यह विधेयक उत्तर प्रदेश मोटर-स्प्रिट-डीजल आयल बिक्रीकर कराधन अभी विधान सभा में पारित किया गया था और यह अभी विधान परिषद् में पारित नहीं हुआ है और जिस दिन से यह पारित होगा उसी दिन से इसकी कीमतें बढ़ जायेंगी।

मान्यवर, जो डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है वह इन्होंने इसमें सेल्स टैक्स का प्राविधान किया है, जिससे उसकी कीमत बढ़ रही है। इसे केन्द्र सरकार ने नहीं बढ़ाया है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए इसे सेल्स टैक्स के रूप में लगाया है। अगर इसमें रोक लगाने की मंशा है तो मेरी जगह उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देशित करें कि इसे विधान परिषद् में पारित न करवायें। इसे अभी कानूनी रूप न दें। यदि आप यह कहेंगे। कि हम इस विधेयक को वापस ले लेंगे तो मैं इनको बधाई दूंगा और मेरा दल बधाई देगा। मैं जानता हूं कि सरकार कहीं से किसी तरीके से पैसा वसूलने पर अमादा है। सेल टैक्स खत्म करने की बात करते हैं और सेल टैक्स बढ़ाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह संकट इसलिये नहीं है कि हमारे पास तेल की उपलब्धता नहीं है, तेल की उपलब्धता है, प्रदेश में है, देश में है और जिला में है, यह केवल कृत्रिम संकट पैदा किया जा रहा है। जब विधेयक पारित हो जायेगा तो 27 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ जायेगा, उसी समय के लिये इसे स्टोर किया जा रहा है। विधेयक पारित हो जाने के बाद व्यापारी को इसी होर्डिंग का लाभ होगा। मैं इसके लिये सीधे-सीधे आरोप लगाता हूं, दोषी ठहराता हूं, कठघरे में खड़ा करता हूं, मुझे सरकार की नीयत पर शक है और सरकार निकम्मी सरकार की तरह यह सब देख रही है। किसान, गरीब मजदूर आज परेशान है, इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि नियमों को शिथिल करके इस पर चर्चा करा दें, जिससे इसका संकट दूर हो।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, बड़ा गंभीर विषय है। चैत का महीना है और किसान अपनी फसल खलिहान से घर ला रहा है, लेकिन व्यापारी लोग डीजल को स्टोर कर रहे हैं और किसानों को वितरित नहीं कर रहे हैं, इससे किसानों को बहुत ही दिक्कत हो रही है और मड़ाई का कार्य नहीं हो पा रहा है। आज बिजली भी ठीक तरह से नहीं मिल पा रही है। जिस तरह से इस सरकार का कहना था, 16 घंटे बिजली आपूर्ति के बारे में। वह भी सुचारु रूप से से नहीं हो पा रही है। मान्यवर, किसानों को ज्यादा दाम देकर तेल खरीदना पड़ रहा है। हमारे कानपुर मंडल में कभी 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होती थी और तब 16 घंटे किसानों को भी बिजली मिल जाती थी, लेकिन आज वह 24 घंटे की सुविधा घटकर 16 घंटे कर दी गयी है। विद्युत की पूर्व सुविधा की जाय। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आज सारे प्रस्तावों को रोककर इस पर चर्चा करावें और तिवारी जी से भी चाहूंगा कि अपनी केन्द्र सरकार से कहें, नरसिंह राव पर दबाव डालें कि एक साल में 3-3 बार दाम बढ़ा दिया है, यह उचित नहीं है। मान्यवर, मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि इस पर आप चर्चा अवश्य करायें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, इस समय रवी की फसल की मड़ाई का काम चल रहा है और माननीय सदस्यों ने जो डीजल और बिजली के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, वह स्वाभाविक है । माननीय बालेश्वर जी ने जो यहां पर अपने क्षेत्र की समस्या रखी, तिवारी जी का इस मामले में यह कहना सही नहीं है कि वह हमारे कहने के बावजूद भी बोले । हमारे कहने से तो वह बैठ गये थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना सुझाव दिया । मान्यवर, हमारी सरकार ट्रांसपेरेन्ट है, पारदर्शी सरकार है । कुछ हमको भी शिकायतें मिली हैं । हम इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश देंगे कि जो चोरबाजारी कर रहे हैं, उनके ऊपर सतर्क दृष्टि रखें और कार्यवाही भी करें । साथ ही साथ हम इसकी उच्चस्तरीय समीक्षा भी करवायेंगे । हम अपनी तरफ से यह कहते हैं कि सदन उठने से पहले इस पर एक विस्तृत वक्तव्य भी देना चाहूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सरकार यह आश्वासन दे दें कि चाहे कठोर कदम ही उठाने पड़े, लेकिन 24 घंटे में डीजल का वितरण पूरे प्रदेश में सामान्य कर दिया जायेगा तो मैं इस प्रस्ताव को वापस ले लूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, अगले 48 घंटे में वक्तव्य के जरिये पूरी जानकारी दे दूंगा, उसी में पूरी बात स्पष्ट हो जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है, यह पेट्रोल मालिकों, डीजल मालिकों से मिल गयी है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी–अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये इसे निरस्त किया जाता है । अगली सूचना श्री किरन पाल सिंह, हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर), अशोक कुमार सिंह चन्देल, व मदन गोपाल वर्मा की जनपद पीलीभीत के कतिपय ग्रामों की किसानों की खड़ी फसल वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर चलवाकर उजाड़े जाने के संबंध में है ।

* श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

मान्यवर, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर तराई ने आपके अनाज भण्डारण को भरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था वहां पर पीलीभीत के पूरनपुर के अन्दर किसानों के फसल को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा ट्रैक्टर चलाकर उनके खड़ी फसल को उजाड़ा जा रहा है । पूरनपुर के अन्दर करीब 500 परिवार ऐसे हैं जो दो-ढाई हजार एकड़ भूमि पर खेती कर रहे हैं । टाटरगंज, नरोसा, वेला, अशोक नगर, कम्बौज, राम नगर आदि ऐसे गांव हैं जहां पर पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं यह पूरब से आये हुये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं और इनको जमीन देकर यहां बसाया गया है इनकी जमीन नानक सागर डैम के लिये ली गयी थी। आज इन गांवों के किसानों की खड़ी फसल उजाड़ी जा रही है और विशेष रूप से उन किसानों की फसल उजाड़ी जा रही है जो वन विभाग के अधिकारियों को एक हजार रुपये से लेकर पन्द्रह सौ रुपये प्रति एकड़ नहीं दे रहे हैं और तराई क्षेत्र को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना करके रखा है। चुनाव जीतने के बाद मैंने इस अवैध वसूली को रुकवा दिया जो पहले से जारी था। स्थिति यह है कि एक अधिकारी आता है वह कहता है कि तुम फसल क्यों नहीं लगा रहे हो दूसरा अधिकारी आता है और कहता है कि यह फसल नष्ट कर दिया जायेगा। रेंज आफिसर नोटिस देता है कि आप पिछले वर्षों से खेती कर रहे हैं अगर आपने इतने दिन के अन्दर उस जमीन से फसल नहीं हटाई तो ट्रैक्टर के द्वारा आपकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया जायेगा। तीन दिन बाद वह पहुंचता है और 2-3-4 एकड़ की खड़ी फसल नष्ट कर देता है यदि उस अधिकारी को हजार, पांच सौ रुपये दे दिये तो आपकी फसल छोड़ देगा लेकिन अगर आपने पैसा नहीं दिया तो ट्रैक्टर से फसल नष्ट कर दिया जाता है। यह वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। मैंने इसकी सूचना प्रशासन को, मंत्री महोदय को, सी० सी० एफ० को दिया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और फसल उजाड़ी जा रही है। उस अधिकारी का लिखित नाम (श्री राजेन्द्र कुमार) भी दिया। उसके खिलाफ लोग अफेडेविड देने को तैयार है। मेरे शिकायत की जांच के लिये चीफ कन्जरवेटिव आफिसर पीलीभीत से 100 किलोमीटर दूर दुधवा नेशनल पार्क पहुंचते हैं और वहीं से वह अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। मैं खुद वहां गया और कहा कि यह विधायक का कम्पलेंट है, इसकी सही जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनायेगा लेकिन चीफ कन्जरवेटिव आफिसर ने कोई ध्यान नहीं दिया और वह मौके पर न जाकर दुधवा नेशनल पार्क से ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। मालूम किया गया तो पता चला कि वह अपनी पत्नी को लेकर के पिकनिक मनाने आये थे और उन्होंने वहीं से रिपोर्ट तैयार की। मान्यवर, रेंज आफिसर ने क्षेत्र में दहशत फैला रखी है, किसानों की खड़ी फसल में उसने गड्ढे खुदवाना शुरू कर दिया है। वहां के 25-30 किसान हाईकोर्ट गये और उनको स्टे मिल गया कि यहां से उनको न हटाया जाये और उनकी फसल को नुकसान न पहंचे। लेकिन वन विभाग के लोग, यह सरकार हाईकोर्ट की बात नहीं मान रही है। वहां 500 परिवार रहते हैं, उनमें से 25-30 हाईकोर्ट गये पर सरकार उनकी बात नहीं मान रही है।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जो यह सरकार है, हम लोग जो हैं, कानून के अनुसार चलते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं जो संविधान में कानून है उसके अनुसार चलते हैं, संविधान का कानून स्पष्ट है, लेकिन जो भूमि बांटी गयी है, वह किसानों को नहीं दी गयी, जो राजस्व विभाग और वन विभाग की थी, वह संविधान के कानून के अनुसार ही नहीं किया जा रहा है। सन् 1925 से लेकर आज तक जो है केवल तीन लाइनों में बोलना चाहता हूं क्योंकि सरकार के दमखम नहीं है, पांच सौ लोग हैं, उनसे कम से कम दस-दस हजार रुपये ले लिया तो पच्चीस-तीस लाख रुपये तक वसूल कर लेंगे, इस तरह से अन्याय हो रहा है। मान्यवर, सुप्रीमकोर्ट का एक फैसला है वह मैं बताना चाहता हूं कि –

"जजमेन्ट्स टुडे 1989 (3) एस० सी० 489 डिसपोजिशन परसन इन सेटील्ड पाजेशन आफ प्रापर्टी बट हैविंग नो राइट टू रिमेन आन दी प्रापर्टी ही कैन नाट वी डीसपोज्ड इक्सेप्ट वाई रिकोर्स टू ला।

इट इज ए वेल सेटिल ला इन दिस कन्ट्री दैट वेयर ए परसन इज इन सेटिल्ड पजेशन आफ प्रापर्टी इवेन आन दी एजम्पशन दैट ही हैड नो राइट टू रिमेन आन दी प्रापर्टी ही कैन नाट वी डीसपोज्ड वाई दी ओनर आफ दी प्रापर्टी इक्सेप्ट रीकोर्स आफ ला ।"

मान्यवर, बहुत ही क्लीयर सेटल प्रिन्सिपल कानून है, इसी सदन में इसी सत्र के अन्तर्गत कृषि का बजट आया था, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि ऊसर बंजर भूमि को जो मजदूर लोग ठीक करेंगे और काम करेगा, उसे मजदूरी दी जायेगी और भूमि ठीक हो जाने पर उस भूमि को उनके नाम पर आवंटित कर दिया जायेगा । ऐसी स्थिति की भूमि को पूरनपुर-पीलीभीत में जो ऐसी भूमि थी, उसको ठीक किया गया परन्तु उन्हें मजदूरी नहीं दी गयी, उन्होंने अपने काम से और अपनी मेहनत से उस भूमि को ठीक किया है, लेकिन भूमि ठीक हो जाने पर अधिकारियों की नियत बदल गयी है क्योंकि भूमि खराब थी, अधिकारी वहां जाने से घबड़ाते थे, अब जब भूमि ठीक हो गयी है तो अधिकारी वहां जाने भी लगे हैं कि भूमि मिल जाय । मान्यवर, यह शासन की नीति है कि उन्हें भूमि दी जाय, जो आदमी तीस-तीस साल से बैठे हैं, उन्हें भूमि दी जाय । फारेस्ट मंत्री, श्री कमलनाथ जी ने भी घोषणा की है कि अगर वन विभाग की भूमि पर जहां पर पेड़ नहीं लगे हैं वहां पर काश्तकार खेती कर रहा है तो वह भूमि उसे दी जायेगी । मान्यवर, पीलीभीत तराई और पूरनपुर के जो रेंज अधिकारी, डी० एफ० ओज, कन्जरवेटर है, वह किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें भूमि पर कब्जा नहीं दे रहे हैं, उनसे अनावश्यक रूप से वसूली करते हैं, उनकी फसल नष्ट कर देते हैं । आप देखें कि सरकार ने नोटस दी है, वहां के ऐसे अधिकारी उनको नोटिस दे रहे हैं, नोटिस क्यों दे रहे हैं, उन लोगों को गुमराह करने के लिये, उन लोगों में दहशत फैलाने के लिये, ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नोटिस देकर जो पैसा बटोरा जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगायी जाय । गांव के किसानों की खड़ी फसल को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उजाड़ी जा रही है, उस पर यह सरकार आवश्यक कदम उठाये ।

* श्री हरेन्द्र सिंह(मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभारी हूं, नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी है, जो किसानों से संबंधित जनपद पीलीभीत का है, मैं इस संबंध में तीन मुद्दों पर सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा । पहले हमारे माननीय सदस्य, श्री बी० एम० सिंह जी है, जो एक राजनीतिक हैं, यही राजनीति में नहीं हैं बल्कि यह राजनीतिक जीवन इनके परिवार से चला आ रहा है और यह हमेशा अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं, जनपद की बातों को खुलासा करते हैं, अधिकारी जो करते हैं उनको लिखते हैं और उनके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं । जिलाधिकारी, पीलीभीत ने अपनी पत्नी और अपने लड़के नाम से गत लाइसेन्स बनवाया, एक मिल के जनरल मैनेजर है उन्होंने शराब के नशे में रस को नाली के अन्दर से बहा दिया, इनको पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल पाया, वहां पर लूट का काम किया जाता है । वहां पर भूमि दिये जाने के संबंध में धांधली हो रही है, वहां पर ठीक तरह से कार्य नहीं हो रहा है, वहां पर पिछले कई सालों से किसानों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की उगाही की जा रही है । जो वन विभाग के अधिकारियों को एक हजार रुपये से लेकर पन्द्रह सौ रुपये प्रति एकड़ नहीं दे पा रहा है, उसकी फसल उजाड़ी जा रही है । वन विभाग के लोग रिश्वत लेते हैं, एस० डी० एम० रिश्वत लेता है, सौ रुपये से लेकर पांच सौ रुपये तक रिश्वत ली जाती है । उत्तर प्रदेश के संविधान की परिधि में नहीं आता है क्या यह उत्तर प्रदेश विधान सभा के क्षेत्र के अनुसार पूरनपुर क्षेत्र पीलीभीत जनपद में नहीं आता है ? किसानों का जो दर्द है और पीड़ा है, उनका यह मामला है । यह केवल 500 किसान परिवारों का मामला नहीं है बल्कि 5000 हजार किसान परिवारों का मामला है । ये अनुसूचित जाति व गरीब किसान हैं । मान्यवर, किसान की कोई जाति नहीं होती है और उसका धर्म परिश्रम होता है । यह सरकार अनुसूचित जाति की बात करती है, लेहिया व चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों की बात करती है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि वह इसे कृपापूर्वक गम्भीरता से लें । आज वहां के किसानों को रौंदा जा रहा है, उनके खेत की खड़ी फसल, जो पक गई थी, उन पर ट्रैक्टर चलाकर रौंद दिया गया है और दो दिन की नोटिस पर हारर से कटवा दिया गया । एस० डी० एम० और डी० एम० से श्री बी० एम० सिंह जी ने कहा भी कि आपको जितने पैसे चाहिये, आप लिखकर दे दें मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कर लूंगा कि वह अपने विवेकाधीन कोष से कुछ पैसा दे दें । डी० एम० की तानाशाही के जरिये, वहां के रेंजर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह को निशाना बनाकर के 2 हजार एकड़ खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंद डाला गया है । परन्तु यहां पर बैठी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी । इसलिए मेरा यह भी अनुरोध है कि किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करायी जाय । इसके इसके साथ-ही साथ केवल रेंजर ही नहीं अपितु वहां के जिलाधिकारी व एस० डी० एम० के वेतन से इसकी कटौती की जाय । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी भी किसान हैं । पिछले 4 दिनों से मैं भी उनको देख रहा हूं कि वह चाहे उधर बैठे रहे हों या उधर बैठे हों, किसान के हित के अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की है । वन विभाग का एक अदना सा कर्मचारी डी० एम० के मौखिक आदेशों के आधार पर ही किसानों की फसल को रौंद डाल रहा है । दो हजार एकड़ खेत की फसल को चकनाचूर कर दिया गया है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस पर मौन रह जांय, मुझे ऐसा नहीं लगता है । इसलिए यह तात्कालिक लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है इसलिए आज इस पर शेष कार्यों को रोक कर चर्चा कराई जाय ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, पीलीभीत के किसानों के संदर्भ में माननीय श्री बी० एम० सिंह व श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) जी ने सारी चीजों से अवगत करा दिया है । मैं वन विभाग द्वारा दी गई एक नोटिस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज किस तरह से किसानों का वहां पर उत्पीड़न किया जा रहा है और उनकी फसल नष्ट किया जा रहा है । आज उत्पीड़न के नाम पर उनसे रिश्वत वसूल की जा रही है । एक नोटिस है जो श्री गुरूदयाल सिंह निवासी टिल्ला नं०–4 के नाम है । इसमें लिखा है "आपको नोटिस दी जाती है कि वैलहा वीट के अन्तर्गत विजोता नगर ग्राम के पास आपने पूर्व वर्षों से वन विभाग की भूमि अतिक्रमित करके फसल उगाई है । बरसात से पहले उस फसल को नष्ट करने का उच्चधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया था परन्तु माननीया श्रीमती मेनका गांधी, पूर्व वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री, भारत सरकार के अनुरोध पर फसल नहीं उजाड़ी गई थी और उस पर आश्वासन दिया गया था कि गन्ने की फसल बरसात के बाद तुरन्त काट कर वन भूमि को खाली कर दिया जायेगा ।

पहली बात तो यह है कि ये कौन से उच्च अधिकारी हैं, जिनके आदेश पर रेंजर ने फसल को उजाड़ने का आदेश जारी किया । तत्कालीन केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के नाम को जोड़ करके एक बड़े ही सम्मानित नेता के नाम को अपमानित करने का काम किया जा रहा है । तो जिस तरीके से पीलीभीत के अधिकारियों की सांठगांठ से किसानों का उत्पीड़न जारी है, और उनके पक्षधर विधायक का उत्पीड़न किया जा रहा है इस पर मैं स्पष्ट निर्देश चाहूंगा कि सरकार तत्काल ध्यान दें और हमें संरक्षण प्रदान करें । जिन लोगों का खसरा खतौनी में नाम दर्ज है उनको नोटिस देकर उत्पीड़न किया जा रहा है । नोटिस में सरकार ने स्वीकार किया है कि उनके नाम खसरा कातौनी में दर्ज हैं तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न की जाय, रैंज आफिसर के खिलाफ कार्यवाही की जाय किस उच्च अधिकारी ने इसके आदेश दिये हैं इसकी जांच सदन की कमेटी बना कर की जाय ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय सत्ता पक्ष से मुझे पता नहीं हमारे इस सवाल का जवाब कौन देगा यदि आजम खां साहब देंगे तो मैं समझता हूं कि वह हमारी बातें गम्भीरता से सुन रहे होंगे ।

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है । कुछ किसान परिवार जब नानक मत्ता डैम बना था वहां से उजाड़े गये, उनको कहा गया कि आप अमुक अमुक जगह पर जमीन ले लो जो ऊषर और बंजर थी और इस पर तुम्हारा मालिकाना हक हो जायेगा तो ऐसी जमीन जो बंजर थी, ऊषर थी और अनुपजाऊ थी उसको किसानों ने मेहनत से, मसक्कत से उपजाऊ बनाया और पैदावार लगने लगी और 30, 35 साल के बाद अब उनको उजाड़ा जा रहा है । इतने सालों तक खेती करने के बाद एडवर्स पजेहान के द्वारा भी उनको मालिकाना हक मिल जाना चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है कि जो लोग गरीब हैं, अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के हैं अगर वह किसी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं उनको उसका मालिकाना हक मिल जायेगा । तो वहां के लोगों ने भी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है, जब उस पर फसल होती है तो वहां के अधिकारी उस पकी पकाई फसल को उजाड़ रहे हैं । यह किसी खास वजह से यदि सरकार उनको जमीन नहीं देना चाहती है तो उनको डिसपोजेस करने के लिये अदालत में जाय, अदालत के माध्यम से उनको बेदकाल कराये । अभी माननीय बी० एम० सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाल दिया कि उनको डिसपजेशन नहीं किया जा सकता है । तो मैं चाहूंगा कि जो उजड़े हुये लोग हैं उनको उजाड़ा न जाय, उनकी फसल बरबाद न की जाय । जो 30/35 साल से कोती कर रहे हैं उनके नाम जमीन दर्ज कराई जाय । यह केवाल पीलीभीत का मामला नहीं पूरी तराई में चाहे नैनीताल हो या लखीमपुर जहां पर भी ऐसे लोगों ने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया है उनको वह जमीन 899 साल के पट्टे पर जमीन दे दी जाय । मान्यवर, माननीय आजम खां साहब भी चले गये । यह गम्भीर मामला है, वहां लोगों में हा-हाकार मचा हुआ है । पीलीभीत में जिस अधिकारी ने किसानों की फसल नष्ट की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, जिन किसानों से 5000. हजार रुपया मिल जाता है उसे छोड़ देते हैं जो पैसा नहीं देते हैं उनको आतंकित करते हैं । सरकार कहे कि ऐसे किसानों को तंग न करें और जो 30/35 सालों से खेती कर रहे हैं उनको मालिकाना हक दे अगर किसी कारण से ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 99 साल के पट्टे पर दे दें और कम से कम कोर्ट के जरिये उनको वहां से हटायें । इसलिए सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे ।

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, पहले तो यह परीक्षण कराने का विषय है। लेकिन यह सही है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि बहुत सी जमीनों पर शहरों में नाजायज कब्जे हुये हैं। पिछले दिनों ऐसे आदेश भी हुये हैं कि पट्टे जिनकी लीज पूरी हो गयी है वह आगे न बढ़ाई जायें तो देखना होगा कि लीज है कि नहीं। लेकिन आप इसे सहमत होंगे कि यदि लोगों को स्वयं जमीन और जायदाद के बारे में फैसले लेने का हक दे देंगे तो इसकी कोई रोक नहीं होगी। साथ ही साथ यदि यह जमीन मेहनत करने वालों के पास है और रोजी रोटी कमाने वालों के पास है तो देखना होगा। इसलिए इसके परीक्षण करने की बात है हम सहानुभूतिपूर्वक इसको देखेंगे।

श्री किरनै पाल सिंह–

मान्यवर, शहरों में जमीन का कब्जा मकान बनाने के लिए करते हैं लेकिन वहां तो खेती करने के लिये कब्जा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक आप परीक्षण करायें तब तक आज ही निर्देश भेज दें कि जो फसल तैयार हो गयी है, वह देश की पैदावार है, उसको न उजाड़ा जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ऐसा नहीं होता है कि शहर की जमीन की कीमत किसानों की जमीन की कीमत से ज्यादा हो। इसलिए मुकाबला कीमत का नहीं है बल्कि जो कानून में आने वाली बात है उसके संबंध में मैं कह रहा हूं कि उसको हम दिखवा लेंगे। आप की जिज्ञासा है कि खड़ी फसल को न काटा जाये और यदि काटा जाता है तो वह बरबाद नहीं किया जाता है बल्कि उसको सरकार की संपत्ति बना लिया जाता है। इसमें जो भी सहायता हो सकती है वह हम दिखवा कर करेंगे और इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं जिस रेंजर ने खड़ी फसल को जोत दिया डी० एम० के कहने पर, मान्यवर, सदन की यह परम्परा रही है कि यदि कोई सदस्य सूचना देता है तो उसको सही माना जाता है, इसलिए क्या मंत्री जी सूचना को सत्य मानते हुए उस अधिकारी को जिसके कहने पर खड़ी फसल को जोत कर मिट्टी में मिला दिया है, उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने तो उत्तर दिया है कि परीक्षण करवा लेंगे और दिखवा लेंगे।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, वहां किसानों की पैदावार को मिट्टी में मिला दिया है, इसलिए जिस अधिकारी के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है क्या मंत्री जी उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे, यह बता दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हरेन्द्र मलिक जी वाकिफ हैं, मैं जितनी बात कहता हूं उतनी करता हूं। मैंने इसका कल ही सबूत दिया है, जितना कहा था उतना किया है और आज जितना कहा है, बजट से निपट कर उस पर बात करता हूं और जो हो सकता है वह हो जाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए सूचना निरस्त की जाती है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, इस पर कम से कम वक्तव्य तो आप दिलवा दें, जिससे विस्तार से उत्तर आ जाए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी वार्ता के सम्बन्ध मे सहकारिता मंत्री जी ने अधिकांश बातों को मान लिया है और उन्होंने आपको भावनाओं को आदर करते हुए भी कहा है, अब इस पर कोई बात रह नहीं जाती है, फिर वक्तव्य का कोई औचित्य रह नहीं जाता है ?

श्री किरनपाल सिंह–

मंत्री जी ने यहां जो कहा कि जो फसल है उसको काटकर सरकार को दे देंगे और उन पर उनका मालिकाना हक है या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब अगली सूचना इसमें सर्वश्री प्रमोद तिवारी, जगदम्बिका पाल, कामेश्वर उपाध्याय व हरिशंकर तिवारी आदि की है और उसका विषय केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के बुनकरों के लिए रियायती दर पर आवंटित सूत के महीनों बीत जाने पर भी बुनकरों को न मिलना और काला बाजार में बेच दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस सदन में पूरे सदन के सम्मानित सदस्यों ने समय समय पर चिन्ता व्यक्त की है और आज सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति यदि किसी की है तो वह प्रदेश के बुनकरों की है। यह सरकार जो बुनकरों के मत पर आई है, इसके बावजूद उनहें सस्ते दाम पर सूत नहीं उपलब्ध करा पा रही है और मजबूत होकर बुनकारों को मंहगें दाम पर और चोर बाजारी में सूत प्राप्त करना पड़ रहा है। साथ ही उनके द्वारा जो उत्पादित माल है, कपड़ा है उसे आज कोई खरीद नहीं रहा है, न हैण्डलूम कारपोरेशन खरीद रहा है न यूपिका वाले और आज उसका मानक भी टादल दिया गया है। इससे उन्हें अपने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है और सरकार का यू० पी० हैण्डलूम कारपोरेशन और यूपिका उसका भुगतान सुनिश्चित नहीं कर रहा है । ऐसी स्थिति में आज वह रिक्शा चलाने या खेतों में मजदूरी करने के लिए विवश हैं । जब केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए 1 लाख 75 हजार किलोग्राम सूत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की, उसे उनहोंने यहां भेज दिया, किन्तु यह इस प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है । जब केन्द्र के कपड़ा मंत्री यहां आए थे, तो उन्होंने मंत्री जी के सामने उल्लेख किया कि अब आपके बुनकरों के सामने सूत का संकट क्योंकि जब मैंने यहां इतने सूत भेज दिया है जिसकी कीमत 28 लाख रुपया है । हमारे मंत्री जी उनके सामने स्तब्ध रह गये और उन्होंने कहा कि हम इस प्रकरण की जांच करायेंगे । आज इन्हें पता नहीं है कि बुनकरों को दिया जाने वाला वह केन्द्र का सूत आज कहां है और कहां नहीं है । इससे बुनकरों के सामने बड़ी गम्भीर और विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है । इतनी गम्भीर स्थिति में बुनकरों को राहत पहुंचाने के लिए कोई चीज नहीं दी जाती है ।

कोयला के बारे में भी सहकारिता मंत्री जी ने जवाब दिया था कि वह मिसिंग है, तो क्या इनकी यह नई परम्परा है कि जो सूत आ रहा है और जो कोयला आ रहा है, उसकी सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है और चीज गलत हाथों में पहुंचा दी जाती है । आपकी प्रशासनिक व्यवस्था इसे रोकने में बिलकुल असमर्थ रही है । तो इसलिए यह प्रश्न लोकमहत्व का है और इसमें अविलम्बवता भी है और मंत्री जी द्वारा सूत के मामले में जांच कराने की बात संज्ञान में आई है । और मान्यवर, जो जांच की बात कहीं गई थी, उसमें भी क्या हुआ माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ? इस तरह की स्थिति क्यों हुई, इन सबके सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, 18 अप्रैल को काम रोको प्रस्ताव के जरिये मैंने यह प्रकरण उठाया था । बुनकरों को बढ़े दामों पर सूत मिल रहा है, सरकार की तरफ से आश्वासन आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार, बुनकर और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे और यह तय करेंगे कि किस तरफ से इसके दामों में कमी आये ? दामों में कमी नहीं आई है जो हुआ है उससे सरकार क अकर्मण्यता झलकती है । अभी केन्द्र से कपड़ा मंत्री लखनऊ आये थे उनहोंने माननीय मुख्य मंत्री जी को बताया कि हमने सूत भेजा था । प्रदेश सरकार की तरफ से इस विषय में अनभिज्ञता जाहिर की गई कि हमको मिला ही नहीं । जिनके लिये भेजा गया था, उनको मिला ही नहीं, कहां चला गया, इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है ? बुनकरों को जो सूत मिल रहा है, वह बढ़े हुए दामों पर मिल रहा है उसमें बड़ा स्कैन्डल है । जो लोग इसमें शामिल हैं, उनका यह प्रयास होता है कि कम दाम पर बुनकर तक सूत न पहुंच पाय ?

मान्यवर, आपको मालूम होगा कि अभी 18 और 19 अप्रैल को हजारों बुनकरों ने विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन किया था, अपनी गिरफ्तारी देने पर आमादा थे । उनके और माननीय मुख्य मंत्री जी के बीच हमने वार्ता कराई कि इससे समस्या का समाधान निकल सके लेकिन मान्यवर, समस्या सुलझने के बजाय और गम्भीर बन गई । 28 लाख रुपये का सूत गया तो कहां गया ? किन कारणों से केन्द्र सरकार का भेजा सूत बुनकरों तक नहीं पहुंच संका, सरकारी मशीनरी को फेल्योर मानते हुए इस लोक महत्व के प्रश्न पर सारे नियमों को शिथिल करके जवाब दिलवाने की कृपा करें ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, सूत के मामले में जगदम्बिका पाल जी की और नेता कांग्रेस की जिज्ञासा सही है । जगदम्बिका पाल जी के साथ पहले बात-चीत भी हुई है । एक वरिष्ठ अधिकारी को कानपुर से बुलाकर बात की है । यह सही है कि बहुत दयनीय स्थिति है कई मामलों को लेकर बुनकरों की । सूत के मामले में जिस स्कैन्डल की बात आप कर रहे हैं, मैं शायद यहां न कह सकूं । उसके बंटवारे में जिस तरह की अनियमितता हुई है । अभी कुछ रोज पहले बुनकरों को बुलाया था, एक बड़ी मीटिंग हुई थी प्रदेश स्तर की । अधिकारी लोग भी थे । वह शख्श भी थे जिनकी तरफ इशारा हुआ है ! उनकी हालत यह भी कि वह जवाब नहीं दे पा रहे थे । यह गम्भीर विषय है और सरकार इसको गम्भीरता से लेगी और जो भी समाधान हो सकता है, करेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सरकार ने इसे मान तो लिया है । सरकार के कामों में कहीं कमी थी या केन्द्र सरकार की कहीं कमी थी ? सरकार को कठघरे में नहीं खड़ा करना चाहते हैं लेकिन आज जो बुनकरों की स्थिति है, उसको देखते हुए सरकार क्या कदम उठायेगी, इसको 27 तारीख तक सदन में बता दें ? इस विषय पर मंत्री जी का वक्तव्य आ जाय ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इस पर वक्तव्य आ जायेगा । हम कुछ नहीं छिपाना चाहते हैं । बहुत सी बातों को लेकर बुनकरों के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है । सदन में इस पर कोई बात चीत होती है तो सरकार उनकी मदद करना चाहती है । जो भी कमियां होंगी उनको दूर किया जायेगा । जहां तक कोयले की बात है, केन्द्र पर कोई इलजाम देने के लिये नहीं कह रहे हैं । मैंने सदन में पहले भी कहा था कि डाइवर्जन कोयले का प्रदेश सरकार नहीं करती है । हम तो डिमान्ड करते हैं, हमको एलाट हो जाता है लेकिन जब वह केन्द्र की पटरियों पर चलता है तो वह अपने चहेते प्रदेशों को भेजा जाता है उत्तर प्रदेश रह जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आ जायेगा । अब मैं आगे की मद लेता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,71,03,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, यह इत्तफाक है मुझे एक ऐसे विभाग का बजट पेश करना पड़ रहा है जो बहुत से एतराजात का निशाना बनेगा। यह भी महज इत्तफाक है कि कटौती का प्रस्ताव हमारे मित्र की तरफ से आएगा। हमारा मिजाज यह हरगिज नहीं है कि किसी विभाग में कोई कमियां हों तो उन कमियों पर पर्दा डालकर, उनको छिपाकर चला जाए। यह भी सही है विभाग की मजबूरियों को, विभाग की परेशानियों को, प्रदेश के संसाधन जिनसे प्रदेश की सरकारें चलती हैं रखें, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है ? हमारी आमदनी का श्रोत कितना है ? उसको कहां तक पहुंचा सकते हैं, –

इसको देखना है ऐसा कोई प्रदेश, कोई देश जो तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, अगर बिजली नहीं है तो तरक्की के बहुत से काम रुक जाते हैं। यह कृषि प्रधान देश है, खेत-खलिहान हैं जिनको बिजली पहुंचानी है। छोटे कारखाने, बड़े कारखानों कितनी बिजली लेते हैं हमारे खेत कितनी बिजली लेते हैं, मान्यवर, इसमें इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बड़े कारखानों ने उत्तर प्रदेश की तरक्की को रोका है। मैं जातीय तौर पर कायल नहीं हूं बहुत जल्द हमारा प्रदेश कम्प्यूटराइज्ड हो जाएगा हमारे मुल्क के, हमारे देश के हालात ऐसे हैं उसमें यह स्वप्न देखना हमारा मुल्क कम्प्यूटर में इलेक्ट्रौनिक में चला जाएगा यह सही नहीं है। जो बिजली कमजोर आदमी को मिलनी चाहिए जिसको खेत गांव में पहुंचाने का वायदा किया है। यह मानना कि प्रत्येक सरकार जितने मानक तय करती है वह पूरे नहीं हो पाते हैं, उसमें यह दोष देना कि विभाग की कमियों की वजह से, विभाग भ्रष्ट है, विभाग चोर है यह कहना सही नहीं है। मैं सन् 1980 से आने के बाद यह तय नहीं कर पाया कि कोई विभाग कोई अधिकारी सही है, वह ईमानदार है ? एक दफा जब मैं श्रम का बजट पेश कर रहा था उस समय इत्तेफाक हुआ था किसी ने उस समय के सचिव की तरफ ऊंगली उठाई, मैंने मजबूती के साथ कहा था सचिव ईमानदार हैं। हमारे एक साथी ने उसके लिए कहा था आपको एक सचिव को बचाने के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए था, खामोश रहना चाहिए था। मैंने इस ख्याल से, अगर किसी सख्श को बेईमान कह दिया गया तो कोई इमानदार नही रहेगा। बेइमान और इमानदार में कोई पहचान नहीं रह जाएगी। ऊर्जा विभाग की खूबियों पर इनकी कमियां आ गई। एक शिकायत मुस्तकिल मिलती है कि बिलिंग गलत होती है। बिलिंग सही होने लगे तो करोड़ों का घाटा बिलिंग के माध्यम से सही कर सकते हैं। घाटा पूरा कर सकते हैं। बिलिंग को सही करने के लिए चन्द महीनों के अन्दर सारे प्रदेश को कम्प्यूटराइज्ड कर देंगे। कम्प्यूटर में रिकार्ड रहेगा। . . . . . .

(4 बजकर 30 मिनट)

इससे जो शिकायत आती है। आज भी सदन में आया कि करेक्शन जो हाथ से आते हैं, उसमें जीरो हटाकर करेक्शन किया है। लेकिन कम्प्यूटर में यह रिकार्ड रहेगा कि किसने यह करेक्शन किया है। किस तारीख का करेक्शन है ? तब यह शिकायत नहीं मिलेगी। 1994-95 के विद्युत विभाग के आयोजनागत परिव्यय में 1580 करोड़ 62 लाख रुपया है। इसमें 783 करोड़ रुपया राज्य सरकार के बजट के माध्यम से व इतना ही पैसा वसूली से प्रदेश से आना है। जो किसानों से आना है, बिजली के इस्तेमाल करने वालों से आना है। छोटे और बड़े कारखानों से आना है। इसके अलावा दो सौ करोड़ रुपए एल०आई०सी० से आना है। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन आर०ई०सी० से 128 करोड़ आना है। आई०एफ०एस० से 150 करोड़ आना है। आई०डी०बी०आई० से 48 करोड़, ए०एन०एम० से 4 करोड़ रुपए पावर फाइनेंस से 180 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर 740 करोड़ बनता है। लेकिन हमें

यह मानने में इन्कार नहीं है कि यह आकंड़े वह हैं, जो कागजों पर छापे जाते हैं। इन 740 करोड़ रुपए और 783 करोड़ रुपए अगर मिला लिया जाए तो यह इतना धन होता है, जितनी हमारी जरूरत है। लेकिन जो कागजों पर लिखा जाता है, इस संबंध में सच्चाई यह है कि उतना पैसा नहीं मिल पाता है। बजट बनाते वक्त, उसका प्राविधान करते वक्त, यहां बजट देते वक्त हम कागजों पर निर्भर होते हैं, हम सच्चाई से आखं फेर लेते हैं। हमें आपसे कहना है कि जो हम कागजों पर लिखकर देते हैं, वह सच्चाई नहीं होती है। इसमें तकरीबन चार सौ करोड़ रुपया ऐसा है, जो हमें नहीं मिल पाएगा तथा इसमें तकरीबन 150 करोड़ रुपया ऐसा है, जो हम लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उस पैसा का हमें 36 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। यह गरीब प्रदेश है। किसानों का प्रदेश है। यहां 1986 से यह प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा है। किसनों को बिजली नहीं मिली है, डीजल नहीं मिला है, तेल नहीं मिला है। जलते हुए घरों में मारे जाने वाले लोग और इस चेजेंज का सामना करने के लिए जहां हमें आपका भी सहयोग लेना है। वह जो दल बुनियादी मुद्दों पर हमारे साथ है, हमारा उनसे भी कहना है कि वह भी हमारा सहयोग करें। यह कहा जाता है कि जो बड़ा फैक्ट्री चलती हैं उनके पूंजी पति लोग बिजली की चोरी करते हैं। इस संबंध में मेरा कहना है कि दूसरें पर ऊंगली उठाने के पहले हमें अपने गिरेबान में झाकना चाहिए। मैं आम जनता की बात नहीं, राजनीतिज्ञों की बात कर रहा हूं। राजनीति में काम करने वाले लोग अपने क्षेत्र की जनता को बिजली का बिल न जमा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में कई जिले ऐसे हैं, जहां बिजली का बिल न जमा करने की आदत सी बन गई है। अगर बिजली खर्च की जाए और बिजली का बिल न अदा किया जाए तो यह सही नहीं है। जिन सिस्टम से हम पैसा लेते हैं, उस पैसे का ब्याज दर ब्याज हमें जमा करना पड़ता है। बिजली खर्च करने वाले लोग कहते हैं कि हमने पैसा नहीं दिया है तो आप हमसे मूल धन ले लो ब्याज न लो। मै जानता हूं कि जिन लोगों की यह मांग है वह जायज नहीं हो सकती है।

लेकिन उर्जा विभाग के लिये परेशानी की बात यह है कि दिन प्रतिदिन उर्जा विभाग कर्जे के बोझ के नीचे दबा जा रहा है और जो काम वह करना चाहता है वह नहीं कर पाता है। मान्यवर, आनपारा–बी की उत्पादन परियोजना पर 442 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और चालू हालत में है। आनपारा–बी की पारेषण लाइन पर 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और अन्य कार्यों पर 41 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। यह काम ऐसा है जिसे हम उर्जा विभाग की उपलब्धि भी कह सकते हैं। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा था, इस सरकार ने 16 घंटे बिजली देने का वायदा किया था। हमें आज शर्मिन्दगी के साथ सदन में कहना पड़ता है कि हम पिछले एक सप्ताह से अपने वादे को पूरा नही कर पाये हैं। सन् 90 में जब हमारी सरकार थी उस वक्त माननीय मुलायम सिंह ने औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। उस वक्त 16 घंटे बिजली देने की घोषणा की गयी थी और उस वक्त हम कामयाब थे अपनी इस घोषणा में। इस बार भी हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने 16 घंटे बिजली देने का वायदा किया है। 1990 में जिस नीति का एनाउंसमेंट किया गया था, घोषणा की गयी थी हम आज फिर उसी नीति को कायम रखने के लिये, उसको लागू करने के लिये वचनबद्ध हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते में हम 16 घंटे बिजली नहीं दे पाये यह बात सही है। इसका यह मतलब नहीं है कि उर्जा विभाग या सरकार किसानों को बिजली नहीं देना चाहती है। यह सरकार किसानों की, मेहनतकशों

की, मजदूरों की सरकार है और किसानों को वरीयता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाय यह हमारी कोशिश है ।

मान्यवर, 1 लाख 12 हजार हमारे गांव हैं । 84966 गांव सी० आई० ए० की परिभाषा के मुताबिक विद्युतीकृत हैं और 52629 गांव एल० टी० मेन्स से विद्युतीकृत हैं । इसमें 2 लाख रुपये के हिसाब से प्रति गांव पर खर्च होता है । यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसके बारे में मैं निवेदन करूंगा पाल साहब से कि जब वह कटौती का प्रस्ताव लायें तो यह जरूर सराहें । आज इस बजट के संबंध में मीटिंग हुयी थी जो हमारे साथियों ने यह शिकायत की थी कि कागज पर तो दिखा दिया जाता है कि विद्युतीकरण हो गया है लेकिन असल में नहीं होता है । मान्यवर, इस शिकायत के बारे में हमें सोचना है, इस शिकायत के बारे में हमें देखना होगा । अगर विद्युत विभाग ने एक्सेप्ट किया है कि विद्युतीकरण हो गया है लेकिन प्रेक्टिकली नहीं हुआ है तो यह धोखा ही नहीं, बेइमानी ही नहीं है बल्कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ जिन्होंने ऐसे गलत आंकड़े पेश किये हैं और आंखों में धूल झोकना चाहा है, ऐसे अधिकारी को सजा मिलेगी । (मेजों की थपथपाहट ।) आप इसके बारे में हमारे पास जानकारी दें । मान्यवर, ग्रेटर नोयडा में एक मांग यह भी है कि बिजली की चोरी की वजह से या बिजली विभाग के करप्शन की वजह से यह विभाग घाटे में है अगर इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाय तो यह घाटा खत्म हो सकता है ।

बहुत से निगम हमारे प्रदेश में बनें, उनके बारे में भी यही मांगें होती रही हैं, जितने निगम बनें, सभी घाटे में चले । इन सब चीजों को करते समय यह नहीं देखा गया कि बिजली कितनी मिले, बल्कि यह देखा गया कि सबको बिजली मिले । प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़े हैं । नोयडा में प्राइवेटाइजेशन हुआ है और पूरे नोयडा को बिजली उस माध्यम से पहुंचाई जा रही है । इसी तरह से हम दूसरी जगह भी करने जा रहे हैं और इस प्रकार के समझौता हुए हैं । बिजली की चोरी करने वाले की एक लम्बी फेहरिस्त है और बिजली की चोरी में पकड़े जाने वाले लोगों की फेहरिस्त है । आज 6 बड़े चोरों के नाम है, इनको हथकड़ियों में डाल कर जेल भेजा गया है । मान्यवर, ऊर्जा विभाग ऐसा विभाग है, जिसका बहुत बड़ा नेट वर्क है और जब बड़ा नेट वर्क होता है, तो उसमें कमियां हो सकती है । मान्यवर, इन 6 बड़े बिजली चोरों के नाम इस प्रकार है :–

(1) मेसर्स महाराष्ट्र स्टील, गाजियाबाद ।

(2) मेसर्स नीवा क्वाइल्स, नोयडा ।

(3) मेसर्स त्रिकोण सीमेंट, मवाना रोड, मेरठ ।

(4) मेसर्स सर्वोदय इस्पात, बिजौली, झांसी ।

(5) मेसर्स सुरेन्द्र कुमार बरनवाल, भदोही, वाराणसी ।

(6) मेसर्स गोल्डी होम, इलाहाबाद ।

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल–

मान्यवर, जो 14 करोड़ की चोरी पकड़ी गयी, उसके बारे में भी बता दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ऊर्जा सलाहकार समिति में माननीय विधायकों को नामिनेट किया जाय । अभी तक माननीय विधायक इसमें सदस्य नहीं होते रहे हैं, लेकिन यह जल्दी ही हो जायेगा । मान्यवर, एक चीज होती है अन्डर फ्रीक्वेंसी रिले, यह एक पुर्जा है, जो हर जिले में जनता की रीढ़ की हड्डी से लगी हुई है और जब चाहते हैं ऊर्जा विभाग वाले फ्रीक्वेंसी घटाते, बढ़ाते हैं, जहां का दबाव कम हो गया, वहां की फ्रीक्वेंसी कुछ हो गयी और जहां का दबाव ज्यादा हुआ, वहां की कुछ हो गयी । मैं इसको मूलतः इस बात को मानता हूं कि जरूरत को मद्देनजर रखते हुए फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होना चाहिए । यह बिल्कुल सही नहीं है कि किसानों को बिजली न मिले, यह बिल्कुल सही नहीं है कि बुनकरों को लूम्स के लिए बिजली न मिले, गांव में बिजली न मिले, लेकिन पूंजीपतियों का कारखाना बन्द न हो । यह बिल्कुल सही है कि बड़े लोगों का कारखाना चलाने के लिए छोटे लोगों को बिजली देना बन्द कर दिया जाय, ऐसा नहीं है कि सरकार की निगाह इस तरफ नहीं है । सरकार इसको मानती है कि ऊर्जा तरक्की का रास्ता है । ऊर्जा को हम पीछे नहीं रख सकते हैं । यह सही है कि बड़े कारखानों को बन्द नहीं कर सकते हैं । हम बड़े कारखानों को बन्द करके नहीं चल सकते, लेकिन उनमें बराबरी होनी चाहिए, छोटे और बड़े में बराबरी होनी चाहिए, इसे सरकार मानती है । मैं इन्हीं बातों के साथ ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों के साथ पाल साहब से यह उम्मीद करूंगा कि पाल साहब अपने कटौती के प्रस्ताव को इसलिए वापस ले लेंगे कि अच्छाइयों के साथ जो कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे विभाग में काम करने वाले लोगों को सजायें नहीं मिलीं, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, जो सजायें उनकी खता के कारण दी जा सकती है, दी गयी है ।

इसके अलावा जब भी प्रश्नों के माध्यम से सदन में उत्तर देने के लिए जब अधिकारी आते हैं, तो उनसे बात करता हूं और कहता हूं और सख्ती करता हूं और उसके परिणाम स्वरूप सुधार आया है । दैवी आपदाओं के तहत 16 घंटे बिजली नहीं दी जा सकी, लेकिन हम वादा करते हैं, कि मुलायम सिंह की सरकार किसानों को 16 घंटे बिजली देने के अपने वादे को पूरा करेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

जगदम्बिका पाल जी, आप अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करें ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं०–9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत परिषद् और विद्युत विभाग के विभागीय बजट को प्रस्तुत किया है मैं उनके बजट भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था और आप भी सहमत होंगे कि शायद यह पहला अवसर है जब माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कोई नई घोषणा नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की है । उन्होंने इसका भी उल्लेख नहीं किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, उन्होंने इस बात का भी उल्लेख नहीं किया है कि इस समय जो विद्युत उत्पादन है, उसको यह सरकार बढ़ाने जा रही है और सरकार कहती है कि वह कथनी और करनी में अन्तर नहीं करती है । किसानों को 16 घन्टे बिजली देनी चाहिये, लेकिन जब तक उत्पादन को नहीं बढ़ाया जायेगा, मान्यवर, कैसे संभव हो सकेगा ? जब तक प्लाण्ट लोड फैक्टर नहीं बढ़ाया जायेगा, तब तक कैसे इसको आप सुनिश्चित करेंगे ? आपने किसी भी प्रोजेक्ट का उल्लेख नहीं किया है, कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है, कि विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में क्या योजनायें हैं और सरकार के भविष्य के क्या कार्यक्रम हैं और उसकी क्या नीतियां होंगी । उत्तर प्रदेश में जो पारेषण और वितरण है, उसके सम्बन्ध में हाइड्रो या थर्मल का क्या काम होगा ? किसानों के खेतों तक विद्युत पहुंचाने के लिये जो कठिनाइयां होंगी, उनका कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है, जो लाइन लासेज हैं, उनका कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है ।

माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से भाषण दे रहे थे, उससे ऐसा लगता था कि वह साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिये भाषण दे रहे हों । यह विभाग ऐसा है कि जनता परिणाम से संतुष्ट होगी, जजबाती भाषणों से संतुष्ट नहीं होगी आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों के पास बिजली कब पहुंच रही है । मैं कहना चाहूंगा कि इसी सदन में बिजली चली गयी और मुख्य मंत्री जी बैठे रहे, तो कहने का मतलब यह है कि जनता परिणाम चाहती है । शायद यह पहली सरकार होगी जो उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख विभागों पर वार्षिक परिव्यय का आधा पैसा खर्च करती है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक परिव्यय है उस वार्षिक परिव्यय में आधे से ज्यादा पैसा विद्युत और सिंचाई पर खर्च होता है तो सबसे महत्वपूर्ण किसानों के लिए यह है और यह उनकी तकदीर से और जनजीवन से जुड़ा हुआ यह विभाग विद्युत और सिंचाई ही है । लेकिन यह पहली सरकार है जिसमें न विद्युत मंत्री हैं और न ही सिंचाई मंत्री हैं । ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं हैं तमाम व्यक्ति हैं मैंने उनको सुना तो मेरी जिज्ञासा हुई कि वह दूसरे दिन भी बोलें । राम तेज हैं और दूसरे लोग हैं महिलाएं हैं इनके मंत्रिमंडल में कोई महिला सदस्य नहीं है । इन्हीं को विद्युत विभाग सौंप दीजिए । मान्यवर, गौरी शंकर जी हैं ये जब तक हमारी सरकार थी हम हमेशा इनकी काबिलियत और योग्यता के अनुसार मंत्री बनाये रखते थे और यह इसीलिए उधर गये होंगे कि सरकार बनने वाली है मुलायम सिंह की तो कम से कम मंत्री बना दिया जायेगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं जब गया था तब न तो कोई गठबन्धन था और न ही सरकार बनने की कोई उम्मीद थी, 6 दिसम्बर, के बाद गया था । मैं समझता हूं कि आपकी जानकारी बहुत कम है आप उसको करेक्ट कर लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं मान्यवर, बिल्कुल करेक्ट कर ले रहा हूं जब गौरी शंकर जी गये थे तब ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी यह मुलायम की सरकार तो गौरी शंकर के शामिल होने से बन गयी इनके भाग्य से ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

सबका सामूहिक भाग्य है उत्तर प्रदेश की जनता का ।

श्री प्रमोद तिवारी–

एक तरफ मंत्री बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपका भाग्य ही फूटा है । आप जहां गये हैं वहां सरकार बनवाई है मैं नहीं कहता कि जहां जाते हैं वहां सरकार बनती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों में कोई मंत्री नहीं है । यह तो सहकारिता मंत्री हैं यथा नामें तथा गुणे इनका तो काम है सबका सहयोग करना, सहकारिता भाव से काम करना । जिसका कोई उत्तर देने वाला न हो तो उसका उत्तर आप दे देते हैं जिसका कोई बजट प्रस्तुत करने वाला न हो तो उसका बजट प्रस्तुत कर देते हैं आपने बजट तो अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर दिया लेकिन कल से वह फिर सहकारिता विभाग में लग जायेंगे और माननीय सदस्यों के दबाव में नामिनेशन में पड़ जायेंगे । कल से पी० सी० डी० एफ० है, कोआपरेटिव बैंक का नाम है और क्रय विक्रय समिति का है, उपभोक्ता का है इसमें लग जायेंगे और आपके पास समय नहीं रह जायेगा । आज इसका कोई मंत्री होता, मान्यवर, 27 तारीख को सदन उठ जायेगा । आप उधार के मंत्री हैं, साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी में देखते होंगे, वक्फ में देखते होंगे लेकिन इसमें नहीं देखते होंगे, परसों से आपकी कोई जवाबदेही नहीं रह जायेगी अब आप सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कह देगें लेकिन अधिकारी फिर आपके पास नहीं आयेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो माननीय मंत्री जी के रूप की तरह अपना कटौती का प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे पीड़ा है । मैं समझता हूं कि आज अगर इस विभाग का कोई मंत्री होता तो जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी सरकार बनने के उपरान्त कि 16 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तो वह विधान सभा के अपने मंत्रालय के कक्ष से उठकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् कक्ष में बैठते और वहां के नियंत्रण कक्ष में बैठकर देखते कि आज हमारे पावर स्टेशन पर कितने मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है और कितनी आवश्यकता है कितनी कमी और कहां पर क्या कठिनाइयां हैं ? मैं कोई विभाग की आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं । राज्य विद्युत परिषद जो है उनके सामने चुनौतियां होंगी उनके आज मंत्री होते तो वह इसकी समीक्षा करते । अधिकारी बताते कि विद्युत उत्पादन के संबंध में ट्रान्सफार्मर के लिये पैसा चाहिये, नयी लाइन्स के लिये पैसा चाहिये जो एरियर का रियलाइजेशन हो रहा है उस एरियर्स के रियलाइजेशन में किस तरह से प्रभावी कदम उठाये जायं उस प्रभावी कदम की तरफ मंत्री जी का ध्यान जाता । यह 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की बात कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष राष्ट्रपति शासन था उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में विद्युत उत्पादन की जो स्थिति थी वह आपको ज्ञात है । विद्युत उत्पादन को बढ़ायेंगे नहीं तब तक किस जादू की छड़ी से विद्युत आपूर्ति 16 घंटे सुनिश्चित करेंगे । प्लान्ट लोड फेक्टर विद्युत आपूर्ति का मानक है आज 1993–94 में 49.8 प्रतिशत है यह पी०एल०एफ० विद्युत उत्पादन का सही मानक है । जो भारत का राष्ट्रीय औसत है वह 57 प्रतिशत है । इसके पिछले साल 1992–93 में यह मैं साहित्य से कह रहा हूं जो हम लोगों को मिला है, जो योजना आयोग की वार्षिक योजना के 94–95 के सरकारी आंकड़े है, 92–93 में पी०एल०एफ० 51.1 प्रतिशत था इस तरह से पिछले साल की तुलना हें विद्युत उत्पादन घट गया है ।

मेरा स्पष्ट आरोप है कि 92–93 में जब राष्ट्रपति शासन था तब विद्युत उत्पादन क्षमता 51.1 प्रतिशत थी आज 1993–94 में यह 49.1 प्रतिशत रह गयी है आज विद्युत उत्पादन घटा है इनका पी०एल०एफ० घटा है। मान्यवर, किस तरह से यह 16 घंटे विद्युत आपूर्ति कर पायेंगे ? इस संबंध में क्या व्यवस्था कर रहे हैं वह उत्तर में बतायेंगे ?

1988–89 में हमारी कांग्रेस की सरकार थी यहां, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की तुलना नहीं करना चाहता हूं, प्रमोद जी उस समय विद्युत मंत्री थे उत्तर प्रदेश का पी०एल०एफ० विद्युत उत्पादन का जो प्रतिशत था वह 54.3 प्रतिशत था आज के 5 साल पूर्व, आनपारा की जो बात कह रहे थे 500 मेंगावाट की एक इकाई को हमने शुरू कर दिया था, पैसा जापान से उसका आ रहा है, आपकी वह 500 मेगावाट की क्षमता बढ़ गयी है तब भी आपका पी०एल०एफ० घट गया है। उस समय यू०पी० का 54.3 प्रतिशत था राष्ट्रीय औसत 53 प्रतिशत था। हमारे प्रदेश का विद्युत उत्पादन का औसत से अधिक था। आज यदि हम राष्ट्रीय मानक को छू सकते हैं तो फिर किस तरह से राष्ट्रीय मानक पर पहुंचेंगे ? कहा गया कि प्रदेश के गांवों के दलित, गरीब लोगों को बिजली मिले, इसका हम स्वागत करते हैं। माननीय सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की बात करेंगे वे माननीय मंत्री से अवश्य पूछने की कृपा करें कि सरकार के दिल में जो गरीबों दलितों का विचार है, जो आपने योजना दी है जो साहित्य दिया गया है उसमें कितने अनुसूचित जाति के गांवों को ऊर्जीकृत करेंगे इसका उल्लेख इसमें नहीं है। मान्यवर, मार्च, 1992 तक 51 हजार 309 गांव ऊर्जीकृत हुए थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 14 हजार 512 ऊर्जीकृत हुए थे। 1992-93 में जो इस प्रदेश का लक्ष्य रखा गया था वह एक हजार बहत्तर था। वर्ष 1993-94 में जो लक्ष्य रखा गया है, माननीय मंत्री जी इसको नोट कर लें और गैलरी में बैठे हुए अधिकारियों को दे दें ताकि जब वे इसका उत्तर दें तो इसको भी इसमें शामिल कर लें। तो यह लक्ष्य था दो हजार नौ सौ दस गांवों का और वर्ष 1994-95 का जो यह बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें एक हजार नौ सौ तेरान्बे गांव यह लेंगे तो बजाय इसके कि इसको बढ़ायें, इन्होंने इसको और घटा दिया। अगर यह दो हजार नौ सौ दस में पांच गांव और बढ़ा देते तो माननीय मसूद जी की आत्मा को शान्ति मिलती। यदि यह तीन हजार करते या पांच हजार करते तो मैं इनको साधुवाद देता। लेकिन इन्होंने बढ़ाने के बजाये इसको और घटा दिया है। तो यह है इनका दलितों के प्रति दर्द, किसानों के प्रति दर्द। मान्यवर, आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है गांव के किसानों के पास जो निजी नलकूप हैं, उनको ऊर्जीकृत करना। अगर हमें उनकी सिंचन क्षमता को बढ़ाना है उन्हें लाभ पहुंचाना है तो सबसे पहले हमें जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जो अपने पम्पिंग सेट या निजी नालकूप, लोन से लेकर सिंचाई कर रहे हैं, जहां पर नहरे नहीं हैं, पानी नहीं पहुंचता है, उन्हें अधिक से अधिक हम बिजली दें। मान्यवर, मार्च, 92-93 तक 6 लाख 45 हजार 733 निजी नलकूप एवं पम्पिंग सेट उर्जीकृत हुए, वर्ष 1992-93 में 17 हजार 534 उर्जीकृत हुए और वर्ष 1993-94 में 18 हजार उर्जीकृत हुए और वर्ष 1994-95 जिसका बजट आप पेश करने जा रहे हैं और आपने दो बार यहां पर कहा भी था कि हम बिजली के लिए अधिक धनराशि देंगे, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, न ही मैं किसी भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं या किसी ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, मैं केवल यह कह रहा हूं कि सरकार ने जो अपने घोषणा-पत्र में कहा था, जो जनता के साथ वायदे किये थे, जो उसके कार्यक्रम हैं, जो उसकी नीति है और जिस विश्वास को लेकर आप यहां पर आये हैं उसे कैसे पूरा करेंगे, आपने 16 हजार 158 का लक्ष्य रखा। तो

यह दो हजार घट रहा है । आप दावे कर रहे हैं कि हम प्रदेश के गांवों को इलेक्ट्रीफाई करेंगे, गरीबों तक बिजली पहुंचायेंगे और प्रदेश के किसानों की सिंचन क्षमता को बढ़ायेंगे ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें ज्यादातर सदस्य ग्रामीण अंचलों से चुनकर आये हैं । वह जब अपने क्षेत्र में डी० आर० ए० की बैठक में भाग लेते हैं तो उसमें हर विभाग का तो आदमी आ जाता है मगर बिजली विभाग के अधिकारी इसमें भाग नहीं लेते हैं । माननीय सदस्य लोग बता देंगे कि पाल साहब गलत कह रहे हैं, अगर 5 सदस्य भी कह देंगे तो मैं संसदीय परम्पराओं का पालन करते हुये क्षमतापूर्वक अपनी बात को वापस ले लूंगा और संशोधित कर लूंगा ।

मान्यवर, आप सोचिये कि यह जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह नहीं है जो जिला स्तर का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सुपरिटेन्डिग इंजीनियर है, वह उस बैठक में नहीं आता है । यह जो सर्वोच्च संस्था है, जो इस सदन को प्रतिविम्बित करती है, उन सदनों में जिलाधिकारी द्वारा बार-बार नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन विद्युत विभाग के लोग नहीं आते हैं । मान्यवर, जहां तक विद्युतीकरण हेतु ग्रामों के चयन की बात है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि एक बार कोई ग्राम चयनित किये गये, अगले साल दूसरे हो जाते हैं । जिन गांवों का विद्युतीकरण हो रहा है, बेचारे उस गांव के लोग किस तरह करवा रहे हैं, यह वही जानते हैं । लोग विधायक के मुंह पर कह जाते हैं कि आपके कहने से काम नहीं होगा, जब तक हम सीधे-सीधे जाकर पैसा न दे आयें । हम पैसा देकर तो अपना काम करा सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के कहने पर काम नहीं होगा, यह वास्तविक पीड़ा माननीय सदस्यों की है ?

मान्यवर, विद्युतीकरण के लिये केन्द्रीय प्राधिकरण भी है, उसकी परिभाषा है, उसके हिसाब से जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1,12,566 गांव हैं और मार्च, 1992 तक 74 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया था, यानि 83,989 । अब आठवीं पंचवर्षीय योजना में 10,150 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है । मैं तीन वर्ष के आकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा । वर्ष 1992-93 के लिये 947 ग्रामों का चयन हुआ था, उसके बाद वर्ष 1993-94 में विद्युतीकरण के लिये 2000 ग्रमों का लक्ष्य रखा गया था, और 1994-95 में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में, जैसा सभी जानते हैं कि 10–5 ग्रामों के सभी ने विद्युतीकरण के वादे किये होंगे । मान्यवर, जैसा कि आप भी जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि गांव में लोग या तो सड़क मांगते हैं या फिर बिजली मांगते हैं । आज जहां विद्युतीकरण हो गया है, वहां भी अनुसूचित जाति परिवारों को बिजली नहीं मिल पाई है । मैंने दो लाइनों का उल्लेख किया है एक एन० आई० और सी० आई० का । माननीय मंत्री जी ने भी इस ओर विशेष तौर से ध्यान आकर्षित किया है तो मैं बता रहा था कि 92-93 में 947, 93-94 में 2000 और अब 94-95 में, जो अगले साल लिये जायेंगे, उनकी संख्या है 1,137 गांव ।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रमोद तिवारी जी से बात करके दिल्ली से बात करवायें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं सब बात कर आया हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर हमारे कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता को धन्यवाद दिया कि इस बार प्रदेश को वार्षिक परिव्यय 11 प्रतिशत अधिक मिला है । यह केवल इसी कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के सदस्यों का दबाव है कि हमने नरसिंह राव जी से कहकर

11 प्रतिशत बढ़वाकर लगभग 800 करोड़ अधिक दिलवाया है । यह 800 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी कहां खर्च करने जा रहे हैं ? मान्यवर, आप सहमत होंगे कि 800 करोड़ अब मिल चुके हैं, जिसकी इन्हें सम्भावना नहीं थी, एक बार मना हो चुका था, उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रयास किया और कहा कि हम लोगों ने सरकार को समर्थन दिया है, हम विकास कार्यों में भी सहयोग देंगे । मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि धन की आवश्यकता है तो कहें, लेकिन कम से कम अपना लक्ष्य तो बढ़ाते, 5-5 गांव ही बढ़ा देते ।

मान्यवर, एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, उसके संबंध में सुन लीजिये जो कुछ आंकड़े हैं, मैं तो वह बता सकता हूं । मंत्री जी को अलग तरह की महारत हासिल है । मैं तो वास्तविकता के धरातल पर लाना चाहता हूं, मंत्री जी गगन-आकाश में ले जाना चाहते थे ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बारे में भी केवल तीन साल का उल्लेख करना चाहता हूं । जिस तरीके से 1992-93 में 33.15 था, 1993-94 में 47.46 प्रतिशत था और 1994-95 में 43 प्रतिशत था । इसी तरीके से ग्रामीण विद्युतीकरण का 1992-97 में 240 प्रतिशत का लक्ष्य था उसमें हमारा प्रतिशत कम हो गया । सी० ई० ए० और एल० टी० मेन्स में जो काम किया है उसमें जरूर तारीफ करेंगे । लेकिन शायद आप हमारी तारीफ से खुश न हों । निश्चित तौर से सभी सदस्यों को भरे मन से कहना पड़ेगा और भारी मन से आपकी आलोचना भी करना पड़ेगा । ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्युतीकरण है सी० ई० ए० का आठवीं योजना का लक्ष्य था 10150 गांवों का था, आप अपने साहित्य में देख लें । 1992-93 में 947 का था, 1993-94 में 2,000 और 1994-95 में 1137 गांवों का लक्ष्य है । एल० टी० मेन्स में 14550 गांवों का था । 1992-93 में 1252 गांवों का, 1993-94 में 3000 गांवों का और 1994-95 में 1170 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है । इन दोनों की उपलब्धियों में आप तारीफ चाहते हैं लेकिन आप स्वयं उस तारीफ से खुश नहीं होंगे । अब आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संबंध में आप जब तक उत्पादन को नहीं बढ़ाते तब तक इन लक्ष्यों को नहीं पूरा कर सकते । विद्युत ऊर्जा के संबंध में जब तक वैकल्पिक श्रोत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से विद्युत का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान जो बना है उसे 1983 में हमारी सरकार ने गठित किया था । जिसमें हम बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु विद्युत योजना शामिल है ।

मान्यवर, आज बायोगैस के लिये 1994-95 में 21 लाख रुपये का प्राविधान रखा है, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है । ये किस तरह से प्रदेश में बायोगैस का विकास कर सकेंगे क्योंकि इन्होंने इसके लिये बहुत ही कम पैसे का प्राविधान किया है । सौर ऊर्जा में 255 लाख का प्राविधान किया है जबकि पूरे प्रदेश में 425 विधान सभा क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में भी यह कोई काम नहीं कर सकते हैं । पवन ऊर्जा के लिये 122 लाख रुपये की व्यवस्था की है, इसी तरह से लघु विद्युत योजना में 150 लाख रुपये की व्यवस्था की है । मान्यवर, यह जो वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोत हैं, चाहे बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु विद्युत इसमें इतने कम पैसे का प्राविधान किया गया कि हमें प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में इनका लाभ नहीं मिल सकता, हम नहीं जानते किस तरह से यह विद्युत आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं ।

मान्यवर, बड़े जोर-शोर से माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने 6 बड़े विद्युत चोरों को हथकड़ी लगायी । यह 6 बड़े चोर हैं या छोटे चोर हैं यह तो मैं नहीं जानता । माननीय चन्देल जी ने इन चोरों के नाम जानने चाहे हैं । मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं लेकिन उनका उल्लेख नहीं करना चाहता । मैंने इस संबंध में बहुत सवाल लगाये हैं जिसका उल्लेख माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने किया था । अगर उसको आपने हथकड़ी लगायी होती तो मैं समझता हूं कि वाकई आपकी नीयत है कि प्रदेश में जो बड़े-बड़े चोर हैं जो विद्युत के बकायेदार हैं, जिनके ऊपर लाखों नहीं करोड़ों, करोड़ रुपया बाकी है । आपको बड़े चोर को पहले बन्द करना चाहिए । उस समय हमारे सवाल के उत्तर में जवाब आया था कि उस पर बकाया नहीं है । मान्यवर, मैंने तीसरे शुक्रवार को मोदी उद्योग समूह में, हिण्डालको अलग है, मोदी अलग है, कनौडिया अलग है, सबके सवाल लगाया है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में मोदी उद्योग समूह पर 93 तक राज्य विद्युत परिषद् का काफी राजस्व बाकी है, इतना राजस्व तो उत्तर प्रदेश के सभी गरीब लोगों का राजस्व मिलाकर भी नहीं होगा । मोदी उद्योग समूह में 19 करोड़ 7 लाख रुपये का राजस्व बकाया है, उत्तर है, मैं कह रहा हूं कि पांच मास से सरकार आ गयी है, लेकिन वह आज भी नहीं दे रहा है क्योंकि उन्होंने न्यायालय से 4 करोड़ 22 लाख रुपये के लिये विभिन्न स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं, 19 करोड़ के मुकाबले में 4 करोड़ रुपये के ही तो उन्होंने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं, इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि आप इस सदन में घोषणा करें और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये आदेश दें तो मैं धन्यवाद दूंगा । इस सदन के उठने तक 19 करोड़ रुपये की वसूली हेतु गाजियाबाद के जिलाधिकारी को निर्देश दें कि वह मैनेजमेण्ट को पकड़कर हथकड़ी लगाकर जेल भेज दें तो मैं इस सदन में आपका स्वागत करुंगा । मान्यवर, आप घोषणा नहीं कर सकते, एक गरीब आदमी है, उसके दरवाजे पर बेटी की बारात आई है, बेटी के हाथ पीले करने हैं, अगर उसके ऊपर बकाया है तो उसे तहसील स्तर से ही रुकवा देंगे । कनोडिया, हिन्डालको और मोदी उद्योग समूह के लोगों को आप जेल नहीं भेज सकते हैं, आप मेरी इस चुनौती कबूल करेंगे, अपनी घोषणा में इस बात का उल्लेख कर दीजिये, आप तो सामयिक रूप से हैं, आप इसमें कितना कर पायेंगे ?

मान्यवर, मैं कहता हूं कि जब लगातार इस प्रदेश में उत्पादन घट रहा है, 1973-74 में जो रेशियो जल एवं तापीय विद्युत का 40.60 था वह सातवीं योजना तक 20.80 रेशियो हो गया । आज हाइड्रो बिजली सस्ती है । मान्यवर, हाइड्रो विद्युत जल से बनती है जो सस्ती पड़ती है और इसके लिये पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हमारे प्रदेश में पानी हिमालय की तलहटी से छिबरो तक पर्याप्त मात्रा में है लेकिन आज हम उत्पादन पर जोर नहीं दे रहे हैं, इससे सस्ती विद्युत बन सकती थी, आज यह सरकार इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है । आठवीं योजना के तीन वर्ष बीत गये हैं, इस सरकार ने अपनी वचनबद्धता फिर दोहराई है कि उसी के अनुरूप इसे ठीक करने के लिये प्रयास करेंगे । वास्तव में क्या इनका सुधार निजी कम्पनियों से होगा, जो घाटे के संबंध में कहा गया है तो क्या इनसे उसकी पूर्ति हो जायेगी, शायद इस सरकार को लगता है कि पूर्ति हो जायेगी, घाटे का क्या सिर्फ यही निराकरण है कि अगर कारपोरेशन घाटे में चल रहा है तो उसको बेच दें, शुगर मिल घाटे में चल रही है, तो उसे बेंच दें, निगम घाटे में चल रहे हैं तो निगम को भी बेच दें, अगर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् घाटे में चल रहा है तो क्या उसका निजीकरण कर देंगे, उसको निजी क्षेत्र में दे देंगे, सरकार के घाटे का बजट

आ रहा है तो क्या इस पर विचार करेंगे या सरकार इसे किसी प्राइवेट कम्पनी के हाथों में सौंप देगी, इसके लिये कोई तो निदान होगा ही, इस समस्या के निराकरण के लिये प्रयास तो करने ही होंगे, खामियों को दूर नहीं किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन के लिये अच्छे उपाय नहीं किये जा रहे हैं जिससे यह घाटा हो रहा है ।

मान्यवर, नये ग्रामों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये पारेषण और वितरण की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । आनपरा में पांच सौ मेगावाट की योजना बन गयी है और जो दूसरी है उसमें अभी तक तीन ट्रान्सफार्मर लाइनें नहीं है, अगर लाइनें नहीं होगी तो किस तरीके से यह योजनायें कारगर सिद्ध होंगी । मैं बहुत अल्प बुद्धि का हूं, मेरा एक अनुरोध है उसे स्वीकार करें, आज आप घोषणा करें कि इस प्रदेश में उत्पादन और वितरण के अलग-अलग निगम बनायेंगे, किसी की जिम्मेदारी सुनिश्चित न करके, किसी की जवाबदेही सुनिश्चित न करके, कितना ही उत्पादन कम हो, लाइन लासेस हो, आप उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहरा पाते हैं, आप कार्यवाही नहीं कर पाते हैं, आपको अगर कार्यवाही करना है तो आप निश्चित घोषणा करें कि विद्युत उत्पादन अलग निगम से करायेंगे और वितरण अलग निगम से करायेंगे, यह दो अलग-अलग संस्थायें हो जायेंगी, अगर 35 सौ की वाले निगम हैं, वह कारपोरेशन 3500 तक देने के लिये उसकी जवाबदेही होगी । आज आप किसके दबाव में इन दोनों को अलग नहीं कर रहे हैं । निश्चित तौर से राज्य विद्युत परिषद् को ठीक करने के लिये प्लान्ट लोड फैक्टर को ठीक करने के लिए, लाईन लासेस को ठीक करने के लिये कोई न कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा ।

किसी प्रदेश की तरक्की व विकास का मानक है प्रति व्यक्ति बिजली का कंजम्पशन । हमें जो पुस्तिका दी गई है उसमें विद्युत उपभोग की स्थिति दी गई है, जिसमें 16 बड़े राज्यों का जिक्र किया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें पर है । आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से तो हम तारीफ करते हैं कि हम हिन्दुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के हैं, हमारी विधान सभा सबसे बड़ी विधान सभा है और हमारी समस्यायें सबसे ज्यादा हैं परन्तु वहीं पर बिजली के कंजम्पशन में हम 14वें स्थान पर हैं । पंजाब में प्रति व्यक्ति 616 यूनिट है, गुजरात में 504 है, हरियाणा में 455 है, महाराष्ट्र में 434 है, तमिलनाडु में 335 है, कर्नाटक में 296 है, उड़ीसा में 295 यूनिट है, आंध्र प्रदेश में 277 यूनिट है, मध्य प्रदेश में 296 यूनिट है, राजस्थान में 231 यूनिट है, हिमांचल प्रदेश में 210 यूनिट है, केरल में 196 यूनिट है, जम्मू-काश्मीर में 189 यूनिट है, जम्मू काश्मीर जैसे प्रदेश में आतंकवाद की स्थिति है, वहां पर कार्य अवरुद्ध हैं, वहां पर प्रति व्यक्ति विद्युत कंजम्पशन हमारे प्रदेश के ज्यादा है । जबकि हमारे प्रदेश में मात्र 174 यूनिट है । प्रदेश के विकास के लिए ऊर्जा सबसे आवश्यक निवेश है, उद्योग के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है, कृषि उत्पादन में इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में इसकी आवश्यकता है । इसलिए माननीय मंत्री जी जब उत्तर देने के लिए खड़े हों तो इसका उत्तर दें । मान्यवर, तमाम माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने सुझाव व कुछ बातें बाद में कहूंगा । धन्यवाद ।

* श्री राम तेज–

मान्यवर, विद्युत के संबंध में अभी श्री पाल जी के विचार सुन रहा था । विद्युत के बारे में मंत्री जी ने भी अपने विचार रखे । यह सही है कि इससे पूर्व में जब श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने केवल घोषणा ही नहीं की थी बल्कि पूरी ताकत के साथ गांवों, शहरों व किसानों को विद्युत देने के व्यवस्था भी की थी ।

इतना ही नहीं उसके बाद एक ऐसी सरकार आई, आज उनको यहां रहना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पसंद नहीं किया कि विद्युत के बारे में वह अपना विचार दे और कमियों को उजागर करें, उनकी भी सरकार थी तो उस समय सबसे ज्यादा विद्युत संकट, सबसे ज्यादा खराबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई । यह मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती के आधार पर कह सकता हूं जो बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे मुख्य मंत्री जी ने पूरी ताकत के साथ कहा कि 16 घंटे विद्युत किसानों को, गांवों को और दूसरे लोगों को देंगे और उसके लिये सरकार सक्रियरूप से आगे बढ़ी है, हमारे अधिकारी भी चिंतित हैं जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा बीच में कुछ आंधी तूफान से व्यवधान उत्पन्न हो गया ।

मैं मान्यवर, अपने बहराइच जिले के बारे में बताना चाहता हूं, जो कमियां हैं उनके बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । बहराइच में विशेषकर मेरे क्षेत्र केसरगंज के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे जनपद में 8 विधान सभा क्षेत्र हैं । इससे पूर्व भी जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी घोषणा की थी ज्यादा से ज्यादा गांवों को जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मुफ्त विद्युत दी जायेगी । उसके लिये व्यवस्था भी बन गयी पैसा भी दे दिया गया और अधिकारी भी चाहते थे लेकिन इसी बीच नम्बर कट गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गयी । तो एक गांव में जहां 500 आदमियों के घर थे उनमें से 10 आदमियों को विद्युत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतिश्री कर ली और 490 लोगों को बिजली नहीं मिल पाई और विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य पूरा मान लिया । मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में जिन गांवों को चयनित किया जाय उस गांव में चाहे बड़े आदमी हों या छोटे और किसी जाति के हों सब को बिजली समान रूप से उपलब्ध कराई जाय । इसी तरह से घटिया किस्म के होने के कारण जो खंभे टूट जाते हैं जो बैलगाड़ियों में लाने में या बुगियों में लाने में टूट जाते हैं इस पर चिन्तन करना पड़ेगा और तार भी अच्छे किस्म के लगाने पड़ेंगे । आज विद्युत की तरफ सब लोगों का मन है चाहे वह शहर का रहने वाला हो या गांव का रहने वाला सभी के लिये आवश्यक है इसलिये इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये ।

माननीय मंत्री जी ने विद्युत चोरों की थोड़ी लिस्ट गिनाई, यह लंबी लिस्ट है किन्हीं कारणों से वह सामने नहीं आ रहे हैं । मैं चाहता हूं चाहे सत्तारूढ़ दल के लोग हों या विपक्ष के सबकी एक टीम बने जिसमें अधिकारी भी हों और मंत्री जी सम्मिलित हों ऐसे लोगों की छानबीन करे जो कोर्ट्स का सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं । जो कमजोर हैं उनसे पैसा वसूल लिया जाता है और जो तमाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घोटाले करते हैं उनसे पैसा नहीं वसूल हो पाता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं इस पर चिन्तन करें ।

मैं खासकर कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है 8 विधान सभा क्षेत्र में इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दें वैसे बहराइच पूरा विद्युत के मामले में पिछड़ा हुआ है । समय कम है इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मुक्तिनाथ

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो विद्युत का बजट प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय है और प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये न्यायोचित बजट बनाया गया है । मैं उसका समर्थन करता हूं । माननीय पाल साहब ने कटौती प्रस्ताव रखा है उन्होंने उन तथ्यों को लगता है देखा ही नहीं तथा जो पुस्तक उनको दी गयी है उसको उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा ।

मान्यवर, यह जो सूची दी गई है यदि ध्यान से पढ़े होते तो जो वास्तविक तथ्य है वह सामने आ जाते । आप देखें कि दिसम्बर, 1993 से मार्च, 1994 तक हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनका पुस्तक के सूची में खुलासा किया गया है । किसानों की जो सिंचाई के लिये बिजली की समस्या है उसमें हमारी सरकार ने 3 हजार से ऊपर निजी क्षेत्रों में नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें कार्यवाही पूरी कर दी गयी है । लेकिन श्री पाल जी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी है ।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 15.34 हुई है जिसमें श्री पाल जी की दृष्टि नहीं पड़ी है । इसी प्रकार राजस्व की वसूली में भी वर्तमान सरकार ने वृद्धि किया है । इसी तरह कर, चोरी जो पकड़ने में हमारा लक्ष्य बढ़ा है । तो मैं समझता हूं कि श्री पाल जी ने बिना पढ़े कटौती का प्रस्ताव रख दिया है, इसलिए इन बातों पर उनकी दृष्टि पड़नी चाहिए थी । मान्यवर, भारत सरकार द्वारा हमारी आनपारा तापीय परियोजना को उसके उत्तम संचालन के लिये पुरस्कार मिला है । इस पर भी श्री पाल जी की नजर जानी चाहिए थी ।

मान्यवर, चूंकि समय कम है इसलिए अब मैं अपने क्षेत्र के संबंध में आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब हमारे मुख्य मंत्री मा० श्री मुलायम सिंह यादव थे तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में पकड़ी बाजार में एक विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन पिछली बार जो रामराज्य का सरकार आई थी तो उसकी कृपा नहीं हुई, इसलिए अब हमारे क्षेत्र पर कृपा करके वह विद्युत सब स्टेशन पूरा किया जाये ।

मान्यवर, हमारे वहां मदनपुर गांव जहां दस हजार मतदाता हैं वहां पर कई महीनों से अंधेरा छाया है उसकी तरफ सरकार ध्यान देकर वहां टूटे बिजली के तारों को बनवाया जाये और समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जाये । वहां पर नया ट्रान्सफारमर लगाया जाय ।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 52 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं इसलिए वहां के ग्रामीण लोगों को नाना प्रकार के जानवरों एवं सांपों से खतरा रहता है इसलिए उनके विद्युतीकरण की व्यवस्था की जाये । मान्यवर, कछार के तमाम क्षेत्रों में कागजों में विद्युतीकरण किया गया है और आज तक वहां बिजली नहीं लगी है इसलिए मैं चाहता हूं ऐसे गांव की सूची बनायी जाये और उन गांवों का विद्युतीकरण दिखाया गया है और वास्तव में उनका विद्युतीकरण कराया जाये । इन

शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुये जिन समस्याओं का अभी उल्लेख किया है उनके संबंध में मंत्री जी अपने उत्तर प्रदेश भाषण में कुछ आश्वासन देने की कृपा करेंगे और पुनः बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात खतम करता हूं।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा क्षेत्र है (व्यवधान) बुन्देलखण्ड में बिजली ही नहीं पहुंच पा रही है। मैं जगदम्बिकापाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। बुन्देलखण्ड सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। वहां के पिछड़ेपन और विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पहले उद्योग पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी, किन्तु धीरे-धीरे वह छूट बन्द कर दी गई और एक नये एम० सी० जी० के नाम से नया टैक्स-नया कर तीन और रुपये का लगा दिया गया। 300 रुपये के इस कर की उनसे वसूली हो रही है। यदि बुन्देलखण्ड में एम० सी० जी० को खत्म नहीं किया गया और उद्योगों को 50 प्रतिशत की पहले वाली छूट पुनः नहीं दी गयी तो वहां जो उद्योग धन्धे लग रहे हैं वह बन्द हो जाऐंगे और नये उद्योग के लगने की सम्भावना नहीं है। वर्तमान ऊर्जा सचिव श्री चतुर्वेदी जी से इस बारे में हमारी बात हुई थी, वह बहुत ईमानदार और अच्छे आदमी हैं उन्होंने माना है कि वहां के साथ यह अन्याय हो रहा है। तो इस सन्दर्भ में मंत्री जी अपना प्रति उत्तर दे दें। दूसरे हम यह चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड में जो पचास प्रतिशत गांवों का लकड़ी के खम्भे लगाकर विद्युतीकरण किया गया है, वे खम्भे अब पूरी तरह से सड़ चुके हैं, उनसे आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो प्राथमिकता देकर वहां के विद्युत विकास के लिए कदम उठाए जाएं। हम जगदम्बिका पाल जी से भी अनुरोध करेंगे कि जब सरकार ने प्रदेश के बजट में इतना पैसा बढ़ा दिया है तो केन्द्र से कहकर वह थोड़ा पैसा और लाकर बढ़वा दें, जिससे प्रदेश का अधिक से अधिक विकास हो सके।

* श्री अम्बिका– ✓

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बजट प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। अभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस प्रदेश में बलिया जिले के मुकाबले और कोई जिला–क्षेत्र पिछड़ा नहीं है। इससे पूर्व भी बजट में विभिन्न विभागों के जो प्राविधान आये हैं, यह दुर्भाग्य की बात है कि उन विभागों के प्रस्तावों में भी बलिया का खास जिक्र नहीं आया है। आज जब रोशनी की बात होती है, तो पाल जी ने यह भी ध्यान दिलाया कि यहां भी दो-दो बार अन्धेरा हो चुका है। तो यहां के अन्धेरे से तो हमारे मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह ने प्रदेश को बहुत साहस के साथ निकाल लिया है और अब आगे के अन्धेरे को भी दूर किया जायगा। हमने दुनियां को रोशनी दी है और हम अन्धेरे का गम नहीं करते।

मैं मंत्री जी का ध्यान छोटी-छोटी दो तीन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि बड़ी बातों के लिये तो यहां जगदम्बिका पाल जी बैठे हैं। जो पिछली सरकार सन् 89 में थी, उस समय हमारे विधान सभा क्षेत्र में सोहांव में 33 11 के० वी० के एक सब स्टेशन का शिलान्यास हुआ था, उसका कुछ काम भी हुआ, लेकिन उसके बाद आधा काम होने के बाद काम पूरी तरह से ठप्प पड़ा है। इसी तरह फेफना में नया सब स्टेशन बना था, लेकिन उसमें तो शुरू से ही आगे कोई काम नहीं हुआ। गंगा नदी के मुख्य धारा के बायें तरफ उत्तर प्रदेश और दायें तरफ बिहार हमारे यहां है। लेकिन एक खास बात यह है कि बिहार के कुछ गांव उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के कुछ गांव बिहार की तरफ पड़ते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और व्यावहारिक कठिनाई है कि उन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए । जो गांव नदी के पार हैं उन तक लाइन ले जाकर बिजली पहुंचाना खर्चीला है । इसके लिये एक योजना बनाई गई थी दोनों प्रदेशों के उच्च स्तर के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी जिसमें लाखों रुपया खर्च हुआ था उसमें यह विचार विमर्श किया गया था कि नदी के पार जो हमारे यहां के गांव हैं उनका विद्युतीकरण करके बिहार के विद्युत केन्द्रों से जोड़ दिया जाय और उसी के बराबर बिजली हम नदी के इस पार बिहार के गांवों को अपने सब स्टेशनों से जोड़ कर देंगे । लेकिन मान्यवर, आज तक इस योजना को असली कारगुजारी का जामा नहीं पहनाया जा सका है तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यह काफी समय से स्वीकृत योजना है अतः इसको लागू कर दिया जाय । इसमें कोई कठिनाई नहीं है । इस नीति संगत मामले में पहले से निर्णय हो चुका है ।

मान्यवर, मऊ जनपद काफी पिछड़ा हुआ है यह आजमगढ़ को काटकर इधर अलग जनपद बनाया गया है । इसके साथ विशेष बात यह रही है कि यहां से श्री कल्पनाथ राय, केन्द्र में बिजली मंत्री हो गये हैं । मऊ जनपद बलिया से 68 किलोमीटर की दूरी पर है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मऊ बलिया से लगा जनपद है वहां पर 400 और 200 के०वी० के बड़े-बड़े सब स्टेशन पावर हाउस बने हुए हैं । मान्यवर, इसलिये हमारा मंत्री जी से अनुरोध है कि बलिया के साथ अन्याय क्यों हो रहा है । इस डिसपैरिटी को मिटाने के लिये ध्यान दिया जाय । मैं ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के बारे में जो विसंगतियां हैं, उसके बारे में यहां पर बात कही जा चुकी है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि गांवों की सचमुच की स्थिति यह है कि कागज पर तो गांवों का विद्युतीकरण हो गया है परन्तु वास्तविक रूप में नहीं हुआ है । 26 पुरवे का गांव है तो एक पुरवे में पम्पिंग सैट लग गया तो पूरे गांव का विद्युतीकरण मान लिया गया है । विद्युत की जर्जर लाइनों को बदलवाने की बड़ी आवश्यकता है । एक बात सिर्फ आधे मिनट में कह कर समाप्त करता हूं कि विद्युत की चोरी यदि वास्तव में रोकना चाहते हैं तो उसके लिये किसी न किसी को जिम्मेदार बनाना होगा । किसी के ऊपर जब तक जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक बिजली की चोरी नहीं रोकी जा सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अम्बिका–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया ।

* श्री राम बिशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद । मान्यवर, विद्युत विभाग प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा विभाग है और ऊर्जा से पूरे प्रदेश का, उद्योग हो या किसान हो, या मजदूर हो सब संबंधित हैं । मान्यवर, हमारा जनपद गोण्डा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सबसे पिछड़ा हुआ है और इसका सबसे पिछड़ा क्षेत्र मनकापुर है । हमारे इस विधान सभा क्षेत्र में आज एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया है और विशेष करके अनुसूचित जाति के सब गांव पिछड़े हुए हैं । मेरा सुझाव है कि सरकार सर्वेक्षण कराये कि किस किस गांव में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं और फिर उन गांवों का विद्युतीकरण कराये । ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और अनुसूचित विद्युतीकरण योजना को तत्काल लागू किया जाय । जहां तक 16 घण्टे विद्युत उपलब्ध कराने की बात सरकार करती है यह आठ घण्टे भी बिजली नहीं उपलब्ध करा सकती हैं क्योंकि इनका इतना विद्युत उत्पादन नहीं है । आज किसानों की फसल के मड़ाई का काम चल रहा है । गेहूं की फसल मड़ाई के लिये पड़ी है, उनको बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उद्योगपतियों की बिजली की कटौती करके किसानों को विद्युत उपलब्ध कराई जाय जिसे वह जल्दी से जल्दी गेहूं की मड़ाई कार्य कर सके । इसी के साथ मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि लकड़ी के पोल लगाये गये हैं, उन पोलों को बदलकर सीमेन्ट के पोल लगवा दिये जाएं । हमारे यहां के अभियन्ता ने और अभियन्ताओं से मिलकर उसको बेच दिया । प्राक्कलन स्वीकृत किए बगैर बिजली दे दी, जिनका अभी प्राक्कलन नहीं बना है । कृषक पांच हार्स पावर कनेक्शन लेते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री राम बिशुन आजाद–

जो कृषक पांच हार्स पावर के लिए बिजली के लिए आवेदन पत्र देते हैं, विद्युत के लिए आवेदन देते हैं उसमें नियमों का सरलीकरण कर दिया जाए ताकि किसानों को ज्यादा दिन न दौड़ना पड़े । किसानों को 6–7 महीने दौड़ने पर पावर कनेक्शन नहीं मिलता है । किसानों को पावर कनेक्शन दिया जाए, बिजली दी जाए ताकि वह फसल की सिंचाई कर सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप खत्म करें ।

श्री रामबिशुन आजाद–

दो मिनट और हैं ।

श्री रामबिशुन आजाद–

आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दस्तीपुरवा, परसापुर मेढ़वा ऐसे गांव हैं जहां पोल नहीं लगे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजिएगा ।

* श्री समीर भाटी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, ग्रेटर नोएडा पावर कम्पनी जो मेरे क्षेत्र में हैं वहां पर 109 गांव बिजली देने के लिए स्वीकृत किए गए हैं । जिसमें ग्रेटर नोएडा पावर कम्पनी बिजली देने का काम कर रही है । मान्यवर बिजली का कनेक्शन के लिए 25 सौ रुपये की मांग की जाती है इसके 100 मीटर की लाइन खींचनी होती है । (रिपोर्टर्स टेबिल का माइक खराब हो जाने के कारण व्यवधान) उसमें 18 हजार से 20 हजार रुपये की मांग की जाती है इस तरह की शिकायतें लेकर लोग हमारे पास आते हैं । इस प्रकार से लोगों का शोषण किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है मेरे क्षेत्र के कुछ गांव हैं वहां पर बिजली के बिल आ रहे हैं और विद्युतीकरण वहां नहीं हुआ है । इस तरह से व्यवहारिक कठिनाईयां होती हैं वहां पर सर्वे करा लें । मान्यवर, बिजली के लिए जो सर्वे किए जाते है वहां पर जो मकान होते हैं उनका सर्वे किया जाता है और पोल सेंग्शन किए जाते हैं और स्टीमेट बन जाता है उसके बाद जब उस क्षेत्र में मकान बढ़ जाते हैं तो वह बिजली की सुविधा से वंचित हो जाते हैं तो व्यवहारिकता को ध्यान में रखना चाहिए ।

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं तीन-चार सुझाव देना चाहता हूं । पहला सुझाव यह है कि आज प्रदेश के किसानों को बिजली के कनेक्शन के लिए 6-6 साल इंतजार करना पड़ता है । लोग वेटिंग लिस्ट में हैं । उन्हें कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं । अपने निजी नलकूप के लिए कनेक्शन नहीं मिलता है । सरकार इस बारे में एक समय सीमा के अन्दर उनकी दरख्वास्तों के बारे में स्वीकृति जारी करने की कृपा करे । दूसरे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निजी नलकूपों के लिए जो बिजली ली गई है । उसमें सारे तार पुराने हो गए हैं वह क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे उनको सही मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है । दूसरे मान्यवर, रेड विजीलेंस के नाम पर किसानों का शोषण होता है । कोई भी सिपाही विजीलेंस के नाम पर जाता है और कहता है कि आपकी मोटर क्षमता से अधिक है तथा वह 10-10, 5-5 हजार रुपए ले आता है । किसान अनपढ़ होता है, उसके पास कोई पैमाना तो होता नहीं है । आज एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में 18-20 घण्टे बिजली देते हैं लेकिन मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर में 10-10, 12-12 घण्टे ही बिजली देते हैं ।

अभी राजस्व मंत्री जी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि अगर बिजली का बिल नहीं दिया जाएगा, तो विद्युत परिषद् चरमराकर बैठ जाएगा । लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा यह भी अनुरोध है कि आप किसानों का पेनाल्टी इन्ट्रेस्ट स्थगित कर दें या उसको माफ कर दें ताकि किसान बिजली का बिल देने का काम शुरू कर सके । अभी इसके पहले मंत्री जी ने कहा था कि नेता बिजली का बिल देने से मना कर रहे हैं । मेरा इस संबंध में कहना है कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं । जनता ने हम लोगों को चुना है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिए उनकी परेशानियों को हमें समझना चाहिए । आप भी जनता के द्वारा चुने गए हैं और आज सरकार में बैठे हैं । आप अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाएं । बिजली की चोरी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जितनी बड़ी बड़ी फर्में हैं वह बिजली की चोरी करती हैं । महाराष्ट्र स्टील फैक्ट्री गाजियाबाद ने 15 करोड़ रुपये की बिजली की चोरी की । नोआ स्टील फैक्ट्री ने करोड़ों-अरबों रुपए की विद्युत की चोरी की है । झांसी में फर्मेस्को ने विद्युत की चोरी की, उसको दुबारा कनेक्शन दे दिया गया । फैक्ट्री वाले जिस तरह से विद्युत की चोरी कर रहे हैं, उस पर मेरा अनुरोध है कि इसको रोकने के लिए व्यवस्था की जाए ।

श्री चन्देल जी ने एक बात कही कि बुन्देल खण्ड उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । 1989-90 में जब मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी । जिसमें यह व्यवस्था की जाएगी कि प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में जो उद्योग लगेंगे उसमें पहले पांच साल 50 प्रतिशत विद्युत दर में छूट दी जाएगी । लेकिन उस घोषणा पर अमल नहीं हुआ । 1992 में जब दूसरी सरकार का गठन हुआ तो बड़े उद्योगपतियों सोमानी महाराष्ट्र स्ट्रील, नोआ फ्रांटियर स्टील जैसी फैक्ट्रियों ने विद्युत की बड़े पैमाने पर चोरी की । आज एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रूखाबाद में 18-20 घण्टे बिजली मिल रही है, दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर में 10-12 घंटे बिजली मिलती है । इस सम्बन्ध में बिजली बोर्ड का जब आदेश हुआ कि जो नये उद्योग हैं उनको 5 साल तक 20 घंटे बिजली मिलेगी तब जाकर स्थिति स्पष्ट हुयी । हमारी नीयत आलोचना करने की नहीं है हम चाहते हैं कि काम ठीक से हो । मैं बी०के० चतुर्वेदी की कोई बात नहीं कहता हूं, आपके शासन में ईमानदार अधिकारी भी हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से बड़े उद्योगपतियों के दबाव में आकर कोई निर्णय न लिया जाय । बोर्ड ने मुख्य सचिव तक को भी ग़लत सूचना दी है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि बुन्देलखण्ड के संबंध में जो घोषणा की गयी थी उसके मुताबिक बिजली दी गयी और दूसरी सहूलियतें दी गयी तो निश्चित रूप से बुन्देलखण्ड का विकास होगा । जो बड़े उद्योगपति हैं वही सेल्स टैक्स और बिजली की चोरी करते हैं ।

मैं एक बात आपकी जानकारी में और ला दूं कि दो तरह की फरनेस होती हैं एक तो आर्क फरनेस और दूसरी इंडकशन फरनेस । आर्क फरनेस में बिजली ज्यादा लगती है । एक आदेश हो गया कि आर्क फरनेस में बिजली कम लगती है तो मेरा कहना है कि आपको नयी तकनीक को प्रोत्साहित करना चाहिये । मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं जिनके निजी नलकूपों के प्रार्थना पत्र लम्बित हैं कृपया उनकी समयबद्ध तरीके से स्वीकृति जारी करने की कृपा करें । इसी के साथ जो वोल्टेज की दिक्कत है उसकी दूर किया जाय । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले निजी ट्यूबवेलों के लिये कनेक्शन लिये गये थे । वहां तार पुराने हो गये हैं उनको भी बदलने की जरूरत है । इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बाइफरकेशन के संबंध में जो तुगलकी आदेश किया था कि बाइफरकेशन का पैसा किसानों से लिया जायगा उस आदेश को एक कलम से एक वाणी से निरस्त कर दें । बाइफरकेशन का पैसा सरकार के द्वारा देने की घोषणा करें तो निश्चित रूप से लगेगा कि यह स्वर्गीय चरण सिंह के अनुयाइयों की सरकार है । मैं, कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर पुनः बल देता हूं ।

* डा० मोहसिन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह जो बजट रखा गया है इसका मैं समर्थन करता हूं। मैं पूर्वान्चल के जनपद गोरखपुर के धुरियापार क्षेत्र से चुनकर आया हूं। यह क्षेत्र गोरखपुर जनपद का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यह धुरिया पार क्षेत्र दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। यह कुआनो और घाघरा के बीच का क्षेत्र है। धुरियापार क्षेत्र में एक पावर हाउस बनाने के लिये, जब माननीय कल्पनाथ राय मंत्री थे तो उन्होंने घोषणा की थी। पावर हाउस के लिये जमीन भी स्वीकृत हुयी थी लेकिन अब तक उस पावर हाउस पर काम नहीं शुरू किया गया है। धुरियापार क्षेत्र में 70-80 प्रतिशत गांव हैं। बहुत से गांवों में अभी बिजली नहीं पहुंची है जहां पर बिजली पहुंची भी है वहां दलितों की और गरीबों की जो बस्तियां हैं वहां पर न तो तार लगाये गये हैं और न पोल लगाये गये हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि दलितों की बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली पहुंचाने का काम किया जाय। इसी के साथ मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि धुरिया पार में जो विद्युत उपकेन्द्र बनाने की माननीय कल्पनाथ राय ने घोषणा की थी वह विद्युत उपकेन्द्र बनाकर विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय यही आपसे अनुरोध है।

डा० शिव प्रताप यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रोग्रेसिव और साहसिक बजट पेश किया है। माननीय मंत्री जी ने, चाहे विद्युत बिलों की कम्प्यूटरिंग हो, चाहे बिजली की चोरी रोकने की बात हो या बिजली की लाइनों की बात हो, इस संबंध में अच्छे कदम उठाये हैं इससे विद्युत विभाग का जो घाटा है उसको दूर किया जा सकता है। और इससे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 16 घन्टे देने का वादा किया है वह जरूर पूरा होगा। हालांकि 46 सालों की लायबिलिटी पर है इन 46 सालों में पाल साहब की सरकार 40 साल रही हैं उसकी भी लायबिलिटी और डेढ़ साल की भा०ज०पा० की लायबिलिटी भी हमारे ऊपर है। भा०ज०पा० के लोग इस वैज्ञानिक युग में खड़ाऊं पुजवा कर और तरह-तरह के अधंविश्वास फैलाकर गरीबों की झोपड़ियों को जलाकर रोशनी पैदा करने का काम कर रहे थे जिसके कारण ऊर्जा विभाग की हालत खस्ता है। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार इस घाटे को दूर करेगी। सरकार की कथनी और करनी में फर्क नहीं है और वह दिन आयेगा जब प्रदेश में ऊर्जा विभाग का जो घाटा है, वह पूरा होगा और गांव में बिजली मिलेगी।

मैं गोण्डा जनपद के तराई क्षेत्र में स्थित गैसडी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। उस क्षेत्र में करीब 20 गांव है, जो थारू जनजाति के गांव हैं। वहां पर करीब 7-8 साल पहले जैसे पंचपेड़वा ब्लाक के इमिलिया कोंड़ा, भगवानपुर कोंड़ा, मडनी, विशुनपर कोंड़ा, विशुनपुर विश्राम, चन्दनपुर, रजडेरवा थारू और गैंसडी ब्लाक के सोनगढ़ा और नवलगढ़ ये सब ऐसे गांव हैं, जहां पर 99 प्रतिशत थारू जाति के लोग रहते हैं, एक मिनट के लिए बिजली वहां पर आई, फिर उसके बाद बिजली नहीं आयी, तार काट लिये गये हैं, पोल खड़े हैं, यहां पर कागजों में विद्युतीकरण है, मैं चाहता हूं कि वहां पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्युतीकरण हो जाय । विधान सभा क्षेत्र के गनेशपुर, बानापुर छोटे-छोटे कस्बे हैं, वहां पर बिजली की व्यवस्था की जाय । ट्रांसफारमर की चोरी विभाग के लोग मिलकर करवाते हैं । उस गांव में जहां विद्युतीकरण हो सकते हैं, उनमें जो दलित टोले हैं, वहां पर दलित टोले में बिजली की सप्लाई नहीं जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जिन गांवों की बिजली कागजों में है, यह नहीं कि उस गांव में बड़े लोग हैं, उनको बिजली दी जाय । जो बड़े-बड़े कल-कारखाने हैं, जो लोग उनको चोरी से सप्लाई देते हैं, इस पर रोक लगाई जाय । दलित लोग बिजली की चोरी नहीं करते है, बिजली की चोरी कल कारखाने के लोग और बड़े तथा असरदार लोग करते हैं । मान्यवर, वहां पर छापा डाल कर बिजली की चोरी रोकी जानी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं ।

श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

मान्यवर, मैं माननीय पाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए पर्वतीय क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं हैं और उनके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र का विद्युतीकरण होना चाहिए । लेकिन बड़े दुःख का विषय है कि पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था बहुत सोचनीय है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इछाड़ी, छिबरऊ, डाकपत्थर, ढालीपुर, ढकरानी ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिससे सम्पूर्ण प्रदेश और देश को विद्युत उपलब्ध होती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था बहुत दयनीय है, वहां पर कई ग्रामों का फर्जी विद्युतीकरण दर्शाया गया है, लेकिन वहां पर वास्तव में विद्युतीकरण नहीं किया है । मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि ऐसे ग्रामों की सूची यदि उपलब्ध हो जायगी, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी । मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैंने सदन में एक प्रश्न उठाया था, उनका जो उत्तर मिला था, उनके उत्तर में जो बातें आयीं हैं, उनसे ऐसा लगता है कि इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर हैं क्षेत्रों में बिजली की जो व्यवस्था है, वह बहुत ही शोचनीय है, इसलिये विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये । इन शब्दों के साथ मैं पाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री जसवंत सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी सरकार ने जहां तक बिजली की सप्लाई की समस्या है, उप पर बहुत अच्छा काम किया है । मैं कानपुर जनपद से आता हूं और मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत एक विद्युत सब स्टेशन है, जहां से गांवों के लिये बिजली सप्लाई की जाती है । यह विद्युत सब स्टेशन कानपुर नगर के भौनी गांव में लगा हुआ है, उसकी सप्लाई हमारे क्षेत्र गजनेर तक जाती है और इसकी दूरी 30 किलोमीटर है । जहां पर सब स्टेशन की दूरी 30 किलोमीटर होगी, वहां पर विद्युत सप्लाई की क्या स्थिति होगी । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गजनेर में एक सब विद्युत स्टेशन की स्थापना की जाये । मान्यवर, कानपुर देहात में 24 घन्टे बिजली की आपूर्ति होती थी, लेकिन शासन के आदेश 16 घन्टे कर दी गयी, तब से वहां पर भी बिजली 16 घन्टे दी जाने लगी है, जिससे किसानों को बड़ी दिक्कत होने लगी है और उनकी जो कटाई और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मड़ाई का काम है, वह रुक गया है । इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर बिजली की आपूर्ति 24 घन्टे सुनिश्चित की जाये । इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

लिखित सुझाव को कार्यवाही का अंश माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज दो और बजट हैं, जो सदस्य बोलना चाहते हैं, वह लिखकर माननीय मंत्री जी को सुझाव दे दें और वह कार्यवाही के अंग बन जायें और सरकार उनके बारे में उतना ही ध्यान दे जितना कि सदन में कही हुई बात पर ध्यान देती है ।

(अधिष्ठाता ने सहमति प्रदान की)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांगों पर चर्चा एवं पतदान, अनुदान सं० 9–ऊर्जा विभाग .....(क्रमागत)

*श्री नन्द लाल पटेल एडवोकेट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, जितने भी विभाग हैं, उन सब विभागों में विद्युत विभाग सबसे महत्वपूर्ण है, जो शहर से लेकर किसानों तक जुड़ा हुआ है । माननीय पाल जी जब कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे, तो उसको मैं ध्यान से सुन रहा था । मान्यवर, 1971 से गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, तो ऐसा कोई नहीं होना चाहिये जहां पर विद्युत न पहुंच गयी हो, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि केवल बड़े लोगों को कनेक्शन दिये जाते रहे हैं और छोटे लोगों को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं अनुसूचित जाति की बस्तियों में नहीं जाती थी लेकिन जो हमारी सरकार वह जो कहती करती है तो हम केवल आपसे इतना कहना चाहेंगे कि जो अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं उनमें जो पिछली सरकार के समय में विद्युतीकरण केवल कागजों पर हैं उसकी जांच करायी जाये और जांच कराकर उसका विद्युतीकरण कराया जाय ।

श्री जगवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमारे यहां टप्पल का बिजली घर बन रहा है उसमें सन् 90 में एक किश्त गयी थी और उस किश्त के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस पर किश्त को रोककर दूसरी जगह लगा दिया । वहां पर एक स्विच रूम बन गया है । मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर जनपद अलीगढ़ में किसानों को मुश्किल से 4-5 घंटे बिजली मिलती है जब कि यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप कहा जाता है कि 18 घंटे बिजली मिलती है तो मेरा केवल अनुरोध इतना है कि उस बकाया किश्त को देने का काम करें और बनवाया जाय और कनेक्शन की लाइन लगी पड़ी है उस कनेक्शन को दिलवाया जाय और जहांरी 5 एम०वी०ए० टप्पल पर और एक 5 एम०वी०ए० ट्रान्सफारमर लगवाया जाय हमारा पूरा खादर का क्षेत्र है इसका लाभ वहां मिलेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने शकिर अली को बुला लिया है और वह बोल रहे हैं, आप बैठें ।

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, पूर्व बजट की अपेक्षा यह बजट सराहनीय और स्वागत योग्य है, मैं इसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं देवरिया जनपद के गौरी बाजार क्षेत्र से चुनकर आया हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने पूर्व भाषण में कहा है कि जिन गांवों का विद्युतीकरण केवल कागज पर हुआ है अगर माननीय सदस्य उसका उल्लेख करेंगे तो मैं उन अधिकारियों को दंडित करूंगा तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों में 10-10 वर्षों से पोल खड़े हैं और विद्युतीकरण नहीं हुआ है केवल कागज पर विद्युतीकरण है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे उसका विद्युतीकरण करायेंगे या नहीं ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बेलवा, तवक्कलपुर, इमामबाड़ा, सोरेजी रूट, पकड़ी बुजुर्ग, मिसरौली टोला, पिपर मदनगोपाल, नरायनपुर (परसियामल वाला) आदि ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां 10 वर्षों से पोल खड़े हैं लेकिन विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो क्या आप बता सकते कि वह किस नीयत से खड़े किये गये हैं जबकि विद्युत विभाग ने भी माना है कि हमारे यहां से अभी विद्युत नहीं लगी है । मान्यवर, गौरी बाजार विद्युत के मामले में बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है । देसही देवरिया में सब-स्टेशन की जमीन है उसकी पैमाइश भी हो चुकी है, उसको बनवा दिया जाय ताकि देसही ब्लाक को भरपूर विद्युत मिल सके क्योंकि 110 कि०मी० लम्बी लाइन कसया सबसस्टेशन से इस ब्लाक को आती है जोकि बहुत ही जर्जर हो चुकी है । यहां सबस्टेशन बन जाने से इस ब्लाक को लाभ होगा ।

मान्यवर, बेतालपुर और गौरी बाजार सबस्टेशन के इंचार्ज चक्की आदि से धन उगाही के लिए भरपूर विद्युत कटौती करते रहते हैं इसके लिए उन्हें निर्देशित करने की कृपा करें क्योंकि इससे सरकार की छवि धूमिल होती है । गौरी बाजार टाउन एरिया में विद्युत मस्जिद टोला की तरफ लगायी जाय जिसमें 3-4 पोल की जरूरत है । इसके अतिरिक्त जो गांव विद्युतीकृत हैं और उसमें अनुसूचित जाति की तरफ लाइन न ले जाकर सवर्णों की तरफ ले जाई गयी है जबकि 3 पोल अनुसूचित जाति के लोगों को फ्री मिलते हैं इसका सर्वेक्षण कराकर अनुसूचित जाति के टोले को विद्युतीकृत किया जाय ।

श्री प्रताप सिंह यादव–

मान्यवर, आपने मुझे विद्युत विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । कायमगंज फर्रूखाबाद की जनता ने मुझको चुनकर यहां भेजा है । मान्यवर, कायमगंज शहर के लिये 10 कि०मी० तार बहुत पहले से रखा हुआ है । शहर के अन्दर जितनी भी लाइन हैं वह जर्जर हालत में है वह 10 कि०मी० तार के द्वारा अन्दर की लाइन को बदला जा सकता है लेकिन अधिकारियों ने उसे आज तक नहीं बदला है । दूसरे, एक 33 किलोवाट का हजियापुर सब स्टेशन है वहां ट्रांसफारमर छोटी केपिसिटी का है उसे बढ़ाने का कष्ट किया जाय । तीसरे, 120 किलोवाट का लुधिया कायमगंज सबस्टेशन स्वीकृत हुआ है । विरोधी भाजपाई नहीं है उन्होंने कार्य बन्द

करा दिया था वह कार्य दुबरा शुरू किया जाय । मान्यवर, बड़े संख्या में बिजली के पोल खेतों पर बेकार पड़े हुए हैं अगर उनको इकट्ठा करा लिया जाय तो सरकार को लाभ होगा । हमारे यहां के विरोधी ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी नहीं है कुछ अधिकारी फैजाबाद 12-12 साल से एक जिले में रह रहे हैं बहुतों ने तो अपने घर भी बना लिये हैं । उनके राजनीतिक संबंध वहां से जुड़े हैं उनको कहीं दूसरी जगह भेजने का कष्ट करें । एक वहां शर्मा एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं वह एक दम भाजपाई हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

उसे लिखकर मंत्री जी को दे दीजियेगा यह सब चीजें लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री प्रताप सिंह यादव-

दे दूंगा लेकिन सिफारिश करवा दें कि हमारे यह कार्य हो जायें । आपने विद्युत का बजट बड़ी मेहनत करके बनाया है, तिवारी जी ने भी ऐसा नहीं बनाया था, इसके लिये धन्यवाद देता हूं, इसका समर्थन करता हूं ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मान्यवर, आभारी हूं कि इस विद्युत विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं जनपद सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्र से आता हूं दूसरी बार सदन का सदस्य हुआ हूं । 1984 में तत्कालीन विद्युत मंत्री श्री सुनील शास्त्री जी ने मेरे क्षेत्र में विकास खण्ड धनपतगंज में एक सब स्टेशन का शिलान्यास किया था बड़े दुख से कह रहा हूं कि सब स्टेशन पर कोई कार्य जहां तक मुझे जानकारी है शासन स्तर पर या विभागीय स्तर उसे निरस्त कर दिया गया है जिससे शासन की जो मंशा है 16 घंटे बिजली देने की, हमारे एक विकास खण्ड बल्दीराय ब्लाक में जब से सरकार गठित हुई है किसी भी दशा में बिजली की सप्लाई 16 घंटे नहीं हो रही है । अन्य ब्लाकों में निश्चित रूप से मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि वहां पर घोषणा के अनुसार पूरी बिजली की आपूर्ति की जा रही है । बल्दीराय विकास खण्ड में हमारे बार-बार कहने के बावजूद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और वहां पर बिजली पूरी नहीं दी जा रही है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसको बनवाने का कष्ट करें । 1984 में उसका शिलान्यास भी किया गया था । दूसरी चीज यह है कि बहुत सी ग्राम सभाओं में फर्जी विद्युतीकरण दिखाया गया है । इस तरह की घटनाएं मेरे जनपद में सभी ब्लाकों में हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारियों द्वारा उसका सर्वे कराया जाये और जिन गांवों का विद्युतीकरण कागजों में दिखाया गया है वहां पर पुनः विद्युतीकरण कराया जाये । तीसरी बात यह है कि बहुत सी ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पर विद्युतीकरण कराया जा रहा है मगर दुर्भाग्य से वहां पर बिजली कनेक्शन लेने वाले एक-दो लोग ही होते हैं । मेरे क्षेत्र में विद्युतीकरण हुआ है और वहां पर एक-दो लोगों ने ही कनेक्शन लिया है । तो मेरा निवेदन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी विद्युतीकरण के लिये उन गांवों को प्राथमिकता दें जहां पर अधिक लोग विद्युत का कनेक्शन लेने वाले हों । इसी के साथ जो माननीय पाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूं ।

श्री फौजदार प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे विद्युत विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए में आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, बहुत कम समय में बहुत बातें कहनी हैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूं। जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक भी है और इसकी जो कमियां हैं उस पर भी माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डाला है। मैं उनके विचारों का समर्थन करते हुए एक सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं मऊ जनपद की मोहम्मदाबाद गोहना विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आया हूं। मऊ और आजमगढ़ जनपद में जहां पर बुनकर समाज ज्यादा है वहां पर बुनकरों के लिए जो मीटर लगाया जाता है उसमें विद्युत विभाग द्वारा शोषण किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री फौजदार प्रसाद–

मान्यवर, वहां के बुनकरों के साथ काफी अन्याय हो रहा है। उनसे काफी पैसा वसूला जा रहा है। वहां पर निर्धारित धनराशि दर के अनुसार प्रति माह उनसे वसूली जाये ताकि अधिक धन उनसे न वसूला जाये। मान्यवर, मऊ जनपद में इनका बड़ा समाज है और वहां का करोबार विदेशों में जाता है। वहां पर कपड़े का उद्योग है। वहां पर बुनकरों के साथ अन्याय हो रहा है। जो मीटर रीडर है वह दस हजार की जगह बीस हजार का बिल देते हैं इस तरह से वहां वसूली की जा रही है मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इसे बन्द कराया जाये। वहां के अनुसूचित जाति और जनजाति के गांवों में विद्युतीकरण कराया जाये।

* इंजीनियर राम लोटन सिंह पटेल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, खेती के लिए बिजली और पानी ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस सरकार ने 16 घंटे बिजली देकर जो कार्य किया है यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देता हूं। समय का ध्यान रखते हुए इतना ही बात कहूंगा कि आनपारा में जहां थर्मल पावर लगाने का काम चल रहा है वहां के विस्थापित जी लोग है, आदिवासी हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं यह सरकार उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर ले और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर नजर रखने के लिये माननीय मंत्री जी ने कहा है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री चैनसुख भारती–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, पहले तो आप मेरा नाम ही नहीं जानते थे, फिर भी आपने कृपा की, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो ऊर्जा विभाग का बजट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मा० पाल साहब द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र जालौन में मा० पाल साहब की सरकार के समय अधिकारियों ने काफी बड़ी संख्या में लकड़ी के खम्भें गड़वा दिये थे, वह जर्जर हालत में हैं तथा कमजोर हो गये हैं, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि उन लकड़ी के खम्भों को बदलवाकर उनके स्थान पर सीमेंट के या पत्थर के खम्भे लगवा दिये जायें। इसके अलावा मा० पाल साहब ने अपने समय में तमाम किसानों से विद्युत फीस जमा करवा ली थी, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिये गये थे। मेरा निवेदन है कि उन लोगों को कनेक्शन दे दिये जायें। इसके साथ ही हमारे यहां दो गांव ऐसे हैं, जहां पोल गिर गये थे, उनको दुबारा लगवा दिया जाय। इसी के साथ मैं एक बार पुनः विद्युत विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

(समय 6 बजकर 30 मिनट)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन दो बातें रखना चाहता हूं, जिसके लिये आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी, जिस समय बजट प्रस्तुत कर रहे थे, मैं जानता हूं कि यह उनका विभाग नहीं है। मंत्री जी दूसरे विभाग का बजट पेश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से बजट पेंश करना शुरू करते समय, जिस मासूमियत के साथ उन्होंने यह कहा कि विद्युत विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत ईमानदार विभाग है और जबरदस्ती लांछन लगाये जाते हैं, तो यह सुनकर मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह अच्छे और नेक मंत्री हैं। मैं यह नहीं कहता कि विद्युत विभाग में सब भ्रष्ट हैं या सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप यह जरूर कह सकते हैं कि आपके सचिव ईमानदार हैं, 2-4 अफसर ईमानदार हैं, लेकिन सारे विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सन् 1980 में जब मैं पहली बार एम०एल०ए० बनकर आया था तो उस समय इस विभाग में 160 करोड़ का घाटा था। आज यह घाटा अरबों में पहुंच गया है, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसा क्यों है ? विभाग की तारीफ करते-करते आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर इतना गुस्सा उतारा और कहा कि कहां से विभाग तरक्की करे, वहां के किसान तो पैसा ही नहीं देते हैं। मान्यवर, आप जानते हैं कि वहां जन आन्दोलन चला और जन आन्दोलन के तहत किसानों ने बिल भुगतान करना बन्द कर दिया। अब किसान वहां का बिल देना चाहता है, यह हकीकत है। आन्दोलन करते-करते किसान अब ऊब चुका है और उस आन्दोलन के दौरान बिजली का भुगतान न करने से उसके ऊपर पेनाल्टी तथा चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया है कि वह उसको देने में असमर्थ है। मैं चाहूंगा, वैसे तो यह विभाग माननीय मंत्री जी का नहीं है, आप चाहें तो 100 फीसदी आश्वासन न दें, लेकिन इस पर विचार अवश्य करें, अपने विभाग के अधिकारियों के साथ कि क्या यह मुमकिन है, संभव है, कि उस दौरान, जब आन्दोलन चल रहा था, जब किसानों ने भुगतान नहीं किया, तो उसमें पेनाल्टी व चक्रवृद्धि ब्याज को यदि छोड़ दें और बाकी सारा बिल वह वसूल लें, तो वह किसान देने को तैयार है, यह न्यायसंगत बात भी है। आपकी सरकार किसानों की सरकार कही जाती है, यह किसानों के हित में एक अच्छा कदम होगा और किसानों में आपकी पापुलेरिटी बढ़ेगी।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और आपका टारगेट हर साल घटता जा रहा है । चाहे प्राइवेट नलकूप ले लिये जायें, चाहे ग्रामों के विद्युतीकरण को ले लिया जाय, हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण को ले लिया जाय, हर साल लगातार विद्युत विभाग का टारगेट आप घटाते जा रहे हैं तो आप किस तरह से इस प्रदेश की जनता को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, किसानों के ऊपर आपने आरोप लगा दिया लेकिन श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने अभी बताया और मुझे भी जानकारी है कि गाजियाबाद की एक बड़ी फैक्ट्री में विद्युत की चोरी चल रही थी लेकिन वहां का एक्सियन पहले यह लिखकर देता है कि विद्युत सप्लाई ठीक है, कोई चोरी नहीं है, पर दो-तीन दिन बाद ही उस फैक्ट्री पर रेड पड़ता है और 15 करोड़ रुपये की विद्युत चोरी पकड़ी जाती है । मैं नाम नहीं लेना चाहता उस अधिकारी का, नाम तो मुझे मालूम है । आपका अधिकारी भी वहीं पर है और रिपोर्ट भी वहीं दर्ज है । उस अधिकारी का नाम है किरनपाल सिंह । इसी प्रकार से मोदी के यहां छापा पड़ा, वहां भी करोड़ों रुपये की विद्युत चोरी पकड़ी गयी, लेकिन उन पर कोई पेनाल्टी नहीं की गयी लेकिन उस टीम का नेतृत्व करने वाले डी०एस०पी० को आपने हटा दिया । आज बड़े उद्योगपति चोरी कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा विभाग बहुत बढ़िया है, ईमानदार है । मेरा स्पष्ट रूप से यह कहना है विद्युत विभाग के कर्मचारी मिल करके उद्योगपतियों को विद्युत की चोरी करा रहें हैं । इसी प्रकार के बहुत सारे मामले हैं आप रेड डालिये और एसेसमेंट लीजिये, आपके विभाग का घाटा दूर हो जायेगा । पहले यह व्यवस्था थी कि मान लीजिये कहीं लोड बढ़ गया और दूसरी जगह कनेक्शन देना है तो दूसरी जगह बाइफर-केशन लगाकर वहां के किसानों को विद्युत की व्यवस्था कर दी जाती थी लेकिन आज आप किसानों के ऊपर छोड़ देते हैं कि इसकी व्यवस्था विद्युत विभाग को करनी चाहिए और बिल किसान से ले लें । माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें, जिलों में बैठे अधिकारी कहते हैं कि हम नहीं कर पायेंगे वह पैकेज बनाकर लखनऊ भेज देते हैं चाहे वह बाइफरकेशन का मामला हो या नया कनेक्शन देने का मामला हो, कोई काम नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, आपने लालबत्ती जला दी लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । बुन्देलखण्ड में औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई बात है । वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है वहां पर मिनिमम गारण्टी चार्ज है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न देकर जो मंत्री जी ने घोषणा की है और मैं समझता हूं कि आपके अधिकारी उस भावना से सहमत हैं, यह बात सही है कि बुन्देलखण्ड पिछड़ा हुआ इलाका है । और वहां आपको विद्युत में छूट देनी चाहिए जिससे वहां के लोग आकर्षित हों । आपसे निवेदन है कि आप इस पर विचार करें और गम्भीरता से सोचे और बिलों पर जो छूट देने की बात मा० मुख्य मंत्री जी ने कही है उसकी आप घोषणा करें । यही दो-चार बातें कहनी थी । इसके साथ ही मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

* श्री अकबर अली–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । मैं बजट के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1993 में विधान सभा चुनावों की जब अधिसूचना जारी हुई उसके उपरान्त हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मुआ, कोटरा, कठौदा आदि गांवों में खम्भे और विद्युत के तार लगाये गये । चुनाव के उपरान्त मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखकर यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूचना चाही कि अधिसूचना के बाद यह विद्युतीकरण कैसे कराया गया ? तो अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत, उरई जनपद जालौन ने यह सूचना दी कि मेरे तरफ से कोई खम्भा और तार नहीं लगाया गया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर विद्युत विभाग द्वारा ये नहीं लगाये गये तो विद्युत के तार चुनाव की अधिसूचना के बाद किस एजेन्सी से पहुंचे और गांव में लगाये गये ? यदि विद्युत विभाग के द्वारा नहीं लगाये गये हैं तो क्या ये जो तार लगे हुये हैं इनके द्वारा आप अपनी एजेन्सी से गांव में विद्युतीकरण करा देंगे । दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि जालौन नगर में विद्युत कनेक्शन का पैसा जमा है, परन्तु वहां पर विद्युत कनेक्शन हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी वहां से बिल आ रहे हैं, विद्युत में अव्यवस्था होने के कारण बड़ी परेशानी हो रही है । तीन ट्रान्सफार्मर नगर जालौन के लिये स्वीकृत हुये थे, लेकिन अधिशासी अभियन्ता ने कानपुर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हेतु भेज दिया, इसलिये जालौन नगर में तीन माह से अभिलेखों के अभाव में ट्रान्सफार्मर नहीं लग पा रहे हैं । नलकूप संख्या–69 कालपी की विद्युत लाइन 6 साल से कटी पड़ी हुयी है, किसान परेशान हैं सभी सामान्य विद्युत पोल व तार रखे हैं, अधिकारी जोड़ नहीं रहे हैं, अधिकारी गांव वालों से रुपया मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि लाइन तभी खींचेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वह विद्युत अव्यवस्था को दूर करे और लगे हुये तारों में कनेक्शन करा दें । मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र की बात कर रहा हूं एक विधान सभा क्षेत्र में दो गांव ही जनपद में विद्युतीकरण हेतु दिये जाते हैं, इसमें अन्य गांवों का भी चुनाव होना चाहिए । कुल मिला कर बुन्देलखण्ड को पिछड़ा क्षेत्र मानते हुये यहां के विद्युतीकरण के लिये इसको अन्य मैदानी जनपदों से अतिरिक्त धनराशि बुन्देलखण्ड के लिये बढ़ाई जाय ।

* श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, गाजीपुर के दिलदार नगर में विद्युत का 33.3 के०वी० का एक सब स्टेशन है, यह बहुत ही जर्जर अवस्था में है तथा इस समय यह बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है, यह बहुत पुराना सब स्टेशन है, इसी के जस्ट बाद पिछली सरकार ने तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री, श्री कल्याण काल्वी ने 33 के०वी० के एक सब स्टेशन का भदौरा में शिलान्यास किया था, वह स्वीकृत भी हो गया था, वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 कुछ नहीं हुआ, यहां श्रीमन् आपको बताऊं कि दिलदार नगर सब स्टेशन पर ग्यारह छोटी डाली लिफ्ट कैनाल है, इसी स्टेशन की विद्युत क्षमता से वह चलनी चाहिए, लेकिन वह नहीं चल पा रही है, लिफ्ट कैनाल हम लोगों के लिये, किसानों के लिये एक वरदान की तरह है किन्तु वह अभिशाप साबित हो रही है, माननीय पाल जी के बारे में कहना चाहूंगा कि इन्होंने अभी खूब लम्बा चौड़ा भाषण देकर सरकार की बहुत खूबसूरती के साथ बखान किया, यह पात्र शत-प्रतिशत आपका है, सरकार पर है, एक मंत्री जी थे, तत्कालीन सहयोगी दल, सभी उसके बारे में बता रहे हैं, मऊ की तरफ ध्यान दिया जाय जो पूर्वान्चल का पिछड़ापन दूर किया जा रहा है, पूर्वान्चल का मतलब होता है मऊ, विद्युत उत्थान का मतलब मऊ, आपकी सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया (व्यवस्था) 33 के०वी० का भदौरा सब स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सब स्टेशन है, इसको बनवाने के लिये शासन से प्रयास किया जा रहा है, मैं बड़े ही नम्र, विनम्र भाव से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें, बांगला देश के शरणार्थियों की तरह न करें, मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भदौरा सब स्टेशन 33 के०वी० का है । एक 33 के०वी० का सब स्टेशन रेवतीपुर है जो ग्यारह माह से 3 एन०वी०ए० का ट्रान्सफार्मर बन्द

पड़ा है, उसमें अस्सी हजार का तेल लगता है, इसकी व्यवस्था न किये जाने से यह सब स्टेशन बेकार पड़ा है, मैं माननीय मंत्री जी यह चाहूंगा कि वह इस हाउस में आश्वासन देने का काम करें जिससे 33 के०वी० के रेवतीपुर और भदौरा सब स्टेशन त्वरित गति से ठीक हो सकें। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री राम दास पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट निश्चित ही बहुत ही अच्छा बजट है। यह बात सही है कि 16 घण्टे बिजली देने की घोषणा की गई थी, बिजली तो मिल रही है परन्तु देहातों में बिजली पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र डेरापुर में जितने गांवों में बिजली की व्यवस्था की गयी थी, आजादी से लेकर आज तक जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनके गांवों में खम्भे तो गड़े हैं, परन्तु घरों में रोशनी नहीं है। डेरापुर में कई गांव ऐसे हैं जहां पर कागज में बिजली जल रही है लेकिन घरों में नहीं। एक दर्जन गांव ऐसे हैं, जहां पर खम्भे तो हैं परन्तु उन पर तार नहीं हैं परन्तु कागज में दर्शा दिया गया है कि बिजली मिल रही है। दूसरा मैं, यह कहना चाहता हूं कि बिजली की जो चोरी होती है, गरीब आदमी को तो पकड़ लिया जाता है परन्तु कानपुर में जो कल-कारखानों के बड़े-बड़े मिल मालिक हैं, जिनके ऊपर बिजली का करोड़ों रुपया बकाया है, उनको नहीं पकड़ा जाता है। यदि उनसे यह करोड़ों रुपया वसूल कर लिये जायं तो बिजली का संकट दूर हो जायेगा इसी के साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मदन भइया–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे यहां भूपखेड़ी, खरखड़ी, खानपुर, पचापरा के विद्युतीकरण के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। साथ ही लोकी में जो बिजली घर है, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। इसके साथ-साथ जो पुराने तार हैं उनको नये तारों से बदल दिया जाय। यह मुख्य समस्या है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा विभाग के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं एक मिनट भी नहीं लेता। मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के विचारों को अगर ग्राह्य कर लें तो मेरे कटौती प्रस्ताव पर स्वयमेव बल मिल जायेगा। माननीय मंत्री जी स्वयं खड़े होकर कह दें कि जो कटौती प्रस्ताव रखा है इस सदन में साफगोई से पहली बार स्वीकार कर रहा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं तो कदाचित मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी । सभी सदस्यों ने जिन्होंने चर्चा में भाग लिया उनका आभारी हूं उन्होंने विद्युत विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में, उसकी खामियों के संबंध में आलोचना की और विभाग के उत्तरोत्तर प्रगति के लिये अच्छे-अच्छे सुझाव दिये । आप सभी सहमत होंगे चाहे किसी पक्ष के माननीय सदस्य हों उनके विचार विभाग के लिये दिग्दर्शन होंगे । जनता दल के नेता श्री किरनपाल सिंह जी ने, श्री चन्देल साहब ने जो चिन्ता व्यक्त की बुन्देलखण्ड के संबंध में और वहां पर जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके छूट के संबंध में तो कोई नयी मांग नहीं है । औद्योगिक नीति में ऊर्जा के लिये सुविधा देने की बात यह न्यायोचित बात है । मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से नयी सुविधाओं की घोषणा होनी चाहिये । उद्योग लगाने के लिये नयी घोषणायें छूट के संबंध में होनी चाहिये । लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि जो पहले से शासन से औद्योगिक क्षेत्रों के लिये छूट दे रही थी उसमें भी कटौती की गयी है और सरकार ने उस को निरस्त कर दिया है । औद्योगिक नीति में ऊर्जा से संबंधित 16 अक्तूबर 1990 के शासनादेश में कुछ सुविधाओं का उल्लेख है अगर उसमें बढ़ोत्तरी न करें तो कटौती भी न करें । तो उसमें जो मुख्य-मुख्य बाते हैं उनमें से एक तो यह है कि सभी नये उद्योगों को उत्पादन शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष तक न्यूनतम मांग भार से मुक्त रखा जायेगा ।

नये उद्योगों को उत्पादन शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष तक विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाये बशर्ते उनके पास इनडिपेंडेंट फीडर हो साथ ही सभी औद्योगिक आस्थान थी विद्युत कटौती से मुक्त रहेंगे ।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में यहां पहाड़ी क्षेत्रों में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिये शासनादेश में विद्युत बिल में 50 प्रतिशत की विकास छूट नये उद्योगों को उत्पादन शुरू होने से 5 वर्ष तक देय होगी । अगर यह सुविधा न हो तो कौन उद्योगपति वहां जायेगा जहां दूर-दूर तक रा-मैटीरियल नहीं मिलता है संचार साधन नहीं हैं । पर्वतीय जनपदों में 610 मीटर की या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थापित होने वाले उद्योगों को 33.73 प्रतिशत की दर से विद्युत बिल में उत्पादन शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष तक विशेष छूट दी जायेगी ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों (मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, देवरिया, बहराइच तथा इलाहाबाद जनपद के जमुनापार क्षेत्र (नैनी को छोड़ कर) में चयनित औद्योगिक आस्थानों में स्थापित होने वाली इकाइयों को उत्पादन शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष तक विद्युत बिल में 20 प्रतिशत विशेष छूट दी जायेगी । तो मान्यवर, जो पहले से सुविधाऐं पूर्वांचल, उत्तरांचल और बुन्देलखण्ड में हैं यदि उससे अधिक सुविधाऐं दें तो हम उनका स्वागत करेंगे ।

मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों की चिन्ता थी जिनके बारे में उन्होने बताया कि खम्भे खड़े हैं और बिजली नहीं है लेकिन विद्युतीकरण हो गया है कागज में दिखा दिया गया है इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाये और वास्तव में उन गांवों का विद्युतीकरण किया जाये ।

मा० मंत्री जी कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की बात करते हैं तो मैं इस शर्त पर वापस लेता हूं कि यदि वह घोषणा कर दें कि जो व्यवस्था लागू है उसमें यदि किसी गांव का विद्युतीकरण हो चुका है यदि उसमें अनुसूचित जाति का कोई पुरवा मौजूद है जहां दो पोल निःशुल्क दिये जाते हैं इसमें स्पष्टीकरण चाहता हूं और चाहता हूं यह प्रतिबन्ध क्यों करते हैं ? यदि अनुसूचित जाति के पुरवे हैं जहां के गरीब लोग एक बल्ब के लिये तरस रहे हैं यदि उनके लिये दो-चार पोल लगाने की घोषणा कर दें और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के जिन पुरवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उनको एक समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे और इस साल उन सभी पुरवों को ले लेंगे तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले सकता हूं।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि चोरी रोकने के संबंध में बसंत कमेटी की रिपोर्ट जो है उसमें मैं चाहूंगा सरकार अपनी मंशा को आज बताये। बसंत कमेटी की रिपोर्ट को समय न होने के कारण मैं पूरी नहीं पढ़ सकता हूं लेकिन उसके एक अंश के संबंध में कहते हुये मांग करता हूं कि शासन उसके संबंध में अपनी नीति बताये। रिपोर्ट में जो दिया है वह इस प्रकार है–विद्युत उत्पादन, विस्तार एवं विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का सम्पूर्ण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् निगम को सौंप कर पारेषण व्यवस्था, पारेषण निगम एवं वितरण को निजी क्षेत्रों में पूर्णतया सौंप देने की व्यवस्था स्वीकार करना। मान्यवर, वितरण को निजी क्षेत्रों में देने से लाभ होगा। मान्यवर, बसंत कमेटी में सरकार की क्या राय है, उसको मंत्री जी बता दें ?

मान्यवर, इसी प्रकार मैं पावर सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट में भी मंत्री जी स्पष्ट बता दें ?

मान्यवर, मंत्री जी ने भाषण में कहा कि इस विभाग की आलोचना होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं चाहे जनता दल हो या कांग्रेस दल के लोगों ने इस विभाग की आलोचना नहीं किया है। यदि ऊर्जा विभाग के चाहे सचिव हो या परिषद् के अधिकारी हों यदि अच्छे और ईमानदार है तो उनकी तारीफ की जायेगी और कहीं शिकायत नहीं होगी और यदि शिकायत नहीं है तो भविष्य में उनके पदों से न हटाया जाये। लेकिन जब अधिकारियों की कोई आलोचना नहीं है किन्तु उसके बावजूद भी नीचे स्तर पर जो कठिनाईयां हैं जिनके बारे में मैं अब दोहराना नहीं चाहता हूं कि किस तरह से देकर बिजली का कनेक्शन लोगों को मिलता है जिसके चलते गांव का आदमी परेशान होता है। मान्यवर, चाहे नगर की बात हो या ग्रामीण क्षेत्र की बात हो उसमें मैं अपने बस्ती जनपद में जब राज्यपाल महोदय वहां गये थे तो इम्प्रूवमेंट की बात की गई थी और 95 लाख रुपये का एक प्रस्ताव भी बना था जिसमें 33/11 के०वी० का प्रस्ताव आया जिसमें राज्यपाल महोदय के सामने सहमति भी हुई किन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिये इसमें मंत्री जी अपने उत्तर में बतायेंगे। मान्यवर, कहा गया है कि पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं, दौलतपुर और पच्चासी दो गांव हैं हमारे यहां के, वह चयनित हो चुके हैं। उनके बारे में मैंने यह सवाल उठाया था कि इनका क्यों नहीं हुआ तो बस्ती के एस० ई० और ई० ई० हमसे कहते हैं कि जो स्टोर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वह हमें सम्बन्धित आवश्यक सामान नहीं देते हैं। इसको मैं राज्य विद्युत परिषद् से कहता हूं कि यह कौन सी कार्य शैली है आपकी। यदि आप कुछ भी समग्र विकास के लिये करना चाहते हैं तो वृहद योजनाएं तैयार करनी होगी और वर्तमान योजनाओं पर जो कार्य नहीं हो रहा है, उसमें देखना होगा कि वह क्यों नहीं हो रहा है ? सन् 51 से 85 तक यहां यह हालत थी कि 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही थी। किन्तु आज हम अन्य राज्यों की तुलना में बराबर पिछड़ते चले जा रहे हैं। जहां पहले हम अधिष्ठापित क्षमता के मामले में दूसरे स्थान पर थे, आज हम चौदहवें स्थान पर पहुंच गये हैं। यह जो द्वितीय वितरण प्रणाली है और जो क्रियाकलाप है, इसका विकेन्द्रीकरण करने का सरकार विचार कर रही है, इसके बारे में कौन सी योजना सरकार चलायेगी, इसे मंत्री जी बता दें। जो सघनीय यहां पर बिजली की मांग है, उसके बारे में मंत्री जी का क्या जवाब है, मंत्री जी उस पर भी अपने जवाब में बता दें ? प्लाण्ट लोड फैक्टर के सिलसिले में भी हमारी पोजीशन ठीक नहीं है। इसकी स्थिति बहुत खराब है और इसके जवाब में मंत्री जी कह देंगे कि प्लाण्ट लोड फैक्टर इसलिये नहीं बढ़ रहा है कि हमें अच्छा कोयला नहीं मिल रहा है। किन्तु मैं कहना यह चाहता हूं कि दूसरे राज्यों को तथा एन० टी० पी० सी० को भी वही कोयला मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है। एन० टी० पी० सी० का यह 70.75 प्रतिशत है और दूसरे राज्यों में यह 60 प्रतिशत है और हमारे राज्य में केवल 43 प्रतिशत है। तो जिस कोयले से दूसरे राज्य विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, उसी से हम कर रहे हैं, तो कहीं न कही कोई खामियां अवश्य हैं। उन्हें आप दूर करें। आठवीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं और दो साल शेष हैं, आज आप यह घोषणा करें कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 प्रतिशत दरें बढ़ाई थीं, बजट के बाद फिर आप दरें बढ़ाने का प्रस्ताव न कर दें, जिससे सारे का सारा बोझ किसानों पर पड़े, तो यह भविष्य में दरें न बढ़ाने की स्पष्ट घोषणा कर दें.....

श्री अधिष्ठाता–

मा० पाल साहब 15 मिनट आपके हो चुके हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैंने केवल बिन्दुओं पर अपनी बात कही है, और कुछ नहीं कह रहा हूं। जो हमारे साथियों ने सुझाव दिये हैं, उनके बारे में मा० मंत्री जी पूरा-पूरा स्पष्ट उत्तर दे दें, मैंने 15 मिनट में किया है वह पांच मिनट में उत्तर दे दें।

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं विशेष रूप से श्री पाल साहब का और पक्ष व प्रतिपक्ष के जितने भी साथी बोले हैं, उनके सुझावों का आभारी हूं। श्री पाल साहब ने कटौती के प्रस्ताव को मान लेने के लिये कहा है, मेरा निवेदन है कि श्री पाल साहब आधी बात में आपकी माने लेता हूं और आधी बात आप मान लीजिये हमारी। जब हम आधी-आधी बात एक दूसरे की मानेंगे तो बात पूरी हो जायेगी। कटौती के प्रस्ताव में जितने बिन्दु उठाये गये हैं, उनमें से किसी एक के बारे में भी मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत

कहा है या आपने गलत आंकड़े दिये हैं। मा० किरनपाल जी ने जो इल्जाम लगाया है, उसके बारे में भी कहना चाहता हूं, वह हमारे पुराने साथी हैं, इस विधान सभा में जिस तरह का अन्दाज उन्होंने अख्तियार किया है और जितनी खतरनाक बात कर रहे हैं, उतना खतरनाक रोल उनका कभी नहीं रहा है। पहले यह नाराज भी होते थे, वेल में भी आते थे लेकिन आज इनके चेहरे पर नाराजगी नहीं होती, जहरीली मुस्कान होती है, वह सब कुछ कह जाती है, बहुत महंगी पड़ती है। इन्होंने इल्जाम यह लगाया है कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को संरक्षण दिया है। मैं कभी किसी को संरक्षण देने का कायल नहीं रहा हूं। मैंने केवल इतना कहा है कि अगर किसी विभाग में अच्छे लोग है तो उनकी अच्छाई की सराहना होनी चाहिए। इसीलिये मैंने किसी सचिव का जिक्र नहीं किया था, बिना नाम लिये। मेरे जिक्र करने के बाद ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का जिक्र भी हुआ है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैंने विद्युत आपूर्ति के संबंध में बात कही कि इस वर्ष विद्युत आपूर्ति गांव में अच्छी हो रही है तो यह अच्छाई किसे मिली। आज गांव में लोग कह रहे हैं कि पहले से इस बार विद्युत आपूर्ति अच्छी चल रही है। मान्यवर, जो सही बात है, वह ही तो कही है। मैंने एक बात लिखकर दी है कि हमारे यहां अकबरपुर रैना में एक सब स्टेशन 5-6 वर्ष से मंजूर है लेकिन धनाभाव के कारण उसका निर्माण नहीं हो रहा है, तो मान्यवर, इसको दिखवा लें और इसका निर्माण कार्य करायें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अगर कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बुरा है तो उसे अच्छा कहने का कोई औचित्य ही नहीं है। मैंने शुरू में ही इस बात को स्वीकार किया है कि अगर विद्युतीकरण के फर्जी आंकड़े पेश किये जायेंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी वह किसी भी तरह से माफी के काबिल नहीं हैं। मा० पाल साहब ने एक प्रश्न किया था उसके बारे में मैंने कहा भी था लेकिन वह मा० प्रमोद तिवारी जी से बात कर रहे थे। प्रदेश के एक लाख बारह हजार गांवों में से 84,906 गांव सी० ई० ए० की परिभाषा के अन्तर्गत विद्युतीकृत हैं तथा 52,629 गांव एल० टी० मेन्स से विद्युतीकृत हैं। यदि इन समस्त गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है तो प्रति गांव विद्युतीकरण की कीमत औसत रूप से 2 लाख रुपये मानते हुए इस कार्य के लिये लगभग 600 करोड़ रुपये सी० ई० ए० की परिभाषा के अन्तर्गत तथा 1200 करोड़ रुपये एल० टी० मेंस से विद्युतीकरण की आवश्यकता होगी। यह इतनी बड़ी जरूरत है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मा० पाल साहब से मेरा निवेदन है कि हमारे सहयोगी दल हैं, हमारी परेशानियों को जानते हैं इसलिये हमारी सहायता करेंगे। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि बसन्त कमेटी का जिक्र किया है। हमारे पास उससे अच्छी सुविधाएं हैं। विश्व बैंक से 6 करोड़ रुपये ऋण के तौर पर मिल रहे हैं। इनसे हम परीक्षण करायेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे विद्युत संकट दूर किया जा सके। हम किस तरह से सिस्टम को डैवलप करें। आपने कहा है कि बिजली बनाने और बिजली बांटने के दो हिस्से कर दें। बिजली बनायें हम और बांटे कोई और। हमने ऐसा नहीं किया है। ग्रेटर नोएडा का जो सिस्टम है यह तजुर्बे हैं। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात कही है। अगर एक तजुर्बा गलत हो जाय तो, यह जरूरी नहीं है फिर उसी पर तजुर्बा करते जायें। फैक्ट्री बनाते हैं और घाटा हो जाता है तो दूसरी फैक्ट्री नहीं लगायेंगे, तीसरी, चौथी,

पांचवीं, दसवीं नहीं लगायेंगे । अच्छे उद्योगपति एक में फेल हो गये तो दूसरा करने लगे । ट्यूबलाइट बनाने लगे, उसमें फेल हो गये तो बल्ब बनाने लगे उसमें फेल हो गये तो कलम बनाने लगे । हम अपने रास्ते बदलेंगे । अपनी कमियां देखेंगे । इस सिलसिले में एक जापानी मिसाल पेश करता हूं कि सारी चीजें सरकार को चलानी चाहिए । जापान टैक्नालाजी में आगे हैं वहां सब प्राइवेट है वहां सरकार नहीं चलाती है वह तरक्की में आगे हैं । हमारे यहां अपनी गलती, अपने पापों को छिपाने के लिये प्रयास किया जाता है । हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं । ऐसे निगम जो घाटे में है, सदन में सार्टिफिकेट देंगे तो वह अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे और घाटे में चलेंगे जिससे जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग होगा । ग्रामीण विद्युतीकरण में नीति हमारी यह है कि जिस गांव का विद्युतीकरण होगा उसमें अनुसूचित जाति-जनजाति की बस्तियां होगी उनका विद्युतीकरण होना लाजिम है, उनका विद्युतीकरण किया जायेगा । मान्यवर, आपके माध्यम से गाजियाबाद के मा० समीर भाटी जी से कहना चाहूंगा शायद वह चले गये हैं । हमारी जरा सी बात पर इतना बिगड़ गये--

"मेरी तो एक बात का इतना बुरा हुआ,
कुछ आपको भी याद है अपना किया हुआ ।।"

डेढ़ बरस के लिये सरकार आयी थी तो यह हुआ कि मंदिर न गिराते मस्जिद न गिराते, गिरिजा को धक्का दे दिया तो वह सरकार चली गयी । 1990 की नीति मा० मुलायम सिंह यादव की नीति थी, जिसे रोका गया, बदला गया । हमने सदन में कहा था और फिर कहते हैं 1990 की नीति को उसी तारीख से लागू किया गया है वही सहूलियतें दी जायेंगी जो उस समय दी गयी थीं । पांच महीने का वक्त मिला है । यह सारी उपलब्धियां पांच महीने की हैं । जो-जो पत्थर आपने मारे उनको बर्दाश्त किया ।

श्री किरनपाल सिंह–

इनके शेर के जवाब में एक शेर पढ़ना चाहूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

शेर ही पढ़ियेगा, भेड़ न पढ़ियेगा ।

श्री किरनपाल सिंह–

पाल साहब की तरफ से शेर कह रहा हूं—

"कांटों की बेबसी पर इतना तो तरस खाओ,
यह चीज भी गुलशन की बड़ी पायदार है ।।"

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्रीमन्, 4-12-91 से 15-4-92 तक विद्युत का उत्पादन 603.47 करोड़ यूनिट हुआ । 4-12-92 से 15-4-93 तक विद्युत का उत्पादन 684.90 करोड़ यूनिट हुआ और 4-12-93 से 15-4-94 तक विद्युत उत्पादन 763.48 करोड़ यूनिट हुआ । हम यह मानकर चलते हैं कि कमियां हैं लेकिन उपलब्धियां भी हैं। ऐसा नहीं हमारी सरकार आने के बाद ऊर्जा विभाग में उपलब्धियां नहीं हुई हैं । बिजली बनाने की

क्षमता पूरी नहीं है । वर्ष 1993-94 में 26,800 निजी नलकूपों का ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जीकरण किया गया है । यह एक ऐतिहासिक रिकार्ड है । इतनी तादाद में उत्तर प्रदेश में कभी भी नलकूपों का ऊर्जीकरण नहीं किया गया । बहुत सी बातें हैं नोट की हैं । इसके बाद सहकारिता और मुस्लिम वक्फ विभाग का बजट पेश करना है । जो-जो सुझाव आये हैं उनके अनुसार कोशिश करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा न दिये जाने वाले पैसे की बात की । मैं जातीय तौर पर हमदर्दी का इजहार करता हूं । किसी दिन आपको कष्ट दूंगा आप आ जाएं । मैं विद्युत विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों को बुलाकर आपकी वार्ता करा दूंगा जो भी रास्ता निकलेगा वह आपकी सहमति से निकाल लिया जायेगा । इन्हीं अल्फाज के साथ मैं पाल साहब से दरख्वास्त करता हूं जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आधी बात मैं आप की मान लेता हूं आधी बात आप मेरी मान लें । आपने जो सुझाव रखे हैं वह आपसे अच्छी नीयत से रखे हैं । इसमें मैं आपका सहयोग भी लूंगा । आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री जगदम्बिका पाल साहब आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मंत्री जी ने हमारे बारे में एक शेर कहा था । चूंकि लखनवी तहजीब है कि शेर का जवाब शेर से दिया जाए । इसलिये मैं एक शेर सुना रहा हूं । "जी रहे हो जिस कली के नाम पर तुम, जानते हो किस कदर कैसे बची है, जिस अटारी और गली पर झूमते हो, वह हमीं बदनाम लोगों ने रची है ।" मैंने तो एक बात कही है । अगर अनुसूचित गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाए तब भी मै प्रस्ताव वापस ले लूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जो शेर मा० पाल साहब ने पढ़ा है वह ऐसा है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है । यह सरकार जनता दल, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी व निर्दलियों के सहयोग से चल रही है । हमने इन सभी का सहयोग लिया है तो किसी खास मकसद से लिया है । सिर्फ सरकार चलाने के लिये नहीं लिया है । मैं मा० पाल साहब के शेर का जवाब दे रहा हूं ।

"शमा की रोशनी आतिशी तो सबने देखा है,
किसी ने यह नहीं देखा है कि परवाने पे क्या गुजरी है ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,71,03,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्यय के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या–48–मुस्लिम वक्फ विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,37,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मुझे इस वक्त दो विभागों का बजट पेश करना है, एक तो सहकारिता विभाग और दूसरे मुस्लिम वक्फ विभाग । इसका मुझे अहसास है । मा० पाल साहब जैसे सेहतमंद और अक्लमंद लोग इस सदन को छोड़कर जा रहे हैं तो फिर क्या मजा आयेगा बजट पेश करने का और क्या मजा आयेगा कटौती के प्रस्ताव को रखने का ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी मजबूरी है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे आज बस्ती जाना है, मेरी ट्रेन छूट गयी है, बाईरोड जाना है इसलिये माफी चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सहकारिता विभाग और सहकारिता आन्दोलन एक गाड़ी के दो पहिये हैं । सहकारिता आन्दोलन इस प्रदेश और इस देश के लिये उतना ही जरूरी है जितना किसी मरीज के लिये आक्सीजन

अगर मरीज को आक्सीजन न मिले तो न केवल मरीज बल्कि इंसान जी नहीं सकता इसीलिये सहकारिता विभाग और सहकारिता आन्दोलन दोनों की अहमियत है। इसी को देखते हुए प्रदेश की मौजूदा सरकार जिसमे माननीय मुख्य मंत्री जी खासतौर से, इस विभाग को हमारे अलावा अपनी छत्रछाया में भी रखते हैं और इस पर खास निगाह रखते हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हम सहकारिता आन्दोलन में किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। हमारा विभाग उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम करता है जो उपेक्षित हैं, उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम करता है जो इस दर्जे के किसान हैं जो अपनी मामूली जरूरतों के लिये हमारे ही बैंक के दरवाजे पर जा सकते हैं और दूसरे बैंकों के दरवाजे पर जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। हमने जो क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं उनमें से सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है नियमों में आमूलचूल परिवर्तन। हंगामें की नजर से ही सही, इसी सदन में माननीय सदस्यों ने इसे पास किया है जिससे हम यह समझते हैं कि सहकारिता पर सरकारी नियंत्रण कम से कम हो जायगा और जनता का नियंत्रण, किसानों का नियंत्रण और मेहनत करने वाले लोगों का नियंत्रण बढ़ेगा और उनको राहत पहुंचेगी। मान्यवर, इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रबन्ध कमेटी के 3 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ा कर 5 वर्ष किया गया है। यह इसलिये किया गया है कि किसी लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो व्यवस्था एक जगह हो वही दूसरी जगह लागू हो। हमारे यहां पार्लियामेन्ट में, असेम्बली में, म्युनिसिपल बोर्ड में जो मेम्बर होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसी को सामने रखकर इन समितियों का कार्यकाल 5 साल किया गया है और वह इसलिये किया गया है कि 3 साल का समय इतना नहीं होता कि अगर कोई समिति अच्छा काम करना चाहती है, उसके लोग अच्छा काम करना चाहते हैं तो हमारा मानना है कि उनको काम करने के लिये पूरा वक्त मिलना चाहिए इसीलिये कार्यकाल 5 साल किया गया है। इसी तरह से समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों, महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है जो समाज के सदियों से उपेक्षित लोग थे, जो दबाये गये लोग हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। महिलायें जो हमारी आबादी के आधे हिस्से से ज्यादा हैं जो हमारी जनशक्ति का आधा हिस्सा है उनको ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और उनको नजरंदाज किया गया था इसलिये उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। निबंधक द्वारा प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व जो प्रशासक बैठाने की व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया है। असाधारण परिस्थितियों में यदि निर्वाचन सम्पन्न नहीं हो सके तो उसी प्रबन्ध कमेटी को अधिकतम 6 माह तक कार्यरत रखकर निर्वाचन कराने की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, यह बड़ा अनडेमोक्रेटिक लगता था, प्रबन्ध कमेटी को भंग करके प्रशासक बैठा दिया जाता था। इस लोकतांत्रिक ढंग से इस सरकार ने, माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने सपा, बसपा की सरकार ने यह समझा कि यह तरीका मुनासिब नहीं है, इस तरीके को हमने खत्म किया है और प्रशासक नहीं बैठाये जायेंगे, समिति का कार्यकाल समाप्त होता है, तो फिर 6 महीने बढ़ा दिया जायगा, लेकिन चुनाव ही सुनिश्चित होगा। मान्यवर, अवक्रमण की कार्यवाही अधिकतम 6 महीने पूरे हो जायेंगे और उसके दौरान यदि प्रबन्ध कमेटी निलम्बित की जाय, जैसा मैं बता चुका हूं, मान्यवर, इसके अलावा हमारे बैंकों का, सहकारी बैंकों का जितना बड़ा नेट वर्क और फैलाव है, वही हमारी उपलब्धि है।

सहकारिता विभाग का जब नाम आता है, जिस प्रकार से ऊर्जा विभाग के साथ बदनामियां चलती हैं, हमारे विभाग को उचक्कों का, बेईमानों का, न जाने कितने नाम देते हैं, यह पूरी तरह से सही नहीं

है, कुछ बुरे लोगों की मिशाल देकर पूरे विभाग को नहीं बदनाम करना चाहिए । जो सहूलियतें किसानों को, जनता को मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती हैं । यह सही है कि खाद और बीज सही नहीं मिलता, लेकिन यह सही है कि इन बैंकों से किसानों को जितनी आसानी से कर्जा मिलता है और इसके अलावा हम यह पूरे प्रकरण के साथ आपके समक्ष कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े बैंक का हमारे बैंक से मुकाबला कर लीजिये, पंजाब बैंक को लें, इलाहाबाद बैंक को लें, हमारे बैंक की रिकवरी आप देखें और दूसरे बैंकों की रिकवरी देखें, तो हमारे बैंक की रिकवरी 70 प्रतिशत है, जोकि दूसरे बैंकों से अधिक है । आज किसान जो पसीना बहाता है, वह बड़े लोगों से कहीं ज्यादा ईमानदार है ।

यह सभी को मालूम है कि तकरीबन 16 साल के बाद हमने समितियों के चुनाव कराये हैं और चुनाव की प्रक्रिया चालू है, कल भी चुनाव होने जा रहा है । आपको यह भी मालूम है कि हमारी सरकार से पहले एक सरकार थी, जिसने सरकार का ज्यादा से अपना बर्चस्व बनाने के लिये नामित सदस्यों की संख्या दो कर दी थी, हमारी सरकार ने उसे घटा कर 1 कर दिया है । हम यह चाहते हैं कि इसमें जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो । मैं इन चीजों से हट कर एक नई समस्या की ओर आना चाहता हूं और उसमें आपका सहयोग भी चाहता हूं ।

आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में हमारे और पी० सी० एफ० के द्वारा चलाये जाने वाले कोल्ड स्टोरेज की बड़ी तादाद है, उसमें 70 प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं, जो बन्द हैं, शायद ही एक ऐसा कोल्ड स्टोरेज हो, जो चल रहा हो और फायदे में हो, नुकसान में न हो, बाकी सारे कोल्ड स्टोरेज घाटे में हैं, ऐसे कामों को छोड़ देना चाहिए, मुझे इस बात पर शर्मिंदगी है और अफसोस है कि सहकारिता विभाग में या पी० सी० एफ० में या दूसरी जो अपेक्स बाडी है, उन्हें अपने नाम को डुबोना नहीं चाहिए था । अगर एक कोल्ड स्टोरेज में कामयाबी नहीं हुई थी, तो दूसरे कोल्ड स्टोरेज को नहीं बनाना चाहिए था, उन फैक्टरियों को नहीं लगाना चाहिए, जिनमें घाटा हुआ हो और ऐसे गोदामों को नहीं बनाना चाहिए था जहां पर कोई कामयाबी न मिली हो, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं पर कोई कमी जरूर है और किसान और मजदूर की गाढ़ी कमाई को लुटाया गया हो । मैं चाहता हूं कि बन्द कोल्ड स्टोरेज को चलाया जाये, बन्द फैक्टरियों को चलाया जाय और गोदामों को चलाया जाय । अगर उनको बेचा जा सकता है या लीज पर दिया जा सकता है, तो दिया जाये । मैं इनको बेचने के पक्ष में नहीं हूं और इस संबंध में एक व्यवस्था करना चाहता हूं कि जो नवयुवक बेकार हैं और बेरोजगार हैं, उनको नो प्राफिट नो लास पर चलाने के लिये दे दिया जाये, जिससे हमारी जो अरबों की सम्पत्ति बरबाद हो रही है, जो सामान चोरी हो रहा है, जो इमारत बरबाद हो रही है, जो इमारत गिर रही है और जिसके कारण किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, उसको बचाया जा सके और किसानों का जो प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लायटेशन करता है, उससे उसको बचाया जा सके । जो उपभोक्ता भण्डार हैं, वहां पर सामान बरबाद होता है, नेशनल लास किया और नेशनल प्रापर्टी को बरबाद किया है, उनकी सामान के प्रति क्या वफादारी है, यहां पर अच्छे स्तर का सामान नहीं खरीदा जाता है, अच्छे स्तर की कोई चीज नहीं होती है, मान्यवर, इस सबका कारण यह है कि 1947 के बाद से जब से सरकारें बनी हैं, उनका जो सिस्टम था वह करप्ट था और बेईमानों को छूट देने के बहुत से प्राविधान थे । इस संबंध में हमने कोशिश की है और 15 अधिकारियों की स्क्रीनिंग की गयी है और उनको नौकरी से बाहर निकाला गया है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कोल्ड स्टोरेज, जो फैक्टरियां और जो गोडाउन घाटे पर

चल रहे हैं, उनको बरबाद नहीं होने दिया जायेगा । हम कोल्ड स्टोरेज को बेरोजगार नवयुवकों को चलाने के लिये देंगे । उपभोक्ता भण्डारों में जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे और वहां पर अच्छा सामान रखने का प्रयास करेंगे ।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एल० डी० बी० बैंक हैं वह घाटे में नहीं हैं, नफे में हैं, अगर आप कहें तो मैं आंकड़े दे सकता हूं । मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिन बैंकों में यह कह दिया जाता है कि वह घाटे में हैं, तो मैं बताना चाहता हूं वहां पर गबन है । मैं गाजियाबाद और मेरठ गया तो देखा कि 200 केसेज ऐसे हैं जहां पर गबन है और उनकी एफ० आई० आर० हुई है और उनमें 20 प्रतिशत ऐसे मामले हैं, जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लग गयी है । सहकारिता आन्दोलन में उंगली उठायी जाती है । यह ऐसा विभाग है जिसकी अच्छाइयां जनता में हैं जिसकी बुराइयां जनता में हैं । आपने ऊर्जा विभाग की बुराइयां इस सदन में रखी लेकिन हो सकता है कि जो कुछ भी आपने आंखों से देखा हो वह बहुत कम हो । आप दूसरे विभागों की बुराइयां इस सदन में रखते हैं लेकिन हो सकता है कि वह बहुत कम हो, इसी तरह से उनकी अच्छाइयां भी बहुत कम रखते हैं । उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि चूंकि यह जनता का विभाग है, जनान्दोलन है, इसकी कमियां हर एक के सामने है, हर किसान के सामने है, सबके सामने है इसलिये इन कर्मियों को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाने का काम करते हैं । इन्हीं अल्फाज के साथ और उम्मीद के साथ सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने में ज्यादा से ज्यादा और सहयोग करेंगे ।

मुस्लिम वक्फ के बारे में इतना ही कहूंगा कि 16 साल से वक्फ बोर्ड के कंट्रोलर की हैसियत से ऐसे शख्स ने कब्जा कर रखा है, सेक्रेट्री ने कब्जा ले रखा है जो रिटायर्ड आई० ए० एस० है । मान्यवर, सन् 80 से मैं इस सदन में हूं और इसके अलावा छात्र जीवन से किसी आई० ए० एस० अधिकारी को इतना घटिया स्तर पर गिरते हुए नहीं देखा जितने घटिया स्तर पर उसको मैंने देखा है । अरबों रुपये की जायदाद उसकी जमीन ट्रांसफर की गयी और सहारनपुर की ईदगाह तक को, मान्यवर, मुखतलिफ मामलों पर शरियत पर बहस चलती है, तलाक कैसे दी जायेगी शादियां कितनी होंगी, कितनी नहीं होंगी, ईदगाह कैसी होगी, मस्जिद कैसी होगी, बाबरी मस्जिद कैसी होगी, मथुरा की कृष्ण जन्म भूमि कैसी होगी ? लेकिन मुझे शर्म आती है कि जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड ईदगाह को बेचने का काम करता है । जो वक्फ बोर्ड ही ईदगाह को बेचने का काम करे जो जाहिर है कि मुझे कुछ कहने के लिये नहीं रह जाता है । मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन जाहिर है कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगन आदेश मिल जायेगा तो हमारे हाथ बंध जाते हैं और इसने 3-3 स्टे आर्डर ले रखे हैं । हम अपने लिये कोई सुधार नहीं ला सकते हैं हमने एक अध्यादेश किया था लेकिन उसको भी खारिज करा दिया गया । मैं यह चाहता हूं कि वक्फ की जायदाद कोई बरबाद न कर सके क्योंकि वक्फ की जायदाद न किसी हिन्दू की है न मुसलमान की है बल्कि यह अरबों रुपये की जायदाद मादरेवतन की जायदाद है । इसमें किसी वर्ग विशेष का नुकसान नहीं होगा बल्कि यह हिन्दुस्तान की अपनी जायदाद का नुकसान होगा जिसको यह बरबाद करने पर तुला हुआ है इसको रोकने की कोशिश की जायेगी । इन इल्फाज के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मलिक साहब से कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल नहीं देंगे और इस बजट को पारित करायेंगे ।

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मुझे आज ही सूचना मिली माननीय नेता जनता दल को कि कटौती का प्रस्ताव मुझे रखना है । माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया, यह सही है कि मैं सहकारिता का पंडित तो नहीं हूं । माननीय मंत्री जी ने जो बोला यह सही भी है कि सहकारिता विभाग सहकारिता आन्दोलन के जरिये चलता है । मुझे यह लग रहा है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं कटौती पर ज्यादा बल न दूं । सच्चाई यह है कि कटौती की आवश्यकता खुद स्वीकार की है खुद स्वीकारा भी है मैं इसके लिये बधाई दूंगा । उन्होंने विभाग में फैले भ्रष्टाचार को समझा है तथा इस संबंध में अपनी जिज्ञासा व इच्छा शक्ति दिखायी है । सहकारिता विभाग सहकारिता आन्दोलन के जरिये चलता है जिससे जनता को जुड़ना चाहिए था । लेकिन सहकारिता आन्दोलन के जरिये आज काम नहीं हो रहा है । सहकारिता विभाग में आज पेशेवर माफिया काम कर रहे हैं । सहकारिता विभाग आज कुछ लोगों की कठपुतली बन कर रह गया है । वे लोग चुनाव से लेकर बड़े-बड़े संगठनात्मक कार्यों में अपने हिसाब से धांधली करते हैं ।

माननीय मंत्री जी ने सरकारी नियंत्रण कम करने की बात कही है । 20 हजार की ए० श्रेणी के चुनाव जो थे वह प्रबन्धतंत्र के चुनाव जिलाधिकारी की उपस्थिति में हो जाता था । अब नया प्रस्ताव आया है उसके तहत अब सारे चुनाव के अधिकार रजिस्ट्रार को दे दिये जा रहे हैं । रजिस्ट्रार किस तरीके से चुनाव करा पायेंगे । मैं परसों ही भ्रष्टाचार का मुजफ्फरनगर का मामला लाया था माननीय मंत्री जी ने जांच करायी और चुनाव स्थगित कर दिये । परन्तु क्या पूरे प्रदेश में इस प्रकार हो पायेगा कितने जन प्रतिनिधि माननीय मंत्री जी से मिल पायेंगे । आप इस पर पुनर्विचार कर लें, प्रबन्ध तंत्र के चुनाव से पहले व्यवस्था थी उसको इसी प्रकार रखने का काम करें । यह भी देख लें कि आपके ए० आर०, डी० आर० कोआपरेटिव हर जगह राजनीति कर रहे हैं । बकायदा यह लोग मिलकर चुनाव में सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं पूरे प्रदेश में । ए० आर० डी० आर० मथुरा का मामला आपके सामने आया और सब जगह का आपके सामने है मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे से ज्यादा बेहतर जानकारी आपको है । हर जगह वे राजनीति में हिस्सा ले रहो हैं । जिस प्रकार से सामान्य निर्वाचन में अधिकारियों प्रशासनिक तंत्र पर राजनीति में हिस्सा लेना प्रतिबंधित है इसमें भी आप प्रतिबंधित करेंगे इसमें अंकुश लगाने का काम करेंगे । समिति पर प्रशासक न बैठाने की बात स्वीकार की गयी है मैं बधाई दूंगा मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया यह भी देख लें कि यदि इन समितियों में 5 साल में चुनाव की जो बात है, कहीं लूट का परमिट न मिल जाय । ए० आर० कोआपरेटिव से मिलकर के छोटे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकारियों से मिलकर के डी० आर० के संरक्षण में इन समिति में जो सहकारी माफिया बैठे हुए हैं आप जांच करा लें। बुकेलेट जो बटी है उसमें जितने भ्रष्टाचार की बात कही है ताज्जुब होता है देखकर कि तैंतीस सौ कुछ लाख रुपये की गबन की बात स्वीकार की गयी है। इतनी गबन की धनराशि ऐसी है जो जानकारी हो गयी होगी 50 प्रतिशत जानकारी हो गयी तो भी कितने लाख रुपये का गबन हुआ। इन अधिकारियों की तथाकथित जनता के जो लोग हैं उनकी शह पर यह काम हुआ है। निश्चित रूप से स्वीकार किया है चोरी के नाम पर गबन होता है वह इनकी देन ही होती है। बैंकों की बात कही गयी, यह बात आयी कि आपके बैंकों का फैलाव ज्यादा है। सच्चाई यह है कि जिला सहकारी बैंक जो आपके हैं इनका फैलाव और हो सकता है थोड़ी प्रक्रिया सरल कर दें ज्यादा दूरदराज के ग्रामों में जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है गांव के लोगों को बैंकिंग का लाभ पहुंच जायेगा और जनता का बैंक जनता के लिये रह पायेगा। आप प्रेक्टिकल आदमी हैं।

(इस समय 7 बजकर 39 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार के हामी नहीं हैं। जब आप लेबर में थे तो आपने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ठीक कर दिया था। अब आप सहकारिता में आ गये हो तो इन सहकारिता माफियाओं को भी ठीक करें। अब यह भी देखें कि जितनी दरख्वास्तें आती हैं उनमें कितनों का डिस्पोजल होता है और कितने दिनों में होता है। जो बैंक के अधिकारी लोग हैं, और जो हमारे बीच के लोग हैं जो प्रबन्ध तंत्र में हैं जो प्रबन्धक हैं, जो चेयरमैन बन गये हैं वह लोग भी इसमें काफी पैसा लेते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप कृपया ऐसी व्यवस्था करें, मैं जनप्रतिनिधियों को चुनौती नहीं देना चाहता हूं, यह गरीब आदमियों का मामला है, किसानों का मामला है, उनकी नियमित इन्सपेक्शन की व्यवस्था करें जिससे यह कारगर हो और गरीब आदमी को राहत मिल सके।

मान्यवर, दो प्रतिशत कमीशन की बात आपने कही। आपने रिकवरी भी अपनी 70–80 फीसदी बतायी। आप इस बात को स्वीकार कर लें कि बैंक में पूंजीपतियों का काम नहीं होता है क्योंकि उनकी नीयत पैसा वापस करने की होती है। लेकिन जो 20, 30 प्रतिशत बचते हैं उनको दस प्रतिशत की फर्जी लोनिंग होती है उसके कारण से पैसा वापस नहीं होता है तो इसको भी आपको देखने की आवश्यकता है। मान्यवर, अब चुनाव आ गये। आपने कहा कि आप अच्छे तरीके से और सुनियोजित तरीके से चुनाव करायेंगे लेकिन जो सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं वे आपकी इस योजना में पानी भरने का प्रयास कर रहे हैं। कहां कांस्टीट्यूऐंसी बनायें और कितना रिजरवेशन देंगे। पहले यह होता था कि अनुसूचित जाति के लोगों को इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था, अब आपने महिलाओं के लिये और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये रिजरवेशन कर दिया है, जो चुनाव अधिकारी होता था वह अपने हिसाब से सहकारिता माफियाओं से मिलकर धांधली करता था। यह नहीं होना चाहिए। यह रोटेशन से होना चाहिए। पहले यह होता था कि दो विकास खण्ड को मिलाकर आप एक कांस्टीट्यूऐंसी बना देते थे जिससे दो प्रतिनिधि चुनकर आ जाते थे। मगर होना यह चाहिए कि एक विकास खण्ड की एक कांस्टीट्यूऐंसी बनायी जाये। या तो आप पूरे जिले का एक साथ करवा दें या फिर अलग-अलग करवायें और जो पावर उनको दी गयी हैं उनको भी देख लें। मान्यवर, नामित सदस्यों की बात आयी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस संबंध में पुनर्विचार कर लें। आपने एक नामित सदस्य कर दिया आपकी चाहें जो भी मंशा रही होगी लेकिन कुछ लोग सहकारिता पर कब्जा करना

चाहते हैं। मान्यवर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सहकारिता माफियाओं के कारण जो इस पर अपना कब्जा जमाये रखना चाहते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसे लोग जो सहकारिता के जनक हैं, जो सहकारिता आन्दोलन से जुड़े हुए लोग हैं वह वंचित रह जाते हैं तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे कृपया इस संबंध में पुनर्विचार कर लें और नामित सदस्य दो रखे जायें अगर संख्या बढ़ा दी जाये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे। मान्यवर, पी० सी० एफ० का मामला है यह पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि आप इसे दिखवा लें। उदाहरण के तौर पर मेरे अपने क्षेत्र मुजफ्फरनगर का मामला ले लीजिये। मान्यवर, पी० सी० एफ० और डी० सी० एफ० दो संस्था है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के किसी जनपद की जांच करा लीजिये। दोनों संस्थाओं में जो उर्वरक जाता है, उसका वह काम करता है। मेरी निश्चित जानकारी है कि दोनों के रेट्स इस मामले में भिन्न-भिन्न हैं। उसी जिले में, उसी दूरी के लिये, दोनों के दामों में अन्तर है। यही नहीं, आपकी जो खाद प्लेटफार्म पर उतरती है, उसको सीधे ट्रक पर लोड कर दिया जाता है। जबकि उसे 6 बार लोड-अनलोड दिखाया जाता है। पहले ट्रेन से वैगन से उतरा, फिर ट्रक पर रखा, उसके बाद सोसायटी के प्लेटफार्म पर रखा, फिर गोडाउन पर, उसके बाद फिर प्लेटफार्म पर और फिर सोसायटी में दिखाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि ट्रक सीधा वैगन से लदता है और यह बीच का कहां जाता है, यह मान्यवर, डी० सी० एफ० में जाता है। मान्यवर, जो मजदूर मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, उसके नाम पर लाखों-लाख रुपये प्रत्येक जनपद में इस प्रदेश में करोड़ों इस सहकारिता आन्दोलन के लोग खा जाते हैं, उनके सचिव खा जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो हैं, सहकारिता के ए० आर० जो हैं, वह खा जाते हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि किसी भी बिन्दु पर माननीय मंत्री जी इसकी जां करा लें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

मान्यवर, 25 जनवरी को माननीय मंत्री जी हमारे मुजफ्फरनगर गये थे, वहां हमारे जिले में 22 तारीख को एक मीटिंग हुई और श्री मुनव्वर हसन साहब ने एक प्रस्ताव रखा, जो आपकी पार्टी में चले गये हैं, हमारी तरफ रहते, तो उन्हें फायदा होता। तो मान्यवर, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सी० डी० एफ० और डी० सी० एफ० की जांच कराई जाय, मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बावजूद भी आज तक विजिलेंस की जांच नहीं हो पाई।

श्री अध्यक्ष–

श्री हरेन्द्र सिंह जी, कुछ सुझाव भी तो दें।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, एक बात आपकी जानकारी में और लाना चाहूंगा कि चुनाव से पहले काफी ए० आर० के ट्रांसफर हो गये, आप अवश्य दिखवा लें। आपके रजिस्ट्रार की मंशा भी बहुत अच्छी प्रदेश के लोगों में नहीं है, नहीं जन-प्रतिनिधियों में है। मेरा मानना है कि आपके रजिस्ट्रार बहुत भ्रष्ट हैं। मैं आप जैसे सख्त और ईमानदार मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री में हाथ धोने वाले नहीं हैं और न ही उस धारा में मिलने वाले हैं, आप तो इसके विरोधी हैं तो इस पर भी नियंत्रण करने का काम करें और भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित करने का काम करें।

मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज के संबंध में आपने जो नीति बनायी है, उसका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोल्ड स्टोरेज सहकारिता के लिये जो सफेद हाथी बने हुए हैं, जो माफियाओं की कमाई का साधन बने हुए थे, अब निश्चित रूप से बेरोजगारी को दूर करने में सहायक होंगे और जो इनमें अनावश्यक खर्च था, वह अब अवश्य कम होगा। लेकिन एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि इसकी मानीटरिंग अवश्य होती रहे, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि कोल्ड स्टोरेज की मशीन बेचकर लोग एयरकंडीशनिंग न शुरू कर दें, इस पर आप अवश्य ध्यान देंगे। इसी तरह, मान्यवर, जो कन्ज्यूमर स्टोर हैं, उस पर क्या कहूं, सहकारिता के जो माफिया हैं, उनमें से कुछ को तो हार्टअटैक हो जायेगा। जगह-जगह पर फर्जी सोसाइटियां बनायी गयी हैं। जब फर्जी सोसाइटियां बनेंगी और एक-एक आदमी 7-7 आदमियों के हिसाब से 14 प्रतिनिधि बना लेगा तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी, इसलिये जरूरी है कि इसका फिजिकल वेरीफिकेशन भी आप करायें। बिना फिजिकल वेरीफिकेशन के काम चलने वाला नहीं है। मान्यवर, कुछ जगह चुनाव हुए और अपने चाचा-भतीजा, फूफा, ताऊ को बना दिया, यह प्रथा आपको समाप्त करनी होगी, अगर आप इस संबंध में एक एक बार सख्ती बरत देंगे तो लोगों के दिमाग अवश्य ठीक हो जायेंगे।

मान्यवर, मुस्लिम वक्फ की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुस्लिम वक्फ में मैं 85 से माननीय मंत्री जी के साथ बैठता रहा हूं। मैं इस बात को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटूंगा कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, आपने निश्चित रूप से इस सम्मानित सदन में इस बात को स्वीकार किया है, यह आपके बड़प्पन का सबूत है और इसमें हमारे लोगों को कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी सहकारिता विभाग पर उसी प्रकार बोल रहे हैं जैसे रात में बच्चे को कहानी सुनायी जाती है, उसी प्रकार से कहानी सुना रहे हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कभी-कभी बुजुर्ग बच्चों को शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं, लेकिन वह बच्चे जिनकी समझ में नहीं आती है वह कम अक्ल के होते हैं। माननीय ओम प्रकाश जी हमारे छोटे भाई हैं, यह सोते रहे इसलिये कुछ इनके समझ में नहीं आया।

श्री बाबू राम वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता के बजट का समर्थन करता हूं। सहकारिता विभाग में चुनाव कराने के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ जगह अभी चुनाव कराने शेष हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन चुनावों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं लेकिन वह गड़बड़ियां माननीय मंत्री जी के शासन काल की नहीं हैं, वह बहुत पहले से हैं और फर्जी सोसाइटियां गठित हैं जो एक तरह से जनता के शोषण के रूप में कार्य करती चली आ रही हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इन सोसाइटियों के चुनाव में प्रशासकों का खात्मा हुआ है। मान्यवर, हमारे जनपद में मा० मुलायम सिंह यादव के पिछले शासन काल में जो 10 हजार रुपये के कर्ज माफी की योजना थी वह सहकारिता विभाग में पूर्ण रूप से लागू हुई थी। मेरे बस्ती जिले के सभी साधन

सहकारी समितियां कर्जे से मुक्त हो गयी थी और एक आशा जगी थी कि यह समिति अब अपना कार्य करेंगी । परन्तु इस चुनाव में मालूम हुआ कि सारा कर्जा जो 10 हजार रुपये की माफी का था वह सारी समितियां तीन साल के अन्दर जितना पहले कर्जदार थी उससे भी ज्यादा कर्जदार हो गयी हैं । आज नतीजा यह है कि हमारे बस्ती जनपद में मुश्किल से 40–50 साधन सहकारी समिति हैं जो चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, बाकी की बाकी समितियां चुनावों से अलग कर दी गयी हैं । आज साधन सहकारी समितियों में जो भ्रष्टाचार है वह सचिवों के माध्यम से अधिक है, सचिव एक ऐसी ताकत है जिससे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं है । सचिव जो हैं, वह फर्जी कर्जा निकालने, फर्जी तौर पर कर्ज वसूल करके जमा करके और हजारों नहीं लाखों रुपये का बकाया गबन करने में शरीक हैं । उनको निलम्बित करके उनको हटा दिया जाता है लेकिन दो-तीन साल के अन्दर फिर एक समिति पा जाते हैं और उस समिति पर भी लाखों रुपये का घोटाला करते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कोई अंकुश इन सचिवों पर लगायें जिससे किसानों के नाम से फर्जी कर्ज निकालने या कर्ज अदायगी जो होती है वह उस कर्जे को दो गुना बढ़ा देते हैं । यह सारे दोष हैं, शायद माननीय मंत्री जी भी जानते हैं, इनको दूर करने के लिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं । साथ-साथ उनके स्थानान्तरण की नीति सरकार को बनानी चाहिए और स्थानान्तरण एक जिले से बाहर हो, प्रतिबद्धता कम हो जाय, सचिवों का स्थानान्तरण जिले से बाहर अवश्य किया जाय । सहकारी साधन समितियों के माध्यम से किसानों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, इस तरह से दूर किया जा सकता है । आखिर में मैं सहकारिता के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप पुराने सदस्य हैं, दो बातों पर सलाह दीजिये, अपनी राय दे दीजिये । क्या कोई ऐसा उपाय है कि ब्याज की दर में कमी हो जाय और फर्जी ट्रांसफर इण्ट्री पर रोक लगा दी जाय ?

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय बाबूराम जी भी कुछ कहने के लिये बैठे हैं, यह सुनकर ही रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, मैं सुझाव देना चाहता हूं और आपने एक नयी बात कही है, मुझे याद है, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कटौती का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

सजेशन बाद में दीजियेगा ।

श्री किरनपाल सिंह–

जब श्री वासुदेव जी इस प्रदेश के मंत्री थे, बजट पेश करके सहकारिता विभाग की सभी मदों पर बोलते-बोलते सारे सदन से निवेदन किया था, निवेदन कर कहा था कि सहकारिता विभाग में सचिव एक ऐसा जन्तु होता है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, सारा सदन मिलकर इस सचिव का इलाज ढूंढे, जिससे मैं इसका इलाज कर सकता हूं, इसमें जो सबसे छोटे स्तर का कर्मचारी है, वह भी सचिव के ही चंगुल में है, इस विभाग में बुराइयां ही बुराइयां हैं, सचिव इस विभाग की बुराइयों का वारिश है, जन्मदाता है और वही मालिक भी है, जो आपने कहा है कि फर्जी ट्रांसफर इण्ट्री के संबंध में, मैं समझता

हूं कि फर्जी ट्रान्सफर इन्ट्री किसी भी सूरत में पूरी तरह से नहीं रुक सकती है । वहां पर सभी काम ही फर्जी होते हैं, एक सदस्य ने अभी बोलते हुए कहा था कि इन सचिवों का ट्रांसफर एक जनपद से दूसरे जनपद से किया जाय, मैं भी इसका समर्थक हूं, क्योंकि जो सचिव हैं, वह वहीं के रहने वाले हैं, वहीं खाने वाले हैं, वहीं पीने वाले हैं, और यह जैसे दाई होती है वह औरत के बारे में सभी तरीके से वाकिफ होती है, इसी तरह से सचिव को उस क्षेत्र की पूरी जानकारी रहती है कि कौन व्यक्ति कैसा है, यह पार्टी कितनी दबंग है, कौन आदमी गरीब है और कौन कमजोर है और किस तरह फर्जी इण्ट्री करके कर्जा चढ़ा सकता है । आप भी विद्वान हैं, आप भी जानते हैं कोआपरेटिव के बारे में, सुझाव यह था और और मैं इसीलिये खड़ा हुआ था कि माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी से खुद इस विभाग को मांग कर लिया है ताकि सहकारिता विभाग के बारे में जो खामियां हैं उनको दूर करने तथा सहकारिता आन्दोलन की मंशा या उद्देश्य है, वह मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में वह दूर नहीं हो रहा है । हमारे प्रदेश के मुकाबले अन्य प्रदेश में काफी हद तक इसमें बेहतर सुधार हुए हैं, इस समय विरोध पक्ष के कम सदस्य हैं, सारे सत्ता पक्ष के सदस्य बैठे हैं । नेकनीयता और ईमानदारी पर मैं समझता हूं कि हमारी बातों को सुना जाता है और हम उनसे वार्ता भी करते हैं, दल के लोगों से वार्ता करते होंगे, जो भी माननीय सदस्य सहकारिता विभाग के संबंध में अपने सुझाव देना चाहे वह माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दे, उसमें माननीय मंत्री जी विचार करेंगे, और उन सुझाव पर विचार करके जो मांगें लागू करना चाहें वह करें और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि धनराशि को आवंटित कराकर सहकारिता का बजट पास कराने का कष्ट करें ।

* श्री सफदर रजा खां–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । एक-दो बातें मैं कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी की नीयत पर कोई शक नहीं है । मंत्री जी ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो कंट्रोलर है वह बहुत भ्रष्ट है । आप उसे हटाना भी चाहते हैं । शिया वक्फ बोर्ड में आपने नवम्बर, 1990 में एक कंट्रोलर नियुक्त किया था, जो बहुत ही भ्रष्ट है । उस समय हाईकोर्ट ने 20 साल पहले जो रोक लगायी थी और दिसम्बर, 1989 में वह सारी रोक हटा दी गयी थी । उस समय कोर्ट के निर्णय को तसलीम करने के बजाय एक कंट्रोलर नियुक्त कर दिया गया । आज शिया वक्फ बोर्ड के आफिस में 70-70 व 80-80 साल के बुड्ढे काम कर रहे हैं । जबकि शासन व प्रशासन का कोई ऐसा नियम नहीं है कि जहां पर इतने ज्यादा वर्ष के लोग काम करें । कंट्रोलर ने अपने सगे-संबंधियों को नौकरी दे रखी है और पुराने लोगों को निलम्बित कर उन्हें उत्पीड़ित किया है, जिसके कारण 8-8 व 10-10 रिटे वक्फ के खिलाफ कोर्ट में पड़ी हुई हैं, जिन पर वक्फ का पैसा खर्च हो रहा है । वक्फ के जायदाद को बेचा जा रहा है शिया वक्फ में कानून नियम का नहीं कंट्रोलर का मनमानी राज चल रहा है । इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कंट्रोलर को हटायेंगे और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिये अच्छे कदम उठायेंगे । जन अपेक्षाओं को देखकर कंट्रोलर को बरखास्त कर वक्फ बोर्ड की तस्कील करेंगे तथा अनियमितताओं की जांच करायेंगे । इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं । सदन को धन्यवाद देता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी ने वास्तविकता को स्वीकार किया है और कुछ अच्छी बातें भी बजट में आयी हैं। समितियों के चुनाव में प्रशासक को नियुक्त न करना और लोक सभा तथा विधान सभा की तरह उनका कार्यकाल, जिला स्तर पर सहकारी बैंक में पांच वर्ष का किया गया है, वहीं पर मेरी समझ से एक बात रह गयी है वह यह है कि जिला सहकारी बैंक में दो बार लगातार जो संचालक चुना जाता है, उन्हें तीसरी बार मौका नहीं दिया जाता है, जबकि विधान सभा व लोक सभा में इस तरह की कोई परम्परा नहीं है। ठीक उसी तरह से जिला सहकारी बैंक में भी किसी कर्मचारी का यदि पिता या पुत्र या इस तरह का संबंधी हैं उन्हें संचालक होने का अवसर नहीं दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी मंत्री जी थोड़ा छूट दें। कोई भी चेयरमैन या संचालक रहता है उसका संबंधी नियुक्त नहीं होता है तो इसमें थोड़ी छूट वह दें। इसके साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना भाषण दें। (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण देंगे। (व्यवधान)

* श्री राम अधार यादव–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। मेरा गोरखपुर जनपद से महराजगंज जनपद बने हुए 5 साल हो गये हैं परन्तु अभी तक वहां अलग से सहकारी बैंक नहीं हुआ है जिसके कारण महराजगंज के किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। इसे तत्काल अलग कराया जाय तभी चुनाव कराये जायं।

दूसरा एक दोष यह देखा गया है कि सहकारी अमीन किसानों से पैसा लेते हैं और रसीद भी दे देते हैं लेकिन पैसा उसके खाते में जमा नहीं होता है और अमीन बाद में किसी न किसी तरह से पैसे को खा जाता है और किसान रसीद लेकर घूमता फिरता रहता है, रसीद की पोस्टिंग नहीं होती है जिससे देनदारी ज्यों की त्यों बनी रहती है।

श्री अध्यक्ष–

वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए था लेकिन जनता के राहत की बात है, किसी माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया। थोड़ा सा देख लीजियेगा अपने बजट में रिजर्व बैंक शीर्ष बैंकों की कितने प्रतिशत ब्याज पर पैसा देता है और शीर्ष बैंक कोआपरेटिव बैंकों को या सोसायटीज कितने प्रतिशत पर देती है। क्या इसमें कोई सामंजस्य हो सकता है और ब्याज की दरें कुछ कम की जा सकती हैं या नहीं? आप बहुत ही जानकार मंत्री हैं, छानबीन करने वाले मंत्री हैं। कुछ राहत हो जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं समझता हूं जिस तरफ आपने निशानदेही की है। आपके निर्देश हैं इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि माननीय हरेन्द्र सिंह साहब का और सत्ता और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने अच्छे सुझाव दिये हैं। मान्यवर, मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि सहकारी बैंकों के कर्जे देने के बारे में जिक्र किया गया तो किसान कर्जा वापस करना चाहता है, उसकी नीयत होती है कि वापस करे और मैं पहले ही मान चुका हूं कि किसान ईमानदार है, इसलिये वह वापस करता है। इसलिये सहकारिता आन्दोलन आगे बढ़ेगा।

अल्पकालीन ऋण वितरण में सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 1993-94 में 750 करोड़ रु० अल्पकालीन ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 751.13 करोड़ रु० 49.52 लाख सदस्यों को ऋण वितरित किया गया, जो गत वर्ष 744.68 करोड़ रु० के वितरित ऋण से अधिक है और 416.73 करोड़ रु० कुल वितरित ऋण में से निर्बल वर्ग के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ उक्त अवधि में कुल वितरित अल्पकालीन ऋण में से 6.98 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को 71.88 करोड़ रु० अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया। वर्ष 1994-95 में 950 करोड़ रु० अल्पकालीन ऋण के रूप में वितरित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इस प्रकार हमने लक्ष्य बढ़ाया है जिससे सहकारिता आन्दोलन आगे बढ़े।

मान्यवर, जहां तक चुनाव के संबंध में श्री हरेन्द्र सिंह मलिक ने जो कहा है, तो वह अपने यहां के भुक्तभोगी हैं और वह चीज सभी जगह है। ए० आर० और डी० आर० के संबंध में जो शिकायत किया है तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि थोड़ा समय और देंगे तो उन्हें सुधारने की कोशिश की जायेगी। मान्यवर, पिछले दिनों में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुए लेकिन समझा गया कि ट्रांसफर कोई सजा नहीं है, इसलिये इसमें सुधार की जरूरत है।

मान्यवर, पी० सी० एफ० और सहकारिता की इमारतें देखकर लगता है कि सारा हिन्दुस्तान किसानों का है। लेकिन जब इमारतों के बीच में जाएं तो ताज्जुब होगा कि किसानों के नाम पर जो इमारते हैं वह उनकी सुविधाओं के लिये नहीं हैं। इसलिये इसमें बदलाव के लिये ६ महीने का समय कम है और कोशिश में लगे हैं कि जो इसमें कमियां हैं और जो भ्रष्टाचार है वह दूर हो और इस पर ध्यान देने के लिये कहा गया है।

मान्यवर, हमारे विपक्षी सदस्यों ने शिया और सुन्नी वक्फ में जो खामियां हैं उनके संबंध में कहा, तो मैं बताना चाहता हूं कि इन दोनों के बोर्डों का पुनर्गठन होना चाहिए। यह लोग अपनी-अपनी कुर्सियों पर अदालत के जरिये जमे हुए हैं और एक-एक कंट्रोलर 18–20 हजार रुपये डा कर रहे हैं। मान्यवर, इसके पहले हमने सुन्नी बोर्ड के सचिव को हटाया था लेकिन जब दूसरी सरकार आयी तो भ्रष्ट कंट्रोलर ने पुराने सचिव को दुबारा नौकरी में ले लिया और बकाया डेढ़ साल का वेतन भी दिया और कहा कि उसे गलत निकाला गया था और उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, इसलिये डेढ़ साल का वेतन दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसकी एफ० आई० आर० दर्ज कराई जाए तो वह जेल के अन्दर हो सकते हैं। मान्यवर, मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि लखनऊ में शिया वक्फ की बहुत जायदादें हैं जिनकी कीमत में एक नया लखनऊ बसा सकते हैं। लेकिन उनका जबरदस्त मिस्मैनेजमेंट हो रहा है, उनकी सम्पत्ति पर और भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। हमने एक सोसाइटी को इसकी एक जमीन दी है, कल उसका मा० मुख्य मंत्री जी शिलान्यास करने जा रहे हैं। जब यह जमीन हमने शिया कम्युनिटी

को दी थी तो यहां के अखबारों ने यह लिखा था कि इसमें 10 लाख रुपये की हमने रिश्वत ले ली है। खैर यह तो होता रहता है, इससे मेरी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हुसैनाबाद ट्रस्ट की स्कीम को भी रिवाइज किया है और उसके बाद शिया समुदाय को मालूम होगा कि उसकी बेशुमार सम्पत्तियां जिनको उनके लोग बर्बाद कर रहे थे, उसको हमने इससे बचा लिया है। इसके साथ मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आपके सहयोग और समर्थन से ही हमारी यह सरकार चल रही है और यह सरकार तभी चलेगी जब आप इसको अपना समर्थन देंगे। इसलिये मैं अपने दोस्त से भी दरख्वास्त करूंगा कि जिन कमियों की ओर माननीय सदस्यों ने हमारी ध्यान दिलाया है, उनको हम छोड़ने वाले नहीं है, उन कार्यों और सुधारों को हम अवश्य लागू करेंगे और दोषी लोग गिरफ्त से बचने वाले नहीं हैं। आप देखेंगे कि अब बाद में हम अवश्य ऐसे काम करेंगे, जिससे इनकी बुराइयों में कुछ कमी आ सकेगी। इसके साथ ही अब यदि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे तो आपका यह एक ऐतिहासिक कदम होगा और कल हमारे यहां की जनता अखबारों में पढ़ेगी कि सहयोगी सहयोगी ही नहीं रहा बल्कि उसने कन्धा भी दिया है।

श्री अध्यक्ष–

हरेन्द्र सिंह साहब आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मुझे अपेक्षा थी इनके उत्तर भाषण से कि निश्चित रूप से जो दरख्वास्तें हैं ऋण की गरीब किसानों और मजदूरों की उनको डिस्पोज-आफ करवाने के लिये यह कोई समय सीमा निर्धारित कर देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसलिये वापस लेने का सवाल नहीं उठता है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं चाहूंगा कि मैं इस पर पहले नहीं कह सका। मैं इसका परीक्षण कराता हूं और जो ज्यादा से ज्यादा मदद इसमें हो सकती है, इसको करेंगे। मैं एकदम घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप वापस ले लें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं इसे वापस ले लूंगा, यदि इस आदरणीय सदन में वह घोषणा कर दें कि किसान को चार प्रतिशत की दर पर ऋण मिलेगा (व्यवधान) मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,37,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

आप मेरी बात को सुन लीजिये, यहीं पर सुन लीजिये (व्यवधान)

(श्री हरेन्द्र सिंह के साथ ही उनके दूसरे सदस्य भी उनकी बात सुनने के लिये कहने लगे ।)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने वक्फ के मामले में हमारी भावनाओं का सम्मान किया है, इसलिये वक्फ वाले मामले में मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री हरेन्द्र सिंह ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड विभाग के बजट पर रखे कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये प्रस्ताव रखा है । क्या सदन इसके लिये सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25-4-94 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के छटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में है इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । दूसरी सूचना डा० नरेन्द्र सिंह गौर की माध्यमिक शिक्षा

परिषद् इलाहाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में एकत्रित रद्दी के निस्तारण के संबंध में, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । तीसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई जनपद की नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । चौथी सूचना श्री नजमुद्दीन, श्री हीरामणि पटेल की जनपद इलाहाबाद में निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1991 में स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य पूरा न कराये जाने के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । पांचवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा' की वाराणसी नगर में पुराने बिजली के तारों के बरसात के मौसम में अक्सर टूट कर गिरने से जन-धन की क्षति के संबंध में, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम विशुन आजाद की पुलिस पत्रिका के अप्रैल अंक में सम्पादक द्वारा अपने नाम के आगे हरिजन शब्द जोड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । सातवीं सूचना श्री चरन सिंह की स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों को कथित रूप से उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं ।

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

* माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

[मा० सदस्यों ने यह सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के प्रधानाचार्य कर्नल आर० एन० द्विवेदी द्वारा गम्भीर अनियमिततायें की जा रही है वह स्कूल को मनमाने ढंग से चला रहे हैं जब चाहते हैं इसे सरकारी स्कूल की श्रेणी में रखते हैं, जब चाहते हैं कि इसे सोसाइटी का स्कूल बना देते हैं । सैनिक स्कूल में शासन के बजाय उनके अपने नियम कानून लागू होते हैं जिससे वहां के छात्रों एवं कार्यरत कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है । इनके द्वारा स्कूलों के स्कूल सम्पत्ति एवं धन का भी दुरुपयोग किया जा रहा है । तमाम अनियमितताओं एवं नियुक्तियां मनमाने ढंग से की जा रही हैं । विगत दिनों बिना पद सृजन किये जीव विज्ञान अध्यापक को नियुक्त कर लिया । इसी तरह जीव विज्ञान विषय शैक्षिक सत्र की समाप्ति के एक माह पूर्व ही खोला । स्कूल की कार का उपयोग, 8 सरकारी कर्मचारियों को अपने निवास पर रहकर निजी कार्य ले रहे हैं । शिक्षा मंत्री जी के निर्देशों का खुले आम उल्लंघन हो रहा है । इसी तरह ए० के० इलेक्ट्रानिक्स नामक फर्म से सीधे 2 लाख रुपये के बिजली के सामानों की खरीददारी की गयी । सैनिक स्कूल की जमीन बेची जा रही है । छात्रों से ड्रेस के नाम पर 5 हजार रुपये लिये जा रहे हैं । इसी तरह स्कूल में कम्प्यूटर की खरीद एवं यात्रा भत्ता बीजकों में काफी गोलमाल किया गया है । उनकी पदोन्नति हो चुकी है इसके बावजूद प्रधानाचार्य के पद पर बने रहने की कुचेष्टा कर रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की स्थापना दिनांक 15-7-60 को की गयी थी । इसका उद्देश्य प्रदेश के चुने हुए बच्चों को शिक्षा देकर भारतीय सेना में अधिकारी वर्ग में प्रवेश कराने हेतु तैयार करना है । प्रथमतः यह स्कूल राज्य सरकार के अधीन था । मई, 1966 में यह स्कूल रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के अधीन सोसायटी के रूप में पंजीकृत हुई । तब से यह उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल्स सोसायटी द्वारा संचालित है । मा० मुख्य मंत्री जी सोसायटी के पदेन अध्यक्ष हैं तथा मा० शिक्षा मंत्री जी सोसायटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं । इस समय सोसायटी के नियम 3(17) के अनुसार जनरल सेक्रेटरी के पद पर विशेष सचिव, शिक्षा नामित हैं । स्कूल का संचालन राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा स्कूल की आय से होता है । वर्ष 1993-94 में स्कूल का वार्षिक बजट 87,10,551 था । स्कूल के प्रधानाचार्य, रजिस्ट्रार तथा हेडमास्टर के पदों पर भारत सरकार के सैन्य सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का संचालन सैनिक स्कूल सोसायटी के नियमों के अधीन किये जाने की व्यवस्था है । नियमावली में बोर्ड आफ गवर्नर्स तथा स्थानीय प्रशासन समिति के गठन की व्यवस्था है । स्थानीय प्रशासन समिति के अध्यक्ष आयुक्त, लखनऊ मण्डल हैं ।

स्थानीय प्रशासन समिति की बैठक आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में हो रही है । इन बैठकों में स्कूल की प्रबन्ध व्यवस्था को देखा जाता है । शासन के निर्देश तथा सोसायटी के उप नियमों के तहत स्कूल की व्यवस्था संचालित होती है । छात्रों तथा कर्मचारियों की परेशानो का कोई प्रकरण शासन के समक्ष नहीं आया है । स्थानीय प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 20-3-93 तथा 27-8-93 की संस्तुति के आधार पर जीव विज्ञान के अध्यापक की संहत वेतन रुपये 2500/- मासिक पर छात्रों के हित में नियुक्ति की गयी है । पदसृजन का मामला अभी शासन के विचाराधीन है । गणित तथा हिस्ट्री के अध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति दिसम्बर, 1993 में समाप्त कर दी गयी थी, पर छात्रों के अध्ययन के हित में 12-1-94 को संहत वेतन पर 31-3-94 तक के लिये उन्हें पुनः नियुक्त किया गया है । सैनिक स्कूल की जमीन के संबंध में आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के सुझावानुसार परगनाधिकारी स्तर के अधिकारी से जांच कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है । प्रधानाचार्य ने स्टाफ कार का प्रयोग प्रशासकीय कार्य में किया पर प्रदेश के बाहर दिल्ली की यात्रा की अनुमति उन्हें शासन से लेनी चाहिए थी । प्रधानाचार्य द्वारा ए० के० इलेक्ट्रानिक्स से क्रय समिति के माध्यम से किस्तों में बिजली का सामान खरीदा गया है । प्राप्त सूचनानुसार रु० 53,518/- का भुगतान किया गया है ।

छात्रों से रु० 5,000/- की धनराशि अवश्य ली जाती है जिसमें से प्रति छात्र पर लगभग 3,400/- ड्रेस पर, 500/- स्टेशनरी तथा शेष पाकेटमनी के रूप में व्यय होता है । छात्रों को कम्प्यूटर की शिक्षा देने के लिये रु० 2,20,000/- में 5 कम्प्यूटर, 3 प्रिन्टर तथा 1 हार्ड डिस्क नियमानुसार क्रय की गयी है । आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा भी प्रधानाचार्य के यात्रा भत्ता प्रकरण पर जांच की गयी थी और कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

लखनऊ सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य के पद पर सेना के ले० कर्नल स्तर के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लेने का विधान है । वर्तमान प्रधानाचार्य जब इस स्कूल में आये थे तब ले० कर्नल रैंक के ही थे । उनकी पदोन्नति यही पर हुई है । उनके स्थान पर ले० कर्नल स्तर के प्रधानाचार्य को नियुक्त

करने के लिये भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय से तीन अधिकारियों के नाम/बायोडाटा मांगे गये हैं जिसकी प्राप्ति होते ही उपयुक्त व्यक्ति का चयन कर उसके कार्यभार ग्रहण करने पर वर्तमान प्रधानाचार्य को अवमुक्त कर दिया जायेगा ।

प्रधानाचार्य से प्राप्त सूचनानुसार स्कूल का आडिट प्रत्येक वर्ष होता है और 1992-93 तक का आडिट हो चुका है ।]

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के डिप्लोमा इंजीनियरों द्वारा की गयी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

* राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

[ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के डिप्लोमा धारक अवर अभियन्ता अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर दिनांक 5 अप्रैल, 1994 से हड़ताल पर हैं । इन डिप्लोमा धारक अवर अभियन्ताओं की एक सूत्रीय मांग यह है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत अवर अभियन्ता पर खण्ड विकास अधिकारी का प्रशासनिक नियंत्रण कायम किया जाये । एक सूत्रीय मांग को न्यायोचित ठहराने के संबंध में डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ द्वारा उठाये गये बिन्दु इस प्रकार हैं :–

(1) ग्राम सभाओं एवं क्षेत्र समितियों के निर्माण कार्य में अवर अभियन्ताओं द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है अपितु ग्राम सभाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर कुछ जनपदों में ऐसे कार्यों का मूल्यांकन कराने के लिये उन्हें मजबूर किया जा रहा है ।

(2) अवर अभियन्ताओं से लिया जाने वाला गैर तकनीकी कार्य जैसे राशन कार्ड, आई० आर० डी० ऋण का सत्यापन, उनके जाब चार्ट के अनुसार नहीं है ।

(3) खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा बड़ी धनराशियों को अग्रिम के रूप में अवर अभियन्ताओं को दिया जाता है और बाद में इस अग्रिम की धनराशि को व्यय मानते हुए उसके बराबर मापांकन करने के लिये मजबूर किया जाता है ।

(4) चूंकि जिलाधिकारी अवर अभियन्ता के नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हैं, अतः नियमानुसार जिलाधिकारी द्वारा अवर अभियन्ताओं को निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि निलम्बन का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(5) अवर अभियन्ताओं की कुछ समय तक विकास खण्डों में तैनाती होने और कुछ समय विभाग में कार्यरत रहने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निर्वाह निधि लेखा के मिलान करने और कटौतियों का सही हिसाब रखने में कठिनाई होती है ।

(6) विकास खण्डों में उनकी तैनाती को प्रतिनियुक्ति नहीं माना जाता है ।

2–ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का सृजन वर्ष 1972 में किया गया था । तब से लेकर वर्ष 1985 तक विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ता विभागीय अधिकारियों से प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते थे । विकास खण्डों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना/भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्र की निर्माण संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का अधिकाधिक योगदान प्राप्त करने और साथ ही साथ विकास खण्डों तथा क्षेत्र समितियों एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये समुचित तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1985 में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विकास खण्ड में एक अवर अभियन्ता की तैनाती की जायेगी । यह अवर अभियन्ता विकास खण्डों में ही निवास करेंगे और इन पर खण्ड विकास अधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण होगा । इन अवर अभियन्ताओं की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने के लिये खण्ड विकास अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी सहायक अभियन्ता को समीक्षक अधिकारी और जिला विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास)/मुख्य विकास अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त करके अन्तिम स्वीकृति देने हेतु जिलाधिकारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी नियत किया गया । अवर अभियन्ताओं के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति, भ्रमण कार्यक्रम, वेतन आहरण इत्यादि अधिकार भी खण्ड विकास अधिकारियों को दिये गये । जिला स्तर पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के एक सहायक अभियन्ता को इन अवर अभियन्ताओं के कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण करने का दायित्व सौंपा गया ।

3–विकास खण्डों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अवर अभियन्ताओं की तैनाती योगदान तथा उनके प्रशासकीय नियंत्रण के संबंध में दिनांक 23-8-85 को जारी किये गये शासनादेश के क्रम में तकनीकी मार्ग दर्शन देने के संबंध में भी एक अन्य शासनादेश दिनांक 18-12-85 को जारी किया गया । तदन्तर शासनादेश दिनांक 17-10-86 द्वारा अवर अभियन्ताओं की वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने के लिये खण्ड विकास अधिकारियों के साथ-साथ सहायक अभियन्ता को सहप्रतिवेदक तथा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को समीक्षक प्राधिकारी और अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को स्वीकर्ता प्राधिकारी नियुक्त किया गया । उक्त शासनादेश द्वारा अवर अभियन्ताओं को लघु दण्ड देने एवं निलम्बित किये जाने का अधिकार जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को दिया गया ।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ग्राम सभाओं द्वारा व्यय की जा रही धनराशियों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 80% कार्य, इन्द्रा आवास योजना, निर्बल आवास योजना तथा शौचालय निर्माण आदि कार्यक्रम में अवर अभियन्ताओं को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गयी किन्तु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत डी० आर० डी० ए० द्वारा विकास खण्डों को आवंटित की जा रही 20% धनराशि से और पूर्वांचल विकास निधि, 10 लाख कूप योजना इत्यादि के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं उनमें अवर अभियन्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है । मई, 1993 में यह निर्देश दिये गये थे कि

तकनीकी स्वीकृति संबंधित अधिकृत अधिकारियों द्वारा दी जाये । अवर अभियन्ता के कार्य का मापदण्ड तथा उन्हें दी जाने वाली अग्रिम धनराशि की सीमा अवश्य निर्धारित की जा सकती है किन्तु अवर अभियन्ताओं के वेतन आहरण की वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त है क्योंकि इससे उन्हें मुख्यालय पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जिससे उन्हें सुगमता होती है और उनकी उपस्थिति भी सत्यापित करने की समस्या नहीं रहती है । जहां तक जी० पी० एफ० के लेखा जोखा का सम्बन्ध है जिसकी पासबुक जो विभागाध्यक्ष द्वारा मेनटेन की जाती है, के आधार पर मिलान करके इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है ।

डिप्लोमा धारक इंजीनियर्स संघ ने अपनी एक सूत्रीय मांग को स्वीकार कराने के उद्देश्य से दिनांक 22-2-94 को आन्दोलन की सूचना दी थी, जिसमें प्रस्तावित आन्दोलन की रूपरेखा एवं कार्यक्रम निर्धारित किया गया था । अवर अभियन्ताओं के प्रदेश व्यापी आन्दोलन की सूचना के अनुसार दिनांक 5-4-94 से आम हड़ताल, दिनांक 11-4-94 से 16-4-94 तक नींद हराम कार्यक्रम, दिनांक 16-4-94 के पश्चात जेल भरो आन्दोलन तथा आत्मदाह की नोटिस दी गयी थी । संघ के प्रतिनिधियो के साथ दिनांक 5-4-94 को सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने वार्ता किया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है अतः हड़ताल न की जाये किन्तु संघ के पदाधिकारियों ने इस अनुरोध को ठुकराते हुए हड़ताल प्रारम्भ कर दिया । दिनांक 16-4-94 को प्रदेश के कई दैनिक समाचार पत्रों में अपील प्रकाशित करायी गयी और हड़ताली अवर अभियन्ताओं से अपना आन्दोलन समाप्त करते हुए द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान कराने का अनुरोध किया गया किन्तु इसके बावजूद इन अवर अभियन्ताओं ने अपनी हड़ताल वापस नहीं लिया । निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 13-4-94 द्वारा यह अवगत कराया था कि अवर अभियन्ताओं की हड़ताल अनधिकृत है और इसे प्रतिबन्धित करने की कार्यवाही अपेक्षित है ताकि विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । अवर अभियन्ताओं की हड़ताल के कारण विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार दिमांक 18-4-94 को प्रातः 10 बजे डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के लगभग 300 सदस्यों द्वारा गेट नं० 3 के सामने विधान सभा मार्ग पर रास्ता जाम करने और कुछ सदस्यों द्वारा विधान सभा के अन्दर घुसने का भी प्रयास किया गया एवं इस मा० सदन के मा० सदस्यों को अपने दायित्वों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने की कुचेष्टा की जिसे पुलिस बल की मौजूदगी में विफल कर दिया गया । उक्त तिथि को धरना देते हुए तथा उत्तेजनापूर्ण नारेबाजी करके रास्ता जाम करने पर उतारू 283 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा पुलिस लाइन ले जाया गया और निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया । दिनांक 19-4-94 को श्री शिव शंकर सिंह के नेतृत्व में 48 व्यक्तियों को लगभग 12 बजे दिन में विधान सभा के गेट नं० 3 के सामने नारेबाजी तथा रास्ता जाम करने के प्रयास में गिरफ्तार करके अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) के समक्ष पेश किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया । उल्लेखनीय है कि डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ द्वारा दिनांक 17-4-94 तक मांगें पूरी न होने की दशा में 18 अप्रैल, 1994 के बाद किसी भी समय विधान सभा के समक्ष या अन्दर किसी भी स्थान पर किसी भी सदस्य द्वारा आत्मदाह किये जाने एवं मंत्रियों तथा अधिकारियों से लिपटने तथा विधान भवन/एनेक्सी का फर्जी प्रवेश पत्र बना कर प्रवेश करने का

कार्यक्रम भी प्रस्तावित था। इस उद्देश्य से गेट नं० 3 के सामने एक अग्निकुण्ड भी तैयार किया गया था। पुलिस बल ने आत्मदाह हेतु एकत्र की गयी लकड़ियां भी थाना लाकर दाखिल कर लिया है। विधान सभा स्थल पर डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के सदस्यों को आत्मदाह जैसी सनसनीखेज कार्यवाही करने से रोकने, शान्ति व्यवस्था कायम रखने और विधान भवन में जबरन प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से संघ के सदस्यों की गिरफ्तारी की गयी है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सदन द्वारा पंचायती राज विधेयक पर विचार किया जा चुका है जिसमें निहित व्यवस्थाओं के अनुरूप तमाम परिवर्तन करने होंगे और कुछ विभागों के कार्य पंचायती राज संस्थाओं को नई व्यवस्थाओं के अनुरूप दिये जाने होंगे। इस प्रकार से जब तक पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं हो जाता तब तक ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अवर अभियन्ताओं के संबंध में कोई भी ठोस निर्णय लिया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

अवर अभियन्ताओं की एक सूत्रीय मांग औचित्यपूर्ण एवं व्यवहारिक नहीं है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि हड़ताल के कारण ग्रामीण विकास के कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की हड़ताल ग्रामीण अंचलों के विकास एवं प्रदेश की जनता के हितों के प्रतिकूल है और जिस प्रकार से हड़ताली अवर अभियन्ता अमर्यादित आचरण करने पर उत्तरू हैं जिसे दृष्टिगत रखते हुए जनहित मे अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के अतिरिक्त शासन के समक्ष अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है।]

जनपद आगरा की नगरपालिका, अछनेरा की अव्यवस्था से सीवर लाइन तथा जलोत्सारण योजना ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बदन सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–18 स्थगित किया जाता है।

(श्री बदन सिंह की सूचना पर निर्धारित केवल वक्तव्य स्थगित किया गया।)

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में खुले आम हो रही सामूहिक नकल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

। मा० सदस्यों ने यह सूचना दी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में खुले आम हो रही नकल को रोक पाने में वर्तमान सरकार पूरी तरफ विफल हुई है। नकल में पकड़े गये

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परीक्षार्थियों का औसत 2,000 प्रतिदिन रहा है । तीन-तीन जगह तलाशियां देकर परीक्षार्थी नकल की सहायक सामग्री लेकर अपनी सीटों पर पहुंचने में कैसे सफल हो गये । परीक्षार्थी अपने सामने प्रश्न पत्रों का हल, कापियां, किताबें व गाइडें रखकर बेधड़क नकल कर रहे हैं । उन्होंने गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, बुलन्दशहर तथा मुरादाबाद में स्वयं इस प्रकार का माहौल देखा है । नकल करने में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं । नकल रोकने के लिये डा० अवस्थी समिति की सिफारिशों पर भी प्रभावी अमल नहीं किया गया है । नकल की समस्या प्रदेश व्यापी तथा सबको छूने वाली है । नकल रोकने के लिये तत्काल प्रभावी उपाय करना आवश्यक है ।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित वर्ष 1994 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं दिनांक 5 अप्रैल, 1994 से प्रारम्भ हुई हैं, जिसमें लगभग 25,00,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं । इसमें लगभग 17,00,000 परीक्षार्थी हाईस्कूल परीक्षा में और लगभग 8,00,000 परीक्षार्थी इण्टरमीडिएट के हैं । इन परीक्षार्थियों की परीक्षाएं सम्पन्न कराये जाने हेतु कुल 4,276 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जिनमें से बालिकाओं के परीक्षा केन्द्र 515 हैं । वर्ष 1994 की परीक्षा में परीक्षार्थियों को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की गयी है और जिस विद्यालय में 300 से कम छात्र रहे हैं अथवा सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है तथा पूर्व वर्षों में नकल के लिये आरोपित रहा हो, ऐसे विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है । इन विद्यालयों के छात्रों को अन्यत्र परीक्षा केन्द्रों पर समायोजित किया गया है ।

इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में अनुचित साधन और नकल के प्रयोग को रोके जाने हेतु व्यापक व्यवस्था की गयी है, जिससे बोर्ड परीक्षाओं की पवित्रता और गरिमा अक्षुण्ण रखी जा सके । वर्तमान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992 समाप्त किये जाने के पश्चात परीक्षाओं में नकल की रोकथाम हेतु डा० हरिकृष्ण अवस्थी की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय शिक्षाविदों की समिति का गठन किया गया था जिसकी अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है और जिसकी संस्तुतियां इस वर्ष परीक्षाओं में लागू की गयी हैं ।

इस संबंध में जो व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं, उसके अन्तर्गत प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के परिसर को सील किया गया है । प्रत्येक जनपद में परीक्षा केन्द्रों को सेक्टरों में बांट कर सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गयी है तथा परीक्षा के दौरान नकल की रोकथाम हेतु सचल दलों का गठन राज्य स्तर, मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर पर किया गया है । जनपदों पर नकल मुक्त व्यवस्था के लिये जिला प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया है । परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल पाये जाने पर इसके लिये कक्ष निरीक्षक और केन्द्र व्यवस्थापक को जिम्मेदार बनाया गया है और उनके दोषी पाये जाने पर कर्तव्य उल्लंघन की प्रविष्टि किये जाने की व्यवस्था की गयी है । इस वर्ष पहली बार परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा के तुरन्त बाद संकलित किये जाने हेतु संकलन केन्द्रों के साथ-साथ तहसील स्तर पर उप संकलन केन्द्र की व्यवस्था की गयी है । इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसके द्वारा जनपदों में नकल रहित परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और नकल की रोकथाम हेतु शासन स्तर पर भी एक स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया है ।

उपरोक्त व्यापक व्यवस्था परीक्षाओं में किये जाने के फलस्वरूप इस वर्ष की परीक्षाओं में हिंसक तथा सामूहिक नकल जैसी घटनाएं न के बराबर है और परीक्षाएं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो रही है ।

सचल दलों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा परीक्षा केन्द्रों के प्रभावी नियंत्रण के फलस्वरूप अद्यावधिक कुल 15,401 मामले अनुचित साधन के प्रयोग करते हुए पकड़े जा चुके हैं, जिनमें कुल 1205 बालिकाएं भी सम्मिलित हैं । कदाचित इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाएं सम्पन्न होने के कारण कुछ स्थानों पर नकल और अनुचित साधन के प्रयोग की जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें बड़े कदम उठाये गये हैं ।

गाजियाबाद जनपद में इण्टर कालेज चिड़ौरी परीक्षा केन्द्र के एक कक्ष में छात्रों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर उक्त केन्द्र के उस कमरे को सील कर दिया गया है और वहां के केन्द्र व्यवस्थापक को तत्काल बदल दिया गया है तथा परिषद् द्वारा जांच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । मेरठ जनपद के परीक्षा केन्द्र जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल इण्टर कालेज रछौली में इण्टर परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों द्वारा सामूहिक नकल की शिकायत प्राप्त होने पर परिषद् द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं तथा जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों/अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । इसी प्रकार जनपद अलीगढ़ में जहां दिनांक 5 अप्रैल, 1994 की प्रथम पाली में सामूहिक नकल की सूचना मिलने पर हाईस्कूल की हिन्दी प्रथम पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी गयी है उक्त विषय की पुनः परीक्षा कराई जायेगी । पौड़ी गढ़वाल जनपद के वीरोखाल परीक्षा केन्द्र पर अल्मारी के टूट जाने के प्रकरण पर जिलाधिकारी ने तत्काल जांच आदि कराकर वहां के चौकीदार को जेल भेज दिया गया है । प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही तथा नये केन्द्र व्यवस्थापक की नियुक्ति कर परीक्षाएं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करायी जा रही हैं । इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिया में हिन्दी विषय के प्रथम तथा द्वितीय प्रश्न पत्रों को निरस्त कर दिया गया है और इनकी परीक्षाएं बाद में सम्पन्न करायी जायेंगी । इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जनपदों से जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उन पर तत्काल यथोचित कार्यवाही की जा रही है । राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय और जनपद स्तरीय सचल दल लगातार दौरा कर परीक्षा केन्द्रों पर निगरानी रखे हुए हैं । मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी स्वयं परीक्षा केन्द्रों का जायजा ले रहे हैं ।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1994 की बोर्ड परीक्षाओं में अनुचित साधन के प्रयोग को रोके जाने हेतु प्रभावी व्यवस्था की गयी है और वर्तमान सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि बोर्ड और अन्य किसी प्रकार की सार्वजनिक परीक्षा में नकल और अनुचित साधन का प्रयोग नहीं होने दिया जायेगा । नकल रोके जाने हेतु डा० अवस्थी समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को यथा आवश्यक प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और इसके अच्छे परिणाम आये हैं । अतः नियम–56 के अन्तर्गत मा० सदस्यों द्वारा परिषद् परीक्षाओं में खुले आम नकल कराये जाने के संबंध में जो शिकायतें की गयी हैं वह निराधार हैं ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

इसके बाद सदन 8 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :
25 अप्रैल, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

विद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम
1	मौलाना आजाद हा० से० स्कूल
2	किसान आदर्श इ० का० ठाकुरनगर, गोरखपुर
3	नीनाथापा इ० का०, गोरखपुर
4	तुलसीदास इण्टर कालेज, गोरखपुर
5	महीपनारायण शाही इण्टर कालेज, महावीरछपरा
6	दयानन्द इण्टर कालेज, खोरावार
7	दयानन्द इण्टर कालेज, गोरखपुर
8	आदर्श उ० मा० विद्यालय, हरदीचक
9	वीर शिवाजी उ० मा० विद्यालय, सरहरी
10	जनता इण्टर कालेज, परगांवा
11	सर्वोदय किसान इ० का०, कौड़ीराम
12	नेहरू उ० मा० वि०, अगहिया
13	नारायण उ० मा० विद्यालय, रामपुर पाण्डेय
14	एम० एम० उ० मा० विद्यालय, भगवानपुर
15	गुरुकुल उ० मा० विद्यालय, मिश्रवली
16	पटेल स्मारक इण्टर कालेज, भटहट
17	जवाहर लाल नेहरू उ० मा० विद्यालय, गोरखपुर
18	उ० मा० वि० रमपुरवा, गोरखपुर
19	इन्द्रसना इ० का०, मालापार
20	जे० पी० इण्टर कालेज, कम्पियरगंज, गोरखपुर
21	विश्वेश्वर उ० मा० वि०, मीठावेत
22	कछार उ० मा० वि०, गजुपुर
23	पं० जवाहर लाल उ० मा० वि०, तिलौरा
24	गांधी इण्टर कालेज, महुआपार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

25 भारतीय इण्टर कालेज, पिपरसन्डी
26 मुर्तजा हुसैन ममोरियल हा० से० स्कूल, गोरखपुर
27 सी० एस० ए० बी० इ० का०, मोला
28 बाबा राम अमृतदास इ० का० जोगियापाली
29 ऋषिदेवदास उ० मा० वि० पालीभीता
30 परमेश्वरी दयाल उ० मा० वि०, कुरावल
31 श्याम कृष्ण इण्टर कालेज, थवईपार
32 डी० वी० इ० का०, गोरखपुर
33 उमा प्रसाद सिंह इ० का० जहूरीपार
34 मारवाई इ० का०, गोरखपुर
35 महाराजा प्रताप इ० का०, गोरखपुर
36 रेशमा रावत उ० मा० विद्यालय, भीटीरावत
37 महादेव प्रसाद इ० का० चौरीचौरा
38 जनता उ० मा० विद्यालय, दुवौली, गोरखपुर
39 आदर्श इण्टर कालेज, वेलवार रायगंज, गोरखपुर
40 आदर्श इण्टर कालेज, हाटा बाजार
41 रफी अहमद किदवई उ० मा० वि० मोहद्दीपुर
42 श्रीमती परमापाटनदेवी इ० का०, मछलीगांव
43 श्री रारेखा सिंह इ० का०, उरूवाबाजार
44 सांवृत्तयान इ० का०, गोरखपुर
45 जवाहर शिक्षा निकेतन उ० मा० वि० जंगलबब्बन
46 ग्रामोदय इ० का०, बढ़यापार, गोरखपुर
47 भारतीय उ० मा० विद्यालय, राजाबारी जसवल
48 इन्दिरा गांधी उ० मा० वि० जसवल बाजार
49 नेहरू उ० मा० वि०, पीपीगंज
50 प्रताप नारायण सिंह इ० का० वरही सोनवरसा
51 बापू इण्टर कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर
52 मुरारी इ० का० सहजनवां, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

53 भोलाराम मसकरा इ० का०, सहजनवां
54 नवयुग उ० मा० वि०, बैदौली, गोरखपुर
55 उ० मा० वि०, खानिमपुर
56 एल० पी० के० इ० का०, वसहीला सरदारनगर
57 महात्मा गांधी इ० का०, गोरखपुर
58 मोतीलाल इ० का०, दूधरा
59 एम० एस० आई० इ० का०, गोरखपुर
60 मुर्तजा हुसैन मेमोरियल हा० से० स्कूल, गोरखपुर
61 श्रीराम अधार सिंह उ० मा० वि०, डेरवा
62 राजकीय उ० मा० वि०, रौजादरगाह
63 उ० मा० वि० कुसमोल, गोरखपुर
64 श्री लल्लन द्विवेदी जनता इ० का० सुभपुर
65 उ० मा० वि० भटौली बाजार
66 स्वावलम्बी इ० का० विसुनपुरा
67 कोआपरेटिव इ० का०, पिपराइच

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 57 का उत्तर पीछे पृष्ट 52 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–57 के उत्तर का संलग्नक

पदनाम	शैक्षिक योग्यतायें	अनुभव	वेतनमान
1	2	3	4
स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन स्तर–I	वर्णित नहीं है ।	—	1940–2900
स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन स्तर–II	तदैव	—	1640–2350
स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन स्तर–II'	ड्राफ्ट्समैनशिप में 2 वर्ष का अनुभव सहित	—	1260–2200
वास्तुविद सहायक स्तर–I	वास्तुविद में डिप्लोमा	7 वर्ष	1940–2900
वास्तुविद सहायक स्तर–II	तदैव	—	1400–2500
वास्तुविद सहायक स्तर–III	तदैव	2 वर्ष	1260–2200
नील मुद्रक	निर्धारित नहीं है	—	775–1067

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

सूची "क"

मिश्रीलाल आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा फैजाबाद में कार्यरत अध्यापिकाओं की सूची

क्र०सं०	नाम	पद	वेतनक्रम
1	2	3	4
1	कु० बीना शर्मा	प्रधानाचार्या	2200–4000
2	श्रीमती उर्मिला पाण्डेय	प्रवक्ता हिन्दी	2200–3200
3	,, आशारानी श्रीवास्तव	,, संस्कृत	,, ,,
4	,, शिखा भट्टाचार्या	,, संगीत गायन	,, ,,
5	,, शोभा श्रीवास्तव	,, शिक्षा शास्त्र	,, ,,
6	,, रेखा द्विवेदी	,, इतिहास	,, ,,
7	,, उर्मिला कुमारी मिश्रा	,, अर्थशास्त्र	,, ,,
8	,, करुणा वर्मा	,, अंग्रेजी	1600–2660
9	,, नसीम फात्मा	सहायक अध्यापिका एल० टी०	,, ,,
10	,, नीरजा सिंह	प्रवक्ता गृह विज्ञान	1600–2660
11	,, अनुसुइया देवी	प्रवक्ता नागरिक शास्त्र	,, ,,
12	,, फूलमती गुप्ता	सहायक अध्यापिका एल० टी०	1640–2765
13	,, सविता श्रीवास्तव	,, ,,	,, ,,
14	,, चिन्ता देवी	,, ,,	1400–2300
15	,, सरोज तिवारी	,, ,,	,, ,,
16	श्री राम उजागिर मौर्य	सहायक अध्यापक	,, ,,
17	श्रीमती संतोषबाला रस्तोगी	,, ,,	,, ,,
18	,, मंगरी मौर्या	,, ,,	,, ,,
19	,, सरोजनी देवी गुप्ता	,, ,,	,, ,,
20	,, शकुन्तला श्रीवास्तव	,, ,,	,, ,,
21	,, ऊषा चौधरी	,, ,,	,, ,,
22	,, रामजानकी श्रीवास्तव	,, ,,	,, ,,
23	,, कालिन्दी सिंह	,, ,,	,, ,,
24	,, चित्रा मिश्रा	,, ,,	,, ,,
25	,, उमा मौर्या	,, ,,	,, ,,
26	,, उषा शुक्ला	,, ,,	,, ,,
27	,, लीलावती मौर्या	,, ,,	1350–2070

28	श्री बहाऊलाल मौर्य	,, ,,	1350–2070
29	श्रीमती नीलिमा रानी खरे	,, ,,	,, ,,
30	श्री रवीन्द्र नाथ विश्वकर्मा	,, ,,	,,, ,,
31	श्रीमती सावित्री सिंह	सहायक अध्यापक	,, ,,
32	,, मिथिला मौर्या	,, ,,	,, ,,
33	कु० ठकुरा देवी	सहायक अध्यापक प्राइमरी	1250–1920
34	श्रीमती कमला देवी	,, ,,	,, ,,
35	,, सुशीला देवी	,, ,,	,, ,,
36	,, राजकुमारी देवी	,, ,,	,, ,,
37	श्रीमती तीरथा देवी	,, ,,	,, ,,
38	,, आशारानी आर्य	,, ,,	,, ,,
39	,, उषा रानी आर्या	,, ,,	,, ,,
40	,, गोदावरी देवी	,, ,,	,, ,,
41	,, सावित्री देवी	,, ,,	1100–1710
42	,, शान्ती देवी	,, ,,	,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची "ख"

मिश्रीलाल आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा, फैजाबाद में कार्यरत अध्यापिकाओं की सूची जिनका 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतन निर्धारण के फलस्वरूप एरियर बाकी है ।

क्रमांक	अध्यापिका का नाम	पद
1	श्रीमती करूणा वर्मा	प्रवक्ता अंग्रेजी
2	कु० ठकुरा देवी	सहायक अध्यापक (प्राइमरी)
3	श्रीमती कमला देवी	,, ,,
4	,, सुशीला देवी	,, ,,
5	श्रीमती तीरथा देवी	,, ,,
6	,, आशारानी आर्या	,, ,,
7	,, उषा रानी आर्या	,, ,,
8	,, गोदावरी देवी	,, ,,
9	,, सावित्री देवी	,, ,,
10	,, शान्ती देवी	,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 155 का उत्तर पीछे पृष्ठ 97 पर)

डी० एम० कम्पाउण्ड, जनपद शाहजहांपुर के टाइप–2 के आवंटन हेतु अभ्यर्थियों की सूची (दिनांक 1-1-94 से 25-3-94 तक)

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	प्रा० पत्र प्राप्ति का दिनांक
1	श्री रामवचन सिंह, आशुलिपिक, निर्वाचन कार्यालय	1-1-94
2	श्री नरेश कुमार शर्मा, कैम्प सहायक, जिलाधिकारी	1-1-94
3	श्री रामकरन पाल, प्रतिलिपिक, नकल विभाग जजी	3-1-94
4	श्रीमती लक्ष्मी देवी अग्रवाल, क० लि०, जिला उद्योग	4-1-94
5	श्री मणिकान्त श्रीवास्तव, प्रतिलिपिक अभि० न्यायिक	6-1-94
6	श्री सामन्त सिंह, औद्योगिक पर्यवेक्षक, जि० उ० के०	7-1-94
7	श्री नागेन्द्र मिश्रा, मेडिकल लैब केमिस्ट, महिला चिकित्सालय	8-1-94
8	श्री अवधेश कुमार, क० लि०, मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर	13-1-94
9	श्री योगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, प्रतिलिपिक, जिला न्यायालय	13-1-94
10	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, ,, जजी शाहजहांपुर	14-1-94
11	श्री अजय सिंह, क० लि०, निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०	14-1-94
12	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, क० लि०, कार्यालय, मु० चि० अधि०	14-1-94
13	श्री हरपाल सिंह, जीप चालक, नगर मजिस्ट्रेट	17-1-94
14	श्री धनेश्वर दयाल गुप्ता, प्रा० पाठशाला, निगोना	20-1-94
15	श्री रामलड़ैते मिश्रा, ना० तहसीलदार, सीलिंग	27-1-94
16	श्री सन्तोष कुमार सक्सेना, क० लि०, डी० आर० डी० ए०	29-1-94
17	श्री हरीदत्त भट्ट, रीडर, जिला उपभोक्ता संरक्षण	31-1-94
18	श्री प्यारे लाल, कृपा चालक	31-1-94
19	श्री मुनेन्द्र पाल सिंह, निर्वाचन लिपिक	1-2-94
20	श्री कृष्ण कुमार सक्सेना, क० लि० अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०	2-2-94
21	श्री रामदुलारे यादव, एल० टी०, मलेरिया विभाग	3-2-94
22	श्री धनीराम, वाद लिपिक, जजी, शाहजहांपुर	8-2-94

23	श्री सुरेश चन्द्र, प्रतिलिपिक, जजी, शाहजहांपुर	9-2-94
24	श्री सुनील कुमार सिंह, प्रति लिपिक, जजी, शाहजहांपुर	15-2-94
25	श्री राजकुमार, लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय	17-2-94
26	श्री कैसर उवेद जाफरी, प्रतिलिपिक, जजी, शाहजहांपुर	17-2-94
27	श्री बी० एल० वर्मा, अनुदेशक, हिन्दी, टंकण, आई० टी० आई० रौजा	20-2-94
28	श्री किशन वीर सिंह यादव, एस० आई० ओ०, स्टाक	26-2-94
29	श्री किशोर कुमार, प्रतिलिपिक, जजी, शाहजहांपुर	1-3-94
30	श्री रियाज अहमद, स० सब इन्सपेक्टर (मिनिस्टियल) एल० आई० यू०, शाहजहांपुर	25-3-94

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 165 का उत्तर पीछे पृष्ठ 100 पर)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (भवन)

लोक निर्माण विभाग त० कोष्ठ–7

पत्रांक : 400/17बी-विश्व बैंक भवन/93 दिनांक : 4-8-93

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

राजकीय पालीटेकनिक,

घाटमपुर (कानपुर देहात) ।

विषय–विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रा० पा० घाटमपुर के प्रशासनिक भवन का निर्माण ।

संदर्भ :—आपका पत्रांक 302/भवन/93-94 दिनांक : 24-7-93

राजकीय पालीटेकनिक, घाटमपुर में प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । दिनांक 24-7-93 के उपरोक्त पत्र के साथ आपने माह 8/92 की रिपोर्ट संलग्न कर भेजी है तथा आपने अनुरोध किया है कि प्रशासनिक भवन को शीघ्र पूर्ण करने का कष्ट करें ।

प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण है । कृपया उक्त भवन ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त कोई कठिनाई हो तो कृपया अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (भवन) लो० नि० वि०, कानपुर से सम्पर्क करें अथवा निदेशक, प्रा० शिक्षा को सूचित करें ।

ह०/-

कृते–मुख्य अभियन्ता (भवन)

लो० नि० वि० ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 123 विधान सभा (186)–1994–813 (डी० टी० पी० ।